# प्रौढ़ साक्षरता शिक्षक निदेशिका

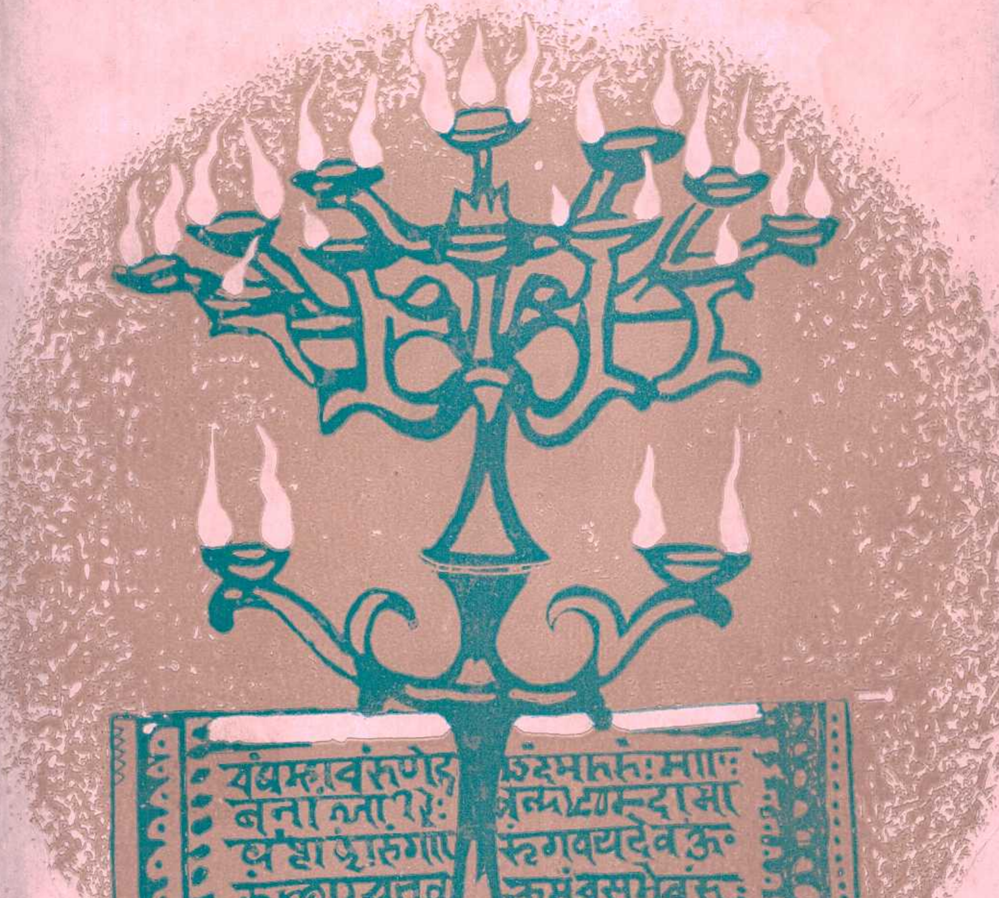

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

डा० मेहता एक किसान को सा

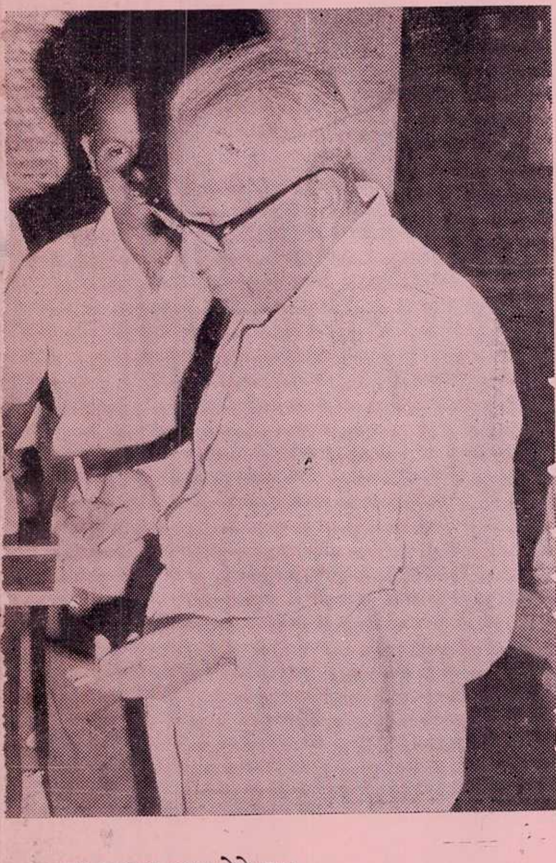

रता का पहला पाठ देते हुए

# प्रौढ़ साक्षरता शिक्षक निदेशिका

नेकीराम गुप्त
भूतपूर्व उपशिक्षा निदेशक, दिल्ली
तथा
व्यवस्था सचिव, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
दिल्ली

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17 बी, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-1

प्रकाशक
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17 बी, इन्द्रप्रस्थ मार्ग,
नई दिल्ली-1

प्रथम संस्करण 1971

श्रृंखला संख्या 87
मूल्य : दस रुपये

मुद्रक
आर० के० प्रिंटर्स,
80-डी, कमला नगर,
दिल्ली-7

# प्रस्तावना

समानता, स्वतन्त्रता तथा न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था के निर्माण में निरक्षरता एक भयानक बाधा है। सामाजिक न्याय तथा विकास एवं प्रगति का साथ जन साधारण के शिक्षित हुए बिना नहीं हो सकता। जन संख्या के अधिकतर भाग के निरक्षर, ज्ञान हीन और अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हुए जन प्रिय संस्थाओं की स्थापना, संचालन तथा विकास असम्भव है।

यदि निरक्षरता के अभिशाप को मिटाना है तो एक जनव्यापी आन्दोलन करना आवश्यक है। इस कार्य में विश्वविद्यालयों, कालिजों तथा स्कूलों की सहायता अनिवार्य है। राजनीतिज्ञ, नेता, उद्योगपति, श्रमिक संघटन, कृषक संघ तथा सब जनसेवी संस्थाओं को इस पुनीत कार्य में सहयोग देने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ही निरक्षरता का उन्मूलन होकर व्यवसायोपयोगी साक्षरता का प्रसार हो सकता है।

इस कठिन परन्तु महान आवश्यक कार्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए भली प्रकार प्रशिक्षित, अनुभवी तथा उत्साही नवयुवकों तथा साहसी महिलाओं के त्यागमय तथा लग्नपूर्ण परिश्रम की आवश्यकता है। इन सभी कार्यकर्त्ताओं को लगातार पथप्रदर्शन तथा नवीकरण की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की सहायता से इस पुस्तक का निर्माण व

प्रकाशन किया है। आशा है प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के सभी कार्य-कर्त्ताओं को यह पुस्तक उनके कार्य के उपयोगी व सफल संचालन में आधार भूत सिद्धान्तों तथा युक्तियों की जानकारी दे सकेगी और वे इन अनुभवों का यथा आवश्यकता व यथा योग्य प्रयोग कर अपने कार्य का विकास कर सकेंगे।

श्री नेकी राम गुप्ता ने शिक्षण क्षेत्र के अपने 40 वर्ष लम्बे अनुभव के आधार पर इस पुस्तक की रचना की है। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यह पुस्तक निरक्षरता के विरुद्ध चल रहे अभियान में अवश्य सहायक सिद्ध होगी।

शिव चन्द्र दत्ता
अवैतनिक महा सचिव
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

शफीक मेमोरियल
17-बी, इन्द्रप्रस्थ मार्ग
नई दिल्ली-1
8 सितम्बर 1971

# भूमिका

शिक्षा अथवा ज्ञान का लक्ष्य चरित्र निर्माण होना जरूरी है। साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त हैं न ही आरम्भ। यह तो मनुष्यों को शिक्षित करने का एक साधन है।

जन व्यापी निरक्षरता भारत के लिये अभिशाप है और इसे दूर करना ही चाहिए। थोड़े-थोड़े समय के असमन्वयित प्रयत्नों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे अधूरे प्रयत्नों से तो नव साक्षर वापिस निरक्षर हो जायेंगे। पुनः निरक्षता से बचने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षण क्रम को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित किया जाए। उन्हें वही पढ़ाया जाए जिसे वे प्रतिदिन काम में लाएं और वह उनके ऊपर थोपा न जाए। उसके लिए उन्हें प्रेरणा दी जाए और रुचि पैदा की जाए। कोई भी ऐसी शिक्षा जिसे वे न तो समझ सकें और न ही उसकी आवश्यकता समझें, उन्हें प्रेरणा न दे पाएगी।

उपरोक्त कुछ आधारभूत सिद्धान्त प्रौढ़ शिक्षण की सफलता के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ताओं एवम् शिक्षकों को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए तथा अपने परिश्रम का उपयोगी परिणाम पाने के लिए इन सिद्धान्तों को भली-भांति समझ लेना ज़रूरी हैं। कोई भी प्रौढ़ों का शिक्षक प्रौढ़ों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को समझे बिना ऐसे ही असफल रहेगा जैसे बिना उपकरणों के मिस्त्री।

प्रौढ़ों के शिक्षकों के लिए इसी जानकारी तथा प्रौढ़ शिक्षा

के इन्हीं आधार भूत सिद्धान्तों व पद्धत्तियों का ज्ञान उपलब्ध करने के लक्ष्य से ही प्रस्तुत पुस्तक की रचना तथा प्रकाशन किया गया है।

पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है उसमें से अधिकतर प्रौढ़ शिक्षण क्षेत्र में कार्य के निजी अनुभवों पर आधारित है। इसी लिए आशा है कि क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी करमठ व दायित्वपूर्ण कार्यकर्त्ताओं को उपयोगी सिद्ध होगा। प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन और ज्ञान के प्रकाश का प्रसार बड़ा पुण्य कार्य है और पवित्र कर्तव्य भी, परन्तु इसके लिए शिक्षकों को बड़ी लगन, विचारशीलता तथा धैर्य्य की आवश्यकता है। इन्हीं तथ्यों पर पुस्तक में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आशा है व्यवहारोप्युक्त समझा जाएगा।

हम उन सभी लेखकों तथा अधिकारियों, संयोजकों और संस्थाओं के बड़े आभारी हैं जिनके अनुभवों तथा लेखों एवम् पुस्तकों में दी गई सामग्री को प्रयोग में लाने की अनाधिकार चेष्टा हमने यह जान कर की है कि उन सबकी स्वीकृति इस शुभ ज्ञान के प्रसार में हमें प्राप्त ही है।

हमें आशा है कि यह पुस्तक उन सभी कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करने में उपयोगी होगो जो दूसरों के अनुभवों से लाभान्वित होना चाहेंगे और सहनशीलता तथा समझदारी के साथ अपने दायित्वपूर्ण कार्य का सफल संचालन करेंगे। पाठकों के विचार पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी।

**नेकी राम गुप्त**

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
8 सितम्बर 1971

# विषय सूची


| सं० | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | प्रस्तावना | iii |
| | भूमिका | v |
| 1. | प्रौढ़ साक्षरता क्यों ? | 1 |
| 2. | निरक्षता समस्या का परिमाण (आकार-प्रकार) | 15 |
| 3. | प्रौढ़ मनोविज्ञान की प्रवृत्तियाँ | 33 |
| 4. | प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं की व्यवस्था | 57 |
| 5. | प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री | 76 |
| 6. | प्रौढ़ साक्षरता की विभिन्न पद्धत्तियाँ | 94 |
| 7. | प्रौढ़ साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा में श्रव्य दृश्य सहायक साधन | 125 |
| 8. | प्रौढ़ साक्षरता और पुस्तकालय | 150 |
| 9. | प्रौढ़ साक्षरता, एक सामूहिक कार्यक्रम | 170 |
| 10. | उपदेश नहीं वास्तविकता | 181 |
| 11. | उत्तर साक्षरता कार्यक्रम | 215 |
| 12. | शिक्षार्थियों की प्रगति जाँच | 235 |
| 13. | प्रौढ़ साक्षरता कार्य में लेख प्रमाण | 262 |
| | अनुबंध | |
| 1. | व्यावसायोपयोगी साक्षरता का सांकेतिक पाट्यक्रम | 276 |
| 2. | भारत में साक्षरता के आँकड़े | 290 |
| 3. | शिक्षा प्रद समूह गान | 296 |

*अध्याय 1*

# प्रौढ़ साक्षरता क्यों ?

हमें प्रसन्नता है कि आपने प्रौढ़ों को पढ़ना लिखना सिखाने का निश्चय किया है। आपने देश के प्रौढ़ों में से निरक्षरता के अभिशाप को दूर करने का बीड़ा उठाया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आपका स्वागत करते हैं।

जी हाँ, आप वास्तव में स्वागत के अधिकारी हैं। आखिर आपने एक कठिन व्रत लिया है। हमें विश्वास है कि आपने इस कठिन कार्य की गम्भीरता को भली-भाँति समझ कर यह उत्तरदायित्व सम्भाला है। इस कार्य में सफलता पाने के लिए आपको काफी त्याग और सेवा करनी होगी, केवल परिश्रम काफी नहीं होगा। काम कठिन आवश्य है परन्तु है रुचिकर। कभी-कभी निराशा और पश्चाताप का भी अनुभव होगा परन्तु आपको हतोत्साह नहीं होना है। समझदारी, लग्न और विवेक से सभी परिस्थितियों को काबू करके मार्ग बनाना है। "ढूँढ लेंगे या बना लेंगे हम अपने आप राह", यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षार्थी सम्भवतया पढ़ना लिखना ही न चाहें।

शायद वो सोचें कि पढ़ाई लिखाई आखिर हमारे किस काम आएगी। वो शायद इस काम में रुचि न लें। हो सकता है, यह उनकी समझ से बाहर की बात हो। शायद उनको आपके ऊपर भरोसा ही न हो। उन्हें आपके कार्य पर शंका हो सकती है। आपको उनका विश्वास प्राप्त करना होगा। आपको उनके अन्दर पढ़ने लिखने की चाह पैदा करनी होगी। बिना चाह के राह नहीं बनती। आप उनके लिए नये होंगे और वो आप के लिए अनजाने। आप दोनों में एक दूसरे के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दोनों में समानता और एकता उत्पन्न होना भी आवश्यक है। शायद आपको नगरों से दूर अनजानी जगहों में काम करना पड़े। शायद आपको सुविधापूर्ण स्थान न मिले। हो सकता है कि आपको कठिन जीवन व्यतीत करना पड़े। निराश न हों और सबके साथ मिलकर रहें। इससे आपको आदर और सम्मान मिलेगा और प्रौढ़ शिक्षार्थी आपको अपना लेंगे।

यह भी हो सकता है कि आपके पास पैसे ही न रहें और धनाभाव में अनेक कठिनाईयाँ झेलनी पड़ें। शायद आपने यह कार्य धन कमाने के लिए अपनाया हो और आपका स्वप्न भंग हो जाए। यदि ऐसा है तो आपने भूल की है। इस काम में तो परिश्रम के बदले और अधिक परिश्रम मिलना है। कमाई तो आपकी केवल जीविका चलाने लायक ही होगी। परन्तु हमें आप पर सन्देह नहीं करना चाहिए। आपने तो निरक्षर प्रौढ़ों के लिये ज्ञान का द्वार खोलने के अभिप्राय से यह सेवा स्वीकार की है और निरक्षर प्रौढ़ों का यह विकास ही आपको सन्तोष दे सकेगा। इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है ? प्रभु के बन्दों की सेवा प्रभु की सबसे बड़ी सेवा है, और

सेवक ही प्रभु को प्यारे होते हैं : यही आपकी प्रसन्नता के लिए काफी है।

निरक्षरता एक अभिशाप है। यह मानव की व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उन्नति की राह में बाधक है। जनतन्त्र की सफलता के लिए नागरिकों में सामाजिक, नैतिक तथा मानसिक चेतना का होना आवश्यक है। निरक्षर बेचारों में यह चेतना और विवेक कहाँ से आएगा। इसीलिए आपने प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया है और आप अपने मनोरथ में अवश्य सफल होंगे।

प्रौढ़ शिक्षार्थी शायद समय पर पढ़ने न आवें। हो सकता है कि वे नियमित रूप से भी न आवें। उनके पारिवारिक जीवन की समस्याएँ, या उनकी अरुचि अथवा उनका निराशा वाद शायद उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करते हों। आपको सभी स्थितियों का अध्ययन करके उचित मार्ग खोजना होगा। हो सकता है कि पढ़ाई की प्रगति धीमी जान पड़े या आपके परिश्रम का परिणाम सन्तोषजनक न हो और पढ़ने वाले वाँछित प्रगति न दिखा सकें। सम्भवतः इन बाधाओं से हतोत्साहित होकर वे पढ़ना छोड़ बैठें और फिर निरक्षर हो जाएँ। या साक्षर हो जाने पर भी कुछ लोग पढ़ाई जारी न रखें। कदाचित उन्हें पढ़ाई जारी रखने की सुविधाएँ न मिलें। फिर बिना अभ्यास साक्षरता का ज्ञान समाप्त हो जाए और आप सोचें कि आपकी मेहनत व्यर्थ गई।

प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम में ऐसी कुछ स्वाभाविक कठिनाइयाँ हैं। यह कोई नई बात नहीं है। आपको इनसे निराशा नहीं होनी चाहिए और न ही हिम्मत हार कर मैदान छोड़ना चाहिए। ये बातें केवल आपको सतर्क तथा जागरुक

करने के लिए कही गई हैं ताकि आप अपने निश्चय को पूरा कर सकें। आपको अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए अपने काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी आप सफल होंगे।

प्रौढ़ साक्षरता की समस्या बड़ी व्यापक है। आखिर देश की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग निरक्षर है। यदि हम केवल 15-45 वर्ष के सक्रीय प्रौढ़ वर्ग को ही लें, तो भी लगभग 15 करोड़ बनते हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है, विशेषकर आज तक की साक्षरता की धीमी प्रगति को देखते हुए। परन्तु फिर भी इस कार्य को छोड़ा अथवा टाला नहीं जा सकता।

कुछ लोगों का ख्याल है कि विधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है और वह फैल रही है। यथा समय 14 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिक साक्षर हो जाएँगे तथा निरक्षर प्रौढ़ों की संख्या दिनों दिन घटती जाएगी और इस प्रकार प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या एक समय अपने आप हल हो जाएगी। तो फिर प्राथमिक शिक्षा पर ही पूरा ध्यान देकर प्रौढ़ों को उनके हाल पर क्यों न छोड़ दिया जाए ? ऐसा विचारना वर्तमान को भूल कर अनिश्चित भविष्य का सहारा लेना है, जो कभी भी श्रेष्ठकर नहीं हो सकता। यह केवल एक भ्रम अथवा धोखा होगा। वास्तविक हित के लिए तो भूत को जानकर वर्तमान को समझना और भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कार्य करना होगा। फिर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति भी तो आशानुकूल नहीं है। अभी तक तो पहली से 5 कक्षा तक के भी सारे बालक विद्यालयों में नहीं जा रहे हैं, पाँचवीं से आगे की तो बात ही छोड़ो। फिर विद्यालय छोड़

बैठने की, फेल हो जाने की, कई-कई साल तक एक ही कक्षा में पड़े रहने की भी समस्याएँ बड़ी जटिल हैं। अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ जाने से भी तो आखिर ये बालक निरक्षर प्रौढ़ ही बनते हैं। यह समस्या भी पढ़े लिखे संरक्षक ही हल कर सकते हैं। अत: अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के भरोसे तो निरक्षरता की समस्या को दूर करने के लिए एक लम्बे समय तक राह देखनी होगी और यह समय इतना अधिक दूर है कि उस समय तक आज के प्रौढ़ों को निरक्षर रख कर देश विकास के सभी कार्यों की प्रगति को रोक देना देश के हित में नहीं हो सकता।

उत्पादन हमें आज बढ़ाना है। उत्पादन के नए ढंगों तथा यंत्रों का प्रयोग आज करना है। जनसंख्या पर नियन्त्रण हमें आज करना है और देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का भी यही समय है। फिर आज का प्रौढ़ ही हमारे खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में और सभी दूसरे क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। उसे नए युग का नया ज्ञान देना होगा। तभी वह समय के साथ लोहा ले सकेगा। वर्तमान का प्रौढ़ ही तो श्रमिक है, उत्पादक है, कमाऊ है, कर दाता है, शिल्पकार है, कारीगर है और अन्य सब कुछ भी। क्या हम उसे निरक्षर रख कर प्रगति कर सकेंगे ? कदापि नहीं। इसलिए भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के भरोसे प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को टाल देना अथवा छोड़ बैठना न तो न्याय संगत है और ना ही हितकर। प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा की ओर लापरवाही दिखाने से हमें भयंकर हानि होगी। "दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम", वाली दशा ही होगी।

प्रौढ़ों की अरुचि अथवा निराशा से कहीं आप लोगों में से कुछ साथी भी ऐसी ही धारणा न बना लें, इसलिए आवश्यक

है कि प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम में कुछ मौलिक कठिनाइयाँ होते हुए भी क्यों इसको कार्यरूप देना ही होगा, इस कार्यक्रम को स्थगित करना कैसे घातक है और क्यों इसको प्राथमिकता दी जाकर पूरे साहस और आत्मविश्वास से चलाया जाना चाहिए ? इस पर कुछ गम्भीरता पूर्वक विचार कर लिया जाए।

शिक्षा एक मौलिक मानवीय गुण है। शिक्षा और चेतना के द्वारा ही मनुष्य भले बुरे की, सत्य असत्य की, तथा हित अहित की पहचान करके अपने अधिकारों की रक्षा करता है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य दूसरों को यथा योग्य और यथा समय सहयोग देता है और अपनी आवश्यकतानुसार दूसरों का सहयोग प्राप्त करता है।

ज्ञान साक्षरता तथा शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता है। अपना ज्ञान, समाज का ज्ञान, देश का ज्ञान, संसार का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान, कला एवं व्यावसायिक ज्ञान, तथा संसार की प्रगति का ज्ञान, ये सब साक्षरता तथा शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ज्ञानी होना मनुष्य का सर्वोत्तम स्वाभाविक लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षा से ही हो सकती है। शिक्षा के अभाव में तो अज्ञान का अन्धेरा ही होगा जो केवल प्रगति में ही बाधक नहीं है, बल्कि मनुष्य को अनेक कुप्रभावों के चक्कर में डाल देता है, जिनसे मानव विकास ही रुक जाता है।

आज के युग में शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता ही नहीं, सर्वप्रथम मानवीय अधिकार है। शिक्षित व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता। शिक्षा मनुष्य में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक चेतना जागृत करती है और वह अपने विचारों का लिखित रूप में आदान प्रदान करने के योग्य बन जाता है। मनुष्य की पढ़ने लिखने और समझने की योग्यता

ही उसको दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठतर बनाती है। लिखित विचार स्थाई और प्रभावपूर्ण होते हैं। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा सकता है तथा दूसरों के विचार जान सकता है। शिक्षित व्यक्ति भूतकाल के अनुभवों के आधार पर वर्तमान को समझकर उसके अनुसार कार्य करके भविष्य का निर्माण कर सकता है। निरक्षर बेचारा तो केवल निकट वर्तमान को ही देख सकता है, भविष्य बनाने की तो बात ही क्या ? इसीलिए शिक्षित व्यक्ति का जीवन अधिक सक्रीय, लक्ष्यपूर्ण, उपयोगी तथा सार्थक होता है।

मानव जीवन की सार्थकता व्यक्ति की शिक्षा तथा जानकारी के स्तर और सामाजिक परिवर्तन की गतिविधि पर निर्भर करती है। आज का युग तीव्र परिवर्तनों तथा विज्ञान और तकनीक के विशाल विकास का युग है। विश्व के सभी देशों की अर्थ-व्यवस्था में गम्भीर परिवर्तन हो रहे हैं। विकसित राष्ट्रों की गतिविधि के अध्ययन से पता चलता है कि उनके विकास में भूमि और पूँजी के बजाए मानव-प्रगति का अधिक हाथ है। उनके विकास का आधार भौतिक श्रम अथवा काम का लम्बा समय या प्राकृतिक अथवा आर्थिक साधन इतने नहीं रहे हैं जितना कि मनुष्य की सूझबूझ तथा व्यवस्था ज्ञान। और व्यवस्था ज्ञान का आधार शिक्षा है। और इसीलिए जीवन विकास पर शिक्षा का बड़ा गहरा प्रभाव होता है।

राजनीति में उन्नति शील राष्ट्रों की भी ऐसी ही कहानी है। वही देश राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं जिनके नागरिक अधिक जागृत, नैतिक चेतना से भरपूर, अपने व्यक्तिगत कर्त्तव्यों और अधिकारों की जानकारी रखते है। नागरिक कर्त्तव्यों तथा अधिकारों की जानकारी और उनका

सदुपयोग ही प्रजातंत्र की आधारशिला है। प्रजातंत्र में प्रौढ़ मताधिकार द्वारा चुने गए लोग ही राज्य का संचालन करते हैं, इसलिए प्रौढ़ मतदान के अधिकार के उचित उपयोग के लिए बड़ी जागरुकता की आवश्यकता है, जो शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होती है।

प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ है कि साक्षर व्यक्ति की व्यावसायिक क्षमता भी निरक्षर एवं केवल अनुभव के आधार पर ही काम करने वाले व्यक्ति की क्षमता से बहुत अधिक है। जहाँ साक्षर व्यक्ति शिक्षा ज्ञान के आधार से अपनी उत्पादन क्षमता 30 प्रतिशत बढ़ा लेता है, वहाँ निरक्षर व्यक्ति केवल अनुभव के आधार पर उसी समय में केवल 12 से 16 प्रतिशत तक बढ़ा पाता है। इस प्रयोग से व्यावसायिक क्षमता वृद्धि में शिक्षा का योगदान स्पष्ट है। इसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी अधिक सफलता प्राप्त करेगा और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति में सहायक होगा। निरक्षर तो हर बात में दूसरों के भरोसे रहेगा और उन्हीं का मुँह ताकेगा। इसलिये समझकर निर्णय करने की और कार्य करने की क्षमता शिक्षा से ही आ सकती है।

शिक्षा और व्यवसाय में यदि सामन्जस्य हो जाए तो सोने में सुहागा सिद्ध होगा और दोनों ही प्रगति करेंगे। क्योंकि पढ़ाई के कार्यक्रम में जब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के बारे में पढ़ेगा तो वह पाठ उसे अधिक रुचिकर होगा और उपयोगी जान पड़ेगा। रुचि और उपयोग का मेल पठन कार्य को सार्थक बना देगा और प्रौढ़ उस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेगा। जितना अधिक वह पढ़ेगा, उतना ही उसका ज्ञान बढ़ेगा और उसमें भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान

प्राप्त करने की चाह जागृत होगी। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के क्रम को जारी रखता हुआ सभी प्रकार के साहित्य को समझ सकेगा। इसलिए पढ़ने की योग्यता से मनुष्य को ज्ञानवर्धन की क्षमता मिलती है, जो आज के परिवर्तनशील युग में बहुत जरूरी है।

फिर व्यक्ति केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, वह एक माता अथवा पिता है, एक परिवार का सदस्य है, उत्पादक है, श्रमिक है, करदाता है, कृषक है, व्यापारी है, उद्योगपति है, कारीगर है, दस्तकार है, कामगार है अथवा मालिक है। इन सभी अथवा इनमें से किसी भी स्थिति में वह एक दायित्व पूर्ण नागरिक और समाज का एक उपयोगी सदस्य है। उसे कुछ कर्त्तव्य निभाने हैं और कुछ अधिकार पाने हैं। यदि वह निरक्षर होगा तो यह सब कर्त्तव्य तथा अधिकार कैसे समझ सकेगा और कैसे निभाएगा अथवा पाएगा। उसे तो केवल नेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर ही नाचना होगा। ऐसी दशा में क्या समाज उसे बेसहारा छोड़ दे ? राष्ट्र विकास के हित में ऐसा कदापि नहीं किया जा सकता।

समाज और राष्ट्र के विकास में तो केवल विवेकपूर्ण और सुशिक्षित नागरिक ही योगदान दे सकते हैं। प्रजातन्त्र के सफल संचालन में तो नागरिकों का जागरुक होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए हर नागरिक को अपने अपने योगदान की जानकारी होना जरूरी है और यह जानकारी शिक्षा से ही मिल सकती है।

कुछ लोगों का कहना है कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। यह बात सही भी है, क्योंकि यद्यपि केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, तथापि शिक्षा का द्वार खोलने में साक्षरता का

एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता। पुस्तकों में भरे हुए बहुमूल्य ज्ञान के अथाह भंडार में प्रवेश पाने का उपाय केवल साक्षरता ही है। इसलिए साक्षरता और शिक्षा मानव जीवन के आवश्यक गुण हैं, विशेषकर मानव जीवन पर प्रभावपूर्ण नए नए अविष्कारों और नई-नई खोजों के इस वर्तमान युग में।

वर्तमान युग मशीनों का युग है, कम्पयूटर, नए-नए यंत्र और नए नए साधन, नए तरीके और नए तकनीक सभी मानव जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं। इन सब नई उपलब्धियों से लाभ उठाने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों, परिपत्रों तथा ऐसे ही और शिक्षा के साधनों का अध्ययन जरूरी है। ज्ञान और सूझबूझ दोनों ही हर व्यक्ति के लिये अपना अपना दायित्व समझने और निभाने के लिए जरूरी हैं, इसलिए इस आधार पर भी मनुष्य में पढ़ने लिखने की क्षमता होनी ही चाहिये।

फिर नई मशीनों, नए उपकरणों तथा नई पद्धतियों के उपयोग में लाने से मनुष्य के पास अवकाश का समय बढ़ता जा रहा है। इस अवकाश के सदुपयोग की क्षमता भी हर व्यक्ति में होनी चाहिये जो शिक्षा से ही प्राप्त होगी। अन्यथा निरक्षर अथवा अशिक्षित व्यक्ति अपने अवकाश के समय को व्यर्थ के अहितकर कार्यों में गंवा कर नष्ट करेगा और कुटम्ब, समाज और राष्ट्र पर भार बन जाएगा। काम के बिना खाली आदमी तो व्यर्थ के असामाजिक कुकर्मों में ही फंस जाएगा। शिक्षित व्यक्ति अपनी कार्य-क्षमता बढ़ाकर उपयोगी नागरिक बनेगा, परन्तु निरक्षर व्यक्ति समय के परिवर्तन को समझ ही

न पाएगा। अवकाश का सदुपयोग करने तथा बदलते समय की माँगों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति के लिए साक्षर तथा शिक्षित होना आवश्यक है।

फिर निरक्षर व्यक्ति तो अपने बालकों को शिक्षित करने में भी सहायक नहीं हो सकेगा। उसे शिक्षा के लाभों का ज्ञान ही न हो सकेगा। वो तो अपने बालकों को शिक्षित बनाने से डरेगा कि कहीं वे पढ़ लिख कर उसका आदर करना ही न छोड़ दें। उनके शिक्षा कार्य में वो सहायक नहीं हो सकता, बल्कि बाधाएँ ही उपस्थित करेगा। परिणामस्वरूप, बालक पढाई अधूरी छोड़कर फिर से निरक्षर हो जाएगा। इसलिए संरक्षक के दायित्व पूरे करने के लिए भी व्यक्ति का शिक्षित होना ज़रूरी है।

इस प्रकार हमने देखा कि परिवार में, घर में या समाज में, नागरिक या उत्पादक अथवा उपभोक्ता के नाते कारीगर अथवा दस्तकार के नाते, पार्षद, विधायक, राजनीतिज्ञ अथवा शासक के नाते किसी तरह से मानव जीवन के दायित्व को पूरा करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है, इसे भुलाया, टलाया या रोका नहीं जा सकता।

निरक्षरता और सम्पन्नता दोनों साथ साथ नहीं चल सकतीं। साक्षरता आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा सब को ज्ञान एवं उचित मार्ग निर्मित करने की सूझ-बूझ प्राप्त होती है। इसलिए आर्थिक उन्नति के दृष्टि कोण से तथा राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उन्नति एवं प्रजातन्त्र के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि शहरी और देहाती सभी क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को लिखने पढ़ने की इतनी सामर्थ्य तो होनी ही चाहिए कि वह अपने ज्ञान का अपने

दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें और आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने अध्ययन को जारी रख सकें।

संक्षेप में इस अध्याय में हमने समझा कि निम्न कारणों से निरक्षरता को दूर करना आवश्यक है।

1. कृषि एवं उद्योग में कार्यकर्त्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ताकि राष्ट्र अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिये विदेशों पर निर्भर न रह कर आर्थिक उन्नति कर सके।

2. गरीबी, भूख और बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक चेतना देने के लिए।

3. सुव्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए जागृति उत्पन्न करने के लिए।

4. प्रजातन्त्र के सफल संचालन के लिए नागरिक चेतना एवं सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के लिए।

5. नागरिकों में तेजी से बदलते हुए सामाजिक वातावरण को समझने और उनमें उससे सामन्जस्य स्थापित करने की क्षमता बनाने के लिए तथा उत्पादन के नए यंत्रों तथा नए तरीको को समझने की सामर्थ्य पैदा करने के लिए।

6. भावी नागरिकों की शिक्षा समस्या को समझने और सुलझाने के लिए तथा स्कूलों से अधूरी पढ़ाई छोड़ कर बैठ रहने वालों की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए।

7. व्यवसायिक क्षमता को बढ़ावा देने तथा जीवन पर्यन्त शिक्षा क्रम को जारी रखने के साधनों की उपलब्धि के लिए।

8. व्यक्ति को अपने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों की जानकारी तथा उनको निभाने को सामर्थ्य देने के लिए।

9. जीवन को आनन्दमय, वैभवपूर्ण और सम्पन्न बनाने के लिए, अवकाश के सदुपयोग के साधनों की उपलब्धि के लिए।

10. राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जीवन में उचित योगदान देने की योग्यता उत्पन्न करने के लिए।

**साक्षरता क्यों !**

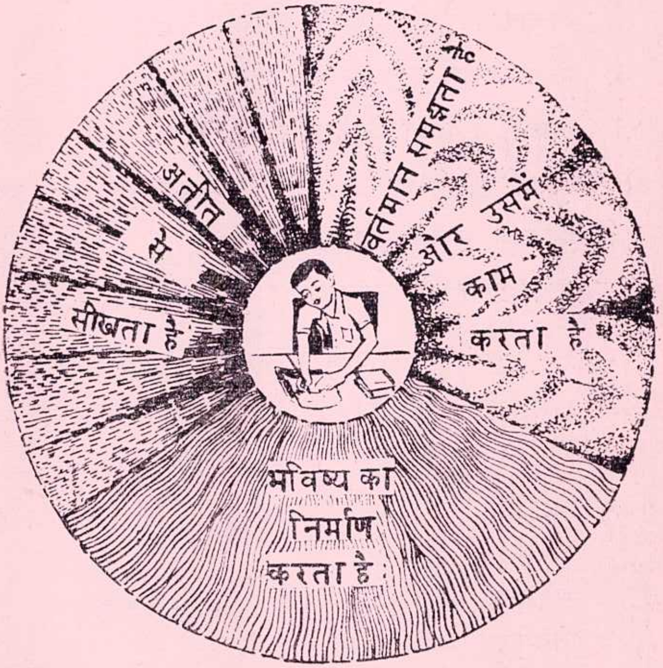

साक्षरता का अभिप्राय निम्नलिखित योग्यताओं से हैं।

पढ़ने की | लिखने की | समझने की | समझाने की | हिसाब करने की

ये योग्यताएं मनुष्य को सामर्थ्य देती हैं

भूत को जानने की | वर्तमान को जानने की | भविष्य को बनाने की

और

समझकर समयानुसार कार्य करने की

निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करके

1. ज्ञान प्राप्ति के साधन।
2. ज्ञान भंडार के द्वार में प्रवेश की सामर्थ्य।
3. विचारों के आदान प्रदान की योग्यता।
4. स्वयं शिक्षण के साधनों की उपलब्धि।
5. विकास में गतिवर्धन की योग्यता।
6. बालकों की शिक्षा में सहायता तथा प्रोत्साहन देने की योग्यता।
7. अवकाश के सदुपयोग की योग्यता।
8. उत्पादकता को बढ़ावा देने की सामर्थ्य।
9. व्यवसायिक दक्षता में उन्नति करने की समझ।
10. सामाजिक जीवन का परिवर्तित स्थितियों से सामंजस्य करने की सूझ।
11. अज्ञानता एवं विवशता के कारण अनुचित शोषण से बचाव की सामर्थ्य।
12. नागरिक व्यवस्था में योगदान एवं उत्तरदायित्व निभाने की योग्यता।
13. जनतन्त्र के संरक्षण एवं पुष्टिकरण की योग्यता।

*अध्याय 2*

# निरक्षरता समस्या का परिमाण (आकार-प्रकार)

पिछले अध्याय में आप ने समझा कि हम क्या करना चाहते हैं। हम प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करना चाहते हैं। उसका उन्मूलन करना चाहते हैं, कम से कम सभी सक्रीय प्रौढ़ों में से, जिनकी संख्या लगभग पन्द्रह (15) करोड़ है। हम सभी सक्रीय प्रौढ़ों को व्यवसायिक उपयोग के लिए साक्षर अथवा शिक्षित करना चाहते हैं। यह भी आपने समझ लिया कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। यह उन सब को संसार के सब से बड़े जनतंत्र के विवेकशील तथा उपयोगी नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। यह राष्ट्रीय उन्नति के लिए समय की माँग है। इसके बिना राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक उन्नति असम्भव है। हमें विश्वास है कि आप इस तथ्य को समझ गए हैं, और इस गम्भीर समस्या को हल करने की सामर्थ्य अनुभव कर रहे हैं। अब हमें देखना चाहिए कि इस समस्या का परिमाण कितना है। परन्तु ठहरिए, पहले इसके लिये तैयारी करना जरूरी है।

आप सब ने देखा होगा कि पैदल यात्रा के नियम जानने के बावजूद भी बहुत से पैदल चलने वाले पटड़ी पर न

चल कर सड़क पर चलते रहते हैं। यदि आप उनको पटड़ी पर चलने को कहें भी, तो वे परवाह नहीं करते और सुनी अनसुनी कर देते हैं। परन्तु यदि कोई साइकिल सवार या कई साइकिल सवार पीछे से घंटी बजावें, तो ये सब लोग तुरन्त सड़क छोड़ कर पटड़ी पर हो जाते हैं, और रास्ता छोड़ देते हैं। इसी प्रकार यदि कुछ साइकिल सवार सड़क के बाईं ओर नहीं चल रहे हों और आप उन्हें कहें तो वे नहीं मानेंगे। परन्तु यदि कोई मोटर सवार पीछे से हार्न बजावे, तो तुरन्त रास्ता छोड़ अपनी ओर आ जाएँगे। ऐसा हर रोज़, हर जगह, हर समय होता है। परन्तु ऐसा क्यों होता है ? क्या पैदल चलने वालों को अथवा साइकिल चलाने वालों को इतनी जल्दी नियमों की याद आ जाती है और वे उन्हें प्रयोग में ले आते हैं। सम्भवतया नहीं, नियम तो उन्हें पहले भी मालूम थे और वे यह भी जानते थे कि वे भूल कर रहे हैं। परन्तु आपके समझाने पर भी न माने। तब तो यही बात है कि उन्हें पीछे से एक अपने से अधिक शक्तिशाली वाहन नज़र आ रहा था जिसके लिए वे रास्ता न छोड़ते तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। इसी तथ्य ने उनको रास्ता छोड़ने पर बाध्य किया। सम्भवतया आप इस विचारधारा से सहमत होंगे। नहीं भी हों, तो ऐसी घटनाएँ देखते तो रोज ही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो होता क्या है। शक्तिवान से भय सभी मानते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। तो बस समझ लीजिए कि शक्तिशाली व्यक्ति के रास्ते से सभी बाधाएँ दूर हो जाती हैं। इसलिए निरक्षरता की समस्या कितनी भी गम्भीर, कितनी भी विशाल हो, आप अपने अन्दर ज्ञान की, निश्चय और चरित्र की वह शक्ति पैदा करें जो आपको इस कठिन काम के करने में सफलता

प्राप्त करने की योग्यता दे। ऐसा हो जाने पर हमारे रास्ते की सब बाधाएँ और अड़चनें दूर होती चली जाएँगी।

तो अब आईये, देखें कि प्रौढ़ निरक्षरता, जिसका हम उन्मूलन करने चले हैं, उसका परिमाण कितना विशाल है ताकि उसी के अनुसार हम अपने को तैयार कर सकें और सफलता के साथ इस गहन समस्या पर विजय पा सकें।

सभी लोग अब ऐसा अनुभव करने लगे हैं कि प्रौढ़ निरक्षरता की व्यापकता और प्रौढ़ों में साक्षरता की धीमी गति के कारण देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सभी ऐसा मानते हैं कि श्रमिक, चाहे वो कारखाने में काम करता हो अथवा खेतों में या किसी और अन्य उत्पादन क्षेत्र में, उसकी ज्ञान प्राप्ति अथवा कार्य निपुणता और उत्पादन शक्ति की प्रगति के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण जरूरी हैं और प्रशिक्षण के लिए उसका साक्षर होना महत्वपूर्ण है। साक्षरता उसके लिए नए ज्ञान की आधार शिला है। यदि हम चाहते हैं कि श्रमिकों में बदलते हुए सामाजिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए, तो इनमें इस नए परिवर्तन और उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाने की समझ भी होनी चाहिए। इसके लिए उसे समाज शिक्षा की आवश्यकता है। इसी प्रकार एक नागरिक के नाते यदि उसे अपने कत्तर्व्य निभाने हैं और अधिकार प्राप्त करने हैं तो उसे उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसकी योग्यता उसमें होनी चाहिए। इस जानकारी का आधार है शिक्षा एवं ज्ञान और उसका आधार है साक्षरता। इसलिए निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर करना हमारा प्रथम कत्तर्व्य हुआ।

पिछले दो दशक से हमारे देश में प्रौढ़ निरक्षरता की

गम्भीरता का अनुभव किया जा रहा है और इसके उन्मूलन के लिए अनेक उपाए किये जा रहे हैं। परन्तु जैसे जैसे समय बीत रहा है, समस्या गम्भीर से गम्भीरतर होती जा रही है और इसका समाधान निकट भविष्य में नहीं सूझ रहा है।

आज हमारे देश के प्रत्येक तीन में से दो व्यक्ति निरक्षर हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 43·9 करोड़ थी। इसमें से केवल 10.53 करोड़ लोग (अर्थात 7·78 करोड़ पुरुष और 2·75 करोड़ स्त्रियाँ) साक्षर थे। साक्षरता का प्रतिशत केवल 24·03 था जो 1951 के प्रतिशत से 7·4 प्रतिशत अधिक था। 1971 की जनगणना के सामयिक आंकड़ों के आधार पर साक्षरता बढ़ कर केवल 29·35 प्रतिशत हो गई। लगभग 54·7 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 16 करोड़ लोग (11·1 पुरुष और 4·9 महिलाएँ) साक्षर हैं। परन्तु साक्षरता के प्रतिशत आंकड़े निरक्षरता की व्यापकता का सही मापदंड नहीं हैं, क्योंकि साथ ही साथ जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 1951-61 के दशक में जनसंख्या 21·64% बढ़ गई जब कि साक्षरता केवल 7·4 % बढ़ी। इस वजह से देश में 1951 की अपेक्षा 1961 में 3·6 करोड़ निरक्षर बढ़ गये। 1961 से 1971 के दशक में जन संख्या 24·57% बढ़ी और साक्षरता केवल 5.32%। इस प्रकार निरक्षरों की संख्या लगभग चालीस लाख प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई गति को देख कर शायद इस स्थिति पर शंका उपस्थित हो सकती है। इस लिए आईये, थोड़ा इस पर विचार कर लिया जाए।

सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो जाने के बावजूद भी अभी तक 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के

बालको में केवल 77·8% बालक ही विद्यालयों में जा पाए हैं। शेष 22·2% बालक जनकी संख्या लगभग 146 लाख है, निरक्षर ही रह गए हैं, और प्रौढ़ अवस्था को पहुँच कर वर्तमान प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। यह ठीक है कि जैसे जैसे 6 से 11 वर्ष की आयुवर्ग के बालकों की स्कूल जाने की सुविधाएँ बढ़ती जाएँगी और प्राथमिक शिक्षा का विस्तार इतना हो जाएगा कि प्रत्येक बालक, जिसे स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाने लगेगा तैसे तैसे उल्लिखित संख्या घटती जाएगी। परन्तु ऐसा समय निकट भविष्य में आता दिखाई नहीं देता।

दूसरे, हमारे देश में निरक्षरता के बढ़ने का एक और भी बहुत बड़ा कारण यह है कि बहुत से बालक पांचवीं कक्षा में पहुँचने से पहले ही शिक्षा को अधूरी छोड़ अनेक परिस्थितियों वश स्कूल जाना बन्द कर देते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक सौ बालकों में से, जो विद्यालयों की प्रथम श्रेणी में प्रवेश पाते हैं, तेतीस बालक पांचवीं श्रेणी समाप्त किए बिना ही पढ़ाई छोड़ बैठते हैं और ऐसे बालकों की संख्या प्रति वर्ष लगभग 39 लाख है। ऐसे बालक यदि थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख भी लेते हैं तो उस साक्षरता ज्ञान का प्रयोग न कर सकने के कारण, एक दो वर्ष में ही, सब भूल कर प्राय: निरक्षर ही हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि स्कूल न जाने वाले और पढ़ाई अधूरी छोड़ कर स्कूल छोड़ बैठने वाले दोनों ही प्रकार के बालक, जिन की संख्या 1971 के अन्त तक लगभग 350 लाख हो जाएगी, प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या ही बढ़ाएँगे और हमें इस समस्या का हल ढूंढने में कठिनाई ही उपस्थित करेंगे।

इस समस्या का एक और पहलू भी है जिस पर शिक्षा

विशेषज्ञों तथा योजना निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए और वह है साक्षर जनों का भिन्न भिन्न वर्गों में फैलाव । 1961 की जनगणना के अनुसार इस वर्गीकरण के कुछ आंकड़ें इस तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए दिए जा रहे हैं ।

1961 की जनगणना के अनुसार शिक्षा स्तर के आधार पर साक्षरता के आँकड़े :—

| साक्षरता तथा शिक्षा स्तर | पुरुष | महिला | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1. बिना शिक्षा स्तर के साक्षर | 4,82,86,730 | 1,81,45,668 | 6,64,32,398 | 62·9 |
| 2. प्राथमिक शिक्षा स्तर | 2,26,99,585 | 81,58,196 | 3,08,57,781 | 29·3 |
| 3. मैट्रिक और उच्चतर स्तर | 69,53,513 | 12,75,064 | 82,28,582 | 7·8 |
| | 7,79,39,833 | 2,75,78,928 | 10,55,18,761 | 100·00 |

इन आंकड़ों से आप देखेंगें कि साक्षरों में से 62·9% साक्षर तो ऐसे हैं जिनको शिक्षा के किसी विधिवत् स्तर में नहीं गिना जा सकता । इस लिए ये साक्षर प्राय: अपनी साक्षरता का प्रयोग करने में असफल रहेंगे और लगभग निरक्षर समान ही रहेंगे । यदि हमें देश को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाते रहना है और जन शिक्षा का पूरा लाभ उठाना है तो इस वर्ग के सभी लोगों के लिए शिक्षा क्रम को जारी रखने की सुविधाएँ देनी होंगी । तभी वे उपयोगी नागरिक बन सकते हैं । साक्षर वर्ग के 29.3% लोग जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर की

शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं वे भी अपनी इस शिक्षा का उपयोग भली प्रकार तब ही कर पाएँगे जब उन्हें भी अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये शिक्षण क्रम को जारी रखने के साधन मिलें। इस प्रकार वास्तविक साक्षर तो केवल 7.8% वे लोग रहे जो कम से कम मैट्रिक अथवा उसके आगे शिक्षा प्राप्त कर गए हैं। ये लोग इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि पुस्तकों के अध्ययन द्वारा नए से नए ज्ञान की प्राप्ति स्वयं कर सकें और दैनिक जीवन यापन के कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान जुटा सकें। यह हमारे देश की साक्षर जनता का ब्यौरा है।

**प्रौढ़ निरक्षरता का प्रकार और आकार**

अभी तक हमने निरक्षरता की साधारण स्थिति को दर्शाया है। आइये अब यह भी देख लें कि इस निरक्षरता की समस्या का आकार प्रकार क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लिए 1961–81 के 20 वर्षों में देश में निरक्षरता के फैलाव की सम्भावनाओं पर जो खोज की थी उसके अनुसार आने वाले वर्षों में साक्षरता के अनुमानित आंकड़े नीचे दिये जा रहे है।

| वर्ष | 15 से 44 वर्ष के आयुवर्ग में निरक्षरों की संख्या | इसी आयु वर्ग में निरक्षरों का % |
|---|---|---|
| 1961 | 13,10,95,451 | 69·4% |
| 1966 | 14,43,59,189 | 67·4% |
| 1971 | 15,77,10,242 | 65·5% |
| 1976 | 15,44,25,089 | 56·2% |
| 1981 | 13,94,43,281 | 44·3% |

इन आंकड़ों का अनुमान लगाते समय यह मान लिया गया है कि प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम 1961-81 के दो दशकों में वैसी ही गति से चलता रहेगा जैसा कि 1961 में चल रहा था और प्राथमिक शिक्षा का फैलाव भी उसी गति से चलता रहेगा । हालांकि उस समय केवल अनुमान लगाने के लिए ही ऐसा सोचा गया था परन्तु पिछले 6 वर्षों की प्रगति और प्रौढ़ शिक्षा की ओर वर्तमान तत्परता को देखते हूए यह स्पष्ट है कि मान्यता ठीक ही की गई है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है ।

परन्तु यह सब कुछ होने पर भी आंकड़े दो महत्वपूर्ण तथ्यों के द्योतक हैं । पहली बात जो समझी जा सकती है वह है कि 1981 तक प्रौढ़ निरक्षरता में 25% की कमी आ जाएगी । यह प्रभाव प्राथमिक शिक्षा के निरन्तर प्रसार से होगा । यह भी स्पष्ट है कि प्रौढ़ निरक्षरता में सारपूणं और ठोस कमी 1976 से ही दृष्टि गोचर होगी क्यों कि उस समय तक शिक्षा आयुवर्ग के अधिकतर बालक स्कूलों में जाने लगेंगे । हो सकता है यह संख्या 100% तक पहुँच जाए । परन्तु यह तथ्य थोड़ा दुखद है कि प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन में सार पूर्ण तेजी आने में अभी कुछ वर्ष और लगेंगे और इतनी देर तक आज के कुछ सक्रीय प्रौढ़ निरक्षर ही रहेंगे और राष्ट्रोन्नति में पूरा योगदान न दे सकेंगे ।

प्रौढ़ निरक्षरता समस्या का एक और पहलू भी ध्यान देने योग्य है और वह है शहरी और देहाती क्षेत्रों में साक्षरता की असमानता । देश के कुछ चुने हुए भागों में इस असमानता की जाँच की गई और उसके आंकड़े नीचे स्पष्टीकरण के लिए दिए जा रहे हैं :

देहाती क्षेत्र

| कुल देहाती जन संख्या का साक्षरता प्रतिशत स्तर | जिलों की संख्या | भारत के कुल देहाती क्षेत्र का प्रतिशत | भारत की कुल जनसंख्या (देहाती) का % |
|---|---|---|---|
| 00 से 9·9 | 41 | 16·72 | 6·39 |
| 10·0 से 19·9 | 178 | 52·71 | 55·83 |
| 20·0 से 29·9 | 87 | 26·00 | 30·63 |
| 30·0 से 39·9 | 13 | 3·15 | 4·42 |
| 40·0 से 49·9 | 6 | 1·16 | 1·98 |
| 50·0 और उससे ऊपर | 3 | 0·26 | 0·75 |
| | | 100 00 | 100·00 |

शहरी क्षेत्र

| कुल शहरी जन-संख्या में साक्षरता का प्रतिशत स्तर | जिलों की संख्या | भारत के कुल शहरी क्षेत्र का प्रतिशत | भारत की कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 00·0 से 39·9 | 112 | 30·66 | 18·40 |
| 40·0 से 49·9 | 139 | 49·10 | 45·86 |
| 50·0 से 59·9 | 61 | 19·40 | 34·95 |
| 60·0 से 69·9 | 11 | 0·80 | 0·78 |
| 70·0 से 79·9 | 1 | 0·04 | 0·01 |
| | | 100·00 | 100·00 |

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि देहाती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में निरक्षरता अधिक है। हालाँकि देहाती क्षेत्र की जनसंख्या में निरक्षरता के फैलाव के आँकड़ें अलग से उपलब्ध नहीं हैं परन्तु 1961 की जनगणना के आँकड़ों से देहाती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में से कुछ क्षेत्रों में तो 81% तक निरक्षर हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में यह संख्या अधिक से अधिक 53 प्रतिशत तक है। 1951-61 के दशक में देहाती क्षेत्रों में निरक्षरता केवल 6.9 प्रतिशत घटी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह घटत 12.4 तक हुई। चूँकि भारत की अधिकतर जनता गाँवों में रहती है, इसलिए यदि साक्षरता प्रसार कार्य को अधिक उपयोगी और लाभप्रद बनाना है तो देहाती क्षेत्रों में कार्य की गति को बहुत तीव्र करना होगा और उधर अधिक ध्यान देना होगा। 1971 की जन गणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी लगभग 10.88 करोड़ है और देहाती 43.82 करोड़। इस प्रकार भारत की 80% जनता गाँवों में बसती है।

महिला वर्ग में निरक्षरता का अत्यधिक होना प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या का एक और पहलू है। 1961 की जन-गणना के अनुसार महिला वर्ग की निरक्षरता 87.10 प्रतिशत थी अर्थात् 1951 की अपेक्षा 5 प्रतिशत घट गई थी जबकि पुरुष वर्ग में निरक्षरता 65.6 प्रतिशत थी अर्थात् 1951 की अपेक्षा 9.5 प्रतिशत घट गई थी। वर्तमान अनुमान के अनुसार निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की संख्या से दो गुणी है। साथ ही देहाती क्षेत्रों में महिला वर्ग की साक्षरता का कार्य महिला शिक्षकों के अभाव में बहुत कठिन है।

पिछले तीन दशकों की जन गणना के अनुसार पुरुष व

महिला वर्ग की साक्षरता के आँकड़े निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं।

| वर्ग | 1951 | 1961 | 1971 |
|---|---|---|---|
| पु० | 24·90 | 34·40 | 39·51 |
| म० | 7·90 | 12·90 | 18·44 |

इन आँकड़ों से स्पष्ट तौर पर जाना जा सकता है कि साक्षरता के क्षेत्र में महिला वर्ग पुरुष वर्ग से बहुत पीछे है। महिलाओं का साक्षर ही नहीं सुशिक्षित होना पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुख व समृद्धि के लिये पुरुष वर्ग के साक्षर व सुशिक्षित होने से भी अधिक आवश्यक है। इसलिए जन व्यापी निरक्षरता के इस पहलू पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं में सुशिक्षित व उत्तम गृहणी बनने की योग्यता जब तक न होगी, तब तक वे अपने बालकों को सुशिक्षित, उपयोगी व कुशल नागरिक बनाने में सहायक नहीं हो सकतीं। इसलिए स्त्री शिक्षा की समस्या पर हमें अविलम्ब ध्यान देना होगा।

अनुसूचित जाति वर्ग, जिसकी संख्या देश भर में तीन करोड़ है, एक और ऐसा वर्ग है जिसमें निरक्षरता बहुत ही अधिक है। ऐसा अनुमान है कि इस वर्ग में निरक्षरता का प्रतिशत 91·5 प्रतिशत तक है (पुरुष वर्ग में 86·3 प्रतिशत और महिला वर्ग में 96·9 प्रतिशत)। देश में कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को भी गत कुछ वर्षों से शिक्षा प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए हैं।

वास्तव में इस वर्ग के लोग काफी पीछे हैं। इसलिए जरूरी है कि इस वर्ग के आर्थिक विकास के कार्यक्रम में शिक्षा विकास का भी समावेश हो।

इस प्रकार हमारी निरक्षरता की समस्या बहुत गहन है। यह करोड़ों लोगों का प्रश्न है, कोई छोटी बात नहीं और इसीलिए इस समस्या का हल बहुत ही कठिन है विशेषकर जबकि हम इस ओर बड़ी उदासीनता से धीमी गति के साथ चल रहे हैं। भारत संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्रीय राष्ट्र है और ऐसे महान् राष्ट्र में निरक्षरों की इतनी बड़ी संख्या का उपस्थित होना राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है। क्या हमारा देश समाज के इतने बड़े अंग को निरक्षर और राष्ट्रोन्नति के लिए साधनहीन छोड़ सकता है ? क्या इतने नागरिकों का समुचित योगदान पाए बिना देश आगे बढ़ सकेगा ? देश के शासकों, राजनीतिज्ञों, नेताओं, ऐच्छिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सभी शिक्षित जनों के लिए यह एक गम्भीर चुनौती है, जो हर सामर्थ्यवान व्यक्ति को देश की निरक्षरता के समूल उन्मूलन में सक्रीय योगदान के लिए ललकारती है। इस महान् अभिशाप से मुक्ति पाना राष्ट्र के कलंक को दूर करना होगा और इस शुभ कार्य में सभी जनों को योजनाबद्ध तरीके से पूरी लगन के साथ तत्परता से जुट जाना होगा। सभी मानवीय एवं भौतिक साधनों को जुटाना होगा। अन्य देशों के अनुभवों तथा नए ज्ञान और नई खोजों से उपलब्ध जानकारी को काम में लाना होगा और अविलम्ब सभी साधनों को काम में लेते हुए निरक्षरता के विरुद्ध एक अभियान की व्यवस्था करनी होगी, तब ही हम अपने ध्येय की प्राप्ति कर पाएँगे।

पिछले दशक में, निरक्षरता उन्मूलन के लिए राजकीय

स्तर पर ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा तथा अनेकों अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा काफी विस्तृत प्रयत्न किए गए हैं, परन्तु सफलता बहुत कम मिली है। लक्षण निराशा पूर्ण हैं और हम अनेक प्रकार से स्थिति को संभालने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि हमने प्रौढ़ साक्षरता को समाज शिक्षा का रूप देकर जो इसका क्षेत्र विस्तार किया, उससे साक्षरता कार्य महत्वहीन समझा जा कर गौण रह गया। कुछ लोग धनाभाव को इस मन्दगति का कारण बताते हैं, कुछ आपसी सामंजस्य की कमी को इसका आधार मानते हैं और अधिकतर लोग कहते है कि साक्षरता प्रसार कार्य के प्रति सरकार और अधिकारी गण उदासीन हैं, तथा प्रौढ़ स्वयं उत्साहहीन, आलसी और लापरवाह हैं। इसलिये सब साधन उपलब्ध होते हुए भी साक्षरता प्रसार की गति धीमी है।

सम्भवतया हमारी वर्तमान शोचनीय दशा का मूल आधार ये सभी कारण सम्मिलित रूप से हैं। हो सकता है इनमें से अन्तिम अर्थात् स्वयं प्रौढ़ों के उत्साहीन एवं लापरवाह होने और उनमें पढ़ने की आन्तरिक चाह का न होने, का सम्बन्ध हमारी इस दशा से सबसे अधिक हो। फिर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इस प्रकार हम एक विषचक्र के जाल में फंसे हैं। निरक्षरजन बढ़ती हुई जनसंख्या के कुप्रभावों और उनसे बचने के लिए जनसंख्या नियन्त्रण के उपायों को न समझ सकेंगे और यदि निरक्षरता न मिटी तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी और यदि जनसंख्या इसी तेजी से बढ़ती रही तो निरक्षरता नहीं मिट सकती अथवा साक्षरता प्रसार की गति धीमी ही रहेगी। यह एक उलझी हुई गुत्थी है परन्तु इसको सुलझाना तो होगा ही और साक्षरता प्रसार करना ही होगा। हमें चाहिएँ ऐसे विशेषज्ञ तथा मार्ग

दर्शक जो साक्षरता अभियान को मानव जीवन के बदलते चरणों में आवश्यक स्थान देकर इसे जनव्यापी आन्दोलन बना दें और समुदाय की पूरी शक्ति निरक्षरता उन्मूलन में लगा दें।

हमें इस अभियान की गति को कितना तीव्र करना होगा, इसका अनुमान लगाने के लिये आइए 1955 से आरम्भ होने वाले दशक में इस प्रसार की गति के आंकड़ों का अध्ययन करें।

| वर्ष | विकास खंडों की संख्या | प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना | साक्षर प्रौढ़ों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1955—56 | 1514 | 53,000 | 12,84,000 |
| 1956—57 | 1714 | 20,666 | 6,20,000 |
| 1957—58 | 2405 | 31,195 | 7,96,000 |
| 1958—59 | 2548 | 28,709 | 10,58,000 |
| 1959—60 | 2708 | 36,133 | 8.42,300 |
| 1960—61 | 3110 | 43,294 | 7,40,110 |
| 1961—62 | 3589 | 62,448 | 8,85,002 |
| 1962—63 | 4187 | 46,703 | 7,72,254 |
| 1963—64 | 4877 | 47,818 | 8,20,579 |
| 1964—65 | 5238 | 54,002 | 10,20,928 |

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग दस लाख प्रौढ़ प्रति वर्ष साक्षर हो पाए हैं। प्रगति की यह चाल देश व्यापी निरक्षरता को देखते हुए, विशेष कर 15 करोड़ सक्रीय प्रौढ़ वर्ग को देखते हुए बहुत ही धीमी और निराशा जनक है।

इस आधार पर यदि हम मान लें कि जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में और परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जो कार्य हो रहे हैं वे बराबर सुचारू रूप से सफलापूर्वक जारी रहेंगे और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रयत्न सफलतापूर्वक चलते रहेंगे और इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार की गति संतोषजनक होगी तथा अधूरी शिक्षा छोड़ बैठने वालों को भी शिक्षा के साधन उपलब्ध होंगे और इस प्रकार इन दोनों कारणों की वजह से सक्रीय प्रौढ़ों में निरक्षरता न बढ़ेगी तो भी हमें 15 करोड़ को दस वर्ष में व्यावसायोपयोगी साक्षर बना देने के लिए अपने कार्यक्रम की गति को 15 गुणा बढ़ाना होगा ।

ये सब बहुत बड़ी बातें हैं और इन अनुमानों का सही होना कठिन है । फिर भी यदि सब हो भी जाये तो भी 15 करोड़ का उत्तरदायित्व तो हमारा रह ही गया । कहाँ 10 लाख प्रति वर्ष और कहाँ 10 वर्ष में 15 करोड़ । ये सब केवल बातें ही जान पड़ती हैं । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये कितने कार्य कर्ता, भवन, सामान और अन्य साधन चाहिएँ, क्या हम वे सब कभी जुटा पाएंगे ? और जुटा भी लें तो क्या ये सब 15 करोड़ पढ़ना चाहते भी हैं ? यह एक और समस्या है । परन्तु यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है और न ही हिम्मत हार बैठने का । आवश्यकता है संकल्प की, दृढ़ निश्चय की, और ठोस कार्य की । शिक्षक और शिक्षार्थी, अधिकारी और जन सेवी, मालिक और श्रमिक सभी को इस काम में जुट जाना होगा । वास्तव में, सारे राष्ट्र को ही इस कार्य में योगदान देना होगा और शिक्षित वर्ग को तो वचन बद्ध होकर सभी निरक्षरों को प्रेरणा, प्रकाश और उत्साह देने का कर्त्तव्य यथा शक्ति निभाना होगा ।

एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का अर्थ केवल पढ़ने लिखने अथवा हिसाब कर लेने की योग्यता ही नहीं है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसी साक्षरता देना है जो शिक्षार्थी में अपनी साक्षरता के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना सिखाए, अपने ज्ञान तथा व्यावसायिक निपुणता की वद्धि में प्रयोग करना सिखाए। और अपनी शिक्षा के स्तर को दिनों-दिन अध्ययन द्वारा स्वयं बढ़ाना सिखाए। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की उपलब्धि से शिक्षा एवं साक्षरता का सम्बन्ध जोड़ देना कार्य को रुचिकर एवं ग्रहणीय बना सकेगा और शिक्षित जन उसे रुचि के साथ अपना लेंगे। जब तक साक्षरता व्यावसायोपयोगी न बनेगी तब तक वह स्थाई नहीं हो सकेगी और शिक्षित व्यक्ति उसे प्रयोग न करते रहने के कारण निरक्षर हो जायेंगे। शिक्षा और व्यवसाय में सामन्जस्य स्थापित करने के लिए बड़े योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। उन्हें बड़ी सूझ-बूझ का परिचय देना होगा और इसके लिए भिन्न-भिन्न वर्गों के उपयोगार्थ आवश्यक शिक्षण सामग्री तथा साहित्य भी उपलब्ध करना होगा। तब ही हमें सफलता की आशा हो सकती है।

यह भी हमें समझना होगा कि हमारा राष्ट्र प्रजातन्त्र देश है, जिसमें नागरिकों को धर्म, आचार-विचार और व्यवहार की स्वतन्त्रता है। हालांकि हम जानते हैं कि शिक्षा एवं ज्ञान जनतन्त्र की जान हैं और जनतन्त्र अज्ञानी नागरिकों के बूते पर कदापि नहीं पनप सकता, फिर भी प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन अथवा उनमें साक्षरता शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं बनाया जा सकता। हमें तो इस काम के लिए भी कोई जनतन्त्रीय वैधानिक पद्धति अपनानी होगी और इसका अर्थ है प्रौढ़ों के अन्दर ही शिक्षा की चाह का

जागृत करना और उन्हीं के द्वारा इस की मांग प्रस्तुत किए जाने की प्रेरणा देना। शिक्षा के लिए अन्तःकरण में चाह का जागृत करना कोई सहज कार्य नहीं है। इसके लिए तो बड़े त्याग और सेवा भावना की आवश्यकता है और अनेक प्रेरणा-दायक कार्यक्रमों की व्यवस्था की, जो निरक्षर प्रौढ़ों को ज्ञान के प्रकाश के लाभ प्रत्यक्ष दिखा सकें और वे इस ज्ञानप्रदायनी साक्षरता की माँग स्वयं करने लगें। ऐसा हो जाने पर ही साक्षरता प्रसार का कार्य शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच एक सहयोगी कार्य बन सकेगा। यही हमारी समस्या का सबसे जटिल पहलू है जिस पर धीरे-धीरे हम विचार करेंगे।

आइए, इस समय तो इस समस्या के परिमाण पर इस अध्याय में जो विचार किया है उसे दोहरा लें।

1. प्रौढ़ साक्षरता के प्रसार की गति बहुत ही धीमी रही है और प्रयत्नों के बावजूद भी इसमें प्रत्येक तीन में से दो भारतीय नागरिक निरक्षर हैं।

2. देहाती क्षेत्रों में, महिलाओं में और अनुसूचित जाति वर्ग में निरक्षरता बहुत ही अधिक है। इसको दूर करने के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है।

3. निरक्षरता की समस्या बहुत गहन है। निरक्षर करोड़ों की संख्या में हैं। इसलिए बहुत ही व्यापक है। यदि हम केवल 15 से 45 वर्ष के आयुवर्ग के सक्रीय प्रौढ़ों को ही लें, तो उनमें भी 15 करोड़ निरक्षर हैं। अभी तक हम दस लाख प्रौढ़ों को प्रति वर्ष साक्षर बना पा रहे हैं। इस प्रकार यदि 10 वर्ष में इस वर्ग में से निरक्षरता उन्मूलन करना हो, तो भी हमें अपने कार्य की गति 15 गुनी करनी होगी।

4. निरक्षरता का उन्मूलन तब ही सम्भव है जब प्राथमिक शिक्षा का प्रसार तथा अधूरी शिक्षा वालों के लिए शिक्षा जारी रखने की सुविधाओं की व्यवस्था भी साथ-साथ हो जाए।

5. शिक्षित वर्ग में से अधिकतर वे लोग हैं जिन्होंने प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर की शिक्षा पाई है। यदि इस वर्ग के लिए शिक्षा को जारी रखने की सुविधाएँ न दी गई तो हो सकता है वे अपनी शिक्षा योग्यता को काम में न ला सकने के कारण फिर निरक्षर हो जाएँ।

6. साक्षरता ज्ञान तब ही उपयोगी हो सकता है जब कार्यक्रम काफी देर तक चलाया जाए ताकि ज्ञान का स्तर इतना हो जाए कि शिक्षार्थी उसे अपनी शिक्षा बढ़ाने में और व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में उपयोग कर सकें, तभी शिक्षा का सम्बन्ध उसके दैनिक जोवन व व्यवसाय से हो सकेगा।

7. शिक्षा प्रसार के कार्य शिक्षक तथा शिक्षार्थी के आपसी सहयोग और रुचि से ही सम्पन्न हो सकते हैं, इसके लिए कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए जा सकते। न ही प्रौढ़ों को व्यावसायोपयोगो साक्षरता प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जनतन्त्र के आधार पर यह कार्य केवल आन्तरिक चाह से हो किया जा सकता है। यही चाह पैदा करना शिक्षकों का ध्येय होना चाहिए।

8. निरक्षरता को समस्या इतनो व्यापक है कि सारे देश को हो इसके उन्मूलन के लिए कार्य में जुट जाना होगा। कोई एक व्यक्ति एवं एक संस्था इस महान कार्य को नहीं कर सकतो। इसके उन्मूलन के लिए भारी मानवीय, आर्थिक एवं भौतिक साधनों को आवश्यकता है, जो जुटाने होंगे।

*अध्याय 3*

# प्रौढ़ मनोविज्ञान की प्रवृत्तियाँ

हमने देश व्यापी प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन का निश्चय किया है। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। इस पर चर्चा कर चुके हैं। हमने यह भी समझ लिया है कि प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन एक गम्भीर समस्या है। यह केवल संख्या का प्रश्न नहीं है, यह प्रौढ़ों की चाह एवं मनोवृत्ति का भी प्रश्न है। इसीलिए निरक्षरता के उन्मूलन में उपयोगी तथा स्थाई सफलता के लिए राजकीय, संस्थागत तथा व्यक्तिगत सभी प्रकार के ठोस प्रयत्नों की आवश्यकता है। और साथ ही पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों के सच्चे सहयोग की। यह सभी का सम्मिलित कार्यक्रम है, किसी एक का नहीं।

हमारे पढ़ने वाले सब प्रौढ़ हैं, इसलिए प्रौढ़ों के शिक्षक के नाते आप सबको अपने शिक्षार्थियों की मनोवृत्तियों का, शिक्षा के प्रति उनकी अभिरुचियों का एवं उनकी ज्ञान प्राप्ति की प्रवृत्तियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इन तथ्यों की पूरी जानकारी के बाद ही आप अपने कार्य की व्यवस्था एवं सफल संचालन कर सकेंगे। प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा का सभी कार्य-क्रम कोई वैधानिक तौर पर अनिवार्य नहीं है। यह तो शिक्षार्थियों की अपनी रुचि पर निर्भर करता है। उनकी अपनी मर्ज़ी पर आधारित है और उन पर ही केन्द्रित होता है। हमारे शिक्षार्थी प्रौढ़ हैं। प्रौढ़ होने के नाते उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी मनोवृत्ति कुछ दृढ़ हो चुकी है, वे भिन्न-भिन्न सामाजिक

तथा आर्थिक वर्गों के हैं। भिन्न-भिन्न उनके व्यवसाय हैं और वे भिन्न-भिन्न बौद्धिक स्तरों के हैं। शिक्षक को इन सभी भिन्नताओं अथवा असमानताओं को भली प्रकार समझ कर शिक्षण कार्य की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी कि इन भिन्नताओं के बावजूद भी वे सबके सब शिक्षण कार्य में पूरी रुचि के साथ सहयोग दें ताकि शिक्षण कार्य में यथासम्भव अधिकतम एक रुपता लाई जा सके।

प्रौढ़ साक्षरता का कार्य भिन्न-भिन्न रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं एवं व्यवसायों के लोगों के एक विशाल समूह के शिक्षण का कार्य है। हम असमान प्रवृत्तियों वाले इन सभी प्रौढ़ों को साक्षर बनाना चाहते हैं। उनमें पढ़ने-लिखने और अपने विचारों का लिखित रूप में आदान-प्रदान करने की कार्यशील योग्यता पैदा करना चाहते हैं, ताकि वे पुस्तकों में भरे अथाह ज्ञान भडार में प्रवेश कर कार्य संचालन में दक्षता प्राप्त कर सके और स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर स्थाई तौर पर जीवन प्रयन्त निरन्तर ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा तथा सामर्थ्य पा सकें। अपने कार्य की नई-नई विधियों को जान सकें और उन्हें प्रयोग में लाकर पूरा लाभ प्राप्त कर उन्नति की ओर अग्रसर हों। इसलिए उपयोगी प्रौढ़ साक्षरता का कार्य कोई आसान काम नहीं है। इसमें बड़े विवेक, सामंजस्य, लगन, सहानुभूति और सन्तोष की आवश्यकता है। इसलिए उचित है कि हम प्रौढ़ों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों पर कुछ गहराई से विचार करें। तो आइये; प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम की कुछ विशेष भेदपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौढ़ साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा आज के इस युग की एक महान चुनौती है। विशेषकर हमारे देश में

और हमारे जैसे अन्य विकासशील देशों में तो इसका महत्व बहुत ही अधिक है। आज का युग अनेक बाढ़ों (वृद्धियों, विस्फोटों) का युग है। नए ज्ञान की वृद्धि, जतसंख्या की वृद्धि, एवं विज्ञान और तकनीकी वृद्धि। मशीनों के कारण मनुष्य को अवकाश अधिक मिलने लगा है, मनुष्य जीवन में अस्थिरता अधिक आ गई है। वह बजाय टिकाऊ के उठाऊ हो गया है और औसत आयु लम्बी हो गई है। संसार के प्रायः सभी देश स्वतन्त्र हो गए हैं और राजनैतिक चेतना सर्वव्यापो हो गई है। महिलाएँ भी तेजी से व्यवसायों में प्रवेश कर रही हैं और यंत्रीकरण के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। बदलती हुई इन सभी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए नए ज्ञान की जानकारी मानव जीवन की मौलिक आवश्यकता बन गई है। शिक्षा अब जीवन के लिए तैयारी का साधन नहीं, जीवन ही बन गई है, अथवा जीवन प्रयन्त ज्ञानोपार्जन का लगातार चलने वाला एक उपयोगी कार्यक्रम बन गई है।

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को निरन्तर आयु पर्यन्त नया-नया ज्ञान सीखते रहना आवश्यक है। व्यक्ति चाहे 18 वर्ष का हो अथवा 80 का, उसे शिक्षा के किसी न किसी अथवा बहुत से कार्यक्रमों में भाग लेना ही होगा। कार्यक्रम चाहे व्यावसायिक दक्षता बढ़ा कर आय वृद्धि के हेतु साक्षरता प्रसार का हो, चाहे उत्पादन तथा उत्पादकता बढाने के लिए नए तरीकों की जानकारी का हो, चाहे नागरिक दायित्व की शिक्षा का हो, चाहे यातायात का, सुरक्षा का, चाहे जनसख्या नियन्त्रण का, नागरिक विकास का, जनसहयोग का, नए उद्योग की जानकारी का, नए तकनीकी ज्ञान का अथवा जागरुक संरक्षक, सचेत नागरिक, मतदाता एवं करदाता के प्रशिक्षण का अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की

जानकारी का। ऐसे सभी कार्यक्रमों में हर प्रौढ़, जीवन भर हर समय कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त करता रहता है और नई विद्या सीखता रहता है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षण का कार्यक्रम जिसका आधार साक्षरता है, एक जीवन प्रयन्त निरन्तर जारी रहने वाला कार्यक्रम है, कोई अस्थाई अथवा छोटी अवधि का कार्य नहीं।

सीखना दो प्रकार का होता है। एक विधि रहित (इन्फौरमल) और दूसरा विधिवत्त (फौरमल)। विधिरहित ज्ञान प्राप्ति तो मनुष्य को दैनिक जीवन के वातावरण में साधारण सामाजिक कार्यक्रमों में एक नागरिक अथवा संरक्षक अथवा मतदाता के नाते भाग लेते रहने से होती रहती है। ऐसे कार्यों में भाग लेने से हर व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की समझ सहज में ही आ जाती है। साधारण अध्ययन गोष्ठियों, वादविवादों, चर्चा मंडलों, नाटक, भजन, संगीत तथा कवि सम्मेलनों, शिक्षण यात्राओं में भाग लेने से एवं ऐसे समारोहों की व्यवस्थार्थ स्वयं सेवी कार्यों में भाग लेकर मनुष्य देखने सुनने और करने से ही पर्याप्त जागरुक हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त किया हुआ ज्ञान मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। इससे उसकी विचार शक्ति बढ़ती है, तथा सामाजिक नेतृत्व की योग्यता एक सीमित रूप से प्राप्त होती है। ऐसे विधिरहित बौद्धिक विकास से उसमें अधिक ज्ञान प्राप्त करने की चाह जागृत हो जाएगी परन्तु वह स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा क्योंकि विधिरहित कार्यक्रमों के अनुभव ने उसमें ज्ञान प्राप्ति की चाह तो जागृत कर दी परन्तु उसके लिए साधन एवं योग्यता नहीं मिली। उसके लिए तो साक्षरता ज्ञान आवश्यक है।

इसके लिए बिधिवत ज्ञान प्राप्ति का कार्यक्रम अपनाना होगा। इस कार्यक्रम के लिए सीखने वालों की आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय समूहों में एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम के अनुसार सभी पाठ्यसामग्री जुटाकर उचित पद्धति बद्ध शिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न करना होगा। तभी सीखने वालों को दैनिक जीवन के व्यवसाय को प्रगति देने के लिए उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और एक बार आधारभूत योग्यता प्राप्त कर लेने पर स्वयं ही आगे की आवश्यकताओं को पूरा कर लेने की सामर्थ्य भी। जैसे-जैसे समाज में उद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है और जीवन में पूर्वकथित ज्ञान, विज्ञान, जनसंख्या तथा नई तकनीकों के विस्फोटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यह दूसरे प्रकार की अथवा ज्ञान प्राप्ति की विधिवत् प्रणाली ही मानव जीवन की समस्याओं को हल कर सकती है। ज्ञानोपार्जन की इस विधिवत् प्रणाली के लिए किसी व्यवस्थित स्कूलों या कालिजों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम तो प्रौढ़ों के दैनिक जीवन के कार्यक्रम के साथ साथ ही, अवकाश के समय में अथवा कारखानों में ही कमाई के काम में बाधा डाले बिना उसके साथ-साथ ही पूरा करना होगा। शिक्षण कार्य की ऐसी व्यवस्था ही उसको अवकाश का सदुपयोग भी सिखाएगी और साथ-साथ उसके अन्दर कार्यदक्षता पैदा करेगी और उसे सभी नए नए ज्ञान की जानकारी भी करने की सामर्थ्य देगी।

आज के युग में आर्थिक विकास के लिए प्रौढ़ साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा का उतना ही महत्त्व है जितना कि उद्योग में धन लगाने का। प्रौढ़ शिक्षण केवल खर्चे की बात नहीं बल्कि कमाई करने व बढ़ाने के लिए ज्ञानोपार्जन की बात है। इस कार्यक्रम के द्वारा, उत्पादन कार्य में लगे हुए सभी व्यक्तियों को व्यवसाय में विकास लाने के साधनों की चेतना दी जाती है

और हर प्रौढ़ में आने वाले भविष्य में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक तथा राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समझ तथा सामर्थ्य पैदा कर उन्हें प्रगति की ओर अग्रसर किया जाता है। इस कार्यक्रम के विशिष्ठ गुण होने चाहिएं :—

1—शिक्षण का ध्येय व्यक्ति की व्यावसायिक आवश्वकताओं तथा सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित होना चाहिए।

2—कार्यक्रम के द्वारा न्यूनतम समय में अधिकतम प्रगति सम्भव होनी चाहिए।

3—कार्यक्रम रुचिपूर्ण होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी सीखने की प्रेरणा पा सके और कार्य में पूरी लगन के साथ व्यस्त रहे।

कार्य प्रणाली न तो बहुत वैधानिक तथा विधिवत् होनी चाहिए और न ही बहुत सिद्धान्तपूर्ण। ये सभी काम एक सम्मिलित सामूहिक शिक्षण पद्धति का कार्य होना चाहिए, जिसमें कोई रटाई का काम न होकर कार्य द्वारा ही शिक्षा प्राप्ति का ध्येय होना चाहिए। ऐसा होना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रौढ़ों के सीखने के अपने तरीके होते हैं। वे सब एक ही प्रकार से नहीं सीखते। ऐसा कोई कानून नहीं है जो उनको सीखने के लिए बाध्य करे और व्यक्तिगत लाभ के अतिरिक्त और कोई शक्ति नहीं जो उन्हें सीखने की प्रेरणा दे।

इसलिए सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि वे सीखना चाहें। इसकी पूर्ति के लिए कार्यक्रम उनके उपयोग का होना चाहिए और वे यह भी समझें कि शिक्षण कार्यक्रम उन्हीं के लाभ के लिए है। तभी वे सीखना चाहेंगे। प्रौढ़ को इसकी परवाह नहीं कि हम उसके लाभ के लिए क्या करना चाहते हैं।

वो तो हमारी बात तब ही सुनेंगे जब अपने लाभ के लिए वे हम से जो करवाना चाहते हैं, हम वही करें। इसलिए शिक्षक को एक खोजक और अनुवेषक का कार्य करना होगा। शिक्षा को उसके जीवन से सम्बिन्धित करके उसके उपयोग का बनाना होगा, तभी सफलता मिलेगी।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि प्रौढ़ों को अपनी सामर्थ्य पर सन्देह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो शिक्षक को उन्हें प्रेरणा देकर उनमें आत्मविश्वास जागृत करना होगा। ऐसा करने के लिए सहानुभूति पूर्ण और उत्साहवर्धक तरीके अपनाने होंगे। यह प्रेरणा कोई डाँट फटकार अथवा घृणा से नहीं दी जा सकती। प्रौढ़ शिक्षार्थी अनुभवों का भंडार रखते हैं और शब्दावली उनकी अपनी है, वे बात-चीत करने की सामर्थ्य रखते हैं। समझ-बूझ बहुत काफी है, जरूरत है केवल इस भंडार को नए ज्ञान और कला को सीखने में प्रयोग करने की। नई बात का सम्बन्ध उनके वर्तमान ज्ञान से बनते ही उनको सीखने की प्रेरणा मिलेगी।

साधनहीनता और बेबसी की यह भावना प्रौढ़ों में लगातार असफलताओं, निराशा एवं हीन भावनाओं से आ जाती है और वे हर असफलता को मजबूरी तथा भाग्य का सहारा लेकर टालना चाहते हैं और कभी-कभी उपयोगी परामर्श के बावजूद भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का साहस खो बैठते है। प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा के कार्यकर्त्ता को प्रौढ़ों के इस स्वभाव में तुरन्त परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने के लिए अनेक ऐसे महानुभावों के उदाहरण देने चाहिएँ जो एक समय उन्हीं के जैसे निरक्षर थे परन्तु उन्होंने हिम्मत न हारी और परिश्रम करके विद्वान बन गए। उन्हें यह बिश्वास होना

चाहिए कि पढ़ना किसी भी आयु में सीखा जा सकता है और इस कार्य के लिए कोई समय भी उपयुक्त हो सकता है।

वास्तव में अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि मनुष्य की सीखने की शक्ति पर आयु का कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता। आयु अधिक होने से मस्तिष्क में कोई विकार नहीं होता। प्रौढ़ वास्तव में किसी भी बात को जल्दी समझ सकते हैं, चाहे अधिक देर तक याद भले ही न रहे और यदि सीखने का सम्बन्ध उनके अनुभवों से हो तो बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं और देर तक याद रखते हैं। यह तो हो सकता है कि प्रौढ़ अवस्था में देखने सुनने की शक्तियों में कुछ कमी के कारण अथवा विचारों की संकीर्णता एवं दृढ़ता के कारण अथवा कौटुम्बिक उत्तरदायित्वों के कारण या प्रेरणा के अभाव में अथवा जीवन की लक्ष्यहीनता के कारण उनकी कार्य गति में कुछ कमी आ जाये, परन्तु सीखने की शक्ति हर प्रौढ़ में जीवन के हर स्तर पर, हर आयु में विद्यमान होती है और सीखने के लिए उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता। इसके विपरीत यदि कभी भी प्रौढ़ों की कोई धारणा बन जाये तो शिक्षक को समझदारी के साथ उस शंका का निवारण कर उन्हें पढ़ने-लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि उनमें से हीनता की भावना दूर हो।

प्रौढ़ अपने जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन को बड़ी कठिनाई से स्वीकार करते हैं। उनके बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में यह मनोवृत्ति भी बड़ी बाधक है। उन्हें समझना होगा कि परिवर्तन तो जीवन में प्रगति का आधार है और स्थायित्व अथवा अकर्मण्यता केवल बुढ़ापा। यदि उन्हें प्रगतिशील बनना है तो क्रियाशील बनना होगा, नए विचारों को जानना सीखना होगा, नए तरीकों को अपनाना होगा तभी वे सामयिक परिवर्तनों से सामंजस्य कर पाएँगे और उन्नतिशील

होंगे । समय, जीवन और समाज गति हीन नहीं, गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं और परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन ही प्रगति है । ऐसे प्रत्येक परिवर्तन से मानव को अपनी विचार धाराओं में, अपने रहन सहन और व्यवहार में भी परिस्थिति अनुकूल परिवर्तन लाना होता है ताकि उसके जीवन में और सामयिक गतिविधियों में सामंजस्य बना रहे । यही उन्नतिशील राष्ट्रों की प्रगति का मूलमंत्र है । आचार, विचार और व्यवहार के परिस्थिति अनुकूल परिवर्तन की योग्यता प्रौढ़ों में पैदा करना ही प्रौढ़ साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य है ।

प्रौढ़ किसी भी काम में असफलता से अथवा धीमी गति से बहुत घबराता है और यही शंका उसे किसी नये काम को करने से रोकती है । यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जो दूर होनी चाहिए । कार्य करने की हिम्मत रखनी चाहिए और धीमी चाल अथवा असफलता की चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिए । ऐसा प्रभाव उन पर डालना होगा और उनमें साहस भरना होगा । पढ़ना लिखना यदि पहले नहीं सीख पाए अथवा उसके सीखने में असफल रहे, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा असफल रहेंगे । प्रौढ़ अवस्था में उन्हें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण अनुभव मिल गए हैं, जो उनके पास पहले नहीं थे और उन्हें पढ़ना-लिखना सीखने में सहायक होंगे । जीवन को सफल बनाने के लिए तो उन्हें समस्याओं से जूझना होगा और निर्णय लेने की योग्यता बनानी होगी । यह योग्यता पढ़ाई-लिखाई के ज्ञान से ही प्राप्त होगी ।

यह भी समझ लेना जरूरी है कि प्रौढ़ केवल बड़े और लम्बे बच्चे नहीं हैं, वे बच्चों से बहुत भिन्न हैं । वे अपने कौटुम्बिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने की जरूरत का अनुभव करते हैं । वे स्वयं अपने दैनिक

जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। उनके पास उनके अपने अनुभवों का एक कोष है। उसी आधार पर वे शिक्षकों से वार्ता कर सकते हैं। उन्हें सुझाव दे सकते है। शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम में एक बराबर का साथी, सहयोगी है, वे स्वयं पूरा योगदान देते हैं, निर्णय लेते हैं और समस्याओं का हल सुझाते हैं। वे साथियों से सीखते हैं और प्रगति के लिए आत्म-निर्भर बनते हैं। उन्हें कुछ सीखने या करने के लिए न कोई आज्ञा दे सकता है न दबा सकता है। इसलिए वे स्वयं ही शिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएंगे यदि वह कार्यक्रम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता होगा और उसका लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक प्रगति में बढ़ावा देना होगा तथा उसका तरीका मनोरंजक, आकर्षक और रुचिकर होगा। शिक्षक तो केवल एक पथ-प्रर्शदक है और उचित वातावरण को प्रस्तुत करना उसका उत्तरदायित्व है।

प्रौढ़ व्यक्तियों का अपना संसार है और वे अधिकतर व्यक्तिगत स्वार्थं पूर्ण करने और स्वार्थ-सिद्धी के चक्कर में घिरे रहते हैं और हर बात को उसी दृष्टिकोण से विचारते हैं जो उनके अपने अनुभवों पर आधारित होता है। इसलिए एक ही कार्यक्रम सबके लिए उपयोगी होना कठिन होता है। विचारों और अनुभवों की इस भिन्नता में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकतम एकत्व लाना होगा तभी पढ़ाई का कार्यक्रम सबको उपयोगी जान पड़ेगा और मान्य होगा। ऐसा हो जाने पर भी कभी-कभी बड़ी अड़चन हो जाती हैं। व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति के बावजूद भी रूढ़िवाद को समाप्त कर प्रौढ़ नई बातें नहीं सीखना चाहते। ना तो परम्परा को छोड़ना चाहते हैं और न ही अपने समूह की एकता को। इस लिए पढ़ाई-लिखाई के

कार्यक्रम की सफलता के लिए इसका दायित्व उनपर स्वयं पर डालना चाहिए जिसे वे भली प्रकार निभाएँगे, यदि शिक्षण वातावरण प्रेरणा दायक होगा तो।

प्रौढ़ों की समूह में रहने, समूह की परम्परा बनाए रखने और साथ-साथ विचार करने की मनोवृत्ति कभी-कभी बड़ी सहायक भी होती है। क्योंकि शिक्षक को केवल समूह के नेताओं में ही अपने शिक्षण कार्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। यदि एक बार वे नेता लोग साक्षरता एवं शिक्षा की आवश्यकता और उपयोग को समझ पाए और उसे अपना लिया, तो समझ लो कि सारे समूह के ही श्रद्धा पात्र बन गए। वे सब भी अपने विश्वस्त नेताओं की देखा-देखी शिक्षा प्राप्त करना आरम्भ कर देंगे और रास्ते की सभी कठिनाइयाँ दूर होकर कार्य सफलता-पूर्वक प्रगति कर जाएगा।

प्रौढ़ उसी कार्य को उपयोगी समझते हैं जिनके द्वारा उनकी इच्छा-पूर्ति होती है और जो उनकी आवश्यकताओं, बौद्धिक शक्तियों तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं व अनुभवों से सम्बन्धित हो। आवश्यकताओं और मनोकामनाओं की संतुष्टि उन्हें प्रेरणादायक सिद्ध होती है। इन प्रेरणाओं का रूप पढ़ाई के पश्चात् होने वाली आय वृद्धि अर्थात् वेतन-वृद्धि अथवा कर कटौती हो सकता है, या पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद समाज में आदरपूर्ण स्थान की प्राप्ति या सामाजिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने समझने और समझाने तथा दूसरे साथियों से इन पर वार्तालाप करने की योग्यता, अथवा अवकाश के समय में किसी कला एवं ज्ञान के प्राप्त करने की योग्यता और उसके अवसर की प्राप्ति आदि आदि। इस प्रकार के शिक्षा प्राप्ति के सभी लाभ प्रौढ़ों

को शिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आकर्षण एवं प्रोत्साहन देते हैं।

जैसा कि सर्वविदित है, हर मनुष्य की कुछ मौलिक मनोकामनाएँ होती हैं। उदाहरणार्थ आईये, उनमें से कुछ पर थोड़ा विचार कर लें।

1. **भौतिक आवश्यकताएँ**, जैसे भोजन, मकान, वस्त्र तथा सुरक्षा आदि की पूर्ति सभी व्यक्ति चाहते हैं। यदि वे आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो जीवन में सुख और शान्ति मिलती है अन्यथा असुरक्षा, भय एवं द्रोह की भावनाएँ जागृत होती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति आपकी सलाह मानेगा यदि उसके द्वारा व्यक्ति की इन मौलिक आवश्यकताओं का समाधान होता हो।

2. **सन्तानोपत्ति की** मनोकामना जिसमें बालकों की देख-रेख और उनका पालन-पोषण शामिल है। सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्वास्थ्य की, शिक्षा की एवं व्यवसाय की सभी सुविधाएँ भली प्रकार प्राप्त हों, ताकि वे उपयोगी एवं उन्नतिशील नागरिक बनकर उनसे बेहतर स्थान प्राप्त करें और उनका भविष्य अधिकतम् उज्ज्वल हो।

3. **आत्म-गौरव की पूर्ति**, वातावरण पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, नेतृत्व की चाह, शासन प्रवृत्ति एवं प्रसिद्धि, ये सभी ऐसी मनोवृत्तियाँ हैं जो हर प्रौढ़ में होती हैं। इसीलिए उन्हें असफलता का भय हर समय बना रहता है इसे वे सहन नहीं कर सकते हैं। इस शंकालू प्रवृत्ति का यह परिणाम होता है कि प्रौढ़ किसी भी नए काम को तब तक नहीं अपनाते, जब तक उन्हें सफलता का पूरा भरोसा न हो जाए।

4. **संगति और मित्रता की चाह**, तो मनुष्य में स्वाभाविक

ही है। मानव कभी अकेला रहना अथवा अकेला छोड़ा जाना पसन्द नहीं करता। वो सदा समूह में ही रहना, कार्य करना, उन्नति करना, सभी भलाई-बुराई का संगी साथी रहना चाहता है। "लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधी हाथ, होना है सो होयगा, भाईयों के रहो साथ," यह सर्व-साधारण का मत है। वे ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहते, जिसको उनके समूह के साथी ठींक न समझते हों, या जिसकी वजह से उनका साथ छोड़ दें। प्राचीन युग में तो सामाजिक बहिष्कार सबसे भयंकर दंड था। समाज के प्रति श्रद्धा तो नियन्त्रण एवं व्यवस्था का आधार है।

5. **मनोरंजन, खेल तथा मनोविनोद** तो प्रत्येक मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। मनोरंजन के लिए ही अनेक व्यक्ति कई प्रकार के उपयोगी कार्यक्रमों में सक्रीय भाग लेते हैं। और यही मनोरंजक कार्यक्रम भाग लेने वालों तथा देखने, सुनने वालों के मनोविनोद एवं शिक्षा का साधन बनते हैं।

उपरोक्त पाँच प्रकार की स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ ही मनुष्य को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। कौनसी मनोवृत्ति सबसे अधिक प्रबल है, यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैनिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें कोई समानता नहीं हो सकती। जिन व्यक्तियों के साथ आप प्रौढ़ शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, उनकी अभिरुचियों मनोवृत्तियों एवं परिस्थितियों को समझ कर आपको ही अधिकतम सम्भव समानता लानी होगी, तभी आप अपने कार्यक्रम को रुचिकर और उपयोगो बना सकेंगे। प्रौढ़ व्यवित सफलता के प्रति बड़ा जागरुक होता है और वह प्रभुत्व भी चाहता है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को स्वयं कार्य में

भाग लेने का पूरा अवसर देना होगा। साथ ही सारा शिक्षण कार्य मैत्रीपूर्ण वातावरण में चलाना होगा। सफलता का आभास कराने के लिए कभी-कभी ऐसे कार्य क्रम रखने होंगे जिनके द्वारा प्रौढ़ों को प्रगति का प्रत्यक्ष भान हो सके। ऐसा होने पर ही शिक्षक अपने प्रयास में सफल हो सकता है।

प्रौढ़ शिक्षार्थियों का व्यवसाय, शिक्षण कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। प्रौढ़ों के मानसिक जगत में प्रवेश पाने का यह एक मात्र साधन है। शिक्षा का पाठ्यक्रम यदि दैनिक व्यवसाय में उपयोगी जान पड़ेगा तो प्रौढ़ पूरी रुचि लेकर पढ़ाई करेंगे। ऐसा पाठ्यक्रम वास्तव में उपयोगी और स्थाई होगा। इसके ज्ञान से शिक्षार्थी में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। प्रौढ़ व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को जानते हैं। वे दूसरों पर निर्भर करना नहीं चाहते। अपना काम स्वयं ही सम्पन्न करके खुश होते हैं। प्रौढ़ों की इस मनोवृत्ति का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। अर्थात् प्रौढ़ों का शिक्षण कार्य प्रत्येक स्तर पर उनके सक्रीय सहयोग से ही होना चाहिए। वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा कार्य की सफलता की यह एक महत्त्वपूर्ण कसौटी है कि शिक्षण कार्य स्वशिक्षण कार्य बन जाए। इसी प्रकार प्रौढ़ों को अपने कौटुम्बिक हितों की भी बड़ी चिन्ता रहती है। प्रौढ़ों का सक्रीय सहयोग शिक्षण कार्य में प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम से पारिवारिक हितों की रक्षा एवं पूर्ति में सुविधा होनी चाहिए।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ द्वारा दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा कार्य की प्रगति की जाँच करते समय शिक्षार्थियों से पूछा गया कि "साक्षरता से उन्हें क्या लाभ हुआ"। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने जो बताया, वो बड़ा दिलचस्प है। इसीलिये नीचे उसका ब्यौरा देना उचित जान पड़ता है।

| उत्तर | दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र % | नई दिल्ली क्षेत्र प्रतिशत | ग्रामीण क्षेत्र प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| मैं साक्षर हो गया हूँ। | — | — | 5·79 |
| मुझे अपने हस्ताक्षर करनेआ गए हैं। | — | — | 5·79 |
| मैं पत्र लिखने पढ़ने लग गया हूँ। | 49·9 | 90 | 37·6 |
| सामाचार पत्र तथा धर्म और संस्कृति की साधारण पुस्तकें पढ़ लेता हूँ। | 33·3 | 63·6 | 37·6 |
| मुझे अपने व्यवसाय में अधिक दक्षता मिली है। | 33·3 | 18·1 | 13·0 |
| मझे सामाजिक एवं सांसारिक ज्ञान बढ़ाने में सहायता मिली है। | 16·6 | — | 2·8 |
| मैं शिक्षित समाज में बैठ सकता हूँ। | — | 18·1 | 1·4 |
| मुझे सदाचारी और सद्व्यवहारी बनने में सहायता मिली है। | — | 18·1 | 5·7 |
| पोस्टर्ज, बसों के नम्बर, गलियों के नाम आदि पढ़ लेता हूँ। बच्चों तथा मित्रों की पढ़ाई में सहायता दे सकता हूँ। | — | — | ८·6 |
| बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर सकता हूँ। | — | — | 13·0 |
| मुझे घर के दैनिक कार्य का हिसाब आदि करने की योग्यता मिली है। | 16·6 | 54·5 | 40·5 |

उपरोक्त उत्तरों से दो महत्त्वपूर्ण परिणाम स्पष्ट हैं। एक तो यह कि वे बहुत से लोग जो साक्षरता को व्यर्थ समझते हैं, उनको ये उत्तर सुनकर अपना विचार बदलना होगा। दूसरे इनसे यह भी विदित होता है कि साक्षरता से भले ही कोई आर्थिक लाभ तुरन्त न होता हो, फिर भी कई ऐसे उपयोग हैं, जो प्रेरणा-दायक हैं।

याद रखिए इच्छा ही क्रिया का आधार है। मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही कर्म करता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रौढ़ों में उनकी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान प्राप्ति की इस 'इच्छा' को जागृत करें। पढ़ाई किसी पर थोपी नहीं जा सकती। इसके लिए तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी का पूर्ण सक्रीय सहयोग आवश्यक है। प्रौढ़ आराम से अपनी स्वतन्त्रता को नही छोड़ते। शिक्षण कार्य में क्रियाशील सहयोग की स्वतंत्रता ही उन्हें पढ़ने की प्रेरणा देगी। फिर प्रौढ़ केवल एक प्रौढ़ व्यक्ति ही नहीं है, वो एक समाज का उपयोगी अंग है, एक परिवार का सदस्य है, उत्पादक है, कमाऊ है और एक उत्तरदाई नागरिक है। हर दिशा में उसके अनेक कर्तव्य हैं। शिक्षण कार्य केवल पढ़ाई, लिखाई और रटाई का ही नहीं होना चाहिए। शिक्षण कार्यक्रम में जीवन के सभी पहलुओं की जानकारी का समावेश होना चाहिए।

आइये अब इस कार्यक्रम की कुछ हितकर और अहितकर (अनुकूल तथा प्रतिकूल) परिस्थितियों पर विचार करें।

**(अ) प्रतिकूल परिस्थितियां —**

(1) **अवकाशाभाव**—ऐसे बहुत से जरूरी काम हैं जो हर प्रौढ़ को करने होते हैं, जैसे दैनिक जीवनचर्या, पारिवारिक देख-रेख, जीविकोपार्जन के लिए काम तथा थकावट दूर करने के लिए नींद लेना। ये सब ऐसे काम हैं जो अवश्य करने होते हैं। और शिक्षण कार्य इनके बाद आएगा। यदि सारा समय अधिक जरूरी कामों में ही लग जाएगा तो शिक्षण के लिए समय कहाँ से मिलेगा। देश में जितनी गरीबी अधिक होगी, उतना ही अधिक समय ये जरूरी काम ले जाएँगे। इसीलिए पिछड़े देशों के लोग अशिक्षित रह जाते हैं। परन्तु फिर भी

यदि प्रौढ़ों में पढ़ने की रुचि हो और उसके महत्व को वो समझ जाएं तो जरूरी कामों को करते हुए भी शिक्षा प्राप्ति के लिए समय निकाला जा सकता है।

इसलिए प्रौढ़ों के शिक्षकों को सारी परिस्थितियों को समझकर शिक्षार्थियों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वे सब आवश्यक कार्य करते हुए भी समय निकाल लें और जो भी अवकाश मिल सके, उसमें पढ़ने के कार्य करें।

(2) **मानसिक शान्ति का अभाव**—मानसिक शान्ति का अभाव प्रौढ़ शिक्षा कार्य के रास्ते में बहुत ही अधिक बाधक है। मन की शान्ति न होने से प्रौढ़ यदि पढ़ना भी चाहें तो उनके चित्त में एकाग्रता का अभाव रहता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, न ही कुछ समझ पाते हैं।

आपस की फूट इस अशान्ति का एक बहुत बड़ा कारण है। कभी-कभी यह रोग प्रौढ़ों की कक्षा तक में भी फैल जाता है। कुछ लोग आपस में एक दूसरे को पसन्द नहीं करते, तो कुछ शिक्षक को पसन्द नहीं करते। कक्षा के ऐसे वातावरण में कम ही लोग जाना पसन्द करेंगे। फिर साथ रहने वालों में कभी कोई झगड़ा होता है, तो कुछ दूसरे लोग लगाव न होते हुए भी रुचि दिखाने लगते हैं। इस प्रकार सारा ही समाज किसी न किसी प्रकार झगड़े में उलझ जाता है। यदि कोई समझदार शिक्षक ऐसी परिस्थिति को सम्भाल भी ले। तो भी वातावरण दूषित तो हो ही जाता है। ऐसी दशा में शिक्षा कार्य तो क्या सारा सामाजिक जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए सामाजिक शान्ति प्रौढ़ शिक्षा कार्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आखिर प्रौढ़ शिक्षा का ध्येय चरित्र गठन है और बिना शान्ति के यह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। सामाजिक

विघटन को समाप्त कर एक सुसंगठित समाज बनाना होगा। आपसी खिचाव और तनाव को प्रेम में बदल देने से ही समाज शिक्षा का कार्य हो सकता है। शिक्षा का आधार प्रेम है, भय अथवा ईर्ष्या नहीं।

छोटी-छोटी पारिवारिक असुविधाएँ भी बहुधा मन को अशान्त कर देती हैं। इसका उपाय केवल सामयिक ज्ञान शिक्षा है, ताकि प्रौढ़ इन छोटी मोटी असुविधाओं को सहन शीलता से सुलझा सके।

(3) **सुविधाजनक भौतिक वातावरण का अभाव**—भौतिक असुविधाएँ भी शिक्षण कार्य में बहुत बाधा डालती हैं। पढ़ने की जगह पर शान्ति के बजाय शोर गुल का होते रहना चित्त की एकाग्रता नहीं आने देता। प्रौढ़ इन विघ्नों से खीज उठते हैं, और पढ़ने में रुचि नहीं लेते। इसलिए पढ़ाई के स्थान पर शान्ति होना बहुत जरूरी है।

फिर प्रौढ़ दिन भर तो काम में लगे रहते हैं। पढ़ने के लिए उन्हें सन्ध्याकाल में ही समय मिल सकता है। इसलिए प्रकाश का उचित प्रबन्ध आवश्यक है। अन्धेरे में प्रौढ़ पढ़ने से दूर भागेंगे।

पढ़ने के स्थान पर किसी बदबू का होना अथवा बैठने के लिए सुखकर स्थान न होना, शिक्षण कार्य के लिए बहुत बाधक हैं। शुद्ध वायु पूर्ण वातावरण तथा सुखकर बैठने का प्रबन्ध तो जरूरी हैं ही। साथ ही उस स्थान पर बराबर किसी का आना-जाना न हो। प्रौढ़ दूसरों के आते जाते रहने के विघ्नपूर्ण स्थान में नहीं पढ़ पाएँगे। इसलिए पढ़ाई का स्थान एकांत, स्वच्छ ओर प्रकाशयुक्त होना चाहिए।

(4) **पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगिता का अभाव**—

पहले बताया जा चुका है कि प्रौढ़ों में आत्मसम्मान तथा आत्म ज्ञान की भावना बालकों से बहुत अधिक दृढ़ होती है। इस का प्रभाव यह होता है कि यदि प्रौढ़ को शिक्षण पाठ्यक्रम का जीवन से कोई सम्बन्ध न जान पड़े, तो वह उसमें रुचि नहीं लेता, बिना रुचि लिए न वह नये ज्ञान को समझ पाता है न ही याद रख सकता है। शिक्षण पाठ्यक्रम में उसकी रुचि आर्कषित करने के लिए शिक्षण क्रम को जीवनोपयोगी बनाना होगा ताकि उसकी दैनिक कठिनाइयाँ हल होती दिखाई दें।

माना कि ग्रामीण प्रौढ़ों का संसार उनके गाँव, परिवार, सगे सम्बन्धी तथा व्यवसाय तक ही सीमित होता है। और इन दायरों से बाहर की अथवा इनके प्रतिकूल बातें करना प्रौढ़ों को रुचिकर नहीं होता। परन्तु यह सीमाएँ एक प्रकार से शिक्षक के लिए लाभदायक भी होती हैं। इन्हीं सीमाओं के द्वारा शिक्षक प्रौढ़ों को बाहरी जगत में ले जा सकते हैं।

रुचि क्षेत्र सीमित होते हुए भी यह सोचना भूल होगी कि निरक्षर प्रौढ़ इन सीमाओं से आगे सोच ही नहीं सकते या जानना ही नहीं चाहते। इसका अर्थ केवल यही है कि जो भी ज्ञान दिया जाए उसे इन्हीं सीमाओं से सम्बन्ध बान्धते हुए क्रमशः आगे सुव्यवस्थित रूप में बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षण सामग्री भी उसकी मानसिक सूझबूझ, उसके व्यवसाय तथा उसके समाज की विचार धाराओं के आधार पर ही बनाई जानी चाहिए।

(5) **थकावट**—निरक्षर प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम में बहुत जल्दी ऊब उठते हैं। यह स्वभाविक ही है। वे एक ही कार्य में लगातार बहुत देर तक नहीं लगे रहते। बीच-बीच में आराम करने अथवा काम बदलने अथवा मनोविनोद की उनकी आदत

होती है । प्रौढ़ों के इस प्राकृतिक स्वभाव को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए । इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रौढ़ों के शिक्षण कार्यक्रम में उचित रूप से मनो-रन्जन का समावेश होना चाहिए। ऐसा करना उनकी रुचि बनाए रखने के लिए जरूरी है ।

**(ब) अनुकूल परिस्थितियां—**

(1) **कक्षा का शान्तिपूर्ण एवं आकर्षक वातावरण**—शिक्षार्थियों का आपसी भ्रातृ-भाव उनका अपनापन एवं शिक्षक के प्रति उनकी श्रद्धा, ये सभी बातें शिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाती हैं। शिक्षा केन्द्र सारे समाज का कार्य केन्द्र होना चाहिए, तब ही यह लाभकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

आपसदारी अकेली भी पर्याप्त नहीं है। केन्द्र का भौतिक वातावरण सौन्दर्यपूर्ण, शान्त, एकान्त तथा प्रकाश वाला होना चाहिए। शिक्षाप्रद तस्वीरों का लगाना तथा पुष्प बाटिका आदि का भी प्रबन्ध होना प्रेरणादायक होगा ।

(2) **अनुभवी एवं सहनशील शिक्षक**—शिक्षण कार्यक्रम में कोई भी आधुनिक सहायक सामग्री शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती । शिक्षक तो सारे कार्यक्रम का केन्द्रीय बिन्दु है। विषय ज्ञान, शिक्षण पद्धति एवं शिक्षण सामग्री के अतिरिक्त कई और बातें हैं जो सफल शिक्षक में होनी चाहिएँ ।

शिक्षक का अपने विषय के प्रति उत्साह एवं अपने कार्य में रुचि रखना बहुत आवश्यक है। उत्साही शिक्षक को देखकर शिक्षार्थियों में देखा देखी उत्साह पैदा हो जाता है ।

अच्छा शिक्षक अपने सभी शिक्षार्थियों में एकत्व की भावना पैदा कर सकता है। वो सब से एक जैसा प्रेम प्रदर्शित

करता है और इस प्रकार की एकत्व की भवना शिक्षा प्राप्ति में प्रेरक होती है।

अच्छा शिक्षक यह भी समझता है कि सफलता एवं प्रगति का आभास शिक्षार्थियों को प्रेरणादायक है। एक अनुभवी शिक्षक सभी प्रौढ़ों को उनके बढ़ते हुए ज्ञान का आभास कराता है। साथ ही शिक्षार्थियों के स्वयं के ऊपर काम का उत्तर-दायित्व डालता है। और उनके सहयोग पर भरोसा कर कार्य व्यवस्था का भार उन पर डालता है। ऐसे क्रियाशील प्रौढ़ शीघ्र ही शिक्षा कार्य में पूरी रुचि लेते हैं।

अच्छा शिक्षक यह भी समझता है कि भविष्य का स्वार्थ लाभ प्रत्यक्ष दिखाई दिए बगैर प्रौढ़ पढ़ने की प्रेरणा नहीं पा सकते। व्यवसाय की प्रगति एवं उत्पादन कार्य की दक्षता में वृद्धि ही यह प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। यह सोच कर ही अनुभवी शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम को शिक्षार्थियों के व्यवसाय तथा उनके दैनिक जीवन से सम्बन्धित कर देता है। इसी से शिक्षा का लाभ प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है और कार्य-क्रम के विकास की गति बढ़ जाती है।

अन्त में यह भी आवश्यक है कि पाठ्यक्रम, प्रौढ़ों के वातावरण, उनकी रुचियों तथा आवश्यकताओं से सम्बन्धित होने के साथ साथ उनके मानसिक स्तर से ऊँचा न हो। उनकी सूझ-बूझ का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता चले, इसके लिए जो ज्ञान दिया जाए, वह आरम्भ में उनकी योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए।

अच्छे शिक्षक इन सब बातों को समझते हैं तथा इनके अनुसार कार्य की व्यवस्था कर सफल होते हैं।

आईये, शिक्षा कार्यक्रम के प्रति प्रौढ़ों की मनोवृत्तियों

एवं उनकी व्यावहारिक प्रवृत्तियों पर की गई इस चर्चा के सारांश पर फिर एक दृष्टि डाल लें। इससे आप को याद आ जाएगा कि आप कैसे अपने कार्य और आचार विचार में सामन्जस्य लाएंगे।

1. याद रहे, प्रौढ़ प्रौढ़ है, बालक नहीं। वो निरक्षर भले ही हो, अज्ञानी नहीं है। वो बहुत सी बातें जानता और समझता है, समझा भले ही न सके। उसके विचार कुछ पक चुके हैं और व्यवहार में एक दृढ़ता है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षण के सब कार्य का केन्द्र बिन्दु प्रौढ़ है। ऐसी धारणा तथा व्यवस्था ही उसका सहयोग दिला सकेगी।

2. निरक्षर प्रौढ़ अत्यन्त कोमल हृदय होते हैं। समाज ने उनकी परवाह नहीं की है। उनमें हीनता की भावना है। परन्तु आत्म-सम्मान के प्रति बड़े जागरूक हैं। उसे ठेस नहीं पहुँचने दे सकते। इसलिए याद रखिये कि प्रौढ़ शिक्षार्थियों के प्रति आप पूर्ण आदर प्रदर्शित करें और उनकी प्रगति पर बेहद प्रसन्नता दिखावें।

3. प्रौढ़ सोचते हैं, कि वे अब नहीं पढ़ सकते। शायद ऐसी भी भावना है कि अब पढ़ाई उनके किस मतलब की है और कौन सी नई बात अब उन्हें सीखनी है। आपको उन्हें प्रेरणा देनी है और यह विश्वास जागृत करना है कि वे जैसे और अनेक काम कर लेते हैं, उसी प्रकार पढ़ भी सकते हैं। पढ़ाई किसी आयु में भी की जा सकती है और कभी भी की जा सकती है। उन्हें कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण दें जिन्होंने देर से पढ़ाई आरम्भ की और जगत प्रसिद्ध हो गए।

4. प्रौढ़ शिक्षार्थी अनेक असमानताओं से घिरे हैं। उनकी विशेष योग्यताएँ, विशेष गुण पहचानिये, उनकी रुचियाँ

जानिये, उनका व्यवहार समझिये और मानसिक स्तर जांचिये फिर उन सबका समान परिस्थितियों के अनुसार वर्गीकरण करिये और शिक्षण कार्यक्रम का समूह की परिस्थितियों से सामन्जस्य कर व्यवस्था करिये, तब आपको सफलता मिलेगी।

5. याद रखिये, प्रगति करना हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति की इक्छा यही होती है, कि वो अपनी पूरी शक्ति के अनुसार प्रगति करने के अवसर प्राप्त करे। ऐसे अवसर देना आपका काम है। प्रौढ़ जिस स्तर के भी हों, वहीं से आरम्भ कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दीजिये और उनकी रुचियों के अनुसार कार्य की व्यवस्था करिये। सफलता अवश्य मिलेगी।

6. प्रौढ़ों को इसमें कोई रुचि नहीं है कि हम उनके लाभ के लिए क्या कर रहे हैं ? उनकी रुचि इसमें है कि वो अपने लाभ के लिए हमसे क्या करवाना चाहते हैं ? पढ़ाई की चाह को जागृत करना होगा। आपका कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे वो अपने लिए उपयोगी समझें, तभी शिक्षण कार्य के प्रति उनकी रुचि एवं श्रद्धा हो सकती है।

7. याद रखिये, प्रौढ़ों के शिक्षक में पारखी, प्रेरक, पथ प्रदर्शक, सहयोगी, हितैषी तथा मित्र सभी के गुण एक साथ विद्यमान होने चाहियें, तभी प्रौढ़ उसे अपना शिक्षक स्वीकार करेंगे और प्रेरणा लेंगे।

8. प्रौढ़ों की अपनी दुनिया होती है, और हर काम में उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि ही उनको प्रेरणा दे सकती है। ऐसी श्रद्धा उत्पन्न करने से ही शिक्षक सफल हो सकता है।

9. पौढ़ आसानी से कोई नया काम करना स्वीकार नहीं करते। वे ऐसा भी कोई काम नहीं करना चाहते जिससे

उनके और समूह के सम्बन्धों को ठेस पहुँचती हो। इस मनो-वृत्ति को समझ कर समूह के नेताओं का सहयोग प्राप्तकर अवश्य कार्य में सफलता मिल सकती है।

10. प्रौढ़ अपने पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हैं। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति का कार्यक्रम स्वयं ही तो अपनाया है। इसलिए यदि शिक्षण पाठ्यक्रम का सम्बन्ध उनके दैनिक जीवन की आवव्यकताओं की पूर्ति से जोड़ दिया जाए तो वे प्रसन्नता से इस कायक्रम में भाग लेंगे। शिक्षक को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रौढ़ों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उसकी पूर्ति करनी होगी।

*अध्याय 4*

# प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं की व्यवस्था

प्रौढ़ साक्षरता प्रसार के उद्देश्य, उसकी तुरन्त अविलम्ब व्यवस्था की आवश्यकता तथा शिक्षार्थी प्रौढ़ों को उसके उपयोग पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आप ने इस समस्या की व्यापकता को भी समझ लिया है। उसके आकार-प्रकार को जान लिया है। प्रौढ़ों की मनोवृत्तियों एवं शिक्षा के प्रति उनकी मानसिक प्रक्रियाओं को भी समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि किसी भी दिए हुए क्षेत्र में आप प्रौढ़ शिक्षा-कार्य की व्यवस्था के लिए भली प्रकार समर्थ्य हैं।

प्रौढ़ शिक्षा का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो सकता है अथवा गहन प्रभाव के लिए सीमित। यदि कार्य को विस्तृत रूप देना है तो यह एक आन्दोलन का रूप लेगा। इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना होगा। वास्तविक कार्य के आरम्भ से महीनों पहले सारे क्षेत्र में लोगों को इसकी सूचना देकर प्रेरित करना होगा। ऐसा करने पर ही वे रुचि और उत्साह के साथ साक्षरता कार्य में शामिल होकर लाभ उठा सकेगें। ऐसा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सभी सरकारी तथा गैर सरकारी स्थानीय संस्थाओं, समाज सेवी महानुभावों, स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, युवकों तथा स्वयं प्रौढ़ों का सहयोग बड़ा जरूरी है। इन सबके सक्रीय योगदान से आन्दोलन का स्वागत हो सकता है। यह

कार्यक्रम इन सबके सहयोग से जन आन्दोलन बन जाएगा जो सबको प्रेरणा देगा। इसकी सफलता के लिए जन शिक्षण के सभी श्रव्य-दृश्य साधन भी काम में लाने होंगे। छोटी-छोटी क्षेत्रीय सभाएँ करनी होंगी, विचार विमर्श करना होगा और ऐसे ही अनेक साधनों का उपयोग कर जन साधारण को इस कार्य में सम्मिलित होकर निरक्षरता के काले धब्बे को धो डालने की प्रेरणा देनी होगी।

इस प्रकार के व्यापक आन्दोलन के कई विशेष लाभ हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि इस योजना का प्रचार क्षेत्र के अन्धेरे से अन्धेरे कोने तक पहुँच जाता है। इस दौरान में कितने ही प्रौढ़ पुरुष तथा महिलाएँ दोनों पढ़ना लिखना सीखने की प्रेरणा पा जाते हैं और कक्षाओं का जमाना आसान हो जाता है। बालकों के माँ बाप को उन्हें पढ़ा लिखा बनाने की प्रेरणा मिलती है। क्षेत्र के पढ़े-लिखे युवक, शिक्षकों का हाथ बँटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस आन्दोलन में जान पड़ जाती है और पूरा समाज इसमें शामिल हो जाता है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने और जन-जागृति पैदा करने में ऐसे आन्दोलन बड़े सफल होते हैं। इस लघु कालीन जागृति का उपयोग योजना को स्थाई और उपयोगी बनाने में किया जा सकता है।

याद रहे कि यदि इस आन्दोलन से पैदा हुई जागृति से पूरा लाभ न उठाया गया और प्रौढ़ साक्षरता का कार्य जोरों से आरम्भ न किया गया तो उत्साह मर जाएगा। कुछ समय बीतने पर जो सीखा है वो भी प्रौढ़ भूल जाएँगे और फिर निरक्षर हो जाएँगे। इस लिए इस आन्दोलन में जो सक्रीय भाग लेकर पढ़ने लिखने की रुचि दिखाएँ, उन्हें केवल साक्षरता की पहली सीढ़ी पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। थोड़े दिन के परिश्रम के बाद जब प्रौढ़ शिक्षार्थी कुछ पढ़ना लिखना सीख जाए

तो उनकी स्वयं पढ़ते रहने की रुचि का विकास कराना चाहिए। फिर उपयुक्त पठन सामग्री उपलब्ध होने पर वे पढ़ते रहेंगे और उनके लिए शिक्षा एक वास्तविकता बन जाएगी। ऐसी साक्षरता स्थाई होगी और जीवनीपयोगी भी। इस ज्ञान के द्वारा प्रौढ़ अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकेंगे और आमदनी भी।

साक्षरता के सघन और सीमित प्रोग्राम में क्षेत्र तथा प्रौढ़ शिक्षार्थियों को पहले से ही चुन लिया जाता है। जो प्रौढ़ पढ़ने की इच्छा प्रकट करे, पढ़ना सीखने की सामर्थ्य रखते हों और उन्हें दैनिक जीवन व्यवसाय की प्रगति करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता और उपयोग जान पड़ता हो, ऐसे प्रौढ़ जिस क्षेत्र में काफी संख्या में रहते हों, उसी क्षेत्र को कार्य क्षेत्र बनाकर वहाँ से निरक्षर अथवा अर्धशिक्षित प्रौढ़ों को रुचि, योग्यता और आवश्यकता के आधार पर कक्षाओं में शिक्षार्थ सम्मिलित कर लिया जाता है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाला प्रौढ़ समूह समान रुचि वाला हो सकता है और अपनी ही समझ बूझ के आधार पर स्वप्रेरित है। इसलिए कार्य की प्रगति सरल हो जाती है और पाठ्यक्रम भी आसानी से निश्चित हो सकता है।

योजना चाहे विस्तृत क्षेत्र में आन्दोलन रूपी हो अथवा सीमित क्षेत्र में सघन कार्य रूपी हो। दोनों ही प्रकार के साक्षरता कार्यक्रम में यह जरूरी है कि प्राथमिक साक्षरता कार्य समाप्त होने पर पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की सुविधाएँ अर्थात् वाचनालय, पुस्तकालय, तथा अन्य सामूहिक ज्ञान प्रसार के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए ताकि नवशिक्षित प्रौढ़ अपने ज्ञान का उपयोग करते रहें और उसे बढ़ाते रहें। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो स्थाई होगा। प्रौढ़ अपनी

समस्याओं तथा आवश्यकताओं को जान सकेंगे और उनको हल करने के उपाय भी समझ सकेंगे।

पुस्तकालय में पुस्तकें उपयोगी, आकर्षक तथा सरल भाषा में लिखी हुई होनी चाहिएँ। ऐसी पुस्तकों का अध्ययन नवशिक्षित प्रौढ़ आसानी से करेंगे और अपनी शिक्षा योग्यता को उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाएँगे। ज्ञान की इस प्रगति से जो उन्हें प्रसन्नता होगी वो उनका उत्साह बढ़ाएगी और पढ़ने की रुचि बढ़ती ही चली जाएगी। शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार एक जीवन पर्यन्त निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम बन जाएगा और किसी भी स्तर तक की पढ़ाई ऐसे उत्साही प्रौढ़ अपनी रुचि के अनुसार कर सकेंगे।

सीमित क्षेत्र की सघन रूपी शिक्षा योजना का परिणाम ठोस और उपयोगी होता है। हालाँकि शिक्षा प्रसार का कौनसा रूप किस स्थान और किस अवसर पर अपनाया जाएगा, यह तो परिस्थितियों पर निर्भर होगा, परन्तु फिर भी यह उचित जान पड़ता है कि इस कार्यक्रम का आरम्भ तो आन्दोलन रूपी विस्तृत रूप से किया जाए और बाद में जब क्षेत्रीय लोग भली प्रकार प्रेरित होकर शिक्षा कार्य में भाग लेने लगें तो सघन रूपी सीमित प्रोग्राम के सभी गुण इस प्रोग्राम का अंग बना दिए जाएँ ताकि परिणाम ठोस और स्थाई हो। इसका निश्चय तो व्यवस्था के समय ही परिस्थितियों के अनुकूल करना होगा।

आइये, साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था पर विस्तृत विचार करलें।

किसी भी प्रगतिशील कार्यक्रम की योजना में कार्य व्यवस्था प्रणाली का बड़ा महत्व है। व्यवस्था का अर्थ है कार्य सम्पादन की रूप रेखा, ऐसी रूप रेखा जो कार्य सम्पादन के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् बनाई गई हो। सुगठित एवं

संतुलित व्यवस्था प्रणाली के बिना किसी भी कार्य का सफल संचालन असम्भव है ।

कार्य व्यवस्था का प्रारूप निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। (1) योजना के उद्देश्य, (2) योजना संचालन में कार्य करने वाले तथा उससे लाभ उठाने वाले व्यक्ति, (3) कार्य संचालन की समस्या एवं, (4) संचालन विधि तथा सामग्री ।

प्रौढ़ साक्षरता की हमारी योजना का लक्ष्य ऐसी साक्षरता एवं शिक्षा प्रसार है जो निरक्षर प्रौढ़ों में अपनी पूरी योग्यता के अनुसार उन्नति करने की सामर्थ दे और व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ उसे समाज का उपयोगी अंग बना कर सामाजिक उन्नति भी दे सके । साक्षरता कार्य के द्वारा निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ने लिखने की योग्यता देकर उनमें पढ़ाई की चाह को जागृत कर इस योग्य बनाया जाता है कि साक्षरता के इस ज्ञान से वे जीवन में लाभ उठा सकें और उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें । इस ज्ञान के द्वारा वे अपनी व्यवसायिक दक्षता को बढ़ा कर अधिक धन कमा सकें ।

शिक्षा के इस कार्यक्रम में पाँच साथी हैं। अर्थात् पाँच प्रकार के तत्व कार्य करते हैं :—

1. शिक्षक
2. शिक्षार्थी
3. पाठ्य सामग्री
4. स्थान, सहायक शिक्षण सामग्री एवं बैठने और कार्य करने का सामान ।
5. कार्य विधि

अब हम इन पाँचों पर एक एक करके कुछ विचार करेंगे।

### 1. शिक्षक

शिक्षक को सबसे पहले अपने कर्त्तव्य, अपने विषय तथा अपने शिक्षार्थियों का ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने काम में रुचि हो, विषय का पूरा ज्ञान हो और मन जन सेवा भावना से ओत-प्रोत हो। उसे सबसे पहले अपने शिक्षार्थियों को नजदीक से जानना होगा, उनकी जरूरतों को समझना होगा, उनके आचार-विचार और व्यवहार को समझना होगा, उनकी रुचियों को जानना होगा और उनकी कठिनाइयों और मजबूरियों को भी समझना होगा। अपनी कार्य-विधि में इन सभी तथ्यों का सामंजस्य उपस्थित करना होगा।

इस जानकारी और धनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए कार्य क्षेत्र का पूरा ब्योरा, रहन-सहन की परिस्थितियों, शिक्षार्थियों की रुचियों एवं मनोविनोद कार्य, उनकी शिक्षा के प्रति रुचि, उनके पारिवारिक उत्तरदायित्व आदि का ज्ञान आवश्यक होगा। इसी ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रौढ़ों को समान रुचियों के भिन्न-भिन्न समूहों में बांट सकेगा। यही ज्ञान उसे पाठ्य-क्रम निर्धारित करने में तथा प्रौढ़ों को कार्य क्रम में सम्मिलित करने में सहायक होगा। इसी आधार पर बस्ती के सारे शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाएगी।

बस्ती के ब्योरे से जान पड़ेगा कि निरक्षर प्रौढ़ भिन्न-भिन्न आयु वर्ग के, भिन्न-भिन्न व्यवसायों वाले, भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों वाले, भिन्न-भिन्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर वाले, भिन्न-भिन्न लक्ष्यों वाले और भिन्न-भिन्न मानसिक स्तर के हैं। चूँकि शिक्षण कार्य का सामंजस्य पढ़ने वालों के बौद्धिक स्तर से, व्यवसायिक क्षेत्र के अनुभवों से तथा आभासित आवश्यकताओं से करना होगा, इसलिए सभी प्रौढ़ों को एक साथ सामान्य कक्षा के वातावरण में नहीं पढ़ाया जा सकता।

रुचियों में, बौद्धिक स्तरों तथा आवश्यकताओं में अधिकतम समानता लाने के लिए शिक्षार्थियों को समूहों में बांटना होगा। सामूहिक आधार पर ही शिक्षण व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उत्तरोत्तर स्वयं शिक्षा कार्य-क्रम का रूप धारण कर ले ।

इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी स्वयं भाग लें । शिक्षक केवल पथप्रदर्शन करें । मौखिक बात-चीत, तथा श्रव्य दृश्य साधन भी पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम के ही अंग बन जाएं । इस से थकान दूर होगी । शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और सक्रीय योगदान एवं सफलता का आभास होता रहेगा । अन्तर समूह कहानी अथवा कविता अथवा संगीत व नाटक प्रतियोगताएँ बहुत सहायक होंगी । प्रगति का आभास कराने के लिए कभी-कभी अनजाने में ही छोटी छोटी मौखिक अथवा लिखित जाँच करना बहुत लाभकारी होगा । जो शिक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर सही दे सकें अथवा उत्साह प्रदर्शित करें उन्हें शाबाशी देना उचित तथा प्रेरणादायक होगा परन्तु जो पीछे रह जाएं उन्हें हतोत्साहित न किया जाए । उन्हें भी सहानुभूति पूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जानी जरूरी है । उन्हें प्रसन्नतापूर्वक पढ़ाई को समझने की तथा प्रश्नों के उत्तर समझाने की राह बताई जाय ।

जिस प्रकार डाक्टर का हँसता हुआ रूप तथा सहानुभूति पूर्ण मीठी वाणी रोगी का आधा रोग दूर कर देती है, इसी प्रकार एक हँसमुख सहानुभूति पूर्ण शिक्षक के सामने शिक्षा-र्थियों को और किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है और वे तुरन्त उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो पढ़ना लिखना सीखने के लिए प्रयत्नशील हो उठते हैं । शिक्षक को जागरूक, संतोषी तथा हितैषी होना चाहिये । आखिर उसे प्रौढ़ों के मन में पढ़ने

की सोई हुई चाह को जागृत करना है। और प्रौढ़ों के साथ इतनी घनिष्ठता पैदा करनी है कि वे उसे अपना लें, अपना शिक्षक स्वीकार कर लें और सहयोगी भी। ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है। एक हँसमुख, सहनशील, संतोषी तथा आशावादी शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को प्रेरणा दे सकेगा और उनका अपना बन जाएगा। शिक्षक कोई उपदेशक नहीं है, शिक्षक तो सहयोगी है। सीखता भी है, सिखाता भी है। स्थानीय सामाजिक नेताओं की मदद से शिक्षण कार्य नियमित एवं सुव्यवस्थित हो जाएगा और वे शिक्षार्थियों को सक्रीय सहयोग की प्रेरणा देंगे, इसलिये स्थानीय नेताओं से शिक्षक को अवश्य सहायता लेनी चाहिये।

### 2. शिक्षार्थी

आइये अब शिक्षार्थियों को जान लें। हमारे शिक्षार्थी लगभग 14 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के वे प्रौढ़ होंगे जो परिस्थितिवश निरक्षर रह गए अथवा समय से पूर्व ही स्कूल छोड़ बैठे। इस समय वे सब के सब जीवनयापन के लिए कुछ न कुछ धन्धा करते हैं। उन्हें समझने के लिए प्रौढ़ों की आवश्यकताओं तथा उनके मानसिक आचरण की कुछ विशेषताओं को समझना होगा :—

(1) हर प्रौढ़ ने जीवन में कुछ न कुछ कड़वे अथवा मीठे अनुभव प्राप्त किये हैं। इसी आधार पर उसने कुछ कामों के प्रति रुचि और शेष के प्रति अरुचि की धारणा बना ली है। उदाहरणार्थ पढ़ने लिखने के लिए उत्साहीनता उनकी एक महत्वपूर्ण धारणा है। वे अब इतने वृद्ध हो गए हैं कि अब पढ़ कर क्या करेंगे, यह दूसरी बात है। ऐसी सभी गलत धारणाएँ जो अत्यन्त हानिकर हैं, दूर करनी होंगी। आप जानते हैं बनी हुई

धारणाओं को दूर कर नई श्रद्धा उत्पन्न करना कितना कठिन है। इस से तो जहाँ कोई धारणा न हो, वहाँ श्रद्धा उत्पन्न करना कहीं सरल है। प्रौढ़ नहीं पढ़ सकेगा अथवा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस धारणा को दूर करना होगा और शिक्षा की उपयोगिता को उन्हें दर्शाना होगा। आवश्यकता है उचित प्रेरणा, मार्गदर्शन और शिक्षण क्रम के दैनिक व्यवसाय से सामन्जस्य की।

(2) निरक्षर प्रौढ़ को समाज ने ठुकराया है, उसे सहानुभूति चाहिए, उसने निरादर को सहन किया है उसे आदर चाहिए। उसने चिन्ताएँ झेली हैं, निराशा भुगती है, उसे उत्साह चाहिए, प्रेरणा चाहिए। वो सम्भवत्या कक्षा में समय पर तथा नियमित रूप से न आ पाए, उसकी मजबूरी को समझ कर सहन करना होगा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से समझाना होगा। वो एक परिवार का सदस्य या मुखिया है, उसके उत्तरदायित्व हैं, वो निर्णय लेता है **और उसे प्रभुत्व का कुछ भान है**, इसलिए वह डाँट-डपट अथवा क्रोध सहन नहीं करेगा। जो उसकी इन सब मनोवृत्तियों को समझकर उसका बन सकेगा, उसे ही वो पसन्द करेगा। **परिवार का मुखिया होने के नाते** उसमें प्रभुत्व की जो भावना आ गई है, उसके कारण वो कोई परीक्षा में पड़ना नहीं चाहता। अनुभवी शिक्षक इन सब बातों को समझकर प्रत्येक प्रतिकूलता को दूर रक्खेगा और सफल हो जायेगा।

(3) प्रौढ़ों को वही कार्य उपयोगी जान पड़ता है जिससे उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हों। उन्हें इच्छाओं और आवश्यकताओं का पूर्ति के साधन ही प्रेरणा दे सकते हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति निम्नलिखित ढंग से हो सकती है।

(अ) आर्थिक लाभ — साक्षरता ज्ञान के फलस्वरूप

वेतन में वृद्धि अथवा करों में कमी अथवा कुछ ऐसे विशेष साधनों की प्राप्ति जिन से जीवन अधिक सुखी और सम्पन्न हो सके ।

(ब) सामाजिक लाभ —साक्षरता ज्ञान के फल स्वरूप समाज में प्रतिष्ठा मिलती हो अथवा सामाजिक संस्थाओं में सदस्यता अथवा नेतृत्व ।

(स) मानसिक संतोष —साक्षरता ज्ञान के फलस्वरूप प्रौढ़ लाभप्रद साहित्य का अध्ययन कर सकें, समाचारपत्रों द्वारा संसार की गतिविधियों का ज्ञान पा सकें तथा अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं के बारे में पढ़ कर उन्हें हल कर सकें ।

(द) आध्यात्मिक लाभ -- साक्षरता ज्ञान के फलस्वरूप वो धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन कर सकें तथा दूसरे साथियों से सन्त महात्माओं के द्वारा दिए गए उपदेशों की चर्चा कर उनकी श्रद्धा तथा आदर के पात्र बन सकें ।

इस प्रकार के प्रेरणादायक कार्यक्रमों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करनी चाहिए । आखिर आभासित मनोकामना की पूर्ति द्वारा ही कार्य में सफलता मिल सकती है । साक्षरता अवश्य जीवन व्यवसाय उपयोगी होनी चाहिये ।

(4) कुछ प्रौढ़ों के साथ एकदम साक्षरता की बात करने से शायद आप को सफलता न मिले । उनकी मनोवृत्तियों एवं मानसिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना होगा । उनसे अपनापन दिखावें । मित्रता बनावें, वे आप को अपना लेंगे । उन्हें पुस्तकें पढ़ कर सुनावे, कहानी सुनायें, ज्ञान चर्चा करें । उनकी रुचियों को पहचानें और उनको तृप्त करने की व्यवस्था करें । वे भी अवश्य प्रेरित हो जाएंगे ।

प्रौढ़ बेसब्र होते हैं और अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। परिश्रम का फल बहुत शीघ्र पाना चाहते हैं। एक दम ही उन्नति चाहते हैं और आसानी से कोई नई बात अथवा नए ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। इसलिए किसी अनजानी बात से अथवा उनकी समझ से दूर की बात से शिक्षा का आरम्भ न करें। उनकी अत्यन्त मनपसन्द बात से अथवा दैनिक जीवन के कार्यक्रम से ही अपना काम आरम्भ करके आगे बढ़ें।

(5) प्रौढ़ थका हुआ होता है उसे मनोविनोद चाहिए। इसलिए कुछ सरल पाठ्य सामग्री जिसको दृश्य एवं श्रव्य साधनों से रोचक बना दिया गया हो और वातावरण मित्रता और सहानुभूति का हो, तो वो उन्हें रुचिकर एवं गृहणीय होगी। पढ़ने के स्थान पर भौतिक सुविधाओं का होना जैसे प्रकाश, पानी, हवा एवं शौचालय आदि का उचित प्रबन्ध होने से वातावरण आकर्षक हो जाएगा और प्रौढ़ पढ़ाईके दैनिक कार्य-क्रम के लिए तत्पर हो जाएगा।

प्रौढ़ों को अपने मन का भेदी मित्र, पथ प्रदर्शक, प्रेरक एवं शुभचिन्तक साथी चाहिए। शिक्षक को सफलता के लिए अपने में ये सब गुण विद्यमान करनेहोंगे। ऐसा अनेक गुण सम्पन्न शिक्षक सभी प्रौढ़ शिक्षार्थियों को अपनी सूझबूझ, कर्त्तव्यनिष्ठा लगन एवं कार्यशीलता द्वारा प्रभावित करेगा और उनको पढ़ाई के कार्यक्रम में अपने साथ लेलेगा। उसे कोई सपने दिखाने की अथवा झूठे वायदे देने की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में पढ़ने वालों को झूठ-मूठ के सब्ज़ बाग दिखाना बहुत ही अनुचित है। उन्हें तो देश काल और समाज की वास्तविक समस्याओं, परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दिगदर्शन कराते हुए आगे बढ़कर उनसे लोहा लेने की प्रेरणा देकर ही क्रियाशील बनाना उचित होगा।

### 3. पाठ्य सामग्री

उपयुक्त पाठ्यसामग्री का अभाव प्रौढ़ साक्षरता की प्रगति के रास्ते में बहुत बाधक रहा है। जैसा आप जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षार्थी हर किसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ने की रुचि नहीं रखते। वो तो केवल वही पढ़ना चाहते हैं जो उन्हें तुरन्त उपयोगी जान पड़ता हो। वही पुस्तकें उन्हें आकर्षित कर सकती हैं जिनके पढ़ने में उन्हें आनन्द आए और जिन्हें वे आसानी से पढ़ और समझ सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए वही पाठ्य-सामग्री उपयुक्त हो सकती है जो आसानी से पढ़ी और समझी जा सके, जिसमें दैनिक जीवन उपयोगी ज्ञान भरा हो। इन सिद्धान्तों से पाठ्य पुस्तकों की विषय-वस्तु, उनकी भाषा की सरलता, उनकी लेखन शैली तथा विषय के प्रस्तुतीकरण को भली प्रकार समझा जा सकता है। इन सभी विशेषताओं को पूरी करने वाले उपयुक्त साहित्य का अभाव एक समस्या है जिसे सुलझाना होगा अन्यथा प्रौढ़ों की साक्षरता का कार्यक्रम प्रगति नहीं कर सकता। इसी अभाव ने प्रौढ़ों को शिक्षा उपार्जन के प्रति उदासीन कर दिया है।

पाठ्य-सामग्री में पाठ पत्र, चार्ट, पोस्टर, फोटो एवं पुस्तकें आदि सभी शामिल हैं। ये सब मोटे अक्षरों में और सरल भाषा में साफ छपे हुए और चित्रित होने चाहिएँ। ताकि आसानी से पढ़े और समझे जा सकें। विषय जीवनोपयोगी होना चाहिए और प्रस्तुतिकरण रोचक। प्रौढ़ों को जो कुछ पढ़ने को दिया जाए वो यदि रुचिकर न हुआ तो न तो वे उसमें ध्यान देंगे और न ही समझ पाएँगे। यदि जो कुछ उन्हें बताया जाय वो उन्हें जीवनोपयोगी जान पड़ेगा तो वे चाव से पढ़ेंगे, और लाभ उठाएँगे।

माना कि बच्चे भी ऐसे ही साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, जो आसानी से पढ़ा और समझा जा सके और बालकों के दैनिक जीवन के वातावरण और अनुभव से सम्बन्धित हो। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बच्चों और प्रौढ़ों के लिए एक ही जैसा साहित्य रुचिकर और उपयोगी होगा। प्रौढ़ केवल आयु और ऊँचाई में बड़ा बालक नहीं है। वो बालक से बहुत कुछ भिन्न है। प्रौढ़ के जीवन के अनुभव बहुत विस्तरित और विकसित हैं। उसकी सूझ बूझ बहुत आगे हैं और उसकी प्रवृत्तियाँ उत्तरदायित्व पूर्ण। वो निरक्षर हो सकता है, भले ही हो भी परन्तु अशिक्षित नहीं है। उसका ज्ञान चारों ओर का है, चौमुखी है, और बालक तो अभी जीवन के पहले चरण में ही है।

फिर प्रौढ़ में बालक जैसा सब्र कहाँ। उसे तो और अनेक काम करने हैं। इसलिये उसे दूसरी प्रकार का साहित्य चाहिए जो पढ़ने और समझने में आसान हो। जिसकी विषय-वस्तु एवं प्रेरणा गम्भीरतापूर्ण हो और जो प्रौढ़ की रुचि को स्थिर रख सके तथा उपयोगी हो। थोड़े समय में अधिक ज्ञान दे।

उपयुक्त साहित्य के अभाव में शिक्षक किसी भी ऐसे साहित्य से काम चलाने लगते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। परिणामस्वरूप प्रौढ़ शिक्षा-कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं और उसमें रुचि नहीं लेते। वास्तव में तो शिक्षा कार्य में तो प्रौढ़ शिक्षार्थी का क्रियात्मक योगदान होना चाहिए। प्रौढ़ किसी काम में भी केवल मूक दर्शक नहीं हो सकता। लगातार बातचीत द्वारा, श्याम पट के प्रयोग द्वारा तथा बारी-बारी से मौखिक पठन व प्रश्नोत्तर द्वारा क्रियात्मक योगदान का आभास कराना चाहिये तभी वो सफलता के साथ पढ़ सकते हैं। श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री पर शिक्षा में काफी जोर दिया जाता है।

परन्तु यह याद रखना चाहिए, कि ये साधन केवल सहायक साधन हैं जिनसे प्रेरणा व सहारा मिल सकता है। वास्तविक उद्देश्य तो उपयुक्त साहित्य के अध्ययन से ही पूरा हो सकता है। पूरी सफलता के लिये प्रौढ़ों में पढ़ने की रुचि का विकास होना चाहिए और उनकी पढ़ने की आदत भी बढ़ानी चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ने-लिखने की योग्यता का उपयोग बराबर करते रहें ओंर दिनोंदिन आगे ही आगे बढ़ते जायें।

**(4) भवन, फरनीचर तथा शिक्षा के सहायक उपकरण—**

देखा गया है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में उचित स्थान, बैठने की सुविधा एवं शिक्षा के सहायक उपकरणों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सम्भवतया ऐसा सोचा जाता हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम तो कहीं भी और कैसे ही भी चलाया जा सकता है। इस तथ्य को भुला दिया जाता है कि शिक्षण कार्य में भौतिक वातावरण का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। स्थान की सफाई, खुलापन, हवादार होना, शान्ति और एकान्तपन, शान्तिपूर्ण कार्य संचालन के लिए बहुत आवश्यक हैं। बैठने के लिए साफ दरी आदि का प्रबन्ध और ऐसे ही दूसरे आराम के साधन बहुत आवश्यक हैं।

बिना उपकरणों की उपलब्धि के प्रौढ़ शिक्षक की दशा ऐसी ही है जैसी बिना औजारों के मिस्त्री की। इन उपकरणों में पुस्तकें; चार्ट, श्याम-पट, चाक, नकशा, समाचार पत्र, फिल्म स्ट्रिप आदि सभी शामिल हैं। यदि हो सके तो एक प्रोजेक्टर और रेडियो भी शिक्षा केन्द्र में होना लाभदायक है। इन सब में से जो वस्तुएँ भी मिल सकें, जुटा लें ताकि कार्यक्रम रुचिकर, सीखना सरल और योगदान क्रियाशील एवं सुरूचिपूर्ण हो सकें।

**(5) कार्य संचालन पद्धति**

अन्त में दैनिक कार्य प्रणाली पर भी कुछ विचार कर

लेना लाभदायक होगा। माना कि प्रौढ़ शिक्षार्थी बालकों की तरह स्कूली कक्षाओं जैसा वातावरण पसन्द नहीं करते और पढ़ाई लिखाई का कार्य समान रुचि वाले समूहों में अधिक तर बात-चीत द्वारा होता है, फिर भी कार्य को नियमात्मक, गम्भीर और समयानुकूल बनाने के लिए कुछ न कुछ अनुशासन आवश्यक है। काम निश्चित समय पर आरम्भ होना चाहिए चाहे उस समय थोड़े ही शिक्षार्थी आए हों। आपकी जानकारी के लिए दैनिक कार्यक्रम का नीचे दिया गया रूप सुझा रहे हैं।

1. सामूहिक प्रार्थना
2. शिक्षक द्वारा समाचार एवं प्रवचन आदि
3. सामयिक घटनाओं पर वार्ता (शिक्षार्थियों को भी बारी-बारी से शामिल किया जाए)
4. पढ़ाई, लिखाई, मौखिक तथा लिखित हिसाब आदि
5. पुस्तक पठन-(पुस्तकालय से अथवा अन्य)
6. कोई छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम (सप्ताह में एक बार)
7. समाप्ति भी सामूहिक गान से ही करना उचित है (राष्ट्रगीत अथवा कोई और)

इस प्रकार का दैनिक कार्य विभाजन शिक्षण कार्य में एक व्यवस्था और अनुशासन देगा। हालाँकि प्रौढ़ शिक्षा कार्य केवल पुस्तकीय नहीं है परन्तु फिर भी जब उद्देश्य प्रौढ़ साक्षरता है तो इसे थोड़ा बहुत पुस्तकीय तो बनाना ही होगा ताकि इसमें विधिवत नियमनिष्ठता आ जाए।

ऐसा नियमबद्ध और विधिवत कार्यक्रम आवश्यक तौर पर दूसरे साधारण कार्यक्रम से जोड़ना होगा जैसे वादविवाद, गोष्ठी, संगीत सम्मेलन, कविता पाठ, भाषण, सैर सपाटा,

शिक्षण यात्रा, शिक्षण मेले, प्रदर्शन, नाटक, कठपुतली, तथा अन्य प्रतियोगिताएँ। इन कार्यक्रमों से पाठकों को सक्रीय योगदान का तथा मनोरंजन का सुअवसर मिलता है। पाठक कार्य को व्यवस्था करना भी सीख जाते हैं। कार्य व्यस्त होने से उन्हें यह कार्य रुचिकर एवं उपयोगी भी जान पड़ता है।

व्यवस्था की अन्तिम कड़ी है कार्य का लेखा जोखा तथा उसके लिये रखे जाने वाले रजिस्टर आदि। इन पर थोड़ा विचार उचित है। शिक्षक को कार्य प्रगति और उसके सुचारू संचालन के लिए कुछ दस्तावेज़ रखने पड़ते हैं। फार्म अथवा रजिस्टर उसे अवश्य हर समय पूर्ण रखने चाहिएं। भर्ती का फार्म, भर्ती रजिस्टर, परीक्षा परिणाम रजिस्टर, बस्ती का सर्वे रिकार्ड, प्रगति रजिस्टर, सामान का रजिस्टर, सामान व पुस्तकों का जमा तथा खर्च का रजिस्टर, पुस्तकों का इशु रजिस्टर तथा दैनिक उपस्थिति रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण रजिस्टर हैं जो शिक्षक को रखने चाहिएं। ऐसी नियमपूर्ण और विधिवत व्यवस्था के बिना शिक्षक अथवा शिक्षार्थी कार्यक्रम की गम्भीरता का अनुभव न कर पायेंगे और उद्देश्य पूरा न होगा। हमारा उद्देश्य हर प्रौढ़ को व्यवसाय उपयोगी साक्षरता और सामाजिक जागरूकता देकर उत्तरदायित्व सम्पन्न बनाना है। इसकी पूर्ति के लिए विधिवत तथा नियमबद्ध कार्य होना ही चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं की व्यवस्था के बारे में जो चर्चा हमने की है, आइये उसे एक बार दोहरालें।

1. प्रौढ़ साक्षरता कामों की सफलता इस बात पर निर्भर है कि कार्यक्रम की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ और उपयोगी है।

2. साक्षरता प्रसार कार्य विस्तरित भी हो सकता है और सीमित क्षेत्र में सघन रूप का भी। तथा दोनों प्रकार का

लखनऊ में पुरुषों की एक साक्षरता कक्षा

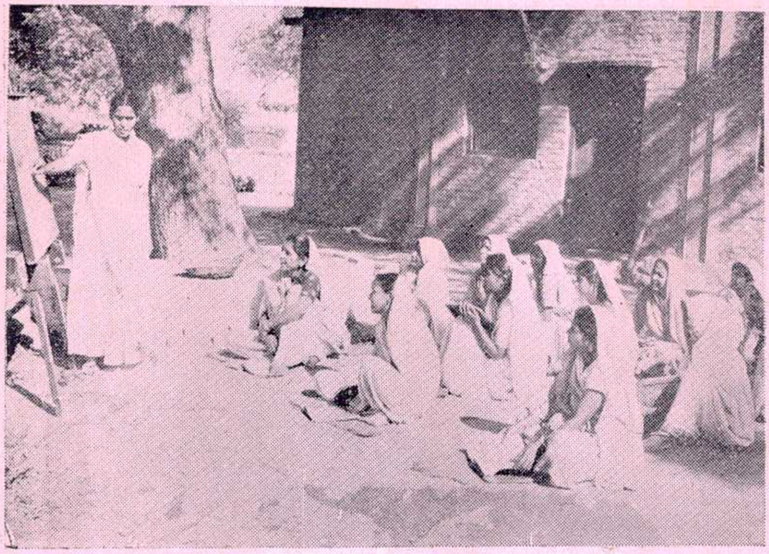

लखनऊ में महिलाओं की साक्षरता कक्षा

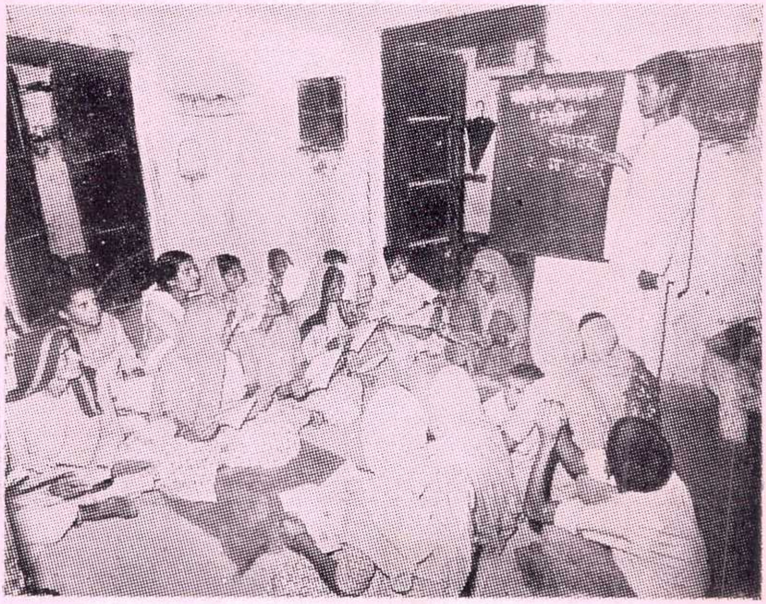

मेरठ में स्त्रियों के लिए आयोजित एक प्रौढ़-शिक्षा कक्षा

दिल्ली में एक साक्षरता शिक्षा कक्ष

बम्बई में महिलाओं की प्रौढ़-शिक्षा कक्षा

उदयपुर में किसानों की साक्षरता कक्षा

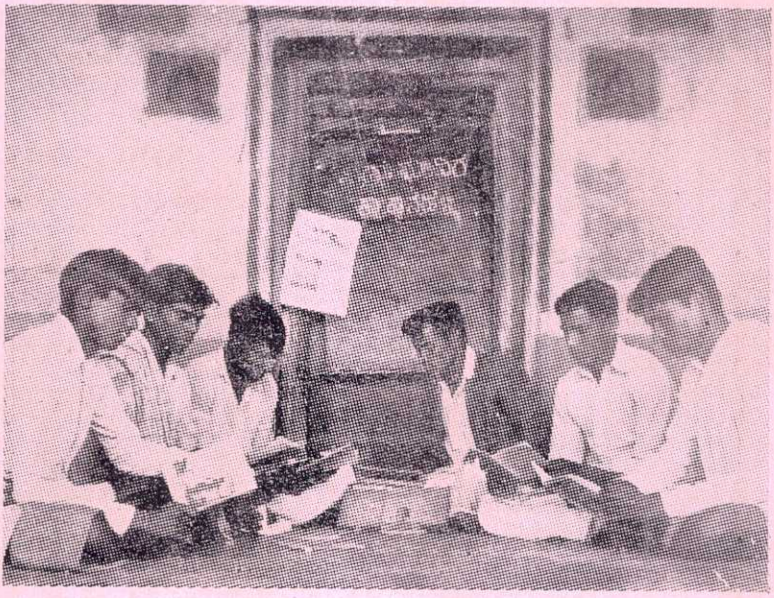

मैसूर में आयोजित प्रौढ़-शिक्षा कक्षा

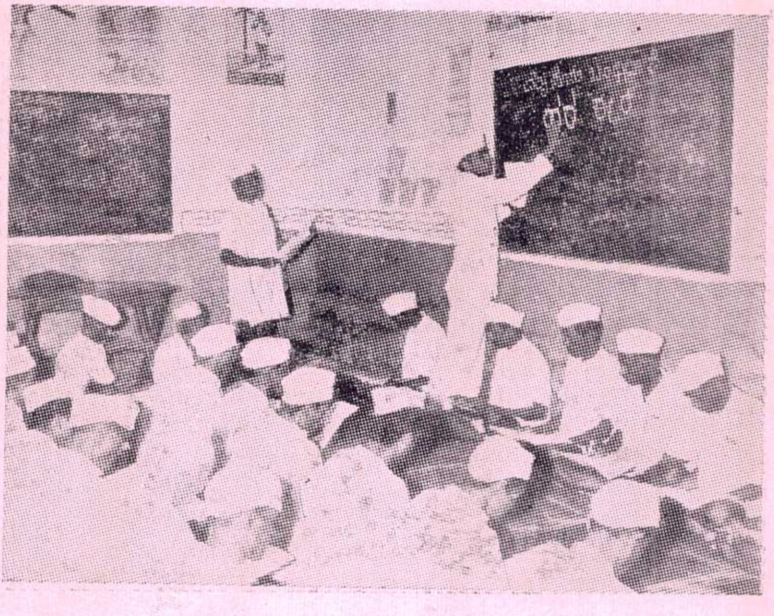

मैसूर में आयोजित साक्षरता शिक्षा कक्षा

मिला जुला । आरम्भ में एक वातावरण बनाने के लिए और प्रचार दूर तक फैलाने के लिए विस्तरित कार्यक्रम आन्दोलन रूप का अधिक उपयोगी होगा । इससे जागृति भी हो जाएगी, सक्रीय सहयोग भी मिलेगा और लोगों की रुचि भी जानी जा सकेगी । इसके पश्चात सीमित क्षेत्र में यथा आवश्यकता, यथा रुचि, यथा स्थान और यथा समय कार्य का सम्पादन किया जा सकता है ।

3. सफल व्यवस्था के लिए शिक्षक को पहले क्षेत्र का निश्चय करना चाहिए । इसे नागरिकों की संख्या, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता, उनकी चाह एवं सुविधाओं की उपलब्धि के आधार पर चुना जा सकता है । बाद में बस्ती का एक सर्वे, लोगों की रुचियों, व्यवसायों, अभिरुचियों, अवकाश के समय आदि को जानने के लिए किया जाना चाहिए । नागरिकों की आवश्यकताओं और उनकी चाह को जानने के बाद ही शिक्षक अपने कार्य की योजना पढ़ने वालों की जरूरतों रुचियों आदि के आधार पर बना सकता है । ऐसा करने से शिक्षक का बस्ती के लोगों से प्रेम भी बढ़ जाएगा और वो स्थानीय नेताओं से भी सम्पर्क बना सकेगा । ये नेता उसे पढ़ाई के स्थान ढूँढने में मदद देंगे । दूसरे साथियों को पढ़ने की प्रेरणा देंगे तथा दूसरी अन्य सुविधाओं को उपलल्ध कराने में सहायक होंगें ।

4. बस्ती की आवश्यकताओं को जानने के बाद शिक्षक को अपने उपकरणों को जुटाना चाहिए, पाठ्यक्रम की पुस्तकें, सहायक सामग्री, बैठने का समान आदि-आदि ।

5. साथ ही साथ शिक्षक को स्थानीय नवयुवकों की एक सहायक टोली भी बना लेनी चाहिए ताकि अपने दैनिक कार्य में उनसे सहायता मिल सके और अनियमित आने वाले शिक्षार्थीयों को ये साथी प्रेरणा दे सकें ।

6. प्रौढ़ साक्षरता के साथ-साथ उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम भी योजना का एक आन्तरिक अंग होना चाहिए। अर्थात् वाचनालय, पुस्तकालय, अध्ययन गोष्ठी, रेडियो गोष्ठी आदि के कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पढ़ाई लिखाई के साथ-साथ शिक्षोपार्जन के अन्य साधन जारी रहें और कार्यक्रम स्वचालित बन जाए। इसके बिना पढ़ाई-लिखाई का ज्ञान स्थाई एवं उपयोगी नहीं हो सकता और हो सकता है कि नवशिक्षित प्रौढ़ फिर निरक्षर हो जाएँ। इस प्रकार परिश्रम और पैसा सभी निरर्थक हो जाएगा।

7. पाठ्यसामग्री की उपयुक्तता का आधार पाठकों को पढ़ने व समझने की सरलता तथा विषय ज्ञान का जीवन में उपयोग होना चाहिए। पुस्तकें चाहे कक्षा की हों, चाहे पुस्तकालय की, सबका चयन इसी आधार पर होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि पुस्तकें ऐसी न हों जिनसे पाठकों की पढ़ने की रुचि में ठेस पहुँचे। सभी पुस्तकें ऐसी रोचक और सरल होनी चाहिएं कि पाठक पढ़ते ही चले जाएँ और उन्हें पढ़ने की आदत पड़ जाए और वे जीवन में पढ़ने लिखने की योग्यता के महत्व को समझने लग जाएँ।

8. जैसे-जैसे कार्य प्रगति करता जाए, वैसे-वैसे शिक्षक को चाहिए कि अनेक उचित साधनों एवं पद्धतियों द्वारा पाठकों को उनकी योग्यता का भान कराता रहे। इससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। परन्तु ध्यान रहे कि जो पूरी प्रगति न दिखा सकें उन्हें किसी प्रकार भी निरुउत्साहित एवं हताश नहीं करना है।

9. प्रौढ़ों की कक्षाओं में समयबद्ध एवं नियमवद्ध कार्य के लिए समझ लीजिए कि स्वयं को उदाहरण बनना होगा। केवल उप

देश या आदेश से काम नहीं चलेगा । दैनिक कार्यक्रम बिना बाधा के पूरा होना चाहिए और कुछ लोगों की अनुपस्थिति अथवा देर से काम में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और न ही ऐसे लोगों को डाँटना फटकारना चाहिए, उन्हें सहानुभूति पूर्ण ढंग से प्रेरणा देनी होगी ।

10. याद रखिए प्रौढ़ साक्षरता कार्य की सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है पाठकों का स्वयं का क्रियात्मक योगदान । एक सफल शिक्षक हमेशा अपने सभी पाठकों को ऐसे योगदान की सुविधा एवं अवसर देता है, जब ही वह सफल होता है ।

*अध्याय—5*

# प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री

अब तक आप समझ गए हैं कि प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक और राष्ट्रोन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं; परन्तु है बहुत कठिन और व्यापक। यह कार्य वास्तव में इच्छाओं व मनोवृत्तियों, आकाँक्षाओ व प्रेरणाओं, रुचियों और प्रक्रियाओं, लाभ और स्वार्थों की पूर्तियों पर निर्भर है। कुछ भी हो, आज के युग की बढ़ती हुई जरूरतों, गम्भीरताओं और सम्बन्धों को देखते हुए यह करना तो होगा ही। वर्तमान युग में ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की कितनी प्रगति हो रही है। हर काम को पूरा करने के लिए नई-नई खोजें हो रही हैं, उपज के नए तरीके, नए उपकरण, नए साधन, नई मशीनें और नए रास्ते निकल रहे हैं। फिर भला निरक्षर क्रियाशील प्रौढ़ इस ज्ञान-विज्ञान के युग में कैसे उन्नति कर सकेगा। यदि हम उन्नति चाहते हैं तो कम से कम देश के सभी क्रियाशील प्रौढ़ों को तो पढ़ने, लिखने, समझने और समझाने की योग्यता होनी ही चाहिए। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के 9-12 मास के पाठ्यक्रम द्वारा हम सभी प्रौढ़ शिक्षार्थियों में ये योग्यताएँ पैदा करना चाहते हैं, ताकि वे देश के विकास में पूर्ण योगदान दे सके और स्वयं अपना जीवन सुखमय एवं सुविधापूर्ण बना सकें।

इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें जिन सुविधाओं और सामग्री को उपलब्ध करना होगा, उस पर विचार कर लेना उचित होगा।

पहले बात कर चुके हैं कि पूरी सुविधाओं तथा सामग्री से वंचित शिक्षक बिना उपकरणों के कारीगर के समान हैं। सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सुविधा पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि है। पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को काम में लेकर शिक्षक प्रौढ़ों को पढ़ना-लिखना सिखाता है। इसलिए आइये, पाठ्य-सामग्री पर कुछ विचार करें।

प्रौढ़ साक्षरता पाठ्यक्रम को भली प्रकार पूरा करने के लिए एक प्रवेशिका और इसके बाद चार से पाँच तक अन्य पुस्तकें लेनी होंगी। पुस्तकों का विषय प्रवेशिका से ही, ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वालों के दैनिक जीवन से सम्बन्धित हो, उनके अनुभवों पर आधारित हो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। सभी पुस्तकें आसानी से पढ़ी समझी जा सकें, ऐसी होनी चाहिएं। जितने विषयों का ज्ञान प्रौढ़ों को कराना हो, वे सभी भाषा की पुस्तकों के पाठों में ही समा जाना चाहिए ताकि प्रौढ़ को ये भार रूप न जान पड़े कि उसे कितने विषयों के बारे में पढ़ना होगा , परन्तु है यह सब ज्ञान जरूरी। जीवन में सफलता पाने के लिए उपयोगी सामाजिक जीवन के लिए हर व्यक्ति को थोड़ा हिसाब, थोड़ा इतिहास, थोड़ा भूगोल, थोड़ा दैनिक विज्ञान, थोड़ा नागरिक शास्त्र, थोड़ा स्वास्थ्य व सफाई विज्ञान और थोड़ा सामाजिक व्यवस्था ज्ञान होना ही चाहिए। तभी वो एक सफल नागरिक, संरक्षक, सफल उत्पादक और सफल कार्यकर्ता हो सकता है। चूँकि भाषा ही पढ़ने, लिखने, समझने और समझाने का साधन है और विचारों के आदान-प्रदान का आधार, इसलिए इन सभी विषयों का ज्ञान

अनजाने में ही भाषा के पाठों द्वारा हो जाना चाहिए। ऐसी पुस्तकें प्रौढ़ों को पढ़ना लिखना तो सिखाएँगी ही, वे उन्हें वातावरण, कर्तव्य, अधिकार और व्यवसाय का ज्ञान भी देंगी।

अंकगणित और हिसाब-किताब का ज्ञान तो कभी-कभी भाषा ज्ञान से भी ज्यादा जरूरीं होता है। आज के ज्ञान-विज्ञान और तकनीक के युग में अंकों के ज्ञान बिना काम-काज ही नहीं चल सकता। गिनने और हिसाब लगाने की जरूरत तो हर व्यक्ति को चाहे वो पढ़ सकता हो अथवा नहीं, पड़ती ही है। इसके बिना गुजारा नहीं होता । साथ हो गणित के ज्ञान से प्रौढ़ की विचार शक्ति बढ़ती है, निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। सूझबूझ की फुर्ति और वास्तविकता पैदा होती हैं। इससे जीवन में अनुशासन पैदा होता है तथा आय-व्यय का संतुलन करने की आदत होती है।

इतिहास का ज्ञान प्रौढ़ों में अपने जीवन को आवश्यकतानुसार ढालने की आदत देगा। वे अपने उन पुर्खों के बारे में जान सकेंगे जिन्होंने अपने कौशल तथा सामर्थ्य द्वारा इतिहास बनाया और दुनिया में नाम कमाया। उनकी गौरव गाथाएँ अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझने में सहायक होंगी और हरेक को उन्हीं पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा देंगी। इससे समय के परिवर्तन का भी ज्ञान होगा और इस परिवर्तन से कैसे सामंजस्य बनाया जाए, यह भी समझ आएगी।

देश की विशालता, इसकी भूमि, उपज, खनिज, जल, वायु आदि को समझने के लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। देश की आयात-निर्यात, आवागमन के साधन, व्यापार केन्द्र आदि के समझने के लिए भी भूगोल का ज्ञान चाहिए। देश की भिन्नता में एकता का ज्ञान तथा विश्व भ्रातृभाव की आवश्यकता का ज्ञान भी भूगोल से ही होगा।

विज्ञान और तकनीक को समझने से नई खोज और अनु-संधान, नए तरीके, नए उपकरण आदि का ज्ञान तथा उपज व उत्पादन बढ़ाने के नए तरीकों का ज्ञान होगा। यह तो आज के युग में जरूरी ही है। उसी से दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और उसके प्रभाव की जानकारी भी मिलेगी, जो वर्तमान युग में अत्यन्त उपयोगी है।

स्वास्थ्य के साधारण सिद्धान्तों का ज्ञान तथा मानव शरीर की बनावट व कार्य-विधि का ज्ञान प्रौढ़ों को व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वच्छता व नीरोग्यता का ज्ञान देगा। उसे ये भी मालूम हो जायेगा कि स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, रोग से कैसे बचा जा सकता है और रोग लग जाए तो उसका निवारण कैसे हो। रूढ़ियों और पाखंडों से उसे छुटकारा मिलेगा और जीवन सुखमय होगा।

नागरिक शास्त्र के ज्ञान से उसे नागरिकता और जनतंत्र का ज्ञान होगा। नागरिक के अधिकार और कर्त्तव्यों का ज्ञान होगा राज्य कैसे चलता है और देश और संसद के सम्बन्ध भीतरी और बाहरी कैसे हों, यह भी जानना जरूरी है। अर्थ-शास्त्र का साधारण ज्ञान राष्ट्रीय उन्नति एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि के बारे में जानकारी देगा। उद्योग तथा व्यापारों का ज्ञान उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है। इसके द्वारा ही प्रौढ़ अपनी प्रगति समझेंगे और देश को आगे लेजा सकेंगे।

इस प्रकार इन सभी विषयों का थोड़ा-थोड़ा प्राथमिक ज्ञान हर प्रौढ़ को अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए आवश्यक है। ये सब ज्ञान उसको भाषा की पुस्तकों द्वारा ही दिया जाएगा। साक्षरता कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूरा करते करते थोड़ा

थोड़ा ये सब ज्ञान उसे मिलेगा और साथ ही पुस्तक पढ़ने की रुचि जागृत हो जाएगी । इस प्रकार बाद में प्रौढ़ स्वयं अपनी रुचि के अनुसार जीवनोपयोगी पुस्तकें पढ़ कर अपना ज्ञान बढ़ा सकेंगे । पुस्तकों द्वारा हर प्रौढ़ को भूत काल की जानकारी, वर्त्तमान की समस्याओं की समझ और भविष्य के निर्माण का अवसर मिलेगा । इससे हर प्रौढ़ में आत्मविश्वास जागृत होगा । उसकी विचार शक्ति बढ़ेगी और उसकी विचार धारा एवं कार्य क्षेत्र विस्तृत हो सकेगा । इसीलिए एक साक्षर व्यक्ति का समाज में अधिक आदर होता है और निरक्षर का कम, चाहे कभी-कभी किसी-किसी निरक्षर व्यक्ति की सूझ-बूझ अधिक क्रियात्मक तथा व्यवहार कुशल भी जान पड़ती हो ।

इस प्रकार प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम शिक्षार्थियों को पढ़ने लिखने, समझने समझाने की योग्यता देता है और हिसाब करने की भी । पढ़ने-लिखने की इस योग्यता का उपयोग करने की सामर्थ्य भी देता है । इस प्रयोग से व्यक्ति की व्यवसायिक क्षमता बढ़ जाती है और उसके स्वयं के विकास द्वारा वह समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है । साक्षरता एक लक्ष्य की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है । वह लक्ष्य है जीवन पर्यन्त शिक्षा ।

साक्षरता पाठ्यक्रम में काम आने वाली पाठ्य सामग्री, पुस्तकें आदि पाठकों में पढ़ने की योग्यता और आगे बढ़ते रहने की चाह पैदा करती है । इसलिए ये पुस्तकें बहुत रुचिपूर्ण और विविध विषयों पर होनी चाहिएँ । पाठ्य सामग्री निम्न प्रकार की हो सकती है :

**(अ) प्राथमिक पढ़ाई की पाठ्य सामग्री**

प्रवेशिका प्राइमर, वर्क बुक, पाठ कार्ड, फ्लैश कार्ड तथा दृश्य साहयक सामग्री जैसे फोटो, तस्वीरें, नक्शे, चार्ट एवं

मॉडल । ये साक्षरता कक्षा की आधारभूत पठन सामग्री है और पढ़ाई ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोगी ।

**(ब) पाठ्य पुस्तकें (प्रवेशिका के पश्चात्)**

प्राइमर समाप्त होने पर जब शिक्षार्थी को पढ़ने का ज्ञान हो जाए तो पढ़ने-लिखने की कला के विकास के लिए विविध उपयोगी विषयों पर सरल भाषा में रोचक ढंग से लिखी हुई तीन चार पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिएँ ।

**(स) सहायक पुस्तकें ।**

नव साक्षर प्रौढ़ों को पढ़ाई ज्ञान का उपयोग करते रहने के अभिप्राय से उनमें पढ़ने की रुचि को बनाए रखने और ज्ञान के बढ़ाने के लिए जीवन उपयोगी विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिएँ । यदि नव साक्षरों ने पढ़ाई क्रम को जारी नहीं रखा तो वे वापिस निरक्षर हो जायेंगे और सब परिश्रम और रुपया व्यर्थ हो जायेगा । कोई भी ज्ञान अथवा कला यदि प्रयोग में न लाई जाए तो लुप्त हो जाती है और समय बीतने पर बिल्कुल समाप्त हो जाती है । यह सिद्धान्त साक्षरता पर भी लागू होता है । इसलिए वास्तव में "फौलो अप" तो साक्षरता का एक अभिन्न अंग होना चाहिए । इन पुस्तकों में भिन्न-भिन्न विषयों पर पढ़ने वालों की आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक सूचना एवं ज्ञान का भंडार होना चाहिए ताकि वे मानव समाज तथा दैनिक जीवन के व्यवसायों में काम आने वाले ज्ञान को भली प्रकार प्राप्त कर सकें और साक्षरता ज्ञान जीवनोपयोगी तथा स्थाई बन जाए ।

**(द) भीत पत्र**

पुस्तकों के अतिरिक्त सभी प्रौढ़ समाचारों में बहुत रुचि लेते हैं । पूरा समाचार पत्र तो सब नहीं पढ़ पाते । इसलिए

समझदार शिक्षक महत्त्वपूर्ण समाचारों को काट कर कागज पर चिपका लेते हैं और वह कागज इस प्रकार अपने केन्द्र का दैनिक समाचार पत्र जन जाता है। मोटे-मोटे अक्षरों में महत्वपूर्ण समाचार लिखते हैं ताकि थोड़ी योग्यता वाले भी उसे पढ़ सकें। ऐसे पत्र से प्रौढ़ों में पढ़ने की रुचि भी बढ़ती है और कभी-कभी निरक्षर लोगों में भी साक्षर बनने की चाह पैदा होती है। साक्षरता केन्द्रों पर दैनिक भीत पत्र का प्रयोग बहुत उपयोगी सिद्ध होता है।

### (ई) समाचार पत्र-दैनिक व पाक्षिक आदि

दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र, पत्रिकाएँ भी नव साक्षरों की पढ़ाई की रुचि एवं योग्यता को बढ़ाने में बड़े सहायक होते हैं। ये पत्र एक उपयोगी 'फौलो अप' कार्य क्रम बनाते हैं। इन पत्रों में प्रौढ़ों की रुचि व आवश्यकता के सभी विषयों पर प्रकाश डालने वाले समाचार सरल भाषा एवं मोटे अक्षरों में लिखे हुए हों तो बहुत उपयोगी और लाभकारी होंगे। कृषि, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, खेलकूद, कहानी आदि सभी विषयों का ज्ञान समाचार पत्रों में मिलता है।

### (क) दृश्य सहायक सामग्री

चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, नक्शे, चित्र व फोटो आदि शिक्षा कार्य के आरम्भ में बहुत उपयोगी होते ही हैं, परन्तु बाद में भी पाठों के साथ न होकर इनका उपयोग अपने आप में भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत है। कितने ही विषयों के ज्ञान को इन सहायक उप-करणों द्वारा स्पष्टता और सरलता के साथ जनसाधारण तक पहुँचाया जा सकता है। इन उपकरणों की सहायता से विचार जागृत होते हैं और शिक्षा का वातावरण उपस्थित होता है।

ऊपर वर्णित पाठ्य सामग्री के साथ-साथ कुछ और भी सामग्री प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं के सफल संचालन के लिए जरूरी है। इस पर हमने पिछले अध्याय में कुछ चर्चा की थी। ब्लैक बोर्ड, चाक, हर शिक्षक के लिए और एक कापी, पेन्सिल शिक्षार्थी के लिए जरूरी हैं। कापी के स्थान पर स्लेट भी प्रयोग हो सकती है, परन्तु कापी का प्रयोग अधिक उत्तम रहेगा। उससे शिक्षार्थी को अपनी प्रगति का आभास होता रहेगा। ब्लेक बौर्ड अथवा श्याम पट तो शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इसके प्रयोग से शिक्षक स्वयं उस पर लिखता है अथवा शिक्षार्थी से लिखवाता है। इस क्रिया द्वारा शिक्षार्थियों में समझ जल्दी आती है क्योंकि उनका क्रियात्मक सहयोग बड़ा सहायक होता है। इस प्रकार प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा की सभी पाठ्य पुस्तकें उपयोगी, प्रेरणा दायक, सूचनात्मक और आसानी से पढ़ी समझी जाएं, ऐसी होनी चाहिएं। विषय वस्तु जीवन के सभी पहलुओं से सम्बन्धित हो और भाषा सरल और जानी पहचानी होनी चाहिए।

यह तो शिक्षार्थियों की बात थी। प्रौढ़ साक्षरता के शिक्षकों को भी कभी-कभी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। कभी-कभी वे बड़ी उलझन अनुभव करते हैं। इसलिए उनके लिए भी मार्ग दर्शिका का होना आवश्यक है। जहाँ तक विषय की जानकारी का सम्बन्ध है, वो भी सहायक पुस्तकों के अध्ययन से लाभ उठा सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन सहायक पुस्तकों में जीवनोपयोगी सभी विषयों का सरल सरस समावेश होना चाहिए। कुछ विषय अनुभव के आधार पर उनके महत्व के अनुसार नीचे लिखे जा रहे हैं।

1. खेती, बागवानी, मुर्गीखाना, फलों की तथा फूलों की खेती, फलों के अचार मुरब्बे आदि बनाना।

2. कुटीर उद्योग ।
3. स्वास्थ्य सफाई तथा शरीर ज्ञान ।
4. शिशु पालन, रोगी सेवा तथा प्राथमिक चिकित्सा ।
5. जीवनियाँ ।
6. नागारिक एवं राजनीति शास्त्र ।
7. जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन ।
8. गृह विज्ञान एवं घरेलू दस्तकारियाँ ।
9. ग्राम एवं नगर विकास ।
10. भोजन तथा जीव रसायन ।
11. लोक कथाएं एवं लोक गीत ।
12. साधारण विज्ञान ।
13. राष्ट्र विकास योजनाएं ।
14. सहयोग एवं सहयोगी संस्थाएं ।
15. राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना ।

ऊपर दिए गए विषय केवल सुझाव के रूप में हैं। और अनेक इसी प्रकार के जीवनोपयोगी विषय इस सूचि में जोड़े जा सकते हैं। ये सभी विषय शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन व्यवसाय से सम्बन्धित उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले होने चाहिए ।

आईये अब प्रौढ़ शिक्षण उपयोगी पाठ्य सामग्री की कुछ विशेषताओं पर विचार कर लें ताकि आप इन आधारों पर अपने शिक्षार्थियों के उपयोग के लिए उपयुक्त साहित्य का चयन कर सकें। पुस्तकों की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए नीचे लिखी विशेषताओं पर विचार करना होगा ।

(अ) पुस्तक का बाहरी आकार व जचाव ।

(ब) छपाई ।

(स) चित्रों का प्रयोग ।

(द) शब्दावली तथा भाषा ।

(ई) शैली ।

(फ) विषय ।

इन विशेषताओं का कुछ स्पष्टीकरण करना आवश्यक है ।

(अ) पुस्तक का बाहरी जचाव, यह पुस्तक के आकार, कागज के प्रकार, छपाई, सिलाई, बंधाई तथा टाइटल कवर के आकर्षण पर निर्भर करता है ।

पुस्तक का आकार न बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा । प्राइमर आम तौर पर 20×30/8 या 20×26/8 या 17×27/8 आकार के होते हैं । ये सभी आकार उपयुक्त ही नहीं जरूरी भी हैं । प्राइमर में चित्र देना आवश्यक होता है और चित्र उपयोगी होने के लिए साफ और बड़े होने चाहिए, इसलिये स्थान घेरते हैं । प्राइमर के अतिरिक्त दूसरी पुस्तकें 18×22/8 अथवा 20×30/16 आकार की होनी काफी है । इससे छोटे आकार की पुस्तकें प्रौढ़ों को नहीं सुहाती । परन्तु यह मत सर्वमान्य नहीं है । कुछ लोगों का कहना है कि प्रौढ़ छोटी-छोटी जेबी पुस्तकों को अधिक पसंद करते हैं । हो सकता है कि वे लोग जो पुस्तक हर समय अपने साथ रखते हों ताकि जहाँ और जब अवसर मिले, पढ़ सकें, वे छोटी जेबी पुस्तकों को सुविधा जनक पावें । कुछ भी हो । पुस्तकें किसी हालत में बहुत भारी नहीं होनी चाहिए । पृष्ठ संख्या थोड़ी ही होनी चाहिए ।

प्रौढ़ साहित्य को आकर्षक बनाने के लिए अच्छी प्रकार का मोटा सफेद कागज काम में लेना चाहिए। पतला अथवा अखबारी कागज पुस्तक को रुचिकर नहीं बनाता। दूसरे एक ओर की छपाई दूसरी ओर नहीं फूटनी चाहिए और यह भी मोटे कागज में सम्भव है।

पुस्तक का पहला कवर (मुख्य पृष्ठ) बहुत आकर्षक होना चाहिए और पुस्तक का नाम विषय का दयोतक होना चाहिए। सहायक पुस्तकों में तो भूमिका भी होनी चाहिए, जिसमें पुस्तक के विषय में और उसके लक्ष्य के बारे में बताया जाना चाहिए। आरम्भ में अध्याय विषय और पृष्ठ संख्या की सूची होनी चाहिए।

**छपाई**

छपाई में अक्षरों की मोटाई, आपसी दूरी, लाइनों की सीध और एक पृष्ठ में कुल लाइनों की संख्या, सब पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रौढ़ पाठक भीड़ी-भीड़ी, बारीक छपाई और भारी पृष्ठ को पसन्द न करेंगे। वाक्यों की लम्बाई, एक पृष्ठ की कुल लाइनें तथा एक लाइन की लम्बाई सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छापे की मोटाई विशेषकर ध्यान देने योग्य है ताकि प्रौढ़ भली प्रकार देख कर सरलता से पढ़ सकें।

**चित्र**

चित्रों का प्रयोग विषय वस्तु को समझने में सरलता उत्पन्न करने के लिए, जानी पहचानी घटनाओं तथा अनुभवों से सामंजस्य उपस्थित करने के लिए, तथा उलझनों को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रौढ़ साहित्य में जो भी चित्र

लगाए जाएं, वे इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाए जाने चाहिएं। चित्रों का सम्बन्ध सीधे विषय वस्तु से होना चाहिए और विषय वस्तु के साथ-साथ ही, या तो एक ओर या ऊपर अथवा नीचे उसे छापा जाना चाहिए ताकि वो लक्ष्य की पूर्ति भी कर सकें और विषय की श्रृंखला को न तोड़े। चित्र भावपूर्ण और स्पष्ट होने चाहिएं। जरूरी हो तो रंगीन भी हो सकते हैं क्योंकि कभी-कभी इस युक्ति से भावार्थ का स्पष्टीकरण सरलता से हो जाता है।

**शब्दावली तथा भाषा।**

प्रौढ़ों की अपनी एक शब्दावली होती है। ये बहुत सीमित होती है, इसलिए उन्ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें वे समझते हैं या जिनको वे अपने उन्हीं जाने पहचाने शब्दों के द्वारा समझ सकते हैं। इस प्रकार सहज ही शब्दावली का विकास भी हो जावेगा और नए शब्द न कठिन जान पड़ेंगे न अखरेंगे। शिक्षार्थी हमेशा अपनी भाषा में ही आसानी से ज्ञान प्राप्त करते हैं।

शब्दावली का सम्बंध प्रौढ़ के बौद्धिक स्तर से भी होना चाहिए और एक क्रमबद्ध नियम से ही इसका विकास किया जाना चाहिए। अनजाने शब्दों का प्रयोग न किया जाना ही उत्तम है। यदि जरूरी ही हो तो उन्हें जाने पहचाने शब्दों के द्वारा स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रौढ़ साहित्य में विचारों की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष ही दिखाई देनी चाहिए। परन्तु विषय एवं विचारों की गहनता प्रौढ़ों के बौद्धिक स्तर से संबन्धित होनी चाहिए। नए शब्दों को दोहराने का प्रयत्न किया जाना चाहिए परन्तु इतना अधिक नहीं कि भाषा का आनन्द ही बिगड़ जाए।

**प्रस्तुतीकरण शैली**

प्रौढ़ साहित्य में सरल और आसानी से समझी जा सकने वाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा न बहुत बचकाना हो और न ही बहुत साहित्यक और कठिन। वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिएं। अनजाने दृष्टान्तों एवं मुहावरों आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेखन पद्धति साधारण तथा आपसी बोल चाल वाली हो तो उत्तम है। पुस्तक को रोचक बनाने के लिए यदा कदा हास्य, व्यंग, आश्चर्य, विस्मय, दुविधा आदि नाटकीय रोचकताओं का प्रयोग करना उत्तम होगा। प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद उपाख्यानों का प्रयोग भी लेख को रुचिकर बनाता है। पुस्तक में जो कहा जाय वह संक्षिप्त हो, निर्विवाद हो, स्पष्ट हो और आसानी से समझा जा सके, ये लक्ष्य सदैव सामने रहना चाहिए।

ऐसा कोई प्रसंग जिसका विषय से कोई संबंध न हो, बीच में नहीं लाना चाहिए। विषय की विचार शृंखला को तोड़ने वाली कोई भी बात करना उपयुक्त नहीं है। शृंखला को जारी रखने के लिए जिन पात्रों का एक बार वर्णन किया जाय उनको दोहराते रहना चाहिये।

प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि प्रौढ़ कहानी तथा नाटक को साधारण वर्णन से अधिक पसंद करते हैं। पाठ सूचनात्मक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक होना चाहिए, उपदेशात्मक नहीं।

**विषय वस्तु :**

साक्षरता द्वारा लक्ष्य प्रौढ़ों में पढ़ने-लिखने की योग्यता तथा पढ़ते रहने की रुचि पैदा करना है। प्रौढ़ शिक्षार्थी चाहे जो कुछ पढ़ना नहीं चाहेंगे। वे तो वही पढ़ेंगे जो उन्हें उपयोगी जान पड़ेगा और रुचिकर मालूम होगा। इस प्रकार जब तक

वो पढ़ेंगे नहीं जब तक चाह कैसे पैदा होगी और वो पढ़ेंगे केवल काम की बात । इसलिए यदि हम उनको पढ़ने लिखने की योग्यता देना चाहते हैं और पढ़ते रहने की चाह पैदा करना चाहते हैं, तो उन्हें वही बात पढ़ने को दें जो उनके जीवन से सम्बंधित है। उनके व्यवसाय का ज्ञान उनको दे और उन्हें उपयोगी जान पड़े और वो सब भी आसानी से पढ़ी समझी जा सके और रोचक ढंग से लिखी गई हो। इस पढ़ने की चाह को जागृत करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसलिए प्राइमर से ही लेकर आखिर तक सभी पुस्तकें आसानी से पढ़ी समझी जाएँ, रोचक हों और उपयोगो हों तब ही प्रौढ़ रुचि और ध्यान के साथ पढ़ेंगे। दैनिक जीवन के व्यवसायों के बारे में उपयोगी जानकारी, सरल साधारण ढंग से उनकी अपनी भाषा में दी जानी चाहिए। ऐसा होने पर प्रौढ़ों में पढ़ने की रुचि होगी और उचित मनोवृत्ति बनेगी।

भिन्न-भिन्न विषयों के अलग-अलग पाठ होने चाहिएं ग्रौर लेखन शैली भी कई प्रकार की हो तो उत्तम होगा। कुछ निबंध रूप, कुछ कहानी रूप, बातचीत तो कुछ कविता रूप, ऐसा करने से पुस्तक रुचिकर हो जाएगी। यदि विषय के कई पहलू हों तो प्रत्येक पहलू के लिए जुदा-जुदा पुस्तक हो सकती है। जैसे कृषि, पशु विज्ञान, दुग्धशाला, और मुर्गी-खाना वास्तव में खाद्य सामग्री उत्पादन के अंग हैं। परन्तु ये सब एक ही पुस्तक में होने से पुस्तक भारी और अरुचिकर हो जाएगी और लक्ष्य की प्राप्ति न होगी। इसी प्रकार शरीर ज्ञान, शरीर रचना, शरीर प्रक्रिया, शिशु पालन, स्वास्थ्य, रोगी सेवा आदि एक ही विषय के अंग हैं । इन सब के लिए जुदा-जुदा पुस्तकें होना उचित है। व्यापार, यातायात, उद्योग आदि अन्वेषण तथा खेल, लोक गीत व लोक कथाएँ ये सभी विषय एक एक करके जुदा-जुदा

पुस्तकों में होने चाहिएं। पाठ के अन्त में कुछ साधारण प्रश्न अथवा अभ्यास का दिया जाना यह जानने के लिए बहुत उपयोगी है कि पाठ शिक्षार्थियों ने कहाँ तक समझा।

अब हम समझते हैं कि प्रौढ़ साक्षरता एवं प्रौढ़ कार्य को सफल और उपयोगी बनाने के लिए जो पाठ्य सामग्री अथवा साहित्य प्रयोग में लाना चाहिए, उसकी बिशेषताओं पर हम काफी बात कर चुके। आइये इस चर्चा के सारांश को एक बार फिर दोहरा लें।

**साराँश**

प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम एक सार्थक एवं लक्ष्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य हैं प्रौढ़ों में पढ़ने-लिखने, सोचने समझने और समझाने की ऐसी योग्यताएं पैदा करना है कि वे उन योग्यताओं का आसानी से अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रम में उपयोग कर सकें। साक्षरता केवल एक साधन मात्र है, लक्ष्य तो ज्ञान की प्राप्ति है जिससे प्रौढ़ जीवनपर्यन्त पढ़ाई जारी रख सकें और उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर बढ़ते चले जाएँ।

भाषा, पढ़ने-लिखने, समझने और समझाने अथवा ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। भाषा ज्ञान की प्राप्ति के लिए पाठ्य सामग्री को आवश्यकता होगी। इस प्रकार उपयुक्त पाठ्य सामग्री का होना प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम की सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है।

पाठ्य सामग्री शिक्षार्थियों की ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञान प्राप्ति के लिये जिज्ञासा आवश्यक है। जिज्ञासा शिक्षक में नहीं शिक्षार्थी में होनी चाहिए। शिक्षण का केन्द्रप्रौढ़ शिक्षार्थी हैं, शिक्षक नहीं। लक्ष्य ज्ञान है शिक्षा नहीं, इसलिए शिक्षार्थी

केवल चुपचाप सुनने वाला नहीं, सक्रीय भाग लेने वाला जिज्ञासु है ।

केवल एक बार जान लेना अथवा समझ लेना ही ज्ञान प्राप्ति नहीं है । जब तक शिक्षार्थी को अपने अन्दर जागृति अथवा परिवर्तन न मालूम होगा, तब तक हम जो समझते हैं कि वो जान गया, वो उसे न याद रख सकता है, न काम में ला सकता है । जिज्ञासु केवल वही सीखना चाहता है जिसकी उसे चाह है अथवा जो उसे अपने जीवन में उपयोगी जान पड़ता है, उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बने, उसे उन्नति की ओर ले जा सकता है । इसलिए प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा का मापदंड यही होना चाहिए और उसे जब ही सफल समझना चाहिए जब शिक्षार्थी में पढ़ते रहने की चाह जागृत हो जाए । ताकि जैसे-जैसे वो स्वयं पढ़ते रहेंगे, उनमें सांसारिक जीवन को सफल बनाने की क्षमता बढ़ती जाएगी ।

पाठ्य सामग्री पाठकों के बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन । सभी प्रकार के अनुभव सरल ढंग से पुस्तकों में उपलब्ध होने चाहिएं । लेखन शैली ऐसी रुचिकर हो कि पढ़ कर प्रौढ़ पाठक समझ सके कि उन्हें अभी बहुत कुछ जीवन की सफलता के लिए सीखना है और वो सब कुछ पुस्तकों में भरा पड़ा है । ऐसी धारणा यदि बन गई तो बस पढ़ने की चाह जागृत हो गई और हमारा मनोरथ सफल हो गया । फिर तो प्रौढ़ स्वयं आश्चर्यजनक प्रगति करेंगे और आप केवल मार्गदर्शक रह जाएँगे । शिक्षार्थी की हीन भावना समाप्त हो जाएगी । उसमें एक अत्मविश्वास उत्पन्न होगा और इसी श्रद्धा के फलस्वरूप वे बहुत शीघ्र प्रगति करेंगे ।

प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं में काम आने वाली पाठ्य सामग्री का विभाजन या वर्गीकरण निम्न प्रकार उचित है।

(अ) प्राइमर अथवा प्रवेशिका, वर्कबुक, पाठ कार्ड, फ्लेश कार्ड, तथा साधारण दृश्य सहायक सामग्री जैसे फोटो, चित्र, नक्शे चार्ट अथवा माडल आदि।

(ब) पढ़ाई का अभ्यास करने, गति बढ़ाने एवं रुचि उत्पन्न करने के लिए प्राइमर के बाद की छोटी पुस्तकें।

(स) सहायक पठन के लिए कुछ और उपयोगी पुस्तकें (फोलोअप बुक्स)

(द) समाचार पत्र एवं भीत पत्र।

प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं में उपयोगी पाठ्य सामग्री की निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिएं।

(अ) मनमोहक, उद्देश्य पूर्ण, तथा टिकाऊ क्लेवर, मध्यम आकार और स्वीकारी पत्र संख्या।

(ब) सुन्दर, मोटी और साफ छपाई जो पढ़ने में सुविधा-पूर्ण हो।

(स) प्रेरणादायक, उद्देश्य पूर्ण तथा व्याख्यापूर्ण चित्र।

(द) साधारण, सरल तथा समझने योग्य भाषा और जानी पहचानी शब्दावली।

(ई) मन पसन्द तथा रुचिकर प्रस्तुतिकरण, वार्तालाप, कहानी, नाटक, कविता, तथा लेख के रूप में।

(क) विषय वस्तु प्रौढ़ पाठकों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उनके दैनिक व्यवसाय का ज्ञान दे। थोड़े समय में अधिक से अधिक ज्ञान-

कारी दी जाए और इस तरीके से कि प्रौढ़ को रुचिकर हो। और वो समझ सके, काम में ला सके।

पढ़ने के बाद प्रौढ़ों को जान पड़े कि किस प्रकार आज के युग में परिवर्तन हो रहे हैं और जीवन में सफलता पाने के लिए उन्हें कितने नए काम करने होंगे। पढ़ाई के द्वारा उनमें विचार जागृत होने चाहिए और उन्हें उपयुक्त कार्य करने की सूझ-बूझ आनी चाहिए। भले बुरे की समझ, उसका भेद और उपयोग वो समझ सके। इस प्रकार साक्षरता ज्ञान से उन्हें अपने चारों ओर देखने समझने की सामर्थ आनी चाहिए और उन्हें रूढ़ियों से ऊपर उठने की क्षमता।

अध्याय – 6

# प्रोढ़ साक्षरता की विभिन्न पद्धतियाँ

हमारी राय में अब आप पढ़ाई का कार्य आरम्भ करनें के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो। अब आप साक्षरता का लक्ष्य, उसका आकार प्रकार, उसके उन्मूलन के लिए कार्य व्यवस्था, प्रौढ़ों की पढ़ने के प्रति मनोवृत्तियों और पाठ्य सामग्री के बारे में जान चुके हैं। इतनी चर्चा के पश्चात् अब आप में अपने कार्य के प्रति श्रद्धा और साहस उत्पन्न हो गया होगा। अब आप सोच रहे हैं कि आरम्भ कैसे करें। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि जानना और करना दो भिन्न बाते हैं। परन्तु याद रहे कि जब व्यक्ति काम के बारे में ज़ानकारी पूरी कर लेता है तो वो उसे सफलतापूर्वक कर भी सकता है। इसलिए उचित है कि अब हम प्रौढ़ साक्षरता पद्धति के बारे में कुछ चर्चा करें।

याद रखिये पढ़ना लिखना ही प्रौढ़ साक्षरता का आरम्भ नहीं है। आप प्रौढ़ों के दैनिक जीवन के किसी भी पहलू पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पढ़ना सीख लेने से उनको जीवन में किस प्रकार उपयोगी होगा। हमें मालूम है कि प्रौढ़ शिक्षार्थी सभी समान रुचियों वाले नहीं होते। उनकी प्रवृत्तियाँ भिन्न हैं और अनुभव व बौद्धिक स्तर भी भिन्न हैं। सबसे पहले आपको अपने शिक्षार्थियों को जानना होगा और उनकी रुचियों को समझना होगा। इन रुचियों की पूर्ति

के आधार पर ही कार्यक्रम बनाकर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते है ।

आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन सी आवश्यकताओं अथवा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षार्थियों ने पढ़ना आरम्भ किया है । ये आकांक्षाएँ आयु, लिग और सामाजिक स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है । हो सकता है उनमें से कुछ नाम अथवा सम्मान के लिए पढ़ना सीखना चाहते हों अथवा दूसरे ऐसे भी होंगे जो अपनी व्यावसायिक योग्यता एवं कार्यकुशलता बढ़ाना चाहते हों । यह जानकारी आपको अपने कार्य की रूप रेखा बनाने में सहायक होगी । सिद्धान्त की बात यह है कि आप अपना कार्यक्रम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि शिक्षार्थियों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके । ऐसा हुए बिना प्रौढ़ आपके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे ।

शिक्षार्थियों के बीच में से ही आपको योग्य कवि, गायक, कहानीकार व हास्य विनोदी कलाकार मिल सकते हैं । इन कलाकारों का पता लगा लीजिए और उनकी योग्यताओं से लाभ उठाइये । ऐसा करने से आपको उनका सहयोग भी मिलेगा और उनको उनके मतलब का कार्यक्रम देकर आप उन्हें आगे ले जा सकेंगे ।

याद रहे कि आगे बढ़ना हर मनुष्य चाहता है । जरूरत है उसे अवसर मिल जाने की । इस लिये आप सभी शिक्षार्थियों की वर्तमान स्थिति को जान लीजिए और सभी को यथा आवश्यकता एवं यथा योग्य कार्यक्रम देकर वर्तमान से आगे ले चलिए । उन्हें समान आवश्यकताओं व रुचियों के समूहों में बाँट कर सीखने का अवसर दीजिए ।

यह भी याद रखिए कि निरक्षर प्रौढ़ सहज में ही पढ़ना नहीं चाहते । उन्हें पढ़ाई-लिखाई सीखने में कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती । उन्हे साक्षरता की उपयोगिता जब ही जान पड़ सकती है जब ये ज्ञान उनकी आर्थिक दशा को बेहतर बनाने में सहायक हो । कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अब वे बड़े हो गये हैं और पढ़ लिख नहीं सकते । इस भावना को दूर करना होगा । प्रौढ़ों को साक्षरता की उपयोगिता समझाकर उन्हें पढ़ने की प्रेरणा देनी होगी । यह भी विश्वास दिलाना होगा कि साक्षरता द्वारा जो ज्ञान मिलेगा, वो उनके जीवन में उपयोगी होगा । उन्हें यही समझाना है कि पढ़ना लिखना सीखना ऐसा ही एक काम है, जैसे अनेकों और काम, जो वो रात दिन करते हैं । काम करना ही काम को सीखना है । इसी प्रकार पढ़ाई करके ही पढ़ना सीखा जा सकता है । असम्भव कुछ भी नहीं है । पढ़ना-लिखना कभी भी सीखा जा सकता है और किसी भी आयु में सीखा जा सकता है ।

कार्य आरम्भ करने से पहले यह भी देख लें कि आपने काम में आने वाला सभी सामान जुटा लिया है । पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य सामग्री सब प्राप्त कर ली है । पढ़ाई का स्थान साफ सुथरा और खुला हुआ है । हवा और रोशनी काफी है । इन सभी बातों का होना शिक्षण कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है, श्रद्धा पैदा करता है और पढ़ने के लिए उत्साह पैदा करता है । याद रखिए हरेक व्यक्ति में उन्नति करने की सामर्थ तो है, परन्तु है निहित । हरेक की इच्छा होती है कि वो उन्नति करे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए । बात है केवल रुचि, मनोवृत्ति एवं सम्मानपूर्ण सुविधाओं की प्राप्ति की । यही सुविधाएँ आपको उन्हें देनी हैं ।

प्रौढ़ बड़े आलोचक होते हैं । वे हर बात को अपने ही

दृष्टिकोण से देखते हैं । यदि उन्हें शिक्षक की कोई बात अथवा पढ़ाने का या बात चीत का ढंग पसंद न आवे तो वे आपत्ति करते हुए नहीं हिचकिचाते । यदि ऐसा ही कभी हो जाए, तो भी हँसते रहो । न उत्तेजित हो न निराश । अपने कार्य में श्रद्धा रखो, प्रौढ़ों का आदर करो और उन्हें प्रसन्न रखो ।

ऐसा सब होने पर आपने अपने काम के लिए भली प्रकार तैयारी कर ली है और प्रौढ़ शिक्षार्थी भी पढ़ने के लिए प्रस्तुत हैं । आईए अब कुछ विचार करें कि शिक्षण कार्य कैसे करना है ।

हमारा लक्ष्य है प्रौढ़ों को पढ़ना-लिखना और हिसाब करना सिखाना । जीवनसंबंधी शेष विषयों का ज्ञान तो भाषा के पाठों द्वारा ही देना होगा या श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा अथवा मौखिक प्रोग्रामों द्वारा । तो मुख्य बात हुई भाषा का ज्ञान जो प्राइमर आदि लिखित पुस्तकों द्वारा देना होगा । पहले अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री की क्या विशेषताएँ होती हैं । इसलिए आपने जो पाठ्य सामग्री अपनाई है, हम यह मानते हैं कि वह उपयुक्त है ।

आगे बढ़ने से पहले आइये, यह समझ लें कि समझ शक्ति अथवा बुद्धि कैसे काम करती है और उसके द्वारा किसी विषय को कैसे जाना समझा जाता है ।

इसे हम एक चित्र से स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं :—

बुद्धि एक कोठरी है । पाँचों ज्ञान इन्द्रियाँ इस कोठरी की दीवारों में खिड़कियाँ हैं । स्मरण कोष एक भंडार हैं । चतुराई या समझ विचारों अथवा अनुभवों को पकाने का बर्तन हैं और तर्क अथवा आलोचना शक्ति वह अग्नि हैं जो विचारों को पकाने अथवा समझने आदि में काम ली जाती हैं। ज्ञान रश्मियाँ

वे नल हैं जिनके द्वारा स्मरण शक्ति भंडार में अनुभव भेजे जाते हैं। स्मरण शक्ति भंडार में से एक नल समझ शक्ति के बर्तन

**मास्तिष्क कक्ष**

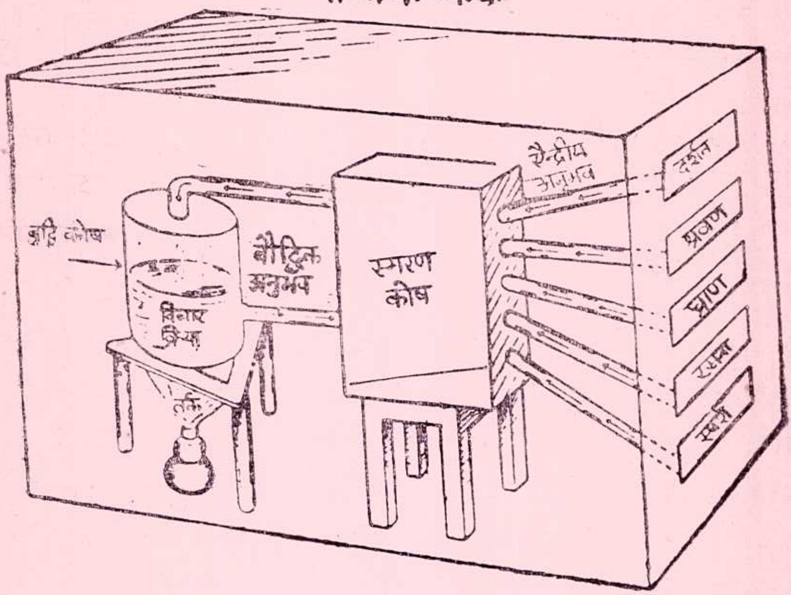


चित्र

में जाता है और दूसरा बर्तन में से भंडार में। शिक्षार्थी को ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जो उन्हें स्मरण शक्ति भंडार में भेजती हैं और सोचने की क्रिया का आरम्भ होता है। पिछले जाने पहचाने अनुभवों से इन नए अनुभवों का मिलान कर समझ लेने के बाद तर्क की आग में पककर ये अनुभव परिपक्व होकर समझ में आ जाते हैं और नये ज्ञान में बदल कर स्मरण शक्ति भंडार में वापिस आ जाते हैं। इसी सारी क्रिया से नये ज्ञान की प्राप्ति होती है।

अब हम अपने शिक्षार्थियों अथवा निरक्षर प्रौढ़ों को भाषा सिखाने की चर्चा करेंगे।

भाषा अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से बनती है । कुछ विद्वानों का मत है कि सिखाने के लिए अक्षरों से आरम्भ करके शब्दों और वाक्य का ज्ञान देना चाहिये । कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि शब्द ज्ञान से भाषा पढ़ाना आरम्भ करना चाहिए, क्योंकि शब्दों को जानी पहचानी वस्तुओं आदि के चित्रों द्वारा समझाया जा सकता है । इन दोनों मतों के अतिरिक्त कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि सीधे ही अर्थ पूर्ण वाक्यों से भाषा सिखाना उत्तम है । क्योंकि वाक्यों में प्रौढ़ों के जीवन का अनुभव सामने आएगा, इसलिए वो आसानी से समझ सकेंगे । पाठ रुचिकर होगा और शिक्षार्थियों को ऐसा जान पड़ेगा कि वे स्वयं अपनी ही बात पढ़ रहे हैं, कोई नयी चीज नहीं । इसलिए अधिकतर विद्वानों का मत यह है कि अर्थपूर्ण वाक्यों से भाषा ज्ञान आरम्भ किया जाए । वाक्यों में जाने पहचाने शब्दों की व्याख्या और उनकी बनावट जिन अक्षरों से हुई है उनका ज्ञान कराया जाय, तो प्रौढ़ अधिकरुचि लेंगे और उनमें विचार शक्ति बढ़ेगी ।

इस प्रकार पढ़ना लिखना सिखाने की अथवा साक्षरता ज्ञान कराने की कई पद्धतियाँ हो सकती हैं । जो भी हो, उनमें से हरेक केवल दो ही सिद्धान्तों पर आधारित हैं, एक विच्छेद का (एनालिटिक) दूसरा संधि का (सिनथेटिक)

अनालेटिक पद्धति (जिसे कुछ विद्वान ग्लोबल पद्धति का नाम भी देते हैं) के अनुसार अर्थपूर्ण वाक्यों से ही आरम्भ करना चाहिए । वाक्य ऐसे हों जिनका सम्बन्ध दैनिक जीवन के अनुभवों से हो । ऐसे वाक्यों में प्रयोग किए गए जाने पहचाने शब्दों की पहचान पर जोर दिया जाना दूसरा कदम होगा । साथ ही साथ शिक्षार्थियों का ध्यान शब्दों, शब्दांशों, अक्षरों तथा स्वरों की बनावट की ओर भी आकर्षित करना

चाहिए । इस प्रकार शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों की बनावट तथा पहचान का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ।

एनालिटिक पद्धति में शब्दों को जानी पहचानी वस्तुओं आदि के चित्रों से संबंधित करके भी समझाने और पहचान कराने की कोशिश की जाती है । फिर शब्दों और अक्षरों का बार-बार प्रयोग कर उनको याद करने की कोशिश कराते हैं । शिक्षार्थी शब्द का उच्चारण और उसकी पहचान कर सकते हैं क्योंकि वे उस तस्वीर को जानते हैं, जिसका शब्द चित्र वो है जो शिक्षक बता रहे हैं । इस प्रकार पूरे शब्द की पहचान भली प्रकार हो जाती है और वह याद भी रह जाता है । हो सकता है कि प्रत्येक अक्षर की जुदा-जुदा पहचान न हो सकी हो अथवा याद न रहे । तो भी शिक्षार्थी को शब्द चित्र और वस्तु चित्र के मिलान करने में आनन्द आता है ।

इसी प्रकार यदि किसी परिचित अनुभव को बताने वाला पूरा वाक्य भी यदि वस्तु चित्र द्वारा समझाया जा सकता हो तो बहुत जल्दी समझा जा सकेगा । यदि पहचान जल्दी हो जाएगी, तो शब्द अथवा वाक्य जल्दी समझ में आयेंगे और रुचिकर भी होंगे । ऐसा जब ही सम्भव है जब वाक्य शिक्षार्थियों के निजी अनुभव का वर्णन करता हो । इस पद्धति में एक सन्देह है कि दैनिक जीवन के अनुभव से सम्बन्धित अर्थपूर्ण पूरे वाक्य पर जोर देने से वाक्य तो जल्दी समझ में आ जायगा परन्तु सम्भव है शब्दों और अक्षरों की पहचान उनकी बनावट और रचना का ज्ञान पूरा न हो पावे । इससे लिखना सीखने में देर लगेगी और पढ़ाई और लिखाई दोनों क्रियाएं साथ-साथ नहीं चल सकतीं ।

सिंथेटिक पद्धति के अनुसार भाषा शिक्षण इसके विपरीत स्वरों अथवा अक्षरों से आरम्भ करके शब्दों और वाक्यों की

रचना तक समझाने पर आधारित है। इसमें अक्षरों की पहचान और बनावट को बार-बार दोहराते हैं और इसका पूरा ज्ञान होने पर ही आगे बढ़ते हैं। हम पहले विचार कर चुके हैं, कि प्रौढ़ शिक्षार्थी बहुधा किसी बात को बार-बार दोहराना पसंद नहीं करते। ऐसा करना उन्हें बचपना जान पड़ता है और वे बजाय उत्साह अनुभव करने के हतोत्साह हो जाते हैं। हाँ यदि अक्षर और स्वर एक जैसे हों और चित्र भी बन सकता हो, तो शायद प्रौढ़ों को रुचिकर लगे। ऐसी दशा में साधारण प्रयोग के आधार पर उपयुक्त शब्दों को छाँटना होगा। शब्द ऐसे हों कि इनसे सार्थक वाक्य बन जाएँ और चित्र भी बन जाएँ। यदि ऐसा हो सकता हो तो आरम्भ रोचक हो सकता है।

यह चर्चा केवल भाषा पढ़ाने की भिन्न-भिन्न पद्धतियों की विशेषताएँ दर्शाने के लिए की गई हैं। वैसे तो शायद कोई सी भी एक पद्धति को दूसरी से बहतर कहना कठिन है। कभी कभी तो शिक्षार्थियों की रुचि व जिज्ञासा पूर्ति के लिए दोनों को मिलाना होता है।

जहाँ केवल एनालिटिक पद्धति में शिक्षार्थियों में शब्द व अक्षर पहचानने की योग्यता उत्पन्न करने के बारे में भ्रम रहता है, वहाँ केवल सिन्थेटिक पद्धति में अक्षरों और शब्दों की पहचान तो हो जाती है, परन्तु पाठ्य विषय को शायद शिक्षार्थी के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना कठिन हो जाता है।

क्योंकि लगभग सभी भारतीय भाषाएँ और विशेषकर हिन्दी, उच्चारण के आधार पर विकसित हैं, हो सकता है दूसरे अध्यापकों की भाँति आप भी सोचें कि अक्षरों से ही आरम्भ

करना चाहिए । अक्षरों का बर्गीकरण उच्चारण के आधार पर ही होता है । परन्तु यह वर्गीकरण शायद प्रौढ़ शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी न रहे ।

आप जानते हैं, प्रौढ़ों को शब्द उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होती । न ही शब्द के समझने में भी कोई अधिक कठिनाई होती है । वे बोलते-बोलते बड़े हो गये हैं । उन्हें तो कठिनाई होती है, लिखने में, जिसका उन्हें अभ्यास नहीं है । इसलिए यदि किसी अक्षर अथवा शब्द में बनाने में कई मोड़-तोड़ करने पड़ते हैं तो उन्हें बड़ी अड़चनें होती हैं । क्योंकि लिखने का काम उन्हें कभी नहीं पड़ा और हाथों के जोड़ों को मुड़ने का अभ्यास नहीं हुआ । धीरे-धीरे तो सब अभ्यास हो जाएगा परन्तु आरम्भ में यदि ऐसे अक्षर या शब्द आ गए तो निराशा हो जाएगी ।

दूसरे आरम्भ के अक्षरों से सार्थक शब्द यदि जल्दी ही न बने और शब्दों से जाने पहचाने वाक्य न बने तो घबरा जाएँगे । वे तो वेसब्र होते हैं और पहले स्वरों पर फिर व्यंजनों पर और फिर उनके दोहराने रटने पर लगाने के लिए उनके पास समय कहाँ है । समय हो तो भी सब्र नहीं है । वे बालकों की तरह खाली थोड़े ही हैं । इसलिए प्रौढ़ों को भाषा शिक्षण के लिए तीन बातों का मुख्यतः ध्यान रखना होगा, पद्धति चाहे जो भी हो :–

1. अक्षरों का वर्गीकरण उच्चारण की परवाह न करके बनावट की एक रूपता एवं लिखने की सुविधा के आधार पर करना होगा जैसे :—

न ल त ज, ग म भ झ, प फ थ य, आदि ।

2. अक्षरों से जाने पहचाने शब्द जल्दी ही बन जाएँ, तथा सार्थक वाक्य भी बिना कठिनाई बन सकें । जैसे पहले ही वर्ग

अर्थात् न ल त ज के साथ यदि आ स्वर भी सिखा दिया जाय तो नल, जल, तन, तल, जन, तज, लत, व जज शब्दों के साथ साथ नाल, जाल, ताल, जान, नाज, ताज, लात, व नाला, लाना, नाना, लाला, ताला, जाला, जाना व ताजा आदि शब्द भी सिखाए जा सकते हैं । इन्हीं शब्दों से सार्थक वाक्य भी बनाकर सिखाए जा सकते हैं जैसे नाना नाज ला, लाला ताला ला और ऐसे ही कई और वाक्य भी केवल इन्हीं शब्दों से बनाए जा सकते हैं । इस प्रकार के वर्गीकरण से हमारा दूसरा लक्ष्य भी कुछ हद तक पूरा हो सकता है ।

3. जो अक्षर और शब्द पहले पाठ में पढ़ाए गए हों उन के प्रयोग से अगले पाठ के शब्द बनते हों तो बहुत उत्तम होगा । ऐसा होने पर पिछले पाठ का दोहराना और नए का सिखना साथ-साथ होता रहेगा और सीखना आसान जान पड़ेगा । यह आवश्यक नहीं है कि चार-चार अक्षरों अथवा स्वरों का ही वर्गीकरण एक साथ हो और एक दिन का पाठ बने । ये सब तो शिक्षार्थियों की रुचि और सुविधा पर निर्भर करेगा । उदाहरण के लिए ग सिखाने के लिए पहले पाठ का न प्रयोग करके नग या ज प्रयोग करके जग सिखाईये । म के लिए मग, और इसी प्रकार नभ, झाग, झाल आदि सिखाया जा सकता है ।

इस प्रकार हमने देखा कि भाषा शिक्षण की दोनों पद्धतियों में गुण दोष दोनों ही हैं । इसलिए कभी-कभी कुछ विद्वान इन दोनों को मिला-जुलाकर दोनों के गुणों को लेकर एक नयी ही पद्धति बना लेते हैं । उसका नाम है ऐक्लेक्टिक पद्धति । कुछ भी सही, हर दशा में मूल तथ्य यही है कि वही पद्धति सर्वोत्तम है जिसके द्वारा प्रौढ़ शिक्षार्थी पूरी सुविधा व संतोष पा सकें और जिसे वो रुचिपूर्ण समझें । कोई एक सिद्धान्त सबके लिए

सभो जगह आर हर समय उपयोगो नहीं हो सकता । शिक्षक का कौशल, शिक्षार्थियों की अभिरुचि, स्थानीय वातावरण तथा सुविधाओं की उपलब्धि ही पद्धति की उत्तमता के निर्णय का आधार होंगे ।

तो भी आईये आप की जानकारी के लिए कुछ प्रचलित पद्धतियों पर संक्षेप में चर्चा कर लें ।

**1. नया सवेरा पद्धति—लिट्रेसी हाउस, लखनऊ**

इस पद्धति के अनुसार स्कूलों की चौथी कक्षा तक की योग्यता पाने के लिए प्रौढ़ों के लिए दस महीने का कार्यक्रम बनाया गया हैं । प्राइमर में 12 पाठ हैं । शिक्षण जाने पहचाने शब्दों और वाक्यों से आरम्भ होता है । शीघ्र ही इन शब्दों का विच्छेद करके अक्षर ज्ञान कराया जाता है । शिक्षार्थी प्रत्येक अक्षर का पढ़ना और लिखना साथ-साथ सीखते हैं । साथ ही इन अक्षरों का प्रयोग कर शब्द भी बनाते और लिखते हैं । वाक्यों का विषय, प्रौढ़ों के दैनिक जीवन से संबंधित है । उनकी रुचियों और आवश्यकताओं पर आधारित है । अक्षर क्रम उच्चारण के आधार पर साधारण वर्गीकरण के अनुसार नहीं है ।

पाठ्यक्रम को दो भागों में बाँटा गया है । आरम्भ में प्राइमर और उसके बाद तीन पुस्तकें जो स्तर क्रम से लिखी गई हैं । प्राइमर में ऐक्लेक्टिक पद्धति को काम में लाया गया है । इसमें 500 शब्द हैं जिसमें 339 प्रयोग प्रधान और शेष अभ्यासार्थ, जो प्राइमर तक ही सीमित है । शब्द एक सार्थक क्रम से सिखाए गए हैं और शीघ्र ही एक जानी पहचानी शब्दावली पूरी हो जाती है । प्राइमर में ही लिखने के लिए अभ्यास भी दिए गए हैं । इस प्रकार नया सवेरा शिक्षण पद्धति

में कोशिश की गई है कि शिक्षा जीवनोपयोगी बन जाए। पढ़ाई, लिखाई और गिनती ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक ज्ञान, दैनिक विज्ञान, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य, एवं नैतिक ज्ञान की भी साधारण बातें पुस्तकों के पाठों में दी गई हैं। दस महीने के पाठ्यक्रम को पाँच स्तरों में बाँटा गया है। हर स्तर के अन्त में साधारण परीक्षा होती है और सभी सफल शिक्षार्थी, जीवन व्यवसायोपयोगी साक्षरता के आधार पर, शिक्षित माने जाते हैं।

**2. डा० श्रीमती हेलन बट्ट की इन्टीग्रेटिड साक्षरता पद्धति**

इस पद्धति में भी ऐल्केक्टिक सिद्धान्त का ही प्रयोग किया गया है। पाठ्यक्रम छ. महीने का है। इस पद्धति में प्रौढ़ों को पहले अक्षर सिखाए जाते हैं या यों कहिए कि अक्षरों को मिला कर शब्द बनाने का सिद्धान्त सिखाया जाता है। अक्षर क्रम उनकी उपयोगिता के आधार पर लिया गया है। ग्रामीणों की आवश्यकताओं और उनकी रुचियों को दर्शाने वाले वाक्यों से ही पढ़ाई का आरम्भ होता है। लिखाई भी साथ-साथ ही सिखाई जाती है। ये शब्द और वाक्य उस दिन सिखाए गए चार अक्षरों से ही सम्बन्धित हैं। पाठ्य सामग्री में 'हमारा जीवन' नाम का एक प्राइमर जो अनेक पाठ कार्डों से बना है और एक कापी है। इस पद्धति के अनुसार केवल पढ़ाई और लिखाई का ज्ञान दिया जाता है। गणित इसमें शामिल नहीं है। सप्ताह में तीन बार छः महीने तक पढाई चलती है। पढ़ाई के बाद शिक्षार्थियों को लिखने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। कक्षा में ये लोग बारी-बारी से बोल-बोल कर पाठ पढ़ते है।

**3. अन्सारी सिद्धान्त—श्री हयात उल्ला अनसारी**

यह पद्धति जाने पहचाने अनुभवों तथा वस्तुओं से नई

चीज पर ले जाती है । शिक्षा पद्धति का आधार यह सिद्धान्त है कि यदि शब्द का चित्र दिया हुआ हो और एक शब्दाँश पाठक जानते हों तो दूसरा शब्दांश पाठक अपने आप जान सकेंगे । शिक्षक को सभी शब्दों को जो प्राइमर में पढ़ाने हैं और जिनके चित्र भी दिए गए हैं, आरम्भ में ही चित्र की सहायता से समझाना हैं । पढ़ना और लिखना दोनों पहले दिन से ही साथ-साथ चलते हैं । पाठ्य सामग्री में एक प्राइमर है, एक चार्ट सैट और एक लेख कापी । श्री अन्सारी जी ने प्राइमर से आगे पढ़ाई चलाने के लिए अभी कोई सहायक पुस्तकें नहीं बनाई हैं ।

### 4. अवस्थी पद्धति—स्वर्गीय भगवान दास अवस्थी

अवस्थी पद्धति में प्रचलित साधारण पद्धति पर थोड़ा सा सुधार किया गया है । इसमें उच्चारणाधार पर अक्षर शैली में साथ-साथ कुछ शब्दों और वाक्यों को भी जोड़ दिया है । अभ्यास केवल अक्षरों का ही नहीं है । जाने पहचाने अक्षरों को मिला कर कुछ शब्द बना कर पढ़ाई आरम्भ की जाती है । पाठक स्वयं अपनी समझ से और पिछले ज्ञान को काम में लाकर नए अक्षर, शब्द और वाक्य बनाता है । शब्द और वाक्य साथ-साथ पढ़ाए जाते हैं ।

पाठ्य सामग्री में 20 चार्ट का एक सैट है । एक चार्ट पोथी शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए हैं । आरम्भ में 14 चार्टों में 14 पाठ सभी स्वर और व्यंजनों को पूरा कर देते हैं । शेष छ: चार्टों में संयुक्त अक्षरों का ज्ञान दिया गया है ।

प्राइमर के बाद शिक्षाक्रम को जारी रखने के लिए 24 पेजी 6 सहायक पुस्तकों का सैट है । इन पुस्तकों में नई और पुरानी कहानियां हैं । साक्षरता के इस पाठ्यक्रम को पूरा

कर लेने पर पाठकों को आराम से साधारण स्तर का भाषा ज्ञान हो जाता है।

**5. यूनिवर्सल साक्षरता पद्धति—श्री वैंनकट राव रायसम**

इस पद्धति में पाठ सिन्थैटिक पद्धति के आधार पर बनाए गए हैं। पाठकों को कुछ अक्षरों की जानकारी कराई जाती है। इन अक्षरों को कुछ जाने पहचाने शब्द चित्रों द्वारा समझाया जाता है। पढ़ना और लिखना साथ-साथ ही चलता रहता है। जिन अक्षरों की बनावट एक जैसी है, वे सब साथ-साथ सिखाए जाते हैं। समान बनावट के आधार पर अक्षरों का वर्गीकरण करने से सीखने में आसानी हो जाती है। अक्षरों को समझाने के लिए रस्सी द्वारा इन अक्षरों को बना कर समझाया जाता है। शीघ्र ही जाने पहचाने शब्द तथा दैनिक जीवन से सम्बन्धित वाक्य भी लिखवाए जाते हैं।

पाठ्य सामग्री में एक प्राइमर (पढ़ाई महल) और उसके बाद दो छोटी पुस्तकें बनाई गई हैं।

**6. लाबक पद्धति**

इस पद्धति में अक्षरों की बनावट को किसी जानी पहचानी चीज की बनावट से मिलान किया जाता है। मूल सिद्धान्त यह रखा गया है कि पाठक उस जानी पहचानी वस्तु की शक्ल याद रख सकेंगे। जिसके नाम में पहला अक्षर वो है जो हम सिखाना चाहते हैं। इस अक्षर की बनावट भी उसी चीज की बनावट से मिलाई जाती है। प्राइमर का यही मुख्य आधार है।

प्राइमर में तेरह पाठ हैं। सभी पाठ पहले पाठ की तरह ही हैं। शिक्षक को पहले पाठ से ही यह जानना होता है कि

कैसे पढ़ावें। हर पाठ की व्यवस्था को एक समानता दी गई है। हर पाठ के बाईं ओर के पृष्ट पर तो चित्र हैं। हर पृष्ठ के चार भाग हैं। पहले सीधे भाग में दिखाया गया है कि किस प्रकार चीज को बनावट और अक्षर की बनावट एक समान हैं। दूसरे में वो अक्षर है जिससे शब्द बनता है। तीसरे में उस वस्तु का चित्र है और उसका शब्दों में नाम और उस शब्द का पहला अक्षर। चौथे भाग में वे सब अक्षर दिए हैं, जिनसे शब्द बनता है

हर पाठ के दाहिने पृष्ठ पर एक कहानी है। इस कहानी में लगभग चार नये शब्द हैं। कम शब्द बताने का अभिप्राय यही है कि पाठकों पर नये शब्दों का बोझ एक दम अधिक न पड़े। प्रत्येक नये शब्द को कम से कम पाँच बार दोहराया गया है। उसका बार-बार प्रयोग किया गया है। बार-बार प्रयोग करने का सिद्धान्त इस पद्धति की एक विशेषता है।

प्राइमर के तेरह पाठ समाप्त करने पर पाठक को सारे स्वर और व्यंजन, मात्रा और संयुक्त अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद छः पुस्तकें जो नियमानुकूल कठिन से कठिनतर होती जाती है, बनाई गई है। पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त करने पर शिक्षार्थी भली प्रकार पढ़ना लिखना सीख जाते हैं।

**7. पथिक पद्धति (एक मूल शब्द पर आधारित गाने द्वारा प्रस्तुत) श्री शालिग राम पथिक**

इस पद्धति में एक मूल शब्द को गाने द्वारा सिखाया जाता है। पथिक चार्ट पोथी का पहला पाठ ही इस प्रकार है। इसका मूल शब्द कलम है।

कलम से लिखेंगे,
कलम से पढ़ेंगे।

कलम से जियेंगे ।
कलम से मरेंगे ।

इसमें कलम, मुख्य शब्द है । शिक्षक इस गाने को गवाता है । फिर मूल शब्द को लेकर उसको अक्षरों में विच्छेद करता है । दूसरे चार्ट में इसको दोहराया जाता है । तीसरे चार्ट में स्वर सिखाए जाते हैं । फिर गाने द्वारा ऐसे वाक्य दोहराये जाते हैं, जिनका पहला शब्द वही मूल शब्द है । आखिरी चार्ट में सभी स्वर और व्यंजनों को शब्द चित्रों द्वारा सिखाया गया है । वस्तु चित्र और शब्द चित्र का मिलान, शब्द के पहले अक्षर और वस्तु चित्र के पहले अक्षर के मिलान से किया जाता है । इसी आधार पर अक्षर और शब्द सिखाए जाते हैं । प्राइमर के बाद कई सरल कहानी पुस्तकें हैं । जिनको पढ़ने के बाद पाठक को पढ़ने का अभ्यास हो जाता है और पाठ्य गति भी बढ़ जाती है ।

### 8. श्री आनन्द बाबू माण्डे पद्धति

श्री माण्डे ने 1939 में जनप्रिय सरकार की स्थापना के समय प्रौढ़ साक्षरता कार्य आरम्भ किया था । उन्होंने जाने पहचाने गानों द्वारा तथा लोक गीतों द्वारा जिन्हें साधारण लोग प्रतिदिन गाते रहते हैं, निरक्षरों को साक्षरता की प्रेरणा देने पर जोर दिया । इन्हीं गानों को मोटे-मोटे अक्षरों में लिख कर जगह-जगह टाँग दिया गया, या दीवारों पर ही लिख दिया गया, ताकि सभी लोग गाते-गाते उस गाने के शब्द चित्रों को देखकर शब्दों और अक्षरों को पहचानने लगें ।

साक्षरता प्रसार के लिए एक अनुकूल वातावरण उपस्थित करने में और उसके लिए एक चाह जागृत करने में इस पद्धति की अपनी विशेषता है ।

तो ये कुछ प्रचलित पद्धतियाँ प्रौढ़ साक्षरता की हैं। हमारा उद्देश्य केवल उनकी जानकारी कराना था। उनके गुण दोष की व्याख्या करना नहीं। ऐसे ही और भी अनेक विद्वानों के अनेक तरीके हो सकते हैं। आपसे कुछ पद्धतियों की यहाँ पर चर्चा करने का अभिप्राय यही है कि आप यह समझ लें कि अलग-अलग विद्वान अपने-अपने मत के अनुसार अलग-अलग पद्धतियाँ भाषा ज्ञान की बनाते रहे हैं, और लगभग सभी का उपयोग प्रौढ़ साक्षरता प्रसार में अपने-अपने ढंग से किया गया है। दिल्ली में प्रयोग की गई 'सरल हिन्दी, 'पढ़ना सीखो' तथा 'किसान साक्षरता योजना' ऐसे ही उदाहरण हैं।

आईये अब पढ़ना लिखना सीखने की कुछ और विशेषताओं पर चर्चा कर लें जिससे पढ़ने लिखने का ज्ञान और अभ्यास इस स्तर का हो जाए, कि पाठक इस ज्ञान को अपने आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर आगे से आगे बढ़ता जाए और कार्य दक्षता प्राप्त कर सके।

**पढ़ना सीखना**

पढ़ना सिखाने के पहले स्तर में स्वर और अक्षरों की जानकारी कराना है। उनकी पहचान और फिर अक्षरों और शब्दों का समझना और पढ़ सकना। दूसरे स्तर में गहरी पहचान, समझ और उच्चारण और तीसरे स्तर में समझ कर पढ़ने की गति और पढ़ने की योग्यता का प्रयोग।

भाषा सिखाने के लिए हम चाहे जो पद्धति, सिन्थेटिक; अथवा ग्लोबल अथवा एलेक्टिक, प्रयोग करें, पढ़ाई की क्रिया के ऊपर दिए गए तीनों स्तरों पर ही पूरा ध्यान देना होगा, उसी दशा में संतोषजनक उन्नति हो सकती है।

याद रखिए पढ़ने का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण कर देना नहीं है। इसका अर्थ है, पाठ्य वस्तु को भली प्रकार समझ

कर पढ़ना। आरम्भ में प्रौढ़ पाठक चाहे पूरा अर्थ न समझ सकें परन्तु अभ्यास होते होते अवश्य समझने लगें, यह जरूरी है।

पढ़ते समय पाठक की दृष्टि लिखित रेखा के साथ साथ कहीं कहींठहरती हुई घूमती है। साधारणतया दृष्टि लगातार एक जैसे ढंग से नहीं घूमती। कठिनाई के समय रुक-रुक कर घूमती है। पाठक को नये अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को समझने के लिए ही कभी-कभी रुकना पड़ता है। अभ्यस्त पाठक बहुत कम रुकता है क्योंकि उसकी पहचान और समझ शक्ति विकसित हो चुकी है। उसकी आँख शब्दों को एक-एक करके नहीं देखती, बल्कि कई कई शब्दों को एक साथ देख सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अच्छी गति के साथ पढ़ सकता है।

पढ़ाई की गति मुख्यत: निम्न बातों पर निर्भर है :—

1. शब्दों को पहचानने की गति।
2. पाठ्य संदर्भ में जानी पहचानी शब्दावली का प्रयोग।
3. शब्दों को देखने की पहचानने की क्षमता।
4. पाठ्य संदर्भ के विषय वस्तु की जानकारी।
5. पढ़ाई का अभ्यास।
6. पाठ्य संदर्भ की छपाई और मोटाई।
7. पढ़ाई का उद्देश्य।

ध्यान रहे कि बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ना कोई हर समय अच्छी बात नहीं है और न ही लाभ प्रद। यदि केवल यही देखना हो कि अमुक पाठ किस प्रसंग में है तो जल्दी-जल्दी भी पढ़ा जा सकता है। परन्तु यदि कोई उपयोगी तथा विचारात्मक प्रसंग पढ़ना हो, तो धीरे-धीरे ही सोच-समझ कर पढ़ना होगा। ऐसे प्रसंग को पढ़ने में तो समझ-बूझ से काम लेना

होगा । उसमें बताए ज्ञान को जाँचना तोलना होगा । इस सब में धैर्य की आवश्यकता है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि पढ़ाई की चाल को ऊपर बताई गई बातों के आधार पर पढ़ने के उद्देश्य से संतुलित करना होगा । इस तथ्य को सभी शिक्षकों एवं पाठकों को समझना होगा ।

याद रखिये जो प्रौढ़ निरक्षर हैं, वो केवल पढ़ना-लिखना ही नहीं जानते हों, इतनी ही बात नहीं है, बल्कि साथ ही साथ उनका बौद्धिक विकास भी पूरा नहीं होता । वो बहुत-सी बातों को नहीं समझ पाते और बातचीत करके भी अपनी बात को दूसरों को नहीं समझा पाते । अर्थात किसी भी निरक्षर व्यक्ति में पढ़ने-लिखने की ही नहीं, समझने समझाने की भी कमी रहती है । ऐसे प्रौढ़ गिने चुने शब्द जानते हैं । नये शब्दों को समझना उनके लिए कठिन होता है । कभी-कभी वे आधारभूत बातों को भी नहीं जानते ।

इतना होने पर भी प्रौढ़ों में बहुत जल्दी पढ़ने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है । कम से कम दैनिक जीवन में होने वाली बातों को सब ही जानना चाहते हैं । वर्तमान की गति विधियों से सब ही परिचित रहना चाहते हैं । इसलिए कम से कम समाचार पत्र की मोटी मोटी बातें पढ़ समझ सकें, अपने धंधे के सम्बन्ध में ताजा समाचार, खोज और परिवर्तन आदि के बारे में जान सकें, ऐसा सब ही चाहते हैं । जिस संस्था में वो काम करते हैं, उसकी गति विधियों के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में यदि वो पढ़कर पूरी जानकारी पा सकते हों तो उन्हें बहुत संतोष होता है । इसके अभाव में वे कुछ उखड़े उखड़े और असंतुष्ट रहते हैं । समाचार पढ़ने की

जिज्ञासा अथवा भूख सब में है ही । यह बहुत अच्छी बात है ।

इस भूख के कारण ही सब प्रौढ़ धीरे-धीरे नये से नये शब्द सीखते रहना चाहते हैं । उनको चाहिए सहानुभूति पूर्ण पथप्रदर्शक जो पढ़ना सिखाए, कम से कम मनोविनोद के लिए और समाचार ज्ञान के लिए ही सही । इसलिए नये प्राप्त किए हुए साक्षरता ज्ञान को सुदृढ़ और उपयोगी बनाने के लिए लगातार पढ़ते रहने की आदत बहुत लाभदायक होती है । इसके लिए हर नवशिक्षित प्रौढ़ को उपयुक्त अवसर मिलना चाहिए । ऐसे अवसरों पर उसके अपने जैसे नवशिक्षित लोगों का ही साथ होना चाहिए । उससे बहुत अधिक योग्य प्रौढ़ों के साथ उसे झिझक मालूम होगी । अपने जैसे साथियों में उसे अनुभव होगा कि वो अकेला ही नहीं, उसके जैसे और बहुत साथी पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे हैं । इससे उसे उत्साह मिलेगा । यदि पाठ्य प्रसंग कोई कहानी है तो पढ़ने से पहले उनको संक्षेप में उसका सारांश मौखिक बता देना उत्तम होगा । कभी-कभी सुना कर पढ़ने से पहले मूक पाठ बहुत उपयोगी होता है ।

मूक पाठ करने में पाठक धीरे-धीरे समझ-समझ कर पढ़ सकता है । उसे कोई सुन नहीं रहा है । इसलिए उसे गति की चिन्ता नहीं है । समझ-समझ कर पढ़ता है और पूरा समझ लेने पर उसे अपने ऊपर श्रद्धा हो जाती है । अब वो बड़े विश्वास के साथ बोल-बोल कर पढ़ सकता है । मूक पाठ करने का बड़ा उपयोग है । समझ शक्ति इससे बढ़ती है और पढ़ने का साहस । जब पढ़ने की योग्यता पूरी आ जाए तो जोर-जोर से पढ़ा जा सकता है । दूसरों को पढ़ कर सुना सकने की योग्यता आ जाने से पाठक को बहुत संतोष मिलता है । मूक पाठ और बोल कर पाठ करने का अपना-अपना महत्त्व है जिसे हर

शिक्षक को समझना चाहिए और यथा अवसर व आवश्यकता पाठकों का मार्ग दर्शन करना चाहिए।

यह भी आवश्यक है कि शिक्षार्थी को कभी-कभी अपनी प्रगति का आभास भी कराया जाए। बोल कर पढ़वाने का यह भी एक तात्पर्य होता हैं। प्रगति का आभास कोई लिखित परीक्षा से कराया जाना ही जरूरी नहीं है। परीक्षा के नाम से तो अच्छे योग्य व्यक्ति भी कतराते हैं। इसलिए प्रौढ़ नवसाक्षरों को लिखित परीक्षा में जान-बूझ कर डालने से तो उनको निराशा होती है। उनकी तो अनजाने में ही यदा कदा जाँच करते रहनी चाहिए। बोल कर पढ़वाना, पढ़े हुए संदर्भ पर कुछ साधारण प्रश्न कर लेना। कहानी या किसी जीवनी का वर्णन करवा लेना, अर्थ पूछ लेना, मुहावरे का प्रयोग पूछ लेना, ऐसे-ऐसे अनेक मौखिक प्रश्न करके पाठकों को प्रगति का आभास कराया जा सकता है और स्वयं भी जाना जा सकता है। प्रगति का आभास हो जाने से पाठकों को उत्साह मिलेगा। उनमें पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ेगी और गति भी। ऐसे व्यवस्थित पाठ्य अभ्यास के लिए उपयुक्त पुस्तकों का उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है, जो शिक्षक को करना चाहिए।

### लिखाई सिखाना

लिखाई पढ़ाई के साथ-साथ ही सीखना सुविधाजनक होता है। लिखाई की भिन्न-भिन्न क्रियाएँ जैसे सीधी रेखा बनाना, अर्ध गोला बनाना और उनका जोड़ना आदि धीरे-धीरे सिखाना चाहिए ताकि पूरे शब्द और वाक्य यथा समय लिखने आ जायें।

सभी विद्वानों का यही मत नहीं है। जिस प्रकार पढ़ाने के लिए कोई सिन्थेटिक पद्धति के हामी है, तो कोई एनालिटिक

के और दूसरे एक्लेक्टिक के, इसी प्रकार लिखाई के बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं। सिन्थेटिक पद्धति में यह कमी है कि प्रौढ़ पाठक एक-एक अक्षर को लिखते-लिखते अभ्यास करते करते उत्साह खो बैठते हैं। क्योंकि अक्षर अकेला सार्थक नहीं है। इसीलिए एनालिटिक पद्धति में सार्थक शब्दों का लिखना सिखाते हैं। इसमें प्रौढ़ को उत्साह मिलता है। इसलिए सिद्धान्त के अनुसार सार्थक शब्दों, वाक्यॉशों और वाक्यों से लिखना सिखाना चाहिए, केवल अक्षरों से नहीं।

कुछ प्राइमरों में लिखाई आरम्भ से ही नहीं सिखाई जाती। कभी-कभी कुछ पाठ पूरे करने के बाद लिखाई आरम्भ करवाना अधिक उपयोगी होता है। लिखाई के दूसरे स्तर में आसानी से समझकर और शुद्धता के साथ लिखने का अभ्यास होना चाहिए। पहले शिक्षक स्वयं बोर्ड पर लिखता है, पाठक पुस्तक में और बोर्ड पर देख कर समझते हैं। बोर्ड पर लिखाई की क्रिया को देख समझ कर कापी या सलेट पर नकल करके लिखना सीखते हैं। धीरे-धीरे वो शब्द और वाक्य बनाने लगते हैं। बोर्ड से और किताब में देख देख कर। बोर्ड पर शिक्षक खुद लिखें और पाठक देखें, शिक्षक समझाएँ और पाठक समझ कर स्लेट या कापी पर लिखे। फिर पाठक स्वयं पुस्तक से कापी पर लिखें। फिर बारी-बारी से बोर्ड पर लिखें और पढ़ें और नकल करें। फिर पुस्तक से पढ़ें, देखें और समझें। शिक्षक बोले और वे लिखें। ये सभी तरीके लिखाई के अभ्यास के हैं। अशुद्धियों को समझें और शुद्ध लिखने का अभ्यास करते रहें। धीरे-धीरे पाठक विश्वास के साथ शुद्ध, सुथरी और सीधी लिखाई करने लगेंगे और लेखन गति भी बढ़ा लेंगे। जो कुछ लिखवाया जाए उसका विषय पाठक के जीवन से सम्बन्धित हो और उसके लक्ष्य की पूर्ति करता हो तो और भी उत्तम होगा।

यह जान लेना भी जरूरी है कि किस अभिप्राय से भिन्न-भिन्न प्रौढ़ लिखाई सीखना चाहते हैं। सबका लक्ष्य एक ही समान नहीं होता। भिन्न-भिन्न लक्ष्य होते हैं जैसे :—

(1) कुछ लोग केवल नाम और पता लिख लेना चाहते हैं। ऐसा करने से उन्हें हस्ताक्षर करना आ जाएगा और दूसरों के सामने वे केवल अंगूठा टेक निरक्षर दिखाई नहीं देंगे।

(2) कुछ लोग पत्र व्यवहार के लिए लिखाई सीखना चाहते हैं।

(3) कुछ लोग अपना हिसाब किताब रख सकें, इसलिए पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं।

(4) कुछ लोग महत्त्वपूर्ण घटनाओं अथवा सूचनाओं का व्योरा रखना चाहते हैं ताकि वे उन्हें याद रख सकें। चीजों के मूल्यों की दर व नाप तोल आदि आदि की जानकारी रख सकें।

(5) कुछ लोग भिन्न २ प्रकार के फार्म अथवा व्योरे जो उन्हें भरने होते हैं, उन्हें भर सकें, इसके लिए पढ़ना चाहते हैं।

(6) कुछ लोग प्रार्थना पत्र, शिकायत, अपील आदि लिख सकें इसलिए पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं।

ये केवल उदाहरणार्थ कुछ कारण लिखे हैं। ऐसे अनेकों और भी कारण हो सकते हैं, जो शिक्षकों को जान लेना चाहिए। ऐसा कर लेने पर ही वे लिखाई के विषयों को ऐसा बना सकेंगे कि पाठकों के उद्देश्य पूरे कर सकें। पढ़ाई के इस मूल सिद्धान्त को याद रखिए और पाठकों के लक्ष्य की पूर्ति करने का प्रयत्न करिए। आप अपने ध्येय में अवश्य सफल होंगे। पाठक पढ़ना लिखना भली प्रकार सीख जाएँगे और सीखते रहने के लिए रुचि बन जाएगी।

एक और बात याद रखिये कि पाठ्यक्रम समाप्त करने तक पाठकों में निम्न योग्यताएँ आ जानी चाहियें, ऐसा हो जाने पर ही आपका कार्य सफल समझा जाएगा ।

1. वे आराम से गति पूर्ण, साफ़ और शुद्ध लिखाई कर सकें ।

2. जो कुछ लिखें वो उनके दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करता हो ।

3. वे आराम से अपनी आय व्यय का व्यौरा, पैदावार का लेखा, प्रार्थना पत्र तथा शिकायत आदि जिनकी आवश्यकता हो लिख दें ।

4. वे लिख कर अपना मत प्रस्तुत कर सकें । अपने विचार बना सकें । ऐसा होने पर उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाएगा और वे नये ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे ।

## गणित शिक्षण

आप सब जानते हैं, गणित तो गिनती का विज्ञान है । गिनती जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है । इसके बिना तो किसी का, साक्षर का अथवा निरक्षर का किसी का भी गुजारा नहीं चल सकता । इसलिए गिनती ज्ञान साक्षरता का अनिवार्य अंग होना ही चाहिए । दूरी का ज्ञान, तोल का ज्ञान, समय का ज्ञान, क्रय, विक्रय, लाभ हानि का ज्ञान, लेन देन, कमाई और खर्च का ज्ञान, इस सब में ही हिसाब किताब अथवा गिनती ज्ञान की आवश्यकता है । ये जीवन की सर्वमान्य और सर्वप्रथम आवश्यकता है, अक्षर ज्ञान से भी अधिक और उससे पहले । गिनती निरक्षर लोग भी जानते हैं और जीवन में काम लेते हैं । हर आदमी इसे जानता है और मानता है । इसलिए गणित

ज्ञान अर्थात गिनने और हिसाब रखने की योग्यता हरेक अपने में विकसित करना चाहता हैं। या यूँ कहिए कि गणित का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में पहले से ही है। इसलिए आप का काम आसान है। जरूरत केवल आरम्भ करने की है। याद रखिये प्रौढ़ों में गणित का ज्ञान तो है परन्तु उनकी अपनी सीमा में ही सीमित है। अर्थात उनके दैनिक जीवन के कार्य से ही सम्बन्धित है। इसलिए हमें उसी सीमा में रह कर उनके जीवन के अनुभवों को ही आधार बनाकर चलना चाहिये, ताकि जानकारी वास्तविक और उपयोगी हो सके।

गणित का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी है।

1. गणित मस्तिष्क का व्यायाम है। इसके द्वारा बौद्धिक प्रक्रिया बढ़ती है और शीघ्रता से हिसाब लगा देने के आदत हो जाती है।

2. गणित ज्ञान से सोचने, समझने, दलील करने और याद रखने की आदत पड़ जाती है।

3. गणित ज्ञान से आँकड़ों को समझा जा सकता है और उनके आधार पर भविष्य की योजना बनाई जा सकती है।

4. गणित में परिणाम का निश्चित होना अवश्यमय भावी है। इसलिए गणित ज्ञान से निश्चितता एवं शुद्धता आ जाती है।

5. गणित ज्ञान से कार्य का मूल्य निरूपण करने में सहायता मिलती है। मूल विचार जागृत होते हैं और आत्म विश्वास पैदा होता है।

6. गणित एक अनुक्रमात्मक विषय है इसलिए क्रम बद्ध समझ और चतुरता आती है।

7. गणित का जीवन में बड़ा उपयोग है । इसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है और अनुशासनिक भी ।

गणित शिक्षा का पाठ्यक्रम, पाठकों के जीवन में इसके उपयोग पर, उसके दैनिक व्यवसाय में इसके महत्व पर तथा दूसरे संबंधित विषयों के इसके द्वारा अध्ययन पर निर्भर करेगा ।

शिक्षण का सामंजस्य जीवन से, गणित ज्ञान की दूसरी शाखाओं से, दूसरे विषयों के ज्ञान से तथा एक ही शाखा के दूसरे विषयों के ज्ञान से उपस्थित करना होगा । पाठक की आवश्यकता ही इस ज्ञान का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए । अर्थात् ज्ञान को पाठक की आवश्यकताओं, उसके बौद्धिक स्तर और उसकी रुचियों से जोड़ना होगा, सम्बन्धित करना होगा । चूँकि गणित एक अनुक्रमात्मक विषय है । इसलिए कभी-कभी विषय के तर्कपूर्ण (क्रम बद्ध) विकास के बदले मनोवैज्ञानिक विकास अधिक उपयोगी होता है ।

ध्यान रहे कि रुचिपूर्ण होने के लिए पढ़ाई वास्तविकता से दूर नहीं होनी चाहिए । प्रश्न ऐसे होने चाहिएं जो साधारण परिस्थितियों से सामंजस्य रखते हों । एक उदाहरण के लिए समझिए आप कहें कि दूध 25 पैसे किलो बिकता है तो 2 रुपए का कितने किलो दूध आएगा ? यह प्रश्न वास्तविकता से दूर हो गया । दूध तो बिकता है 120 पैसे किलो, 25 पैसे कहाँ है ? इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है ।

इसके अतिरिक्त गणित शिक्षण के विषय को भली प्रकार स्पष्ट और प्रेरणादायक बनाने के लिए दृश्य साधनों, चित्रों, चार्टों, माडलों, ग्राफ आदि का यथा समय और यथा आवश्यकता जरूर प्रयोग करें । ये उदाहरण और चित्र श्यामपट पर भी बनाए जाने चाहिएं, ताकि विषय भली प्रकार समझ में आ जाए और ध्यान में बैठ जाए । करो और

सीखो – क्रिया करो, अभ्यास करो और सीख लो, समझ लो। यही पाठकों की धारणा रहनी चाहिए। गणित ज्ञान में यह सिद्धान्त सबसे अधिक लागू है। इसलिए पाठकों से मौखिक व लिखित प्रश्न करो, अभ्यास दो, तो उनका योगदान जितना भी अधिक क्रियाशील होगा, उतना ही विषय अधिक रुचिकर और सरल हो जायेगा।

याद रखिये कि आप प्रौढ़ों को पढ़ा रहे हैं। पहले आप समझ चुके हैं, कि प्रौढ़ समान रुचियों वाले, समान आवश्यकता-ताओं वाले और समान योग्यताओं वाले नहीं हैं, इसलिए प्रौढ़ों को सामूहिक कार्यक्रम सफल नहीं होता। उन्हें व्यक्तिगत ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। पर अभ्यासार्थ करने के लिए काम हो, चाहे शिक्षा वर्ग में, हर समय व्यक्तिगत ध्यान चाहिए। एक ही प्रश्न शायद सबके लिए उचित न हो। गणित शिक्षण में अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। साथ ही केवल परिभाषा आदि से काम नहीं चलता। यहाँ तो प्रश्न हल करने होंगे। उदाहरणार्थ क्षेत्रफल अथवा घनफल की परिभाषा समझा कर अन्तर बताना, अथवा साधारण और चक्रवृद्धि व्याज तथा साझे-दारी केवल परिभाषाओं से नहीं, वास्तविक प्रश्नों से समझानी चाहिए। प्रश्न हल करने आ जाने पर परिभाषाएँ भी आ जायेंगी। जो जरूरी है वो है प्रश्न हल करना। गणित ज्ञान कहाँ तक और कितना करायें, यह एक टेढ़ा प्रश्न है। फिर भी जहाँ तक विषय का सम्बन्ध है, उसका निर्णय नीचे लिखे आधारों पर करना उचित होगा—

1. विषय जीवन में सार्थक उपयोगिता रखता हो। दैनिक व्यवहार का हो।

2. लेन देन, खरीद बेच के जो काम हर व्यक्ति रोज करता रहता है, उससे सम्बन्धित हो।

3. विषय का सम्बन्ध पाठकों की दैनिक आवश्यकता से अवश्य होना चाहिये जैसे दर्जी या मिस्त्री को लम्बाई के नाप की अधिक जरूरत है और किसान को तौल और खरीद बेच के हिसाब की आदि-आदि ।

4. विषय का ज्ञान पाठक को और किसी विषय की जानकारी में सहायक हो । हो सकता है कुछ पाठक आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहें तो जिस प्रकार का अध्ययन वे करना चाहें उसमें जिस ज्ञान की आवश्यकता पड़े, वो उन्हें सीख जाने का अवसर मिलना चाहिये । उदाहरणार्थ कृषक गुट सहयोगी संस्था खोलना चाहे, तो उन्हें साझेदारी का ज्ञान मालूम होना चाहिए । कोई व्यक्ति व्यापारी बनना चाहे, तो उसे ब्याज का अथवा बैंकिंग का ज्ञान होना चाहिए आदि-आदि ।

5. विषय का ज्ञान गणित शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाता हो और एक मानसिक अनुशासन देता हो, जैसे परिवार का खर्च आय से कम ही कम होना चाहिए । परन्तु परिवार में कुछ खर्चे अनिवार्य हैं । उनके बिना पारिवारिक जीवन सफल और सम्पन्न नहीं हो सकता । अनिवार्य खर्च करने ही होंगे । व्यर्थ व्यय समाप्त करना होगा । आय यदि अनिवार्य खर्चों को भी पूरा नहीं करती, तो आय बढ़ानी होगी । मनुष्य का उद्देश्य आखिर सुख, शान्ति और सम्मानपूर्ण पारिवारिक जीवन बिताना है । इतना तो सबको करना ही है । इतना सब ज्ञान तो व्यक्ति को होना ही चाहिए ।

आप कितने कौशल के साथ ये सब ज्ञान करा सकते हैं, यह आपके अपने गणित ज्ञान के स्तर पर निर्भर है और शिक्षण कला पर । इसके लिए आपको तैयार होना है ।

तो आइये अब जो कुछ शिक्षण पद्धति के बारे में चर्चा की है, उसे दोहरा लें ताकि भली प्रकार ध्यान में रह जाए ।

1. प्रौढ़ शिक्षण का कार्य एक नौकरी समझ कर नहीं अपितु आनन्द लेकर करना चाहिए। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, सहानुभूति पूर्ण हृदय एवं प्रौढ़ों के साथ अटूट प्रेम, ये गुण प्रौढ़ शिक्षक में अवश्य होने चाहिए।

2. यदि किसी प्रौढ़ से आप को प्रेम अथवा अपनापन न हो, तो उसे न पढ़ावें। प्रौढ़ पुस्तकें भले ही न पढ़ सकते हों, मानव हृदय को अवश्य पढ़ सकते हैं। वे तुरन्त ही यह समझ लेते हैं कि आपकी हँसी प्रेमात्मक है अथवा घृणात्मक। प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षक को प्रौढ़ों से चाहे जैसे भी वो हैं, सहानुभूति करनी चाहिए और प्रयत्न यह करना चाहिए कि जैसे भी जितना भी वो उन्हें बहतर बना सकता है, बनाए।

3. प्रौढ़ शिक्षार्थी को कभी भी नकारात्मक उत्तर न दो। जब कभी उस को कूछ समझाना हो, तो सकारात्मक ढंग से समझाओ। 'ना' सुनते ही प्रौढ़ शिक्षार्थी हताश हो जाता है। उसका दिल टूट जाता है। उदाहरणार्थ यदि आप किसी से प्रति दिन उपस्थित होने की बात कहते हैं तो यह न कहें कि वो अनुपस्थिति क्यों रहता है। उसको क्या हो गया है? बल्कि यों कहिए कि मेरे में क्या कमी है, जो आपको रोज आने की प्रेरणा नहीं दे सकता।

4. केवल प्रौढ़ शिक्षार्थी ही जानता है कि कौनसा पाठ उत्तम है। सबसे उत्तम पाठ वही है जो सबसे अच्छी तरह समझ में आ जाये। इसीलिए शिक्षण का कोई एक तरीका नहीं हो सकता। जो अच्छा समझा जाय, उसे ही अपनाओ और जैसे ही वह असफल सिद्ध हो जाए, उसमें सुधार सम्भव हो सुधार करो, अन्यथा दूसरा जो अच्छा हो उसे ग्रहण कर पहले को छोड़ दो।

5. हमारे आदर्श पाठ ऐसे होने चाहिएं जो याद करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त रोचक हों, सरल हों और जल्दी से बहुत सारा ज्ञान कराते हों। जहाँ तक पढ़ाने का प्रश्न है, उन्हें कोई भी पढ़ा सके, पढ़ाते ही वे याद हो जाएं, और हो सके तो उसका अधिकतर भाग स्वयं ही पढ़कर समझ में आ जाए। शिक्षक की भी आवश्यकता न हो।

6. सभी पाठ्य सामग्री विचारात्मक व गम्भीरतापूर्ण हो। बचकाना न हो।

7. कक्षा के काम के लिए याद रखिये पहले पन्द्रह मिनट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मिनट भी व्यर्थ न खोवें। पाठ वही बढ़िया है जो बड़ी शीघ्रता से पढ़ाया जा सके और इतनी जल्दी समाप्त हो जाए कि पाठकों को पता भी न लगे।

8. एक पाठ लगातार आध घन्टे से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रौढ़ पाठक बहुत परिश्रम करते-करते थके हुए आते हैं। उनके पास कोई कठिन काम करने की सहनशीलता नहीं हैं। पठन कार्य मनोरंजक होना चाहिए। उन्हें उन्नति चाहिए, पर आसानी से और जल्दी। वे बार-बार रटाई नहीं कर सकते। रटाई का काम न करवायें।

9. शिक्षार्थी कुछ भूल गए हों या न समझें हों, तो उन्हें प्रसन्नतापूर्वक फिर बतावें। न क्रुद्ध हों, न घृणा दिखावें, न त्यौरी चढ़ावें न कड़वा बोले। बड़े प्रेम से फिर समझावें।

10. किसी प्रश्न को दुबारा न पूछें। तुरन्त उत्तर न मिले तो उत्तर देने में सहायता करें अन्यथा उत्तर बता दें। उसी प्रकार का और प्रश्न करके अभ्यास करावें और हँसते हंसते सब काम चलावें।

11. एक समय में एक ही प्रौढ़ को पढ़ावें। इससे पढ़ाई अच्छी और जल्दी होती है। प्रौढ़ शिक्षण कार्य में कक्षा नहीं, प्रौढ़ होते हैं। प्रौढ़ स्वयं भी अपने को सदा पढ़ा सकते हैं। उन्हें स्वयं शिक्षा का अवसर दीजिए। प्रेरणा देने के लिए ऐसा कभी न कहें, 'आईये अब में आपको पढ़ाऊँ।' इसके बजाए कहिए, "आईये अब यह समझ ल, सीख लें।"

*अध्याय 7*

# प्रौढ़ साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा में श्रव्य दृश्य सहायक साधन

पिछले अध्यायों में हमने प्रौढ़ साक्षरता कार्य के अनेक पहलुओं पर चर्चा की है। प्रौढ़ साक्षरता का महत्व, इसकी तीव्र आवश्यकता, इसका आकार प्रकार, प्रौढ़ों की मनोवृत्तियाँ कार्य की व्यवस्था, पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पद्धतियाँ इन सभी पर चर्चा की है। ताकि आपने जिस कठिन काम का बीड़ा उठाया है, उसे सफलतापूर्वक करने के लिये भली प्रकार तैयार हो जाएं।

अब तक जो कुछ बातें हमने की हैं, उससे यह तो आप मानेंगे ही, कि प्रौढ़ साक्षरता का काम वास्तव में कठिन है। समस्या जटिल है, फिर भी अब तक की चर्चा से आप में इस समस्या से जूझने की शक्ति तथा विश्वास आ गए होंगे।

हमने समझ लिया है कि सफलता प्राप्त करने के लिये प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम को प्रेरणादायक, रुचिपूर्ण, जीवनोपयोगी तथा व्यवसाय संबन्धित करना होगा। यही आपका प्रमुख दायित्व है। उसके लिये आपको पाठ्य सामग्री, पाठ्य पद्धति एवं निजी योग्यता का सहारा लेना होगा। पाठ को रुचिकर और सरल बनाने के लिए अनेकों सहायक साधन हैं। यही साधन कार्यक्रम को प्रेरणादायक बनाकर शिक्षार्थियों में

क्रियात्मक योगदान देने की रुचि पैदा करेंगे। इन साधनों को श्रव्य दृश्य सहायक साधन कहते हैं।

कहा जाता है "छलांग लगाने से पहले देख लो" या "सुनी हुई बात भूली जा सकती है परन्तु देखी हुई बात समझ में आती है और याद भी रह जाती है" या "प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या ?"—इन सब कहावतों का तात्पर्य यही है कि आँख ही बुद्धि का प्रवेश द्वारा है। वास्तव में बहुत से लोग तो किसी वस्तु अथवा अनुभव अथवा घटना को देख कर ही समझ सकते हैं और उसके अनेक रहस्यों को जान सकते हैं।

वर्तमान युग में दृश्य सहायक साधन घटनाओं को समझने में, उनका उदाहरण उपस्थित करने में तथा उनके वर्णन का चित्रमय दिग्दर्शन कराने में काम में लिये जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप की अनुपस्थिति में उसकी नकल पेश करने में तथा चित्र-मय भाषा में किसी बात को प्रस्तुत करने में भी दृश्य सहायक साधन उपयोग किये जाते हैं। ऐसा करने से बात जल्दी और सरलता से समझ में आ जाती है।

दृश्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष आँख और बुद्धि का दोनों का एक साथ मेल है जिसके कारण व्यक्ति किसी भी बात के सम्पूर्ण पक्ष को भली प्रकार रुचि पूर्ण ढंग से समझ सकता है। देखे हुए अनुभव का मानसिक अथवा बौद्धिक अनु-भव समझ एवं चेतना दोनों को उत्पन्न करता है। इसी कारण शिक्षा में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का बहुत बड़ा महत्वहै।

छपे हुए शब्द, श्यामपट, भीत पत्र, फोटो ग्राफ, ग्लोब, नक्शे, चार्ट, मॉडल, ध्वनि टेप अथवा प्लेट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म, रेडियो, प्रोजेक्टर तथा टेलीविजन आदि सभी साधन मनुष्य की सीखने सिखाने की इच्छा के उत्तम उदाहरण हैं। इन श्रव्य दृश्य सहायक साधनों द्वारा भूत काल की घटनाओं को

वर्तमान में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है तथा वर्षों और शताब्दियों लम्बी पुरानी बातों को आज भी थोड़े समय के अन्दर देखा जा सकता है।

समय की दूरी के अतिरिक्त स्थान की दूरी के भिन्न-भिन्न विदेशों की बातों को भी घर बैठे देखा जासकता है। इस प्रकार इन साधनों द्वारा विश्व भर के सभी लोग किसी भी कोने में घटित बातों को चाहे जिस स्थान पर और चाहे जब देख सकते हैं। इन साधनों ने समय और स्थान की दूरी को दूर कर विश्व भर को एक स्थान बना दिया है। इसलिए ये साधन शिक्षा प्रसार का उत्तम साधन हैं। परन्तु ये साधन अपने में कोई परि-पूर्ण नहीं है, ये है केवल सहायक ही, सीखने और सिखाने के उपकरण मात्र। इनके प्रयोग से विषय रुचिकर, सरल और विवेकपूर्ण बन जाता है, जिससे शिक्षक का कार्य अधिक व्यव-स्थित और प्रभावपूर्ण हो जाता है।

आईये अब विचार करें कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। मस्तिष्क की सारी क्रिया का सीधा अथवा जटिल सम्बन्ध ज्ञान तन्तुओं द्वारा प्राप्त उन अनुभवों से होता है जो व्यक्ति को बाहरी संसार से प्राप्त होते हैं। जैसे पेट की क्रिया इस बात पर निर्भर है कि उसे खाने को क्या मिलता है, इसी प्रकार मस्तिष्क की क्रिया भी इस पर निर्भर है कि ज्ञान तन्तु उसके पास सोचने के लिए बाहरी दुनिया से कौने से अनुभव भेजते हैं। ये सामग्री तीन प्रकार से प्राप्त हो सकती है :—

1. किसी वस्तु अथवा घटना अथवा दृश्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किसी भी ज्ञान इन्द्री द्वारा, आँख, कान, नाक, स्वाद अथवा स्पर्श आदि द्वारा।
2. ज्ञान इन्द्री द्वारा किसी वस्तु अथवा दृश्य का साक्षात्कार उसके प्रतिबिम्ब चित्र, फोटो, या मॉडल आदि द्वारा।

3. लिखित संकेतों द्वारा किसी भी वस्तु, स्थान, दृश्य, घटना आदि का ज्ञान पढ़कर करना ।

ज्ञान प्राप्ति के ये तीनों ही प्रकार महत्वपूर्ण हैं और अपना-अपना स्थान रखते हैं । इनमें किसी का भी प्रयोग यथा स्थान, यथा समय और यथा आवश्यकता, उपयुक्तता के आधार पर किया जाना चाहिए ।

**1. वास्तविक साक्षात्कार**

सीखने सिखाने का यह रूप पूर्णतया स्वाभाविक तथा अत्यन्त सरल है । यह यथार्थ, राशिभूत और स्थाई होता है । उदाहरणार्थ किसी नए पशु, मशीन अथवा फल आदि का जिसको शिक्षार्थियों ने नहीं देखा हो, ज्ञान कराने के लिए कितना ही लम्बा लिखित वर्णन पढ़ना भी उतना उपयोगी नहीं होगा जितना उस वस्तु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार । प्रत्यक्ष साक्षातकार के बाद लिखित वर्णन की आवश्यकता ही नहीं है । इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होगा वो यथार्थ रूप, स्पष्ट, वास्तविक और उपयोगी होगा । इस प्रकार के सीधे प्रत्यक्ष अनुभव पूरी जानकारी के लिए आवश्यक हैं और इन्हीं के ऊपर व्यक्ति के मस्तिष्क की क्रिया एवं ज्ञान का विस्तार आधारित है ।

दैनिक जीवन में जब हम कहते हैं, "कोयले जैसा काला", "घोड़े जैसा पुष्ट", अथवा बिजली की चमक जैसा तेज या गतिमय", तो हमारा उद्देश्य जाने पहचाने अनुभवों की सहायता से नए अनुभवों को समझाना होता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य के पास जाने पहचाने अनुभव जितने अधिक होंगे, उतनी ही उसकी ज्ञान शक्ति अधिक होगी । वह नए अनुभवों को, नए ज्ञान को अपने पुराने अनुभवों के आधार पर सरलता से समझ सकेगा ।

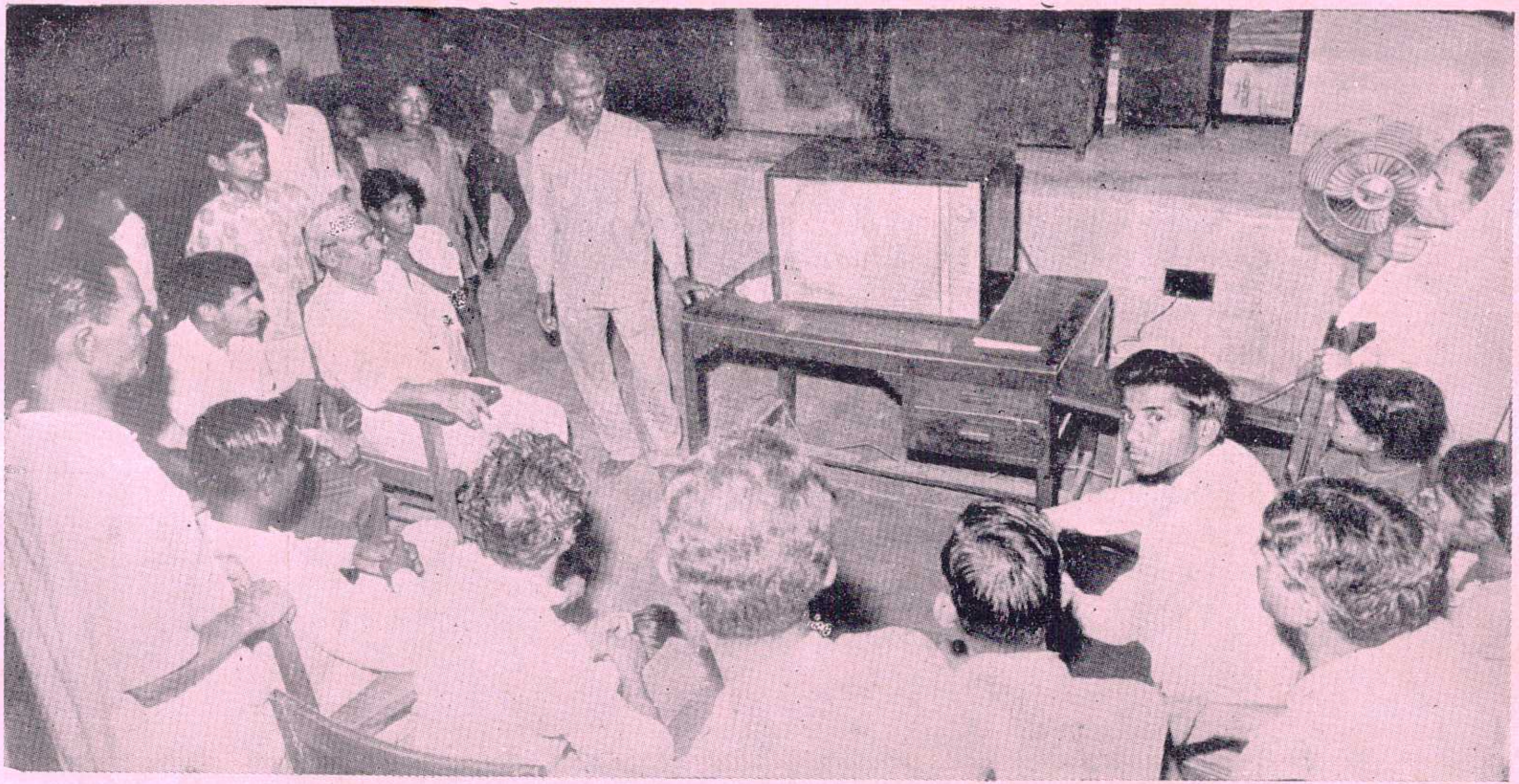

दिल्ली की एक टैली क्लब

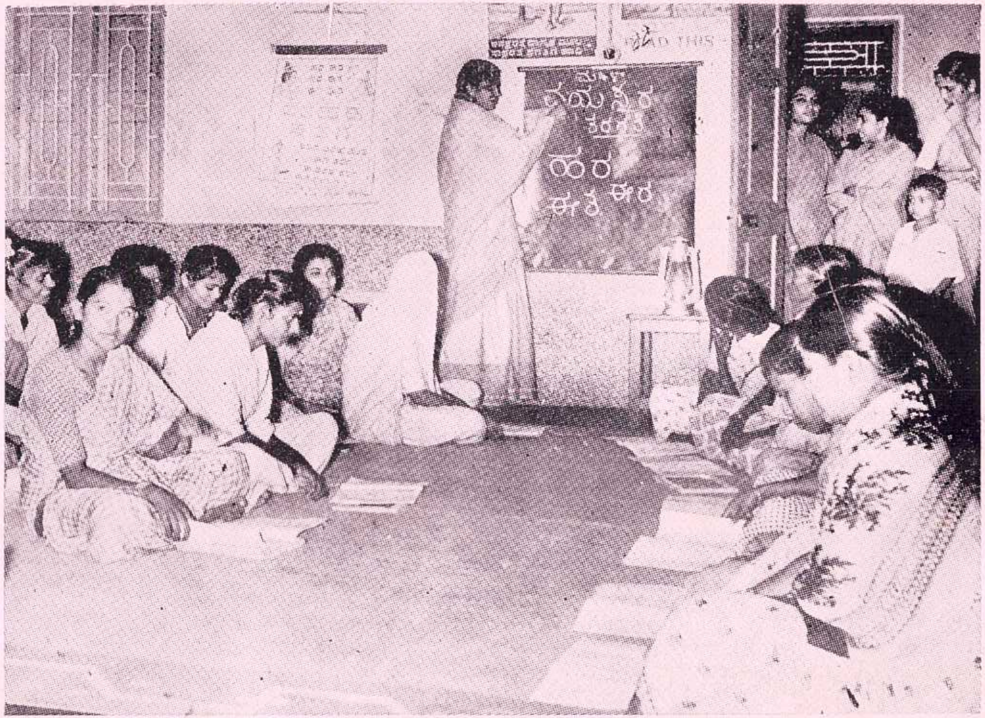

मैसूर की एब प्रौढ़ साक्षरना कक्षा

इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षरता कार्यक्रम में शिक्षार्थियों को वास्तविक वस्तुओं का साक्षात कराने के अधिक से अधिक अवसर दिये जाने चाहियें, ताकि उनकी विचार और समझ शक्ति अधिक विस्तरित हो सके। कुछ नमूने अथवा वस्तुएँ तो कक्षा में दिखाई जा सकती हैं, कुछ प्रदर्शनियों एवं नाटक आदि में अनुभव कराई जा सकती हैं और शेष शिक्षण यात्राओं व भ्रमण आदि में।

फिर भी आज के युग में इतनी प्रकार के और इतनी बड़ी संख्या में रोज नए-नए और जरूरी अनुभव होते रहते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के लिए उन सबका वास्तविक साक्षात्कार करना न तो सम्भव ही है और न ही उपयोगी अथवा उचित। उदाहरणार्थ दुर्घटनाओं, रोगों, अग्निकांडों और असभ्य व्यवहारों का प्रत्यक्ष अनुभव करना या कराना अनुचित है और अहितकर भी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं, जिन का प्रदर्शन कक्षा स्थल पर होना सम्भव नहीं है, जैसे दिल की क्रिया या किसी नई मशीन की कार्य-विधि। ऐसी दशा में हमें अनुभव प्रतिबिम्बों के द्वारा अथवा फोटो, मॉडल, फिल्म आदि के द्वारा ही समझाने होंगे।

ऐसी दशा में यह शिक्षक की चतुराई और समझ पर ही निर्भर होता है कि वो सभी महत्वपूर्ण अनुभवों, क्रियाओं, वस्तुओं तथा स्थानों की सूची बनावे जो प्रत्यक्ष अथवा प्रतिबिम्बों द्वारा दिखाए समझाए जा सकते हैं। इनमें से जिसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया जा सकता है, उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाय और दूसरों का अन्य उपायों द्वारा। ऐसा करने से शिक्षण कार्य रुचिकर भी हो जाएगा और सरल भी।

यह समझ लेना जरूरी है कि जब प्रौढ़ पढ़ना आरम्भ करते हैं, तो सम्भवतया बाह्य जगत के बहुत थोड़े अनुभव उन्हें होते

हैं । परन्तु जैसे जैसे वे पढ़ते जायेंगे, उन्हें अनेकों नए अनुभवों का ज्ञान होगा । यह ज्ञान उन्हें इस प्रकार प्राप्त होना चाहिए कि वे उसे सार्थक और उपयोगी पावें । यह भी साथ ही जरूरी है कि यह ज्ञान और समझ उन्हें कम से कम समय में और अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके और इसके लिए उन्हें बहुत कठिन परिश्रम न करना पड़े ।

## 2. प्रतिबिम्बों द्वारा साक्षात्कार

जिन-जिन अनुभवों का वास्तविक साक्षात्कार सम्भव अथवा उचित नहीं होता, उनका ज्ञान कराने के लिए हम प्रतिबिम्बों का सहारा अनेक प्रकार से लेते हैं, और यह ज्ञान पाने का दूसरा तरीका है । इसमें ज्ञानेन्द्रियों का वास्तविक वस्तु, घटना, स्थान अथवा अन्य कोई अनुभव उनके प्रतिबिम्बों, चित्रों, फोटो, अथवा माडलों द्वारा कराया जाता है । ये श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री साधन वास्तविक वस्तु, घटना, एवं स्थान आदि का ज्ञान शिक्षार्थी को बड़ी सरलता से कराते हैं । भिन्न-भिन्न स्थानों के रीति, रिवाज, पहनावा, आचार और व्यवहार, उपज और उसके तरीके आदि फोटो, चित्र, चार्ट, फिल्म द्वारा आसानी से कहीं भी सभी को दिखाए समझाए जा सकते हैं ।

इन साधनों के द्वारा दूसरे अनुभव भी जो स्थान की दूरी अथवा समय की अनिश्चितता, विषय की उपयुक्तता अथवा और किन्हीं कारणों से वास्तविक रूप में नहीं देखे या दिखाए जा सकते, शिक्षार्थियों को दिखाए समझाए जा सकते हैं । उदाहरणार्थ साधारणतया दूरी के कारण सभी व्यक्ति हिमालय की चोटी एवरेस्ट अथवा मिस्र के पिरामिड, अथवा वास्तविक वातावरण में ऐस्कीमों या कोई ज्वालामुखी और उसका विस्फोट या कोई ऐतिहासिक स्थान या भवन

या कोई मशीन और ऐसे ही अनेकों और अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी दशा में जबानी बातचीत अथवा लिखित विवरण के साथ-साथ यदि फोटो, फिल्म, चित्र और माडल आदि दिखाए जा सकेंगे तो इन सभी विषयों का ज्ञान बड़ी सरलता से और स्पष्ट हो सकेगा।'

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें भी हैं जहाँ वास्तविक वस्तु बहुत सूक्ष्म, बहुत उलझी हुई, बहुत तीव्र गति वाली, अथवा बहुत धीमी या बहुत हल्की या न सुनाई देने वाली हो। ऐसी दशा में उस का वास्तविक साक्षात्कार भी व्यर्थ हो जाएगा और कुछ समझ में न आएगा। ऐसी चीजों को, यदि माडल द्वारा या व्यवस्थित फोटोग्राफी द्वारा, धीमी अथवा तेज, छोटी अथवा बड़ी करके दिखाया जाये, तो वो अच्छी तरह समझ में आ सकती हैं।

फिर कुछ ऐसी बातें जैसे बर्फ गिरना (हिमपात), ग्रहण सूर्य और चन्द का, बाढ़ और अग्निकांड ऐसे अदभुत गोचर विषय हैं जिनको पहले से जाना नहीं जा सकता। तो फिर इन विषयों का या घटनाओं का वास्तविक साक्षात्कार चाहे जहाँ और चाहे जब कैसे हो सकता है। ऐसी दशा में भी हमें प्रतिबिम्बों का सहारा ही लेना पड़ेगा। फिल्म ऐसे ज्ञान के प्रसार में बहुत उपयोगी साधन है।

### 3. संकेतों द्वारा साक्षात्कार और ज्ञान

वस्तुओं, स्थानों, भवनों, घटनाओं आदि आदि के बारे में उनका लिखित वर्णन पुस्तकों, परिपत्रों आदि में पढ़कर जानना ज्ञान प्राप्ति का तीसरा तरीका है। वास्तव में मौखिक अथवा लिखित रूप से चर्चा करना ज्ञान प्राप्ति का बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है। सूचना प्रसार और विचार विमर्श का यही सब से

उत्तम और अनिवार्य ढंग है। संकेतों का ज्ञान हुए बिना कोई भी ज्ञान पूरा नहीं है। और कोई भी अन्य साधन न तो स्थाई हो सकते हैं, न अन्नत और न ही विश्वव्यापी।

लिखित रूप से ज्ञान प्रसार में यह आवश्यक हैं कि नया ज्ञान पुराने जाने पहचाने अनुभवों के आधार पर ही दिया जाये। यदि ऐसा न हुआ तो नई बात कभी समझ में न आवेगी और परिश्रम व्यर्थ रहेगा।

**श्रव्य दृश्य सहायक साधनों का शिक्षा प्रसार में प्रयोग।**

शिक्षा प्रसार में श्रव्य दृश्य सहायक साधनों के प्रयोग की चर्चा हमने की। इन साधनों के महत्त्व को भी दर्शाया। यह सब कुछ होते हुए भी यह समझना जरूरी है कि ये सहायक साधन शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग हैं, कोई पृथक अथवा कोई नई बात नहीं और न ही अपने में सम्पूर्ण। न अकेला साक्षात अथवा प्रतिबिम्बित अनुभव काफी है और न ही अकेली मौखिक अथवा लिखित चर्चा। दोनों का समन्वयित मेल ही ज्ञानोपार्जन का उत्तम साधन है। श्रव्य दृश्य सामग्री केवल सहायक साधन मात्र हैं। उनमें न कोई जादू है, न कोई चमत्कार। ये न तो पुस्तक का स्थान ले सकते हैं और न ही याग्य शिक्षक के कलापूर्ण चातुर्य का लाभ पहुँचा सकते हैं। मौखिक शिक्षण तथा पठन-पाठन तो अवश्य ही करना होगा, सहायक साधन हों अथवा न हों। भेद केवल इतना है कि साधन होंगे, तो समझना आसान होगा।

सहायक साधन शिक्षण को रुचिकर, सरल और अधिक उपयोगी बना देते हैं क्योंकि :—

1. साधनों के प्रयोग से पढ़ने-लिखने की क्रिया में थोड़ा विश्राम प्राप्त होता है; इसलिए पाठ में उनके प्रयोग

से रुचि बढ़ जाती है। ये रटाई करने के शुष्क और भार रूपी तरीके में परिवर्तन उपस्थित कर पढ़ाई के बोझ को हल्का करते हैं।

2. श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग से पाठकों को क्रियात्मक योगदान का अवसर मिलता है जिससे नए विचार जागृत होते हैं और विचारों का आदान प्रदान करने की स्वतन्त्रता भी।
3. श्रव्य दृश्य सहायक साधनों के प्रयोग से पाठ आसानी से समझ में आ जाता है और याद बनी रहती है। ऐसा इसलिए सम्भव है कि इन साधनों के द्वारा पाठ में बताई गई बातों का पुराने अनुभवों से सामंजस्य जल्दी स्थापित हो जाता है और एक साथ कई ज्ञान इन्द्रियों के प्रयोग में आने से ज्ञान प्राप्ति और उसकी स्मृति में सुगमता आ जाती है। बौद्धिक शक्ति पर नई बात का प्रभाव अधिक स्पष्ट और ठोस होता है।
4. श्रव्य दृश्य सहायक साधनों के प्रयोग से शारीरिक एवं बौद्धिक प्रवृत्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं। मन की इस एकाग्रता से पढ़ने में रुचि अधिक होती है और ध्यान जमता है। पाठ यदि रुचिपूर्ण हो और ध्यान उस पर केन्द्रित हो जाए, तो उसके समझने और याद रखने में बड़ी सुविधा हो जाती है।
5. श्रव्य दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग शिक्षार्थियों को स्वयं कार्य करने और योगदान देने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए पाठक सम्पूर्ण कार्य में बराबर के भागीदार बन जाते हैं। इस प्रकार उनमें नेतृत्व के गुण उपस्थित होते हैं।
6. श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से ज्ञान जिज्ञासा की तृप्ति सरलता से हो जाती है। इसलिए आगे और अधिक

जानने की चाह जागृत होती है। ज्ञान की इस चाह को पैदा करना ही हमारे कार्यक्रम की सफलता है।

7. श्रव्य दृश्य सहायक साधनों के प्रयोग से शिक्षार्थियों को कितने ही पुराने और कितनी ही दूर के, भूत और वर्तमान के और विश्व भर के विषय विशेषज्ञों के विचार सुनने समझने को घर बैठे जब चाहें मिल सकते हैं। और वो भी बड़े रुचिपूर्ण, प्रेरणादायक और सरल तरीके से। गिने चुने विद्वानों के विचार, बिना समय और स्थान की दूरी के प्रभाव के, सभी पाठकों के लाभार्थ किसी भी और तरीके से नहीं पहुँचाए जा सकते।

उपरोक्त सातों विशेषताएँ शिक्षा के लगभग सभी प्रकार के श्रव्य दृश्य सहायक साधनों पर बराबर घटती है। चाहे वे साधन केवल दृश्य साधन हों, जैसे श्यामपट, भीतपत्र, खद्दरग्राफ, फोटोग्राफ, फ्लेश कार्ड, नक्शे, चार्ट, ग्लोब, माडल, स्लाइड, चित्र, मूक फिल्म आदि, चाहे केवल श्रव्य साधन जैसे ग्रामोफोन रेकार्ड अथवा टेप रेकार्ड, रेडियो आदि और चाहे श्रव्य दृश्य दोनों जैसे फिल्म और टेलिविजन और चाहे जिनमें देखना, सुनना और करना सभी साथ-साथ हों जैसे ड्रामा, कठपुतली अथवा शिक्षण यात्रा आदि।

इन सब में से कौन से साधन किस समय उपलब्ध और उपयुक्त होंगे, ये देखना शिक्षक पर ही निर्भर करेगा। शिक्षक पर ही शिक्षार्थियों की समझने की योग्यता, सामग्री की उपयुक्तता और उपलब्धता के आधार पर इन साधनों की छाँट और प्रयोग का दायित्व रहेगा।

एक बार फिर याद दिला दें कि आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि प्रौढ़ साक्षरता कार्य के साधारणत्या तीन प्रकार होते है। बल्कि इन्हें श्रेणी कहना अधिक ठीक होगा।

एक पूर्व साक्षरता, दूसरा साक्षरता मध्य और तीसरा उत्तर साक्षरता। उत्तर साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य, प्राप्त ज्ञान का शिक्षार्थी में पक्का करना और उसके उपयोग करने की सामर्थ पैदा करना है।

पढ़ने लिखने की कला को भली प्रकार समझकर, उसका प्रयोगकर स्वयं ही नए ज्ञान की प्राप्ति करते रहना ही साक्षरता कार्यक्रम का वास्तविक ध्येय है। इस प्रकार ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाते रहने की योग्यता आ जाती है और शिक्षा क्रम जीवन प्रयन्त निरन्तर चलता रहने वाला कार्यक्रम बन जाता है।

पूर्व साक्षरता काल में शिक्षक को एक क्षेत्र निश्चय करना पड़ता है जिसमें वह साक्षरता कार्य चलाएगा। इस क्षेत्र का एक विस्तृत सर्वे करना होगा ताकि यह जाना जा सके कि कितने प्रौढ़ निरक्षर हैं, कितने पढ़ना सीखना चाहते हैं, कितनों को सीखना चाहिए। कितनों के लिए कार्यक्रम उपयोगी होगा। वे कौन-कौन से धन्धे करते हैं। उन्हें अवकाश कब मिलता है। अवकाश का वे क्या उपयोग करते हैं। उनकी क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या-क्या रुचियाँ हैं और कैसा कार्यक्रम उनको प्रेरणा दे सकेगा एवं रुचिकर होगा। जब निरक्षर प्रौढ़ों की संख्या, उनकी तत्पर्ता और उनकी मानसिक योग्यता का पता लग गया, तो कार्य की व्यवस्था का आरम्भ करना होगा।

यह सब जान लेने पर इस क्षेत्र में एक आबहवा (वातावरण) पैदा करने के लिए शिक्षक को एक साक्षरता आन्दोलन करना होगा। वहाँ के नागरिकों को अपना उद्देश्य बताना होगा। उनकी सहायता और सहयोग लेना होगा। उनको साक्षरता कार्य के लाभ बताने होंगे। प्रेरित करना होगा। जगह-जगह सभाएँ करनी होंगी और अधिक से अधिक स्थानीय नागरिकों को अपने साथ लेना होगा। ऐसा आन्दोलन सफलतापूर्वक करने के

लिए सभी प्रकार के साधन काम में लाने होंगे। पोस्टर, पैमफ्लेट्स, भीत पत्र अथवा लिखाई, लाउडस्पीकरों पर घोषणा, सभा, व्याख्यान, कठपुतली अथवा नाटक और फिल्म आदि सभी साधन यथा उपलब्धि काम में लाने होंगे, ताकि कार्यक्रम का ढँढोरा दूर-दूर तक सारे क्षेत्र में पीटा जा सके। उन सब को ही यह भली भांति समझाना है कि साक्षरता प्रोग्राम अवकाश के सद्पयोग का एक लाभ पूर्ण प्रोग्राम है, पुरुषों, महिलाओं और बालकों के सभी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। वे सभी पढ़ने लिखने को कला सीख सकते हैं और इस ज्ञान के द्वारा अधिक पढ़ सकते हैं, अधिक पैदा कर सकते हैं, अधिक कमा सकते हैं और भावी जीवन को अधिक समृद्धिशाली और सुखी बना सकते हैं।

मनोनीत क्षेत्र में भली प्रकार वातावरण उपस्थित हो जाने पर प्रौढ़ शिक्षार्थी कक्षाओं में साक्षरता ज्ञान के लिए आना आरम्भ करेंगे और आपके कार्यक्रम का मुख्य भाग आरम्भ होगा। इसके लिए पाठ्य सामग्री, पुस्तक आदि तो प्रयोग में लाएँगे ही। परन्तु साथ-साथ यदि चार्ट, नक्शे, फोटो, श्यामपट, भीतपत्र, खद्दर ग्राफ, फ्लेश कार्ड तथा फिल्म स्ट्रिप आदि भी काम में यथा स्थान पाठ के साथ-साथ लाए जाएँ, तो बहुत उत्तम होगा। शिक्षण आकर्षक, रुचिकर, सरल और उपयोगी जान पड़ेगा। इस काल में कभी-कभी रेडियो और फिल्म आदि का प्रयोग भी लाभकारी होगा। इससे पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। कभी-कभी शिक्षण यात्रा आदि के प्रोग्राम भी होने चाहिएँ। शिक्षार्थियों को इनकी व्यवस्था स्वयं करने का अवसर मिलेगा और उनका सहयोग बढ़ता जाएगा। वे प्रोग्राम को अपना लेंगे और ऐसा हो जाने पर कार्य की सफलता में कोई सन्देह न रहेगा। कभी-कभी पाठ्यक्रम सम्बन्धी विषयों पर विषेषज्ञों

के रेडियो भाषण बहुत लाभकारी होंगे । सम्बन्धित विषयों पर यदि कोई फिल्म मिल जाए, तो पाठकों को बड़ा उत्साह मिलेगा और उनमें साहस और श्रद्धा होगी ।

साक्षरता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर यह जरूरी है कि शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि नया पाया हुआ ज्ञान भुला न दिया जाय । वे फिर दुबारा निरक्षर न हो जायें । वास्तव में उत्तर साक्षरता का समय साक्षरता काल में प्राप्त की गई पढ़ाई-लिखाई की कला के प्रयोग का समय है । अभ्यास का समय है । ताकि इस अभ्यास और प्रयोग के कारण नया पाया हुआ ज्ञान पक जाए और फिर पुस्तकों को पढ़-पढ़ कर ही नव साक्षर स्वयं ही अपनी योग्यता को आगे से आगे बढ़ा सकें । इसलिए इस कार्यक्रम के लिए सरल और उपयुक्त पाठ्य सामग्री की उपलब्धि बहुत जरूरी है । पाठ्य सामग्री में पुस्तकें, पत्रिकाएँ, दैनिक समाचार पत्र, भीतपत्र आदि सभी उपयुक्त वस्तुएँ शामिल हैं । नवसाक्षरों के लिए विशेष प्रकार के सूचनात्मक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम भी भाषण, ड्रामा कहानी आदि के रूप में बहुत उपयोगी रहते हैं ।

इन सब तथ्यों को जान कर आप यह मानेंगे कि प्रारम्भिक साक्षरता का कार्यक्रम एक लम्बे समय तक चलना चाहिए और जब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि नवसाक्षरों में इतनी योग्यता हो जाए कि वे अपने पढ़ाई-लिखाई के नए ज्ञान को काम में लाकर जीवन सम्बन्धी बातों को पढ़कर उनका ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकें । समस्याओं का हल ढूँढ सकें और पढ़ने की रुचि इतनी बढ़ जाए कि निरन्तर अपनी पढ़ाई जारी रखें । ऐसा जब ही हो सकता है कि जब साक्षरता कार्यक्रम की तीनों सीढ़ियों, पूर्व साक्षरता, साक्षरता मध्य और उत्तर साक्षरता, की भली प्रकार व्यवस्था और समन्वय किया गया हो । ऐसा हो

जाने पर ही साक्षरता कार्यक्रम में लगाए गए धन और परिश्रम फलीभूत हो सकते हैं।

साक्षरता कार्यक्रम के तीनों स्तरों में श्रव्य, दृश्य, सहायक साधन किस प्रकार उपयोगी होते हैं, यह आपने समझ लिया। एक परिश्रमी शिक्षक किस प्रकार इस शुष्क कार्यक्रम को शिक्षण के इन सहायक साधनों के प्रयोग द्वारा रोचक, प्रेरणादायक, सरल, शिक्षाप्रद और उपयोगी बना सकता है, यह भी जान लिया। परन्तु एक बार फिर यह अवश्य याद कर लें कि ये सभी साधन केवल सहायक साधन हैं, शिक्षण का मुख्य भाग नहीं। ये उपयुक्त पुस्तक अथवा सुयोग्य शिक्षक का स्थान नहीं ले सकते।

साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में रेडियो, फिल्म, तथा टेलीविजन के महत्व पर समय-समय पर बहुत अधिक बल दिया जाता रहता है। उचित है कि इस प्रसंग पर थोड़ा विस्तार में विचार किया जाए। आईये! तीनों को एक एक करके देखें कि कहाँ तक ये साधन शिक्षण को रुचिकर, सरल, ग्राहीय, प्रेरणादायक और उपयोगी बना सकते है।

### 1. शिक्षा प्रसार में रेडियो

पिछले दो दशकों में रेडियो इतना जनप्रिय हो गया है कि लगभग प्रत्येक घर में ही इसे स्थान प्राप्त है। अब तो यह सार्वजनिक जीवन का एक अंग बन गया है। सर्वसाधारण के मनोरंजन की एक स्वभाविक वस्तु बन गया है। यह सूचना प्रसार, शिक्षण, मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति और विचार विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन बना है। रेडियो का शिक्षात्मक प्रभाव इसका केवल एक अंग है। परन्तु हम केवल इसी पहलू पर विचार करेंगे।

सबसे पहले हमको यह समझ लेना चाहिए कि रेडियो प्रोग्राम का शिक्षात्मक पहलू क्या है । रेडियो प्रसारण के उद्देश्यों में यदि हम स्पष्ट न होंगे, तो हो सकता है कि वे न तो शिक्षात्मक ही हों, न सूचनात्मक अथवा मनोरंजनपूर्ण । रेडियो प्रसार शिक्षात्मक जब ही हो सकता है जब वो पहले से ही किसी विशेष शिक्षात्मक विषय की जानकारी देने के लिए किया गया हो और वह विषय एक व्यवस्थित शिक्षात्मक श्रृंखला की कड़ी हो । उसकी विषय वस्तु, शैली, माध्यम तथा प्रस्तुतीकरण सब, सुनने वालों के शिक्षा पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों । शिक्षात्मक रेडियो प्रसारण की इन मुख्य विशेषताओं को भली प्रकार समझ लेना जरूरी है ।

शिक्षात्मक रेडियो प्रसारण के दो पहलू हैं, एक स्कूल प्रसारण और दूसरा जन शिक्षा हित प्रसारण । स्कूल रेडियो प्रसारण में तो सुनने वाले सभी समान स्तर के छात्र होते हैं । जो शिक्षकों की देख-रेख में प्रसारण सुनते हैं और समझते हैं । सुनने वाले छात्र लगभग एक ही आयु वर्ग के, एक ही मानसिक स्तर के और एक ही रुचियों के नवयुवक होते हैं । प्रसारण से पहले शिक्षक महोदय प्रसारण के बारे में कुछ परिचयात्मक चर्चा करते हैं । ताकि प्रसारण भली प्रकार समझ में आ जावे । प्रसारण के पश्चात् विचार विनिमय होता है । इससे शंका समाधान, विस्तरित ज्ञान एवं विचारों का आदान-प्रदान होता है । विषय का स्पष्ट ज्ञान होने में ये कार्यक्रम सहायक होता है ।

इन प्रसारणों का लक्ष्य न तो शिक्षक का स्थान लेना है और न ही पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त करना । इनका लक्ष्य केवल यही होता है कि किसी भी विषय पर शिक्षक द्वारा बताए गए ज्ञान का विषय विशेषज्ञों के विचारों द्वारा विस्तार

किया जाए। इस प्रकार लक्ष्य केवल सहायता का है, सहयोग का है, विस्थापन का नहीं। गिने चुने विशेषज्ञों के विचार, और किसी भी तरीके से देश के कोने कोने में सभी शिक्षार्थियों के पास नहीं पहुँच सकते। इस प्रकार रेडियो स्कूल शिक्षण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सहायता का साधन है और इसी-लिए कहीं-कहीं रेडियो प्रसारण को स्कूल के समय विभाग में ही स्थान मिला है।

**जन शिक्षण रेडियो प्रसारण**—सम्पूर्ण समाज के लिए घर बैठे सुनने के लिये होते हैं और इन प्रसारणों के द्वारा जन साधारण को ऐसे विषयों का ज्ञान दिया जाता है जो उनके जीवन से सम्बन्धित हैं और जिनका ज्ञान या तो उन्हें स्कूल में अथवा और किसी प्रकार नहीं मिल सका या जिसे वो भूल गए हों। आज के युग में जनशिक्षा का बड़ा महत्व है और इसी आधार पर रेडियो प्रसार के इस अंग को जन शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है। आजकल जीवन बहुत गम्भीर होता जा रहा है और पुराने अध्यात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा भौतिक सभी प्रकार के सिद्धान्त आज के बदलते युग में सामंजस्य स्थापित करने में असफल हुए हैं। पिछली शताब्दी तक तो जब मानव को सांसारिक एवं सामाजिक उलझनें आती थीं, तो वो पुरानी परम्परा के आधार पर उनको हल करता था। परन्तु आज की समाज में तो मनुष्य को अपनी स्वयं की योग्यता से ही ऐसी उलझनों का निर्णय करना होगा।

इसी कारण अब यह जरूरी हो गया है कि समाज के सभी अंगों को, बालक, स्त्री, पुरुष को, सुशिक्षित किया जाए। जन साधारण को प्रजातंत्र में उपयोगी नागरिक बनने के लिए सभी प्रकार का ज्ञान और योग्यता देनी होगी। प्रौढ़ शिक्षण अथवा जन शिक्षण का यह भारी और जटिल कार्यक्रम स्कूलों

के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए समाज शिक्षा केन्द्रों, पुस्तकालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, जनसंस्थाओं, युवक मंडलों और अनेक और ऐसे ही प्रोग्रामों और संस्थाओं की स्थापना हुई।

इन संस्थाओं ने अपने लक्ष्य अर्थात जन शिक्षण, की पूर्ति के लिए शिक्षा प्रसार के अनेक साधनों का सहारा लिया। परम्परागत कार्यक्रम जैसे कथा, प्रवचन, भाषण, सांस्कृतिक सम्मेलन, शिक्षण यात्राओं, पर्व, उत्सव, समारोहों, प्रदर्शिनियों व नाटक आदि कार्यक्रमों का सहारा लिया। इन सब साधनों का प्रयोग शिक्षा प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण है, परन्तु इसके साथ-साथ आधुनिक साधन रेडियो और फिल्म भी काम में लेने होंगे। टेलिविजन अभी जरा दूर की बात है।

यही कारण है कि शिक्षा प्रसार में रेडियो दिन प्रति दिन अधिक महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। जन शिक्षण में तो रेडियो विशेषकर उपयोगी सिद्ध हो रहा है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ सिवाए रेडियो के और कोई साधन नहीं मिल पाता। एक और कारण यह भी है कि जन शिक्षा अथवा प्रौढ़ साक्षरता की समस्या बड़ी जटिल होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों का मिलना असम्भव है। इसलिये यह कार्य साधारण योग्यता के कार्य कर्ताओं से ही कराना पड़ता है। ऐसी दशा में रेडियो का यह विशेष उपयोग है कि गिने चुने विषय विशेषज्ञों के विचार दूर से दूर रहने वाले नागरिकों को घर बैठे मिल जाते हैं। इससे विषय का पूरा ज्ञान तो शिक्षार्थियों को मिल ही जाता है, साथ ही शिक्षकों को भी प्रशिक्षण मिल जाता है और उनके ज्ञान का विस्तार भी हो जाता है। इससे शिक्षकों का काम कुछ सरल हो जाता है और वे सफलता पाने के तथ्यों को समझ लेते हैं। रेडियो

द्वारा दी गई इस प्रकार की सहायता से अनेकों स्थानों पर लाभ उठाया जाता है।

इसी उपयोग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो प्रसार का आकर्षण काफी रहता है। क्योंकि रेडियो द्वारा ही तो उन्हें अपने शुष्क जीवन में मनोरंजन के कुछ क्षण नसीब होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो प्रसार केवल शिक्षार्थ ही नहीं सुने जाते बल्कि सूचना प्राप्ति और मनोरंजन के लिए भी सुने जाते हैं। साथ ही प्रोग्राम सुनने के लिए क्षेत्रीय निवासी बिना भेद-भाव के साथ उठते बैठते बोलते हैं तो इससे उनमें सामाजिक एकता की भावना भी जागृत होतीं है।

रेडियो प्रसारण से पहले विषय की भूमिका अथवा परिचय और प्रसार के बाद उस पर विचार विनिमय चाहे उपयोगी हो न हो, फिर भी सुनने वालों को क्रियात्मक सहयोग का अवसर तो देता ही है और उनमें बोलने, सोचने, समझने, तर्क करने और दूसरों को समझाने की शक्ति उत्पन्न करता है। यह बहुत बड़ा उपयोग है। सुनने वालों में से कुछ विशेष योग्यता वाले यदि प्रसार केन्द्र पर स्वयं प्रसार करें तो उनके जानने वाले जब उनके विचार सुनेंगे और वे स्वयं सुनेंगे तो सभी को बड़ा उत्साह होगा और प्रेरणा मिलेगी। ये कार्यक्रम इसलिये भी जनप्रिय है कि इसमें कोई बहुत तैयारी की आवश्यकता नहीं है। देश के दूर से दूर के कोने में बैठे हुए भी बस एक बटन घुमाओ और प्रोग्राम आपकी सेवा में सुनाई देने लगा। न दूरी की परवाह न आपके पद की चिन्ता। जिसने भी बटन दबाया बस प्रोग्राम हाजिर। इसलिये अनेक सीमाओं के होते हुए भी रेडियो प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है।

श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मूल सिद्धान्त यह है कि किसी भी वस्तु घटना एवं अनुभव को समझने में जितनी भी अधिक ज्ञानइन्द्रियों का प्रयोग साथ-साथ किया जाएगा, उतना ही स्पष्ट ज्ञान जानने वाले को प्राप्त होगा। पाँच ज्ञान इंद्रियों में से अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ और हाथ में से जितनी अधिक साथ-साथ उपयोग में आएंगी उतनी ही समझ स्पष्ट और आसान होगी।

यह मूल सिद्धान्त रेडियो प्रसार के सुनने में लागू नहीं होता। यहाँ तो केवल श्रवण शक्ति का ही प्रयोग होता है। रेडियो केवल एक तरफा साधन है। यह भी एक कमी है। इसीलिये प्रसार से पूर्व परिचयात्मक व्याख्या जरूरी है। इससे सुनने वालों को सक्रीय सहयोग का आभास होगा और कार्यक्रम में रुचि बढ़ जायेगी।

एक और कमी जो रेडियो प्रोग्राम में है, वह है विषय का चुनाव और प्रोग्राम प्रसार की व्यवस्था। इन दोनों में ही सुनने वालों का कोई हाथ नहीं होता। फिर भी कार्यक्रम को आवश्यकता नुसार व्यवस्था तोदी ही जाती है और विषय का चुनाव करने के लिए जो समिति बनाई जाती है यदि सुनने वालों के प्रतिनिधि भोउसमें सम्मिलित कर लिये जाएं, तो यह दोष भी दूर हो सकता है। कुछ सुनने वालों को प्रसार में स्थान दे दिया जाए तो और भी उत्तम होगा। इस प्रकार का सामन्जस्य सुनने सुनाने वालों में हो जाने से प्रोग्राम अधिक उपयोगी बन सकता है।

फिर भी हालांकि रेडियो के प्रयोग में कोई बहुत भारी कारीगरी की आवश्यकता नहीं है और न ही स्थान आदि की दूरी रुकावट डालती है, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में इसके उपयोग की सीमाएँ तो हैं ही। किसी कार्य में शिक्षा प्राप्ति

के रेडियो प्रोग्राम बड़े प्रेरक हो सकते हैं, परन्तु पूरा ज्ञान हर विषय का रेडियो द्वारा नहीं दिया जा सकता। केवल दैनिक जीवन उपयोग के विषयों पर सूचनात्मक ज्ञान दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ स्वास्थ्य, सफाई, भोजन, पोषण तथा इतिहास और साहित्य सम्बन्धी जानकारी रेडियो पर भली प्रकार दी जा सकती है। इससे सुनने वालों को विशिष्ठ ज्ञान सरल तरीके से समझ में आ सकेगा।

ऐसे प्रसारण में साधारण भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो आम बोलचाल की हो और विषय भी जीवन से सम्बन्धित होने चाहिए। आवाज साफ, वाणी मधुर और भाषा जानी पहचानी, प्रस्तुतिकारण रोचक और हास्य मिश्रित हो, तो बड़ा प्रभावशाली होगा। प्रोग्राम बहुत लम्बे न हों और सुनने के स्थान पर यदि उपयुक्त दृश्य साधनों जैसे पोस्टर, चार्ट आदिका प्रयोग भी किया जाए, तो प्रसारण का उपयोग और प्रभाव दोनों बढ़ जाएंगे।

आइये, अब थोड़ा फिल्म के बारे में भी विचार कर लिया जाए। शिक्षण में सहायक साधन के रूप में फिल्म का बड़ा महत्व है। इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों ही शक्तियाँ काम करती हैं। फिल्म के द्वारा देखने वालों के समक्ष दूर से दूर की विश्व भर की वस्तुएं और घटनाएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। दूर के अतिरिक्त कितने भी पुराने समय की बात भी फिलम के द्वारा देखने वालों को दिखाई समझाई जा सकती है। बहुत सी गम्भीर क्रियाएँ भी आसानी से प्रस्तुत की जा सकती है। प्रोग्राम रोचक भी होता है, सूचनात्मक भी और शिक्षाप्रद भी। सारी दुनिया के महान व्यक्तियों के अनुभव, सन्देश ओर उपदेश, उनकी योग्यता, भूत की सभी बातें और सभी देशों की सारी गौरव गाथा घर बैठे देखने को मिल जाती हैं। किसी बारीक से बारीक

महत्वपूर्ण क्रिया को भी बहुत नजदीक से देखा जा सकता है। विचार की ओर ध्यान को एकाग्रता एक दम ही हो जाती है। इसके साथ-साथ हर देखने वाला यही सोचता है। फिल्म में काम करने वाला मुख्य पात्र उसी को देख रहा है कि इसी एकाग्रता से देखी हुई घटना या कहानी या स्थान देर तक मस्तिष्क में बने रहते हैं और जल्दी याद होते हैं।

छोटी फिल्मों के द्वारा दैनिक समाचार और महत्वपूर्ण घटनाएं भली प्रकार प्रदर्शित की जा सकती हैं। इसी कारण डोक्युमेंन्ट्रीज तो शिक्षाप्रद, सूचनात्मक, मनोरंजक और प्रेरक होने के नाते बहुत ही जनप्रिय होती है।

शिक्षण क्षेत्र में अथवा शिक्षा के उपयोग के लिये उपयुक्त फिल्म की सहायता चाहे जहाँ और चाहे जब उपलब्ध नहीं हो सकती। सारे लाभ होते हुए भी यह एक ऐसी कमी है जिसकी पूर्ति कठिन है। फिल्म केवल कभी-कभी कुछ कठिन क्रियाओं को समझाने के लिये प्रदर्शित की जा सकती है और ऐसी दशा में बहुत उपयोगी भी होती है। इस प्रकार तो फिल्म के प्रयोग में रेडियो के प्रयोग से बहुत अधिक प्रभाव होता है, पर फिल्म के उपयोग में कमियाँ भी उतनी ही अधिक हैं। यह रेडियो की तरह सरलता से चाहें जहाँ और चाहे जब काम में नहीं लाई जा सकती है। इसके लिए साधन, सुविधाएँ और कला सब चाहिए जो कार्यक्रम को खर्चीला और सीमित बना देते हैं। इसीलिए इसका उपयोग बहुत सीमित है।

शिक्षण कार्य में सहायक साधन बनाने के लिए फिल्म विशेष रूप से बनानी होगी ताकि उनमें वही विषय लिए जाएं जिनकी शिक्षा देनी है। शिक्षा के हर विषय पर और शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार फिल्में नहीं मिल सकतीं।

भाषा का ध्यान भी इसीलिए जरूरी है। दूसरे फिल्म बहुत तेजी से चलती है और शिक्षार्थी इतनी जल्दी से अपने अनुभवों की ताल मेल फिल्म में देखे हुए ज्ञान से नहीं कर सकते। इसलिये नए ज्ञान को प्राप्ति जानी पहचानी बातों के द्वारा होती है, वाला सिद्धान्त काम नहीं लाया जा सकता।

इस कमी की पूर्ति करने के लिए भी रेडियो प्रसारण की तरह फिल्म का भी परिचयात्मक ज्ञान कराना होगा। दूसरे शिक्षण में सहायक साधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली फिल्म बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और न ही उसमें विचारों का जमघट होना चाहिए। एक समय में एक ही बात पर बल देना अधिक उपयोगी होगा। अधिक उपयोगी बनाने के लिए फिल्म के विषय सम्बन्धी कुछ दृश्य सहायक सामग्री चार्ट आदि भी काम में लाने चाहिए। फिल्म की कहानी (विषय) का संक्षिप्त विवरण आरम्भ में बाँट देना लाभकारी होगा।

इनमें से कुछ दोषों की पूर्ति मूक फिल्मों के प्रयोग से दूर हो सकती है। फिल्म स्ट्रिप भी उपयोगी होंगी। परन्तु यह युक्ति जब ही सफल हो सकती है जब कि व्याख्या करने वाला शिक्षक बहुत विद्वान और कौशलपूर्ण हो। उसकी वाक्य चातुरी और ज्ञान कौशल पर ही शिक्षण में सहायता मिलने का काम पूरा हो सकता है, और प्रोग्राम वास्तव में शिक्षाप्रद हो सकता है।

अब टैलीविजन की बात रही। यह तो बहुत नई खोज है परन्तु है बहुत महत्वपूर्ण। यह रेडियो और फिल्म दोनों के गुण युक्त है। इसका कार्यक्रम पहले से व्यवस्थित किया जा सकता है और लक्ष्य पूर्ति और आवश्यकता के अनुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। टैलीविजन की शिक्षा के सहायक साधन

के रूप में उपयोगिता को बहुत से देशों में माना है और साक्षरता तथा शिक्षा प्रसारार्थ इसका उपयोग किया जाता है। साक्षरता प्रसार के लिए विशेष प्रोग्राम बनाए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। इस तरीके से साक्षरता प्रसार में लगे हुए शिक्षकों को भी सहारा मिलेगा और अनेकों कार्य कर्ताओं को काम के साथ-साथ प्रशिक्षण भी मिल जाएगा। जैसे-जैसे वे प्रसारित प्रोग्राम पर बातचीत करते हैं और शंकाओं का समाधान करते हैं, उन्हें स्वयं भी शिक्षण को सरल, रूचिकर और उपयोगी बनाने की योग्यता मिल जाती है।

इस प्रकार टैलीविजन का महत्त्व शिक्षा के सहायक साधनों की गिनती में बहुत ऊँचा है, परन्तु इसके जनप्रिय होने में ओर सर्वसाधारण तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। ऐसा हो जाने पर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि टैलीविजन भी केवल सहायक ही रहेगा, शिक्षक अथवा पुस्तक का स्थान नहीं ले सकता।

आइये, अब थोड़ा दोहरा लें कि श्रव्य दृश्य साधन किस प्रकार शिक्षण में सहायक होते हैं।

1. उपयोगी और सफल होने के लिए साक्षरता कार्यक्रम प्रेरणादायक, रोचक और जीवनोपयोगी होना चाहिए। दैनिक व्यवसाय से सम्बन्धित तथा कार्य दक्षता उत्पादक होना चाहिए।
2. उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा के कार्यक्रम को प्रेरणादायक, रोचक, ग्राहीय और समझने योग्य बनाने के लिए अनेक श्रव्य दृश्य साधनों की सहायता ली जाती है।
3. ये सहायक साधन केवल दृश्य साधन भी हो सकते हैं,

जिनके द्वारा केवल देखा समझा जा सकता है। केवल श्रव्य साधन भी हो सकते हैं, जिनके द्वारा केवल सुना समझा जा सकता है । या श्रव्य दृश्य दोनों ही हो सकते है जिसमें देखना सुनना दोनों ही क्रियाएँ होती है तथा ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सुनना, देखना और करना तीनों ही क्रियाएँ शामिल होती है ।

4. ये सभी सहायक साधन शिक्षा क्रम के ही अंग हैं और कार्यक्रम को सरल और रुचिपूर्ण बनाने के काम लाए जाते हैं। इनकी सहायता से पाठ आसानो से समझ में आता है। और देर तक याद रहता है। परन्तु ये साधन केवल सहायक मात्र हैं, ये शिक्षक का अथवा पुस्तक का स्थान ले नहीं लेते हैं।

5. इन सहायक साधनों के प्रयोग से ध्यान केन्द्रित हो जाता है, विचार जागृत होते हैं, एकाग्रता प्राप्त होती हैं, समझने में आसानी हो जाती है। जिज्ञासा की तृप्ति होती है। क्रियात्मक योगदान की प्रेरणा मिलती है और समय तथा स्थान की दूरी से प्रभाव-रहित होकर विचारविनिमय की सुविधा मिलती है।

6. प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के तीन भिन्न-भिन्न स्तर हैं। साक्षरता पूर्व, साक्षरता मध्य और उत्तर साक्षरता।

7. ये सभी सहायक साधन प्रत्येक स्तर पर बराबर उप-युक्त नहीं हो सकते और न ही उपयोगो। इन साधनों में से उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता तथा स्पष्टता के आधार पर जो भी समय तथा परिस्थितिनुकूल उपयुक्त हो, वे शिक्षक को ही अपनी बुद्धि के अनुसार

छाँटने और प्रयोग करने पड़ेंगे, ताकि लक्ष्य की पूर्ति हो सके।

8. यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि सहायक साधन केवल सहायक साधन ही हैं, जिनके द्वारा क्रियात्मक सहयोग प्रेरित किया जा सकता है और प्रोग्राम सफल बनाया जा सकता है। ये साधन कोई प्रोग्राम का अन्त नहीं हैं, केवल साधन हैं और पढ़ाई लिखाई के ज्ञान प्रसार में सहायता करके हमारे लक्ष्य की पूर्ति करते हैं।

*अध्याय 8*

# प्रौढ़ साक्षरता और पुस्तकालय

तो अब आपने अपना काम आरम्भ कर दिया है ! बड़े जोरों पर। आपने प्रौढ़ निरक्षरों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इस काम के लिए आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मन लगा कर काम में जुट गये है।

आपने समस्याओं को समझ लिया है और उनका समाधान भी जान लिया है। आपने शिक्षण कार्य में श्रव्य दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग भी समझ लिया है और यह भी जान गए हैं कि शिक्षणकार्य को रुचिकर, सरल और उपयोगी बनाने के लिए किन साधनों को, कैसे और कहाँ काम में लाते हैं। समस्या यहाँ समाप्त नहीं होती। साक्षरता ही शिक्षा कार्यक्रम का अन्त नहीं है। यह तो केवल एक साधन है और वास्तविक शिक्षा का आरम्भ मात्र है। साक्षरता से लाभ प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करते रहना होगा। यह उपयोग जब ही जारी रह सकता है, जब साक्षरता काल में पढ़ाई की ओर रुचि जागृत हो गई हो। इसके साथ-साथ प्रत्येक नव साक्षर की आवश्यकतानुसार उपयुक्त पढ़ने की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। उपयुक्त पुस्तकों की उपलब्धि तो पुस्तकालय द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को उपयोगी और स्थाई बनाने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

पुस्तकालय किस प्रकार हमारे कार्य के सफल संचालन में सहायक हो सकते हैं, यह चर्चा करने से पहले आईये, एक बार साक्षरता की समस्या पर अब तक जो चर्चा की है उसका स्मरण करलें।

आप समझ गए हैं कि हमारे देश में प्रौढ़ निरक्षता की समस्या बड़ी जटिल है। चारों ओर से शिक्षा प्रसार को प्रोत्साहन देने के बावजूद भी देश के लगभग 70% निवासी निरक्षर हैं। गो साक्षरता के प्रतिशत में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, परन्तु निरक्षरों की संख्या तो जन्म दर की बढ़ोतरी के कारण बढ़ गई है। यही कारण है कि 15 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सक्रीय प्रौढ़ों में भी निरक्षरों की संख्या लगभग 15 करोड़ है। आप जानते हैं इस आयुवर्ग के प्रौढ़ तो देश के कमाऊ पूत हैं और यही तो देश की उन्नति का आधार हैं। फिर इनको निरक्षर कैसे छोड़ा जा सकता है। यह तो हमारा मुख्य दायित्व है। इतना ही नहीं प्रौढ़ साक्षरता आन्दोलन और व्यवसायोपयोगी साक्षरता प्रसार के अनेक कार्यक्रमों के बावजूद इस वर्ग में भी निरक्षरों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक ओर तो जन्म दर अभी बहुत ऊँची है और दूसरी ओर बहुत से बालक पढ़ाई अधूरी छोड़कर ही स्कूल जाना बन्द कर देते हैं। वे भी समय बीतने पर इसी प्रौढ़ निरक्षर वर्ग में शामिल हो जाते हैं। तो यह है हमारी आज की प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या।

इस निराशाजनक समस्या का हल खोजने से पहले इसके कारणों पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। इसके अनेक कारण हैं :—

1. निरक्षर प्रौढ़ जो यथा समय स्कूल ही नहीं गए अथवा जिन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, वे बिना स्वार्थों की

पूर्ति के पढ़ना ही नहीं चाहते। पढ़ाई में या तो उनको अनन्त आनन्द आना चाहिए, या वेतन वृद्धि का, किसी पुरस्कार का या पद वृद्धि का आश्वासन मिलना चाहिए, और साथ ही साथ पढ़ाई करने के पूरे साधन अवकाश के समय में, बिना किसी कष्ट के, निकट में ही उपलब्ध होने चाहिएं। तभी वे प्रेरणा पा सकते हैं।

2. इस वर्ग के कुछ निरक्षर प्रौढ़ यह जानते भी नहीं कि पढ़ाई के सब साधन उनके लाभार्थ, उनकी सुविधानुसार उपलब्ध हैं। इसका कारण प्रचार की कमी है। जब इस सुविधा का पता ही उनको नहीं, जिनके लिए यह सुविधा दी गई है, तो इसके उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. अधूरी पढ़ाई छोड़ देने वालों को संख्या भी बहुत अधिक है। ये लोग इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं कि शिक्षण कार्य उनको रुचिकर नहीं लगता। उन्हें शिक्षा के प्रति एक भय अथवा घृणा सी उपस्थित हो जाती है। कुछ समय बीतने पर वे निरक्षर हो जाते हैं, पिछला पढ़ा पढ़ाया प्रयोग न करने के कारण सब भूल जाते हैं। और फिर पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी पुरानी धारणा उन्हें प्रेरित ही नहीं होने देती। और वो कमाई के साथ-साथ भी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते।

4. अनेक निरक्षर माता पिता अपने बालकों को पढ़ने की प्रेरणा नहीं दे सकते और ऐसी परिस्थिति में वे भी निरक्षर रह जाते हैं।

5. जन साधारण को आज के विज्ञान और तकनीकी युग में, मशीनों और कम्पयूटरों के युग में, जनतन्त्रीय राज्य

व्यवस्था और समाजवाद के युग में, नई खोजों और उत्पादन विधियों के युग में पढ़ाई लिखाई की महान आवश्यकता का ज्ञान नहीं कराया जाता। इसीलिए जन साधारण को यह ज्ञान नहीं कि आज के युग में निरक्षर रह कर वो कितनी जोखम उठा रहा है।

6. वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार जो लोग साक्षर हो भी जाते हैं उनका ज्ञान इतना न्यून होता है कि वे उसका उपयोग पढ़ने-लिखने में लगातार नहीं कर पाते। बिना काम में लाए जो पढ़ना-लिखना सीखे भी थे, वो भीं भूल जाते हैं। इसीलिए साक्षरता के ज्ञान को काम में लाते रहने की सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध होनी चाहिएं, जब ही कार्यक्रम सफल हो सकता है।

इस सब चर्चा से हमने देखा कि प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या केवल भारी संख्या की समस्या नहीं है और न धन के अभाव की अथवा स्वार्थ पूर्ति की अथवा पढ़ना जारी रख कर नए ज्ञान के उपयोग करते रहने की। वह वास्तव में निरक्षरों में ज्ञान के इस अभाव के विस्तृत कुप्रभाव की, नासमझी की और शिक्षकों के त्यागमय परिश्रम की कमी की समस्या है।

निरक्षरता के कुछ मूल कारणों के इस संक्षिप्त अध्ययन के पश्चात आइये, अब यह विचार करें कि पुस्तकालय कहाँ तक और कैसे हमारी इन समस्याओं का समाधान कर सकता है और प्रौढ़ निरक्षरता को समाप्त कर प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कहाँ तक सहायक हो सकता है।

सामाजिक विकास में पुस्तकालय का योगदान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। पुस्तकीय आधार की शिक्षा, विद्वतापूर्ण भाषणों और विचार गोष्टियों के बावजूद भी, शिक्षाप्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति

नहीं कर सकती जब तक कि उसमें एक भली प्रकार व्यवस्थित पुस्तकालय, अनुभवी, और कर्मठ पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शिक्षा-प्रद प्रेरणादायक वातावरण का समावेश न हो। साक्षरता ज्ञान के प्रयोगार्थ और नागरिकों को देश के आर्थिक व राजनैतिक जीवन में क्रियात्मक योगदान के अवसर की प्राप्ति के मार्ग में जन पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। वास्तव में शिक्षाक्रम में पुस्तकालय का उतना ही महत्त्व है जितना प्राथमिक या माध्य-मिक या विश्वविद्यालयी या प्रौढ़ शिक्षा का। शिक्षा व्यवस्था की कोई भी योजना यदि पुस्तकालय को मान्यता नहीं देती तो वह अधूरी है और उसमें शिक्षाक्रम की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का अभाव रह जाएगा।

प्रौढ़ साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तो पुस्तकालय का योगदान बहुत ही क्रियात्मक है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का गोदाम नहीं है। ये तो प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा व सुविधा देने के साधन हैं। ग्राम से लेकर, ब्लाक, तहसील और जिला स्तर तक प्रत्येक स्तर पर पुस्तकालयों का होना जरूरी है। इन सभी पुस्तकालयों में नवसाक्षर और कम पढ़े लिखे लोगों के भिन्न-भिन्न व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिएं और साथ ही शिक्षण पठन व्यवस्था भी, तभी वे पुस्तकालय नागरिकों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूरी कर सकते हैं।

अभी तक हमारे देश में लगभग 65% जिलों में, 30% ब्लाक में और 5% ग्रामों में पुस्तकालयों की व्यवस्था है। जन पुस्तकालय की कमी और भी दुखदाई हो जाती है, जब यह देखते हैं कि देश के प्रति एक हजार नागरिकों में से केवल एक का नाम पुस्तकालय में दर्ज है। और प्रत्येक एक हजार दर्ज

पाठकों के पीछे केवल 16 पुस्तकें एक वर्ष में ली जाती हैं। इन 16 पुस्तकों में से भी व्यवसायों के ज्ञान की अथवा विकास विज्ञान की अथवा और कोई उपयोगी विषय की बहुत ही कम होती हैं। इससे स्पष्ट है कि केवल पुस्तकालयों का बढ़ाना ही काफी नहीं होगा जब तक कि नागरिकों में पढ़ने की रुचि न हो। इस रुचि का पैदा करना भी जरूरी है और यह जब हो सकती है जब पुस्तकालय में प्राप्त पुस्तकें उपयुक्त हों और पढ़ने वालों को रुचिकर, उपयोगी और सरल जान पड़ें। अब यह स्पष्ट हो गया कि पुस्तकालय की व्यवस्था, पढ़ने की चाह और उपयुक्त पुस्तकों की उपलब्धि, इन तीनों बातों में गहरा सम्बन्ध है और जब तक इन तीनों का साथ-साथ समाधान नहीं होगा, पुस्तकालय सेवा से कोई लाभ नहीं हो सकता।

पुस्तकालय केवल व्यक्तिगत विकास में ही सहायक हों, ऐसी बात नहीं है। पुस्तकालय तो पूरे राष्ट्र की उन्नति में सहायक हैं। पुस्तकों के अध्ययन से हर नागरिक का दृष्टिकोण विस्तरित होता है और वह एक उपयोगी नागरिक बन सकता है। पुस्तकालय हर प्रकार के पाठक की सेवा करते हैं। जो नागरिक अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है, पुस्तकालय उनकी सेवा करते हैं। बालकों को उनकी मानसिक जिज्ञासा की तृप्ति करने में सहायता देते हैं। माताओं की सेवा उनको शिशु पालन पोषण का ज्ञान देकर करते हैं। विद्यार्थियों की सेवा उनके ज्ञान वर्धन में सहायक बन कर तथा उनमें आर्थिक व सामाजिक योग्यताओं की उत्पत्ति करके करते हैं। किसानों और कारीगरों की सेवा पैदावार के नए तरीकों का ज्ञान देकर करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को सामाजिक ज्ञान देकर अपने अपने क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराकर करते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय की सेवा किसी भी विकसित समाज के

हर क्षेत्र में उपलब्ध होने से बड़ी सहायता मिलती है और विकास क्रिया जारी रहती है।

पुस्तकालय में पुस्तकें उपयोग के लिए एकत्रित की जाती हैं कोई प्रदर्शनी अथवा बिक्री के लिए नहीं। पुस्तकालय विश्व की संस्कृति का भंडार हैं। ये राष्ट्रोत्थान की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं जिनके द्वारा शिक्षा प्रसार कार्य में बड़ी सहायता मिलती है। ये शिक्षा प्रसार के बहुत बड़े उपयोगी साधन हैं। इनके द्वारा एक ओर पुस्तकों का और दूसरी ओर पाठकों का उपयोगी और आनन्दमय सम्पर्क स्थापित होता है। चूँकि आज के युग में नए से नया ज्ञान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और हर नागरिक को सभी जानने योग्य बातें जाननी चाहिएँ। इसलिए जरूरी है कि जन पुस्तकालयों की व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाए।

आप पहले जान चुके हैं कि हमारे देश के शिक्षित वर्ग में भी अधिकाँश लोग प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा ही प्राप्त कर पाये हैं। इस लिए भी पुस्तकालयों की व्यवस्था शिक्षित वर्ग को अपना ज्ञान आगे बढ़ाने की सुविधाएँ देने के लिए जरूरी है। पुस्तकालय के माध्यम से ही ये लोग पुस्तकों का अध्ययन कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। जब तक ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध न होंगी, अधिकाँश नागरिकों का ज्ञान सीमित ही रहेगा और वे राष्ट्रोन्नति में पूरी तरह सहायक न हो सकेंगे।

पुस्तक अध्ययन के इस पहलू को सफल बनाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों में पढ़ने की चाह भली प्रकार पैदा कर दे और उन्हें ज्ञानवर्धन, मनोरंजन, बौद्धिक विकास और सूचना प्राप्ति के लिए पुस्तकें आदि पढ़ने की आदत पड़ जाए। वास्तव में

स्कूल कुछ और सिखावे या न सिखावे परन्तु यदि उपयुक्त पुस्तकों और अन्य पाठ्य-सामग्री का अध्ययन करना ही भली प्रकार सिखा दे और समझकर इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का यथा योग्य उपयोग करने की आदत डाल दे, तो यह बड़ी सेवा होगी। अध्ययन करने, समझ लेने और व्यवहार में लाने के इस स्वभाव को पक्का करने के लिए पुस्तकालय का होना अनिवार्य है।

पुस्तकालय सेवा व्यवस्था के तीन मुख्य लक्ष्य हैं।

1. व्यक्तिव विकास
2. व्यवसायिक विकास
3. जन तंत्रीय व्यवस्था की पुष्टि के लिए नागरिक जागृति।

पुस्तकालय सेवा द्वारा नागरिकों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक तौर पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पैदा की जाती है। एक ओर पुस्तकालय जन-साधारण की आवश्यकताओं और रुचियों को समझकर उपयुक्त साहित्य के उत्पादन में योग दे सकते हैं और दूसरी ओर नागरिकों में पढ़ने की चाह पैदा कर उपयुक्त साहित्य की माँग पैदा करते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय सारो शिक्षित समाज की जीवन चर्या का केन्द्र बन जाता है। परन्तु यह समझ लेना जरूरी है कि कोई भी पुस्तकालय अकेले ही पूरी सेवा नहीं कर सकता। उसे आस-पास सम्बन्धित संस्थाओं से मिल जुल कर कार्य चलाना होगा।

प्रौढ़ शिक्षा हेतु पुस्तकालय के योगदान के बारे में कभी भी और कहीं भी दो मत नहीं हुए। प्रौढ़ शिक्षा प्रसार में पुस्तकालय की सेवा अनिवार्य है। देखना यह है कि जिस देश में निरक्षर लोगों की संख्या साक्षर लोगों की संख्या से बहुत

अधिक है, वहाँ पुस्तकालय सेवा जनसाधारण तक कैसे पहुँचे और कैसे उपयोगी हो। निरक्षरों को साक्षर बनाने में पुस्तकालयों का क्या योगदान हो। पुस्तकों में भरा ज्ञान जन साधारण के दैनिक जीवन में उपयोगी होगा, यह उन्हें कैसे समझाया जाए। पुस्तकालय जन-शिक्षा अथवा साक्षरता प्रसार की आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकता है, ये विचारणीय प्रश्न हैं।

सभी जानते हैं, कि हमारे देश में पुस्तकों का विशेषकर बड़े बड़े ग्रंथों का बहुत आदर किया जाता है। परन्तु पुस्तकें खरीद कर पढ़ने का और अपनी ज्ञान-पिपास मिटाने का स्वभाव हमारे देशवासियों का नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों में नागरिकों के दैनिक जीवन में उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराकर उनका यह स्वभाव बनाना होगा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य जनसाधारण को जीवनोपयोगी सम्पूर्ण शिक्षा देना है। केवल साक्षरता काफी नहीं। आज तो शिक्षा कोई गिने चुने लोगों की धरोहर नहीं रही और न ही किसी उद्देश्य प्राप्ति का साधन। आज तो शिक्षा जीवित रहने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, हर व्यक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए पुस्तकालयों का यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वे नव साक्षरों में पढ़ते रहने की आदत पैदा करें। और उन्हें उपयुक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने का चाव लगा दें। नवसाक्षरों को दुबारा निरक्षर बन जाने से रोकने का यही रास्ता है और यह पुस्तकालयों का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए।

पुराने समय में पुस्तकालय केवल पुस्तकों के भंडार मात्र अथवा ग्रंथरक्षाग्रह का काम देते थे। आज तो उन्हें प्रौढ़ शिक्षा

प्रसार में मुख्य योगदान देना है । देश में निरक्षरों की बड़ी संख्या के प्रति पुस्कालयाध्यक्षों का भी बहुत उत्तरदायित्व है। यह वास्तव में उनके लिए एक चुनौती है। चूँकि पुस्तकालयध्यक्षों का मुख्य शस्त्र पुस्तकें ही हैं, उन्हें चाहिए कि वे पूरी लगन के साथ अपने शस्त्रों को देश, काल और पात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनावें ।

प्रौढ़ साक्षरता के लिए आजकल स्कूल के विद्यार्थियों, अथवा साक्षरता आन्दोलनों अथवा साक्षरता कक्षाओं द्वारा जो कार्य हो रहा है, वो नवसाक्षरों में पूरी योग्यता पैदा नहीं करता । साक्षरता के पश्चात् नवसाक्षरों का मिलन उपयुक्त पुस्तकों से कराना और उनकी पढ़ाई जारी रहे, इसकी व्यवस्था करना पुस्तकालयों के द्वारा सम्पन्न हो सकता है । पुस्तकालयों में यदि उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध हों, तो वे नवसाक्षरों के लिए विशेषकर, और सभी पाठकों के लिए साधारणतया, स्वयं शिक्षा के केन्द्र बन जाएँ । इसका प्रयत्न करना पुस्तकालयाध्याक्षों का कर्तव्य होना चाहिए। वर्तमान आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभ्यता के स्तर को समझने और प्राप्त करने में नागरिकों को जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको दूर करने में पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकें बहुत सहायता कर सकती हैं। इसके लिए पुस्तकालयाध्यक्षों को नागरिकों के भिन्न-भिन्न समूहों में प्रवेश करना होगा । उनकी रुचियों से परिचय प्राप्त करना होगा । उनको संसार के लोगों के बारे में बताना होगा। उनकी समस्याओं, कठिनाइयों को समझना होगा और संसार के विशेषज्ञों का ज्ञान उन समस्याओं के सम्बन्ध में जिन पुस्तकों में भरा पड़ा है, उन्हें बताना होगा । ऐसा सम्पर्क स्थापित करने से ही वे नागरिकों को उपयुक्त पुस्तकों के अध्ययन से अपनी समस्याओं को हल करने की राह बता सकते हैं, उन्हें

अध्ययन गोष्ठियों, वाद-विवाद गोष्ठियों, पुस्तक पाठ्य परिषदों एवं श्रवण गोष्ठियों की व्यवस्था करनी होगी। ताकि वे जन-साधारण की समस्याओं को समझें और उन्हें पुस्तकों के अध्ययन द्वारा उनको सुलझाने के लिए मार्ग दर्शन दे सकें।

पुस्तकालयाध्यक्षों का एक और महत्त्वपूर्ण दायित्व यह है कि वो जन साधारण की पाठ्य रुचियों, आवश्यकताओं और समझ शक्तियों का अध्ययन कर योग्य लेखकों एवं प्रकाशकों को परामर्श देकर उपयुक्त साहित्य तैयार करवाने में सहायता दें, ताकि सभी नागरिकों की इच्छा, आवश्यकता और रुचि के अनुकूल पाठय सामग्री प्राप्त हो जाये। वे जनसाधारण में पढ़ने और पढ़ते रहने की रुचि उत्पन्न करके उनके मानसिक स्तर को उन्नत कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें ऐसा शिक्षाप्रद सरल और उपयोगी साहित्य उपलब्ध करना होगा जो जन-साधारण को प्रोत्साहन दे सके।

इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकालय, जिनका उद्देश्य ही जन शिक्षा प्रसार है, प्रौढ़ शिक्षण संस्थाओं से गहरा सम्पर्क रखें, जिनका स्वयं का लक्ष्य भी जन शिक्षण ही है। इस सामंजस्य को उपस्थित करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण भी सम्मिलित होना चाहिए, ओर पुस्तकालय संचालन का प्रशिक्षण प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ऐसा करने से पुस्तकालयाध्यक्ष प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य, उसकी रूप रेखा, उसके प्रकार को समझ जायेंगे तथा प्रौढ़ शिक्षक अपने काम में पुस्तकालय के महत्त्व, उसकी व्यवस्था और उसके संचालन को समझ सकेंगे। परिणामस्वरूप प्रौढ़ शिक्षा प्रसार कार्य को दो गुणा बल मिलेगा। ग्राम्यस्तर से जिला स्तर तक सभी स्तरों पर दोनों कार्य साथ-साथ प्रगति पा सकेंगे। हमारे

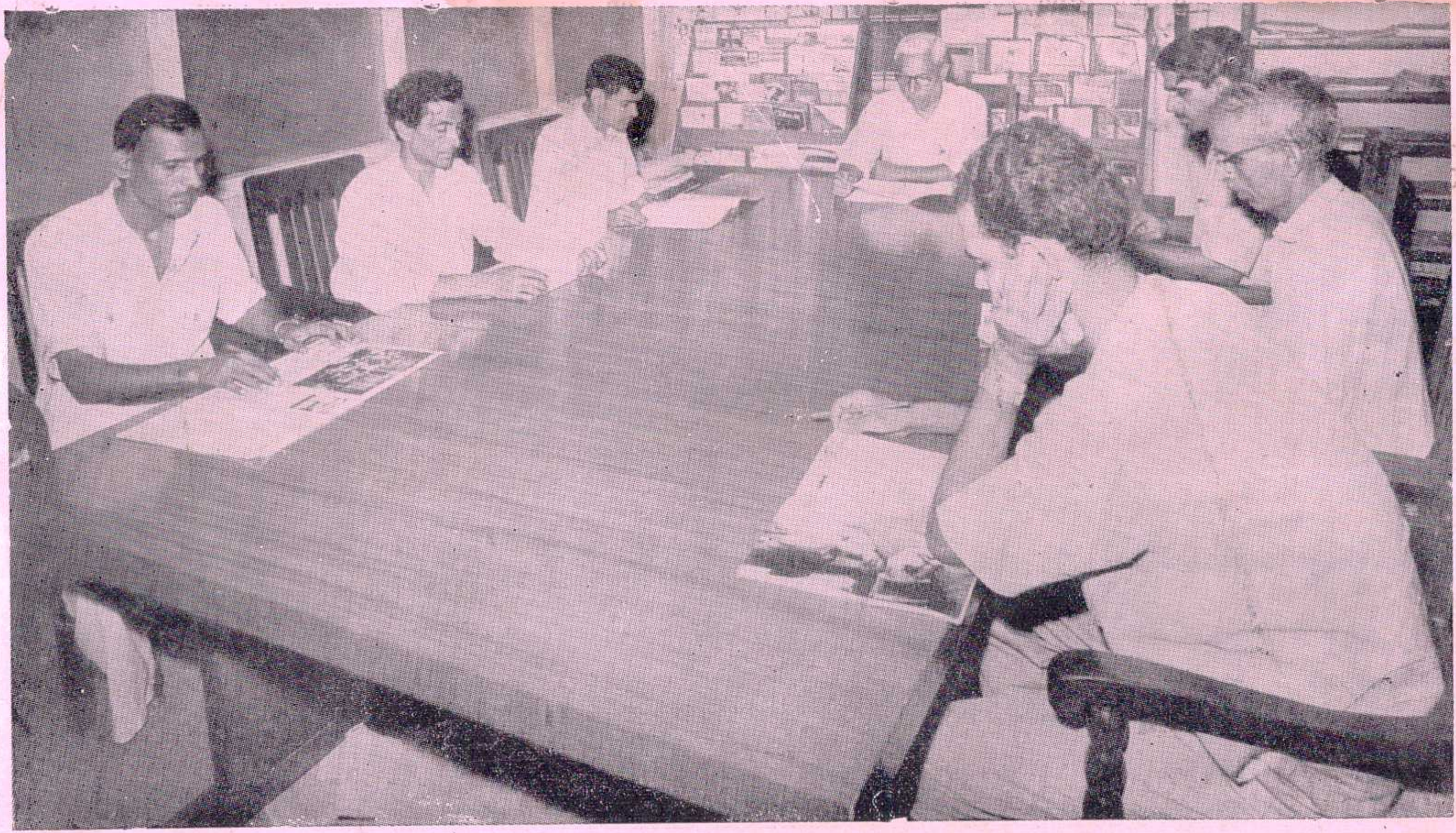

प्रौढ़ शिक्षार्थ वाचनालय

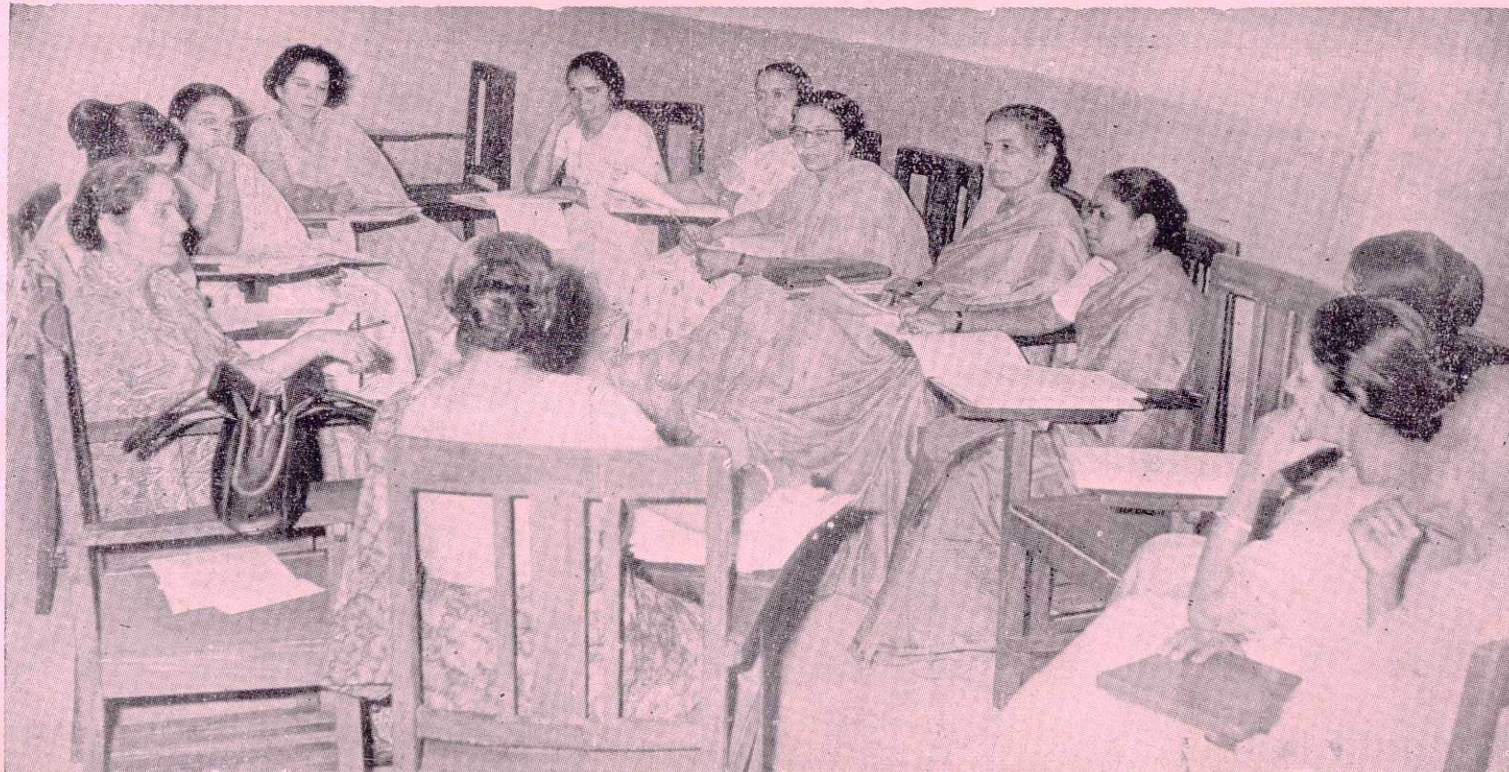

महिला विचार गोष्ठी

देश जैसे विकासशील परन्तु असम्पन्न देश में यह तालमेल अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि दोनों कार्यक्रमों का ग्रामीण स्तर से ही अलग-अलग चलाना सम्भव नहीं है।

इस प्रकार पुस्तकालयों का दायित्व केवल वाचनालय और पुस्तकालय सेवाएँ उपलब्ध करना नहीं होगा। बल्कि इनके साथ-साथ वे पाठक परिषद, अध्ययन गोष्ठी, पुस्तक प्रदर्शनी, बाल कला प्रदर्शनी, उत्तर साक्षरता कक्षाएँ एवं नागरिकता, शिशु पालन, स्वास्थ, भोजन और पोषण आदि का ज्ञान देने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों की व्यवस्था भी नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार काल, स्थान, और पात्र के हित को देखते हुए करेंगे। ये सब कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा प्रसार के लिए ही होंगे। इसी प्रकार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र केवल साक्षरता प्रसार का कार्य ही नहीं करें, बल्कि पाठक परिषद और अध्ययन गोष्ठियाँ आदि की व्यवस्था करके जन साधारण में पुस्तकालय के महत्त्व को समझने और उसे उपयोग में लाने की जानकारी देंगे और आदत पैदा करेंगे। इससे वे लोग अपने जीवन संबंधी दैनिक गतिविधियों का पूरा ज्ञान प्राप्त करके लाभ उठा सकेंगे।

ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने में शिक्षा के सभी उपयुक्त श्रव्य दृश्य साधनों का खुला प्रयोग होना चाहिए। जन शिक्षा प्रसार की ये दोनों प्रकार की संस्थाएँ अर्थात प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एवं पुस्तकालय जन शिक्षा प्रसार के इन साधनों का जितना व्यवस्थित प्रयोग करेंगे, उतनी ही उनकी सफलता अधिक होगी। सभी साक्षर लोगों को आगे पढ़ने और पढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी और जितने अधिक वे पढ़ेंगे, उतना ही उनका ज्ञान बढ़ेगा। यही जन शिक्षा प्रसार का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है।

अमेरिका की पुस्तकालय परिषद ने जुलाई 1924 में प्रौढ़

शिक्षा क्षेत्र में पुस्तकालयों के महत्त्व पर एक अध्ययन पूर्ण खोज की थी। उसके परिणामस्वरूप पुस्तकालयों के निम्नलिखित लक्ष्य माने गये थे।

1. पुस्तकों और ऐसी ही दूसरी सामग्री को व्यवस्थित रूप से एकत्रित और सुरक्षित रखना और बालकों, युवकों और दूसरे सभी नागरिकों को उन पुस्तकों को पढ़ते रह कर ज्ञान प्राप्त करते रहने की प्रेरणा देना।
2. सांस्कृतिक क्षेत्र में नागरिकों के ज्ञान का विकास करने में सहायता देना।
3. जन साधारण में सक्रीय सफल नागरिकों के सभी उत्तरदायित्व भली प्रकार निभा सकने की योग्यता पैदा करने के कार्यक्रमों की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण के लिए करना।
4. जीवनोपयोगी क्रियात्मक कार्यक्रमों तथा व्यवसायों में सफलतापूर्वक योगदान देने की योग्यता जन साधारण को मिल सके, इसका प्रबन्ध करना।
5. विज्ञान और ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों का ताजा से ताजा ज्ञान जनसाधारण तक पहुँचाते रहना।
6. जनहित के सभी कार्यों में जन साधारण की परम्परागत विचार विनिमय की स्वतन्त्रता की रक्षा करना।
7. अवकाश के समय की ऐसे सदोपयोग की व्यवस्था करना कि उससे जीवन में प्रसन्नता और शक्ति मिले।

इन लक्ष्यों से स्पष्ट विदित है कि पुस्तकालय सेवा का ध्येय जन कल्याण के लिए स्थापित सभी जन सेवी संस्थाओं से सहयोग करना और उनके कार्य की सफलता में योगदान देना है। एक सुव्यवस्थित और सभ्य देश के लिए ऐसी पुस्तकालय सेवा का होना सुखीऔर समृद्धिशाली जीवन को न्यूनतम आवश्यकता

है । विद्यालयी शिक्षा की समाप्ति पर तो पुस्तकालय ही जन शिक्षा का आधार है । इसलिए पुस्तकालय का महत्त्व जन जीवन को जागृत रखने के हर कार्य में बहुत ही अधिक है ।

जन शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय के योगदान का एक और दृष्टिकोण भी है । और वह यह है कि पुस्तकालय बंधन रहित जन शिक्षण की संस्था होने के नाते समाज विकास और प्रौढ़ शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व रखते हैं । पुस्तकालयों का तो लक्ष्य ही पूरे समाज को और विशेष कर प्रौढ़ों को अवकाश के समय में उपयुक्त साहित्य साधन उपलब्ध कर स्वयं शिक्षा को प्रोत्साहन देना है । यही इनका स्पष्ट उद्देश्य है, इसमें कोई दूसरीं लाग लपेट नहीं । जैसे विद्यालय मुख्यतया बालकों के लिए, देव स्थान धर्मशास्त्रियों के लिए और श्रमिक संघठन आर्थिक उन्नति के लिए प्राथमिक तौर से व्यवस्थित हैं, इसी प्रकार पुस्तकालय प्रौढ़ों में ज्ञान पिपासा जागृति के लिए और बालकों को उनकी प्रौढ़ावस्था में काम आने वाले अनुभव देने के लिए हैं । पुस्तकालय केवल पाठकों की सेवा मात्र के लिए हैं । न वे कोई अपनी बात मनवाते हैं और न कोई माल बेचते हैं । उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं । वे तो प्रकाश देकर अंधकार मिटाते हैं ।

इस दृष्टि से पुस्तकालय जन शिक्षा क्रम का एक अभिन्न अंग है । कभी-कभी जन जीवन में पुस्तकालयों का बड़ा योगदान रहा है । समय-समय के महान विद्वानों के ज्ञान का भंडार आखिर पुस्तकालयों से ही प्राप्त हो सकता है और अनेक अवसरों पर इस ज्ञान की सहायता से बड़े-बड़े भ्रम दूर होते रहे हैं और राष्ट्रों की मैत्री बढ़ी है । ऐसे अवसरों पर इस प्रकार का महत्त्वपूर्ण योगदान कोई भी और दूसरी संस्था नहीं दे सकती ।

पुस्तकालय सेवा का इतना महत्त्व होते हुए भी और हमेशा से पुस्तकालय जनसेवा और जन शिक्षण का साधन रहते हुए भी, हमारे देश में फैली हुई निरक्षरता और व्यापक अक्रमण्यता के कारण जन साधारण अभी तक इस संस्था के उपयोग को नहीं समझते और लाभ नहीं उठाते हैं । फिर भी पुस्तकालय के महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता और जन शिक्षा प्रसार हेतु एक भली प्रकार व्यवस्थित और शृंखलाबद्ध पुस्तकालय सेवा का प्रबन्ध होना ही चाहिए ।

सन् 1952 में हमारे देश में सामुदायिक विकास योजना का आरम्भ हुआ और इसी के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्य की रूप रेखा कुछ स्पष्ट हुई । परिणामस्वरूप चल और स्थाई पुस्तकालय दोनों ही प्रौढ़ शिक्षा कार्य के अभिन्न अंग बन गए। जन पुस्तकालय का काम एक अन्नत स्वयं शिक्षण सुविधा की उपलब्धि है । पुस्तकें पढ़ने से पाठकों के ज्ञान का विकास स्थान और काल की दूरी की सीमाओं से परे फैल जायेगा । परन्तु ध्यान रहे कि जहाँ पढ़ने की चाह पैदा करने और पढ़ने योग्य सामग्री उपलब्ध करने के इन सुव्यवस्थित साधनों अथवा पुस्तकालयों का उपयोग करने के लिए साक्षरता ज्ञान का होना अनिवार्य है वहाँ दूसरी ओर साक्षरता ज्ञान को बनाए रखने और बढ़ाते रहने के लिये उत्तर साक्षरता कार्य के सुचारु व सफल संचालन के लिए पुस्तकालयों का होना जरूरी है ताकि साक्षर वापिस निरक्षर न हो जाएँ ।

इस प्रकार साक्षरता प्रसार व प्रौढ़ शिक्षा एवं पुस्तकालय सेवा में घनिष्ट सम्बन्ध है और पुस्तकालय, पढ़ने वालों की बढ़ती हुई संख्या तथा उनकी पढ़ने की चाह का समाधान अधिक से अधिक उपयुक्त पुस्तकों का प्रबन्ध करके कर सकते हैं । अब भली प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्र की जन

शिक्षा प्रसार की किसी भी योजना में पुस्तकालय का स्थान अनिवार्य है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व, ज्ञान के लिए शिक्षा प्राप्ति, का ध्येय तो गिने-चुने विद्वान लोगों का ही होता था । अधिकतर लोगों के लिए तो शिक्षा नौकरी का साधन ही था । यह भी आवश्यक नहीं था कि उनकी शिक्षा तथा ज्ञान बहुत उच्चस्तर का हो क्योंकि आखिर उनका काम कोई बड़े उत्तरदायित्व अथवा पथप्रदर्शन का नहीं होता था । सन् 1947 के पश्चात यह स्थिति बदल गई । विद्वानों ने निश्चय किया कि राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति उच्चस्तर के विद्वान ही कर सकते हैं । इसलिए स्कूल और कालिज केवल रटाई द्वारा शिक्षा देने के बदले विद्यार्थियों के निहित मनोबल को जागृत करें और उनमें विचार शक्ति का संचार कर उच्चस्तरीय ज्ञान धारा का प्रवाह करें । ताकि विद्यार्थी गण स्वयं अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार पूर्ण मानसिक विकास का अवसर प्राप्त कर सकें । स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें उत्पन्न हो और वे इस ज्ञान पिपासा को केवल पाठ्यक्रम की समाप्ति तक ही नहीं बल्कि जीवन पर्यन्त जारी रखें । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुस्तकालय सेवा से अधिक उपयोगी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिए सभी विद्वानों ने स्वतन्त्रता के बाद पुस्तकालय के महत्त्व को पहले से बहुत अधिक समझा है और पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था और उपयोग पर बहुत बल दिया है । समाज के धर्म गुरुओं ने, विचारकों ने, कवियों ने और दर्शनशास्त्रियों ने तो पुस्तकालय सेवा अथवा अध्ययन, मनन, और चिन्तन को आत्मा शुद्धि और मोक्ष का साधन माना है ।

वैसे तो वर्तमान युग में जन सम्पर्क के अनेक साधन हो गए हैं, जैसे समाचार पत्र, फिलम, रेडियो और टैलीविजन । ये साधन श्रव्य

और दृश्य शक्तियों द्वारा मानव को प्रभावित करते हैं। देखने सुनने वालों की बात बिना अति अधिक विचार के जल्दी ही समझ में आ जाती है। अनेक उपयोगी विषयों का ज्ञान जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में महत्त्वपूर्ण है, इन साधनों द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से जल्दी से ही मिल जाता है। किन्तु इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान में एक कमी रहती है। वो यह कि हिमपर्वतों की तरह ये साधन कुल ज्ञान का कुछ भाग ही दर्शा पाते हैं और बिजली की तीव्र गति चमक की तरह कभी-कभी चमक दिखा पाते हैं। मनन और चिन्तन के लिए तो समय हो नहीं देते। परन्तु इनके उपयोग की इस सीमा पर जनसाधारण का ध्यान नहीं जा पाता और वो नए आकर्षण के प्रभाव में इन साधनों को बहुत महत्त्वपूर्ण जानते हैं। इसके विपरीत पुस्तकालय सेवा द्वारा पाठकों का सम्पर्क संसार भर के विद्वानों से होता है। वे उनके उत्तम विचारों को सोच समझकर पढ़, समझ सकते हैं, तर्क-वितर्क कर सकते हैं और उसके पश्चात् अपने ज्ञान की कसौटी पर परख कर, जो उसमें से उपयोगी जान पड़े, उसे ग्रहण कर सकते हैं।

पुस्तकालयों का उपयोग सामाजिक विकास में तो है ही परन्तु इसके साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन में भी इनका उपयोग बड़ा महत्त्वपूर्ण है। पुस्तकों के अध्ययन से हर व्यक्ति को उपयोगी नागरिक बनने की प्रेरणा मिल सकती है। वे उपयुक्त पुस्तकों के अध्ययन से अपने व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कला और सौन्दर्य की रुचियों को तृप्त और उन्नत कर सकते हैं और अपने अवकाश का सदुपयोग कर के प्रसन्नता और सम्पन्नता प्राप्त कर सकते हैं। एक और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उपयोग यह है कि वर्तमान विशेषता के युग में जब कि जनसाधारण को अनेक प्रकार की विडम्बनाएँ भ्रमित

और प्रभावित करती रहती हैं, उपयुक्त पुस्तकों का अध्ययन उन्हें उचित मार्ग दर्शा कर अनेक उपयोगी प्रवृत्तियों का विकास कर सकता है। जिससे उन्हें शान्ति मिलेगी।

कुछ लोग का कहना है कि जनसाधारण में व्यापक निरक्षरता के रहते हुए पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करना ऐसा ही होगा जैसा अन्धों के नगर में गलियों में प्रकाश का प्रबन्ध करना। इस तर्क में वैसे तो जान मालूम होती है, फिर भी यह पूर्ण सत्य नहीं है। सभी जानते हैं कि किसी भी लाभपूर्ण व्यवसाय का पूरा ज्ञान हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। जन साधारण बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के आसानी से पढ़ना लिखना सीखना नहीं चाहता। परन्तु यदि उन्हें पढ़ाई-लिखाई सीख लेने से कुछ स्पष्ट लाभ दिखाई पड़ता हो, तो वे साक्षरता ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार कर लेंगे। पुस्तकालय सेवा के लाभ को समझ लेने वाले सभी लोग मानेंगे कि पुस्तकालय सेवा व्यक्ति को यह प्रेरणा दे सकती है।

वर्तमान पुस्तकालयों में केवल पुस्तकें ही नहीं होती हैं। उनमें फिल्में, फिल्म स्ट्रिप, चित्र, रेडियो, टेलीविजन आदि सभी प्रेरणादायक साधन होते हैं। ये साधन निरक्षर लोगों को भी आसानी से अन्नत ज्ञान दे सकते हैं। इन साधनों के द्वारा निरक्षरों के सामने संसार चक्र का ऐसा दृश्य उपस्थित किया जा सकता है जो उनमें अधिक जानने-सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करे और वो समझ लें कि पुस्तकालय में इन साधनों द्वारा जो कुछ देखा-सीखा वो तो केवल एक झलक मात्र है। वास्तविक उपयोगिता की वस्तु का भण्डार तो पुस्तकों में छुपा पड़ा है जिसे खोज कर समझ लेने पर ही उनका कल्याण सम्भव है। इस प्रकार पुस्तकालय निरक्षरता उन्मूलन में भी बड़ा

महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और निरक्षरों को भी साक्षरता की राह पर डाल सकते हैं।

इस चर्चा का समापन करते हुए हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि पुस्तकालयों का योगदान प्रौढ़ शिक्षा की विकसित योजना के सफल संचालन में बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे :—

1. निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षरता ज्ञान प्राप्ति का अवसर देते हैं।
2. नव साक्षरों को साक्षरता ज्ञान को स्थायी और उपयोगी बनाए रखने के उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं।
3. जनसाधारण को अपने ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाते रहने के लिए निरन्तर पढ़ते रहने के साधन उपलब्ध करते हैं।
4. पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन देकर स्वयं शिक्षा प्राप्ति के साधन नागरिकों को देते हैं।
5. नागरिक जीवन के उत्तरदायित्वों को समझने और पूरा करने की योग्यता तथा विचार विनिमय की क्षमता देते हैं।
6. अवकाश के सदुपयोग के साधन देते हैं, ताकि नागरिक उसका उपयोग इस प्रकार के कार्यक्रम में करना सीखें जिनसे शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक उत्थान, प्रसन्नता और सम्पन्नता मिले।
7. व्यक्ति में सामाजिक चेतना और समाज निर्माण की भावना को जागृत कर सहयोगी कार्यशीलता तथा सामाजिक एकता की भावना को प्रोत्साहन देते हैं।

8. सभी भिन्न-भिन्न व्यवसायों सम्बन्धी विशेष ज्ञान की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कर व्यक्तियों की व्यवसायिक दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं।

9. सभी नागरिकों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं के अनुकूल साहित्य की उत्पत्ति के लिये लेखकों व प्रकाशकों का मार्ग दर्शन कर प्रोत्साहन देते हैं।

10. राष्ट्र के परमम्परागत ज्ञान भण्डार की सुरक्षा एवं वर्तमान की आवश्यकताओं व समस्याओं का दिग्दर्शन कराने की व्यवस्था करते हैं। तथा अध्ययन गोष्ठियों, वादविवाद गोष्ठी, विचार विनिमय, भाषण, प्रदर्शनियों आदि का प्रबन्ध अनेक अवसरों पर सामयिक समस्याओं को समझने समझाने में सहायता देने के लिये करके जन जागृति पैदा करते हैं।

इस प्रकार जन पुस्तकालयों का लक्ष्य समूची प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार है। इसकी सफलता और उपयोगिता कार्य करने वालों के अनुभव, समझदारी, परिश्रम और कार्य विधि पर ही निर्भर करेगी। यदि जन साधारण इनका पूरा उपयोग उठाने लगें, तो योजना सफल समझो जानी चाहिए।

*अध्याय 9*

# प्रौढ़ साक्षरता, एक सामूहिक कार्यक्रम

अब आप लोग प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम की पूरी रूप रेखा, उसकी समस्या, उसके तरीकों और उसके संचालन में पाठ्य सामग्री व अन्य सहायक साधनों की आवश्यकताओं से भली प्रकार परिचित हो गये हैं। अब तो आपने कार्य ही आरम्भ कर दिया है और समस्याओं के हल करने में लगे हैं। आप की अपने शिक्षार्थियों से जान पहचान हो गई है और आप उनकी भिन्न-भिन्न रुचियों तथा आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार कार्यक्रम चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सम्भवतया आप अनुभव कर रहे हैं, कि यह काम वास्तव में बहुत जटिल है। निःसन्देह आपका अनुमान ठीक है ओर कठिनाई एक दम गम्भीर। अब तक जो हमने इस कार्य में संचालन के बारे में चर्चा की है, उसमें भी हमने इस तथ्य को स्वीकार किया था और प्रोग्राम की इस गहनता की ओर आपका ध्यान बार-बार आकर्षित किया था।

आपको अपने कार्य के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव निरक्षर लोगों की संख्या, उनकी पढ़ने की रुचि और आवश्यकता के आधार पर करना होगा। इस क्षेत्र का पूरा सर्वे अपने शिक्षार्थियों को जानने के लिए करना होगा। आपको कार्य संचालन के लिए एक उपयुक्त स्थान क्षेत्र के मध्य में ढूढ़ना होगा

और सभी सामग्री जुटानी होगी । आपका कार्यक्रम केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं है । आपको तो अनेक प्रकार के आकर्षक कार्यक्रम करने होंगे ताकि आप वहाँ के रहने वालों को साक्षरता के लिए प्रोत्साहित कर सकें । पढ़ने-लिखने की चाह को जागृत करने के लिए तो अनेक कार्यक्रम स्थात, काल और पात्र को देखते हुए करने होंगे । क्या ये सब आप स्वय अकेले हो कर सकेंगे । सम्भवतया नहीं । यह काम तो इतना व्यापक और भारी है कि इसमें सफलता प्राप्न करने के लिए आपको कई साथियों का सहयोग लेना होगा । परन्तु आप तो अकेले हैं । एक से अनेक कैसे बनें, यही आप की समस्या है । इसका समाधान करने के लिए और शिक्षण कार्य को चलाने के लिए, तथा आवश्यक सामग्री और सुविधाएँ जुटाने के लिए आप को मित्र बनाने होंगे, तभी आप अपने कार्य को फैला सकेंगे अथवा शिक्षा का प्रसार कर सकेंगे ।

केवल सामग्री और सुविधाएँ जुटाने को ही बात नहीं । हो सकता है कभी आप अकेले प्रौढ़ शिक्षार्थियों को पढ़ाई की कक्षा में न संभाल पावें अथवा उनको प्रेरणा न दे सकें । हो सकता है वे अनुपस्थित हो जाएँ और फिर आपको उनसे मिलने उनके घरों पर जाना पड़े । ऐसी दशा में आप अकेले कितनों के पास जा सकेंगे । आखिर तो आप उनको और वे आपको अपना लेंगे तभी तो शिक्षण कार्य की सफलता होगी । अनुपस्थित, देर में और बेकायदा आने वाले तो बहुत भी हो सकते हैं, इन सबसे मिल जुलकर ही तो उन्हें प्रेरित करना होगा ।

इसलिए आपको चाहिएं साथी, सेवाभावी साथी जो इस विस्तृत कार्यक्रम के हर पक्ष में आपका साथ दे सकें । ऐसे साथी कहाँ से ढूँढ़गे और सब सहायता कैसे पायेंगे । ये सब

मित्र आपको कार्यक्रम क्षेत्र के अन्दर से ही अथवा कार्यालय के आस पड़ोस में से ही तो लेने होंगे और उसी वर्ग में से जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। परन्तु ध्यान रहे इस मित्र मण्डली का ध्येय निश्चित है। साक्षरता व शिक्षाकार्य में सहायता और सहयोग, इसके अतिरिक्त कोई गौण उद्देश्य नहीं होगा। यह सदैव आपको याद रखना है। जिस वर्ग में कार्य कर रहे हैं, उसके पुराने जाने माने सेवा भावी लोगों से मित्रता करो, अपने साथ लो।

इन लोगों ने साथियों की सेवा के आधार पर मान प्रतिष्ठा पाई है, इसलिए ये उनके अपने हैं। इनका सहयोग आपके काम में सहायक होगा। इन्हें आप पर श्रद्धा हो गई, तो सारे वर्ग को श्रद्धा हो जायेगी और आपका काम बढ़ चलेगा। उस क्षेत्र में सम्भवतया कोई सुगठित संस्था भी होगी। शायद मोहल्ला सुधार सभा अथवा पंचायत हो या कोई और जनसेवी संस्था हो। क्षेत्र के लोग अथवा आपके शिक्षार्थी इन संस्थाओं में श्रद्धा रखते हैं, इनके कार्य-कर्ताओं का मान करते हैं। ये उनकी अपनी संस्थाएँ हैं। आपको ऐसी सभी संस्थाओं की, उनके कार्य कर्ताओं की सहायता लेनी चाहिए।

इन कार्यकर्ताओं का विश्वास पा लोगे तो वे अनेक प्रकार से आपकी सहायता करेंगे—स्थान ढूँढ़ने में, प्रौढ़ों को पढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने में, उनकी उपस्थिति निश्चित करने में, देर से आने वालों को समझाने में, शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ाने में, कभी-कभी छोटी-छोटी काम की सामग्री जुटाने में जैसे दरी, लालटैन आदि-आदि, आपके कार्य की जानकारी चारों और फैलाने में और इसके लाभ से सभी को परिचित कराने में भी ये लोग सहायक होंगे।

ये स्थानीय कार्य-कर्ता एवं उनकी संस्थाएँ आपके और शिक्षार्थियों के बीच सम्पर्क स्थापित कराने में बड़े सहायक होंगे। चूँकि काम बहुत भारी है और साधन सीमित हैं, इसलिए आप लोग और स्थानीय संस्थाएँ दोनों ही मिल जुलकर इस वड़े कार्य को सहज में ही कर सकोगे। ये स्थानीय संस्थाएँ आखिर बस्ती के लोगों को स्वयं की बनाई हुई जनतंत्रीय सेवा संस्थाएँ हैं। इस कारण वे जनसाधारण के शिक्षण कार्यक्रम में तथा व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के सभी कार्यों में सम्मलित होकर सहयोग देना पसन्द करेंगी। प्रौढ़ साक्षरता तथा जन-शिक्षा का कार्य तो जनहित का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे आधारभूत जन विकास कार्य में तो आपको उनका सहयोग अवश्य ही मिल जायेगा।

इस जन सहयोग का एक लाभ और भी होगा और वो यह कि इस प्रकार प्रौढ़ साक्षरता व जन शिक्षा का यह कार्यक्रम जनता का स्वयं का कार्यक्रम बन जायेगा और सभी लोग उसमें यथायोग्य सक्रीय सहयोग देंगे। फिर प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम का लक्ष्य तो जन-साधारण की सामाजिक तथा आर्थिक अथवा व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होने वाली शिक्षा देना है। तो जन-साधारण की इन रुचियों तथा आवश्यकताओं का ज्ञान भी तो स्थानीय नेताओं और संस्थाओं को ही है। इसलिये उनकी सहायता से जो प्रोग्राम बनाकर चलाया जायेगा, वो जनसाधारण की रुचियों और आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और ऐसे उपयोगी प्रोग्राम के प्रति जनता की श्रद्धा आसानी से मिल जायेगी।

एक बार आप को जन-साधारण का विश्वास मिल गया और स्थानीय जन सहयोग मिला, तो आपकी सभी कठिनाईयों का हल हो जायेगा। फिर आप को निराश होने की आवश्यकता

नहीं क्योंकि आप अकेले न रहेंगे। आपके लिये तो अनेक सहयोगी मिल जायेंगे। जो आप को सभी काम में सहायता करेंगे। जब स्थानीय नेता आपके साथ हो जायेंगे, तो उनके अनुयायी अर्थात् जन साधारण तो साथ हो ही जायेंगे। वेआप की बात सुनेंगे, मानेंगे, आपसे पढ़ना सीखेंगे और आपका उद्देश्य पूरा होगा। बस समस्या ठीक प्रकार के नेता ढूँढ़ने की है। ध्यान रहे इस मित्रतापूर्ण सम्बन्ध की एक सीमा है और मर्यादा भी। आप अपने लक्ष्य को न भूलें और उससे बाहर न जाये।

स्थानीय नेताओं के अतिरिक्त एक वर्ग और भी है जिन की सहायता और सहयोग आपको प्राप्त करने चाहियें। वो वर्ग है स्थानीय युवक समाज, विद्यार्थी युवक भी और दूसरे बस्ती में रहने वाले युवक भी। हो सकता है, आप की बस्ती में पहले से ही कोई सक्रिय युवक दल हो। यदि हो तो बहुत ठीक, नहीं तो बनाओ। आप जानते हैं युवक वर्ग बड़ा उत्साही है। जनहित के लिए विशेषकर शिक्षा प्रसार जैसे कार्य के लिए इस वर्ग में बड़ा जोश है। उन्हें साथ ले लीजिये और यह स्पष्ट करिये कि किस प्रकार ये आपके कार्य में सहायक हो सकते हैं। उनको शक्ति महान है, उन्हें उसका उपयोग दर्शा दीजिए और वे आपका साथ देंगे।

इस युवक वर्ग के साथ सम्पर्क बनाईये और एक प्रकार के स्वयं सेवक दल में उनको व्यवस्था दीजिए। उनकी रुचियों को पहचानो। उनकी अभिरुचियों को समझो, योग्यताओं को समझो और व्यक्तिगत योग्यतानुसार उन सबका सहयोग प्राप्त करो। साक्षरता आन्दोलन आरम्भ करने से पहले का पूर्व साक्षरता कार्यक्रम तो वे सारा ही कर सकते हैं। प्रभात फेरियाँ निकाल कर आपके कार्य के बारे में सब को सूचित कर सकते हैं। दीवारों पर स्थान-स्थान पर शिक्षाप्रद प्रेरणा-

दायक वाक्य लिख-लिखकर आपके प्रोग्राम का ढंढोरा पीट सकते हैं। कुछ दृश्य साधन सहायक सामग्री, नक्शे, चित्र, चार्ट, भीत पत्र, पोस्टर सब बना सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रामा, संगीत आदि की व्यवस्था करके सामूहिक रूप से कार्य की अधिक जानकारी दे सकते हैं। कुछ लोग प्रौढ़ों को पढ़ाने में भी आपका साथ दे सकते हैं।

ये सभी नवयुवक प्रौढ़ शिक्षण की उन सभी समस्याओं और पद्धतियों से परिचित हो जाने चाहिये जिनकी चर्चा हमने अभी तक की हैं या आगे करेंगे। ऐसा होने पर ही ये पूरा सहयोग दे सकेंगे। इसलिये याद रहे कि बातों-बातों में मित्रता और सम्पर्क बढ़ाते समय आपको ये सब बातें उन्हें समझा देनी होंगी, तब आपके काम में बहुत आसानी हो जायेगी। नवयुवकों को अपने साथियों की विशेषकर उन साथियों की जो अनेक प्रकार की अड़चनों को भुगत रहे हैं, सहायता करने में बड़ा आनन्द आता है। इसीलिए वे आपके बड़े उत्साही सहायोगी बन जायेंगे।

इस युवक वर्ग के साथ सम्पर्क बढ़ा लो और उनको सेवा दल की व्यवस्था दे दो। एक बार यदि आपने ऐसा करके उनको उनकी योग्यता और रुचियों को समझ कर, उनकी अपनी पसन्द का काम सौंप दिया, तो आपके सभी प्रोग्रामों को सफल बनाने में वे बहुत सहायक होंगे। इस प्रकार आपकी योजना आगे बढ़ती चली जायेगी। युवकों का साथ मिल जाने से आपको उनके संरक्षकों का सहयोग भी निश्चय ही मिलेगा और अब आप की एक टोली होगी न कि आप अकेले, जो साक्षरता प्रसार जैसे कठिन कार्य को सम्पन्न करने में लगी होगी।

ये नवयुवक आपके रेडियो चर्चा मण्डल का कार्यक्रम चलायेंगे, आपके केन्द्र के पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे, भिन्न-भिन्न प्रकार के जन चेतना के कार्यक्रम जैसे सफाई आन्दोलन,

परिवार नियोजन आन्दोलन, वृक्ष लगाओ आन्दोलन, अधिक अन्न उगाओ आन्दोलन आदि-आदि सफलता के साथ चलायेंगे और बदले में मिलेगा उनको केवल आनन्द और जन सेवा कार्य में अवकाश उपयोगिता का संतोष। समाज सेवा कार्य करने का यह अभ्यास उनको विचार शक्ति, तर्क शक्ति और सहन शक्ति देगा। उनमें साहस बढ़ेगा और उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, जो उन्हें भविष्य में काम देगा। यही नेतृत्व के निर्माण का प्रशिक्षण है उसका आरम्भ करेंगे आप और उसके लिए यश मिलेगा आपको।

यह एक ऐसे अवसर का आरम्भ है, जहाँ आपको चेतावती देनी होगी, ताकि ऐसा न हो कि आप पथ भ्रष्ट हो जायें और कोई नई आपत्ति आ घेरे। अब आपका कार्य जोरों से चल रहा है। साक्षरता कक्षा भी और जन शिक्षण के दूसरे कार्य भी। साँस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी लोग खूब रुचि लेते हैं और आपसी भाई चारा खूब बढ़ रहा है। इस सब काम में स्थानीय नेता आपके साथ हैं, युवक आपकी मदद कर रहे हैं और शिक्षार्थी आपसे मार्ग दर्शन ले रहे है। इस प्रकार सारी बस्ती में जान पड़ गई है।

ऐसी दशा में शायद आप यह समझने लगें कि इस सब परिवर्तन और प्रगति का कारण आप ही हैं। नेता समझते हैं कि इसका श्रेय उनको मिलना चाहिये क्योंकि उनके सहयोग के बिना कुछ नहीं होना था। युवक लोग तो काम की प्रगति में आनन्द ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिसका जैसा हक है, उसे ही वैसा श्रेय देते रहिये, आप तो केवल इस बात से संतुष्ट रहिए कि कार्य प्रगति कर रहा है। आपने उनके उत्साह को एक व्यवस्था दी है। जिस कारण यह सब हुआ। उस व्यवस्था को देते रहिए, श्रेय मिले अथवा न मिले। श्रेय तो बस्ती वालों को

ही दीजिये, और देते रहिए जब तक कि योजना इतना बल पकड़ जाये, कि वे उसे स्वयं चला सकें और आपको अन्यत्र कार्य आरम्भ करने का अवसर मिले ।

यदि ऐसा रहे, तो बहुत सुन्दर परन्तु शायद आप ऐसा पसन्द करें और कहें कि कार्य की सफलता का श्रेय सब आप ही को है । बस्ती के लोग तो पहले भी वहीं थे, फिर क्यों न कुछ हो गया । यदि ऐसा हो गया तो याद रखिए आप की धारणा को चुनौती दी जायेगी । ईर्ष्या और द्वेष का आरम्भ होगा । गुट बन्दी खड़ी हो जायेगी और सारा बना बनाया वातावरण दूषित हो जायेगा । भवन जो बना था, फिर गिर कर ढेर हो जावेगा । एक उपयोगी कार्य का सब आनन्द चला जायेगा । सारा लक्ष्य समाप्त हो जायेगा और आप को मिलेगी निराशा और बैचेनी । अनुमान लगाइए, ऐसे दूषित वातावरण से योजना को कितना धक्का लगेगा । ऐसा कभी-कभी हो जाता है, इसीलिए आपको सचेत किया है । ताकि आप मर्यादा के अन्दर रहकर ही कार्य करें ।

प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य तो चरित्र निर्माण है । ऐसा चरित्र जो हमें सदैव काम आवे और जीवन में सफलता दे । हमारा लक्ष्य ये गुटबन्दी और वेमनस्य पैदा करना तो नहीं है, जो सारे समाज की ही शान्ति भंग कर दे । याद रखिए सरदार वही है जो सबका सेवक है । ज्ञान प्रसार प्रेम द्वारा हो सकता है, भय अथवा द्वेष द्वारा नहीं ।

प्रेम और सहयोग के वातावरण में ही आप काम को फैला सकेंगे और धीरे-धीरे सारे क्षेत्र में फैला देंगे । जिन स्वयं सेवकों में आपने सेवा की भावना जागृत की है और प्रोत्साहन दिया है, वे उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था कर साक्षरता ज्ञान को पक्का बनाने में सहायक होंगे । उत्तर साक्षरता कार्य-

क्रम तो प्रौढ़ साक्षरता का अभिन्न अंग है। बिना साक्षरता ज्ञान काम में लिए और पुस्तकें पढ़ते रहने से जो पढ़ना सीखा है, वो भी भूल जायेंगे और सब परिश्रम और रुपया व्यर्थ हो जायेगा।

पढ़ने कीं रुचि पढ़ते रहने से ही बनेगी और बढ़ेगी। नव साक्षरों को सब प्रकार का उपयुक्त और उपयोगी साहित्य उपलब्ध होना चाहिए, ये पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था से ही हो सकता है। आपके स्वयं सेवक पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे, यदि उन्हें साधन और प्रशिक्षण मिलें। साक्षरता कार्य या पढ़ाई-लिखाई कभी समाप्त होने वाला कार्य नहीं है, यह तो निरन्तर चलने वाला जीवन पर्यन्त कार्य है। प्रौढ़ शिक्षक तो केवल इस के प्रथम स्तर को समाप्त करता है। पढ़ना-लिखना सिखा देता है और पढ़ने की चाह पैदा करता है। साथ ही स्वयं सेवकों को इस कार्य को जारी रखने के लिये और शिक्षा को बढ़ाते रहने के लिए कार्य करने का मार्ग दर्शाता है ताकि यह काम बन्द न हो। परन्तु इस प्रथम स्तर तक पहुँचने में भी वह अकेला सफल नहीं हो सकता। उसको अकेले नहीं, मिलकर ही कार्य करना होगा।

आइये अब इस चर्चा को संक्षेप में दोहरा लें—

1. प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम बड़ा विस्तृत है और अनेक प्रकार की तैयारी इसकी सफलता के लिये करनी जरूरी है, ताकि प्रौढ़ों को इसके प्रति प्रोत्साहित किया जा सके और उनमें पढ़ने की रुचि और पढ़ते रहने की चाह जागृति की जा सके।
2. काम के आरम्भ करने से पहले जो तैयारी करनी होती है, उसमें जन सहयोग की बहुत आवश्यकता है।

3, शिक्षक को प्रौढ़ों से भिन्न-भिन्न वर्गों में, भिन्न-भिन्न स्थानों पर, घरों पर, खेतों में, या केन्द्र पर उनकी सुविधा के अनुसार मिलना होगा। इसके लिये उसे बहुत सारा समय निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ाई के लाभ समझाने में, उनका विश्वास प्राप्त करने में तथा बस्ती के लोगों को मिलने में लगाना होगा।

4. परन्तु कार्य तो निश्चित अवधि में ही समाप्त करना होगा और निश्चित योग्यता पर पहुँचना होगा। शिक्षक और शिष्य दोनों को ही इसको निभाना होगा।

5. यह कार्यक्रम समय-समय पर जाँचना होगा, लगातार देखभाल करनी होगी और सफलता परखनी होगी।

6. इसके लिये निःस्वार्थ और त्यागमय कार्य की आवश्यकता है। शिक्षक इसे अकेला नहीं कर सकता। उसे एक टोली बनानी होगी, जो उसकी सहायता करे।

7. शिक्षकों को स्थानीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। वे प्रौढ़ निरक्षरों को प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें साक्षरता कक्षा में आने की प्रेरणा देंगे। नियमित रूप से यथा समय उपस्थित होने के लिए उत्साहित करेंगे। कभी-कभी पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों की सराहना कर हिम्मत बढ़ावेंगे। कार्य स्थानों का प्रबन्ध करने में सहायता देंगे और छोटी मोटी आवश्यकता की वस्तुओं का प्रबन्ध करने में मदद देंगे। इन स्थानीय नेताओं का सहयोग दिन-प्रतिदिन छोटी-छोटी कठिनाइयों को हल करने में लाभकारी होगा, विशेषकर कोई गुटबन्दी और ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में और प्रोग्राम में जन साधारण की सामूहिक तौर से रुचि बनाने में।

8. शिक्षक को यह सहयोग निश्चित लक्ष्य के लिए लेना है और सीमा के अन्दर रहते हुए ही कार्य करना है।

9. बस्ती में, दूसरे कार्यकर्ताओं, जैसे ग्राम सेवक, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, पंचायत, सहयोगी संस्था, स्कूल के शिक्षक तथा अन्य ऐसे ही जन सेवा कार्यों में लगे हुए लोगों, का सहयोग लेना जरूरी है। बस्ती में कोई ग्राम सुधार सभा या ग्राम सेवा परिषद् जैसी संस्था हो, तो उसका भी सहयोग लेना जरूरी है।

10. बस्ती के युवकों का सहयोग पूर्व साक्षरता कार्य को सम्पन्न करने में, साक्षरता का ढिंढ़ोरा पीटने में, सर्वे करने में, पढ़ने वालों को प्रोत्साहन देने में, बड़ा महत्व-पूर्ण होगा। ये युवक घर-घर जाकर प्रौढ़ों को बुलाने में, प्रभात फेरियाँ निकालने में, दृश्य शिक्षा सहायक साधन बनाने में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करने में आपकी मदद करेंगे।

11. प्रौढ़ साक्षरता के इस कार्पक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिये ये सभी काम जरूरी हैं। ये एक अकेले के बस की बात नहीं हैं। इसके लिये एक दल की आवश्य-कता है, एक टोली की, जो शिक्षक को बनानी होगी। परन्तु शिक्षक को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये, सहयोग लेना चाहिए और उस सफलता का यश भी उन्हीं को देना चाहिए। स्वयं तो इसी में आनन्द लेना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिये कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है और जन सेवा के लक्ष्य की पूर्ति हो रही है।

*अध्याय* 10

# उपदेश नहीं वास्तविकता

अब तक हम प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों पर विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। आप समझ गये होंगे कि राष्ट्रीय निर्माण एवम् विकास में साक्षरता ज्ञान का कितना महत्व है। इस ज्ञान के बिना प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में उपयोगी योगदान नहीं दे सकता। इसके बिना उसका जीवन सम्पन्न और सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिये हरनागरिक को जीवनोपयोगी साक्षरता का ज्ञान होना ही चाहिये ताकि वह जीवन प्रयत्न निरन्तर नए से नए ज्ञान को प्राप्त कर लेने में समर्थ हो।

जीवन में हर व्यक्ति के भिन्न-भिन्न दायित्व होते हैं। वह कामगार है, श्रमिक है, संरक्षक है, मतदाता है और नागरिक भी हैं। इन सभी स्थितियों में उसके दायत्व प्रथक-प्रथक हैं। हर दशा में जब तक वह सक्रीय योगदान न दे सकेगा, वह सफल कैसे होगा। इसलिए घर हो, अथवा फार्म, उद्योग हो अथवा कृषि, यातायात अथवा संचार सेवा अथवा कोई और इसी प्रकार की मानव समाज और राष्ट्र की सेवा में लगी हुई संस्था, कुछ भी हो, जहाँ भी व्यक्ति कार्य करता है, वहाँ बिना पढ़ाई लिखाई की योग्यता के सक्रीय योगदान नहीं दे सकता। परन्तु साक्षरता अथवा व्यवसायोपयोगी साक्षरता ही तो हमारी

योजना का अन्तिम लक्ष्य नहीं है, वह तो उस लक्ष्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मात्र है। लक्ष्य तो है जीवन प्रयत्न निरन्तर चलती रहने वाली शिक्षा प्राप्ति की योग्यता। बिना शिक्षा के प्रकाश कहाँ ? अज्ञान में तो अन्धेरा ही अन्धेरा है। अन्धेरा तो मनुष्य को मनुष्य से दूर रखता है। यह तो प्रकाश ही है, जो मेल कराता है। मानवमात्र को अखंडता प्रदान तो ज्ञान का प्रकाश ही कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि साक्षरता का ज्ञान कराने के बाद आप अपना कार्य-क्षेत्र, आकार और प्रकार, इतना बढ़ावें कि नव साक्षरों में आगे पढ़ते रहने की जिज्ञासा बहुत सबल हो जाय और वे निरन्तर पढ़ाई का अभ्यास करते-करते स्वयं मनोवांछित ज्ञान प्राप्त कर अपनी कार्य दक्षता बढ़ा सकें, अधिक कमाई कर सकें और जीवन की सामाजिक और राजनैतिक उलझनों को सुलझाने में समर्थ हो सके।

ऐसा पढ़ते रहने का चाव यदि उनमें पैदा हो गया, तो आपकी तपस्या सफल हो गई। शिक्षार्थी फिर वापिस निरक्षर न बनेंगे औ उत्तरोत्तर पढ़ते लिखते पुस्तकों की दुनिया में पहुँचकर सफलतापूर्वक उनमें छुपे खजाने से पूरा लाभ उठाते रहेंगे। यही हमारी योजना का लक्ष्य है।

ऐसे विस्तरित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिये कितनी तैयारी की आवश्यकता है, यह आपने समझ लिया है। हमने देखा कि इसमें अनेक उलझने है और अज्ञानी मनुष्यों का उनकी बेबसी के कारण शोषण करने वालों पर विजय पाकर कार्यक्रम को सफल बनाना आसान नहीं। उलझने सुलझानी होती है। और लड़ाई भी करनी पड़ती है। परन्तु फिर भी साहस नहीं छोड़ना है। निरक्षरता का उन्मूलन तो, चाहे जिस परिश्रम पर भी हो, करना ही है।

इसके लिये आपको त्याग करना होगा और साहस रखना होगा। साथ ही दूसरों ने इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कैसे किया है, यह जानकर उसका अनुसरण करना होगा, तब आप अवश्य सफल होंगे। समझदार लोग सदैव दूसरों के उपयोगी अनुभवों से लाभ उठाते हैं और उनके सफल प्रयासों का अध्ययन कर मार्ग दर्शन प्राप्त करते हैं। कभी हिम्मत नहीं हारते और न ही निराश होकर मैदान छोड़ते। यही सोचकर आइये हम कुछ ऐसे प्रयोगों और कार्यक्रमों का अध्ययन करें, जो हमारे साथियों ने सफलतापूर्वक किये हैं। यह भी देखें कि किस प्रकार शिक्षार्थियों को उनसे लाभ हुआ और कैसे-कैसे उन्होंने कठिनाइयों पर सफलता प्राप्त की।

हम केवल कुछ नमूनों का अध्ययन करेंगे, जिनसे अवश्य आपका पथप्रदर्शन होगा और आप भी अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन दे सकेंगे। वैसे तो स्वयं काम करके सीखना ही श्रेष्ठ होता है, परन्तु दूसरों ने किसी कार्य को कैसे किया, यह जानकर भी बड़ा ज्ञान होता है और उत्साह मिलता है। इसलिए लीजिए कुछ नमूने देखिये।

आईये अब हम दिल्ली के समीपवर्ती एक छोटे से ग्राम में चलते हैं। इसमें लगभग 550 लोग बसते हैं और अधिकतर आस पास के बाग बगीचों में कार्य करते हैं। न इस गाँव में अपनी पंचायत थी और न ही स्कूल। गांव की आर्थिक स्थिति बहुत ही दैनीय थी।

कार्यकर्ताओं ने इस गाँव को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये बहुत उपयुक्त समझा। इसमें निरक्षरता, अज्ञान, गरीबी, गन्दगी और रोग सभी का एक साथ डेरा था। लोग अकर्मण्य भी थे। आलसी इतने थे, कि कभी अपने उत्थान की बात ही न सोचते थे। इसलिए आवश्यकताओं के आधार पर इस प्रकार का गाँव

प्रौढ़ शिक्षण एवम समाज विकास तथा साक्षरता के लिये आदर्श समझा जाना ही चाहिए।

ऐसा निश्चय करके ग्रामविकासार्थ एक कार्यकर्ता को उस गाँव में प्रौढ़ साक्षरता, वाचनालय वपुस्तकालय स्थापना और युवक दल व्यवस्था के लिए भेज दिया। आरम्भ में ही उसे बड़ी कठिनाईयाँ आईं जैसे :—

1. गाँव के बड़े बूढ़े लोगों ने सोचा कि युवकों का संगठन होंने का अर्थ उनकी चौधराहट की समाप्ति करना होगा।
2. परिवार के मालिकों ने सोचा कि कार्यकर्ता युवक दल के कार्यों में युवकों को लगाएगा, तो वे उनकी सहायता के दूसरे कमाई के काम में बाधा उपस्थित करेंगे और इस प्रकार उनकी कमाई पर कुप्रभाव पड़ेगा।
3. साथ ही जो युवक केन्द्र में जाकर कुछ सीखेंगे, वे अपने रहन-सहन में कुछ परिवर्तन लायेंगे और इस प्रकार परिवार का खर्च बढ़ जायेगा।

ये और ऐसे ही और भी व्यर्थ के भ्रमपूर्ण कारणों से कार्यकर्ता को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। परन्तु उसने साहस नहीं छोड़ा और नवयुवकों में बेहतर और उपयोगी जीवन बिताने की योग्यता प्राप्त करने की चाह पैदा कर ही दी। युवकों ने उसका साथ दिया। उनके लाभ के लिये उसने कुछ प्रेरणादायक कायक्रम जैसे भाषण, वाद-विवाद, पढ़ाई, गोष्ठी और नाटक आदि की व्यवस्था उनके स्वयं के द्वारा ही समयानुकूल की और उन्हें क्रियात्मक सहयोग के लिये प्रोत्साहित किया।

गाँव की गन्दगी तो सब को प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रही थी

और सब ही उससे दुखी थे। इसलिए कायकर्ता ने उसी से छुटकारा पाना गाँव की पहली आवश्यकता समझ लिया और उसने सारी शक्ति इसी को युवकों द्वारा श्रमदान कराकर दूर करने पर लगा दी। गाँव के युवक मण्डल की सहायता के लिए और प्रोत्साहन के लिए आस-पास के कई गाँव के मण्डलों को भी साथ में लेकर सफाई आन्दोलन का अभियान चला दिया।

इसी बीच में नगर निगम ने भी सफाई पखवाड़ा मनाने की घोषणा कर दी और सबसे साफ गाँव के लिए इनाम देने का एलान किया। समाज शिक्षा कायकर्ता द्वारा युवक दल को और उत्साह मिला। सफाई का कार्य तीव्र गति से चल पड़ा। परिणामस्वरूप यह गन्दा रहने वाला गाँव सफाई के मुकाबले में द्वितीय स्थान पर आया और पारितोषिक प्राप्त किया।

गाँव के बड़े-बूढ़े लोगों को गाँव की इस विजय पर बड़ा गौरव हुआ। और कायकर्ता के लिये तो यह हथकण्डा बड़े मार्के का रहा। अब तो गाँव के सभी बड़े-बूढ़े युवक मण्डल की सराहना करने लगे। उन्होंने इस विजय का सहरा उन्हीं के सर बाँधा। सोचा कि बिना उनके परिश्रम के गाँव को यह गौरव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता था। वैसे तो प्रसिद्धि की कामना मनुष्य की सब से बड़ी दुर्बलता है। परन्तु यहाँ तो यह प्रसिद्धि बड़ी शक्तिदायनी सिद्ध हुई। बड़े बूढ़ों और युवकों के बीच जो मतभेद था, सब दूर हो गया और इस सहयोग का परिणाम यह हुआ कि गाँव में एक स्कूल भी बन गया और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी। गाँव वालों ने एक बाटिका बना ली और एक समुदाय केन्द्र का भवन। अब तो वहाँ सारे जनसेवा के कार्यक्रम बड़े चाव से चलते हैं। एक बाल मण्डल भी बन गया है और शिशु शाला भी।

साधारण बड़े बूढ़ों को अपनी चौधराहट की समाप्ति का व्यर्थ का डर तो सभी जगह युवकों का रास्ता रोकता है। उपरोक्त उदाहरण इस भ्रम को दूर करने का एक रास्ता दर्शाता है। ऐसी ही और अनेक युक्तियाँ इस भ्रम को दूर करने के लिए काम में लाई जा सकती हैं। परन्तु यह कठिनाई है बड़ी वास्तविक और उसके निवारण का कोई भी सफल प्रयास बहुत ही उपयोगी होगा।

इसी प्रकार के भ्रम कभी-कभी पंचायतों के कार्य में भी बड़ी बाधा उपस्थित करते हैं। विशेषकर जब कि गाँव के प्रधान पद के लिये किसी नवयुवक का चुनाव हो जाय और पंच भी अधिकतर नई पीढ़ी के युवक ही हों। कारण यह है कि हमारे बहुत से बड़े बूढ़े जिनको गाँव में केवल बड़ी आयु और सुलझी हुई वृद्धि के नाते सम्मान मिलता रहा है, अपने आप को नये युग की नई मांगो के अनुसार, "बात कम और काम अधिक", के सांचे में नहीं ढाल पाए। आज के नए युग में जनसाधारण की बदलती हुई आवश्यकताएँ और मान्यताएँ उनकी समझ में नहीं आ पा रही हैं। अब नवयुवक सीमित सुविधाएँ पाकर ही संतुष्ट नहीं रह सकते और क्यों रहें ? आखिर उन्हें भी इस नई दुनियाँ में सम्मान पूर्ण जीवन बिताने का और उसके लिये उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है और वे सब उन्हें मिलनी ही चाहिएं।

इसीलिये युवक पंच हर समस्या का समाधान सामूहिक हित को दृष्टि में रखकर करना चाहते हैं। वे व्यक्तिवाद में श्रद्धा नहीं रखते। परन्तु पुराना ग्रामीण वर्ग अभी व्यक्तिवाद को नहीं भुला सकता। ना वो पंचायत की परवा करता है, न उसके विधान की अथवा व्यवस्थापूर्ण संचालन की। इसीसे

युवक पंचों और गाँव के बड़े बूढ़ों में मतभेद होता है, जो एक कठिन समस्या उपस्थित करता है।

ऐसी स्थिति में समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व बहुत गम्भीर है। उसे गाँव भर में सामूहिक हित के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी है और व्यक्तिवाद को समाप्त करना है। ग्राम विकास के लिए सारे समुदाय को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। युवक दलों का संगठन और उनके श्रमदान द्वारा ग्रामोत्थान कार्यों की व्यवस्था, इसका एक बहुत उत्तम साधन है। जैसे ही गाँव की उन्नति स्पष्ट प्रतीत होगी, बस विरोध समाप्त हो जायगा। परन्तु जहाँ यह सत्य है कि "जनता साथ देने के लिये काम चाहती है, बात नहीं", वहाँ यह भी सत्य है कि जन समुदाय को जनोपयोगी ठोस काम ही प्रेरणा दे सकते है, केवल दिखावा नहीं।

आईये अब हम दिल्ली के समीप के एक और गाँव में चलें। इस गाँव में भिन्न-भिन्न जातियों के लगभग 2500 लोग रहते है। इस गाँव में ग्राम पंचायत भी और लड़कों का एक माध्यमिक विद्यालय भी और साथ ही साथ पुरुषों के लिए एक समुदाय केन्द्र सभी हैं। सहशिक्षा के लिये एक उच्चतरमाध्यमिक विद्यालय भी है। इस गाँव में एक क्रियाशील उतसाही युवक दल की स्थापना की गई। युवकों ने प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा के लिए एक शिक्षा केन्द्र की स्थापना को गाँव की प्रथम आवश्यकता समझा। उन्होंने इसकी चर्चा पंचों से की। ग्राम प्रधान ने अपने घर में ही इसके लिये स्थान देने का वचन दिया। केन्द्र आरम्भ हो गया। महिलाओं ने प्रौढ़ साक्षरता कक्षा में आना आरम्भ कर दिया। वे गृहविज्ञान भी सीखती थीं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करती थी। परन्तु उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी। कार्यकर्ता इन प्रोग्रामों का लाभ सभी तक पहुँचाना

चाहती थीं। उसने घर-घर जाना और बातचीत करना आरम्भ किया। विचार-विनमय के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि यदि केन्द्र ग्राम प्रधान के घर से हटाकर अन्यत्र कहीं चलाया जाए, तो उपस्थिति बढ़ जायगी। पंचायत के कुछ और लोगों ने एक जगह भी बता दी, जो प्रधान के घर से अधिक सुविधाजनक भी थी और जहाँ उपस्थिति बढ़ जाने की भी पूरी आशा थी।

'बहु जन सुखाए, बहुजन हिताय' के आधार पर कार्यकर्ता ने केन्द्र को नये स्थान पर बदल दिया। ग्राम प्रधान ने इसको अपना अपमान समझा और वह सहन न कर सका। केन्द्र तो चल पड़ा और उपस्थिति भी कुछ सुधर गई। परन्तु कार्यकर्ता के इस व्यवहार से पंचायत की शान्ति भंग हो गई। कार्यकर्ता तो मानो संकटों में घिर गई। कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द कहने आरम्भ किये ओर होते-होते उसके चरित्र पर भी आक्षेप होने लगा। परिणामस्वरूप एक दल तो केन्द्र को बन्द करने के पक्ष में हो गया और दूसरा उसके यथापूर्व चलते रहने के पक्ष में। समस्या और कठिन हो गई क्योंकि इसी बीच में कार्यकर्ता ने एक महिला मण्डल बना लिया था। उसकी महिला सदस्यों ने निर्दोष कार्यकर्ता के साथ अपमानजनक व्यवहार को सहन न किया और कार्यकर्ता को पूर्ण सहयोग और सुरक्षा का आश्वासन दिया।

स्थिति गम्भीर होती चली गई। अन्त में ग्राम युवक दल और समुदाय केन्द्र के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षेप किया और पंचायत के सदस्यों के बीच समझौता कराया। यदि यह स्वयं सेवक दल बीच में न पड़ा होता, तो निराधार ही एक शुभ तथा जनोपयोगी कार्य को ठेस पहुँच जाती।

बात वास्तव में क्या थी? कार्यकर्ता ने काम तो सबके

हित को ध्यान में रखकर ही किया परन्तु सबको साथ लेकर नहीं किया। 'जहाँ चाह, वहाँ राह', का सिद्धान्त हर समय और हर स्थान पर ठीक नहीं उतरता। बहुतों के चाहने पर भी और यथार्थ में बात उपयुक्त होने पर भी किसी एक सत्ताधारी को भी यदि वह खटक जाए, तो सब काम बिगड़ जाता है। कार्यकर्ता ने यदि अपनी कठिनाई और अपनी शुभ चेष्टा पर प्रधान से विचार विमर्श कर लिया होता, तो वह स्वयं इस परिवर्तन को सम्भवत्या मान लेता ओर इतना बड़ा बवंडर खड़ा ही न होता।

ऐसा ही एक और दृष्टान्त देखिये। यह कथा एक-दूसरे गाँव की है, जो काफी बड़ा है और नगर से दूरी पर दिल्ली के एक दूसरे विकास खंड में स्थित है। इस ग्राम में आवागमन की कोई सुविधा साधारणत्या उपलब्ध नहीं थी। हालांकि रेल गाँव के पास से ही गुजरती है, परन्तु कोई स्टेशन नहीं था। गाँव में लगभग 1500 लोग बसते हैं। वे तीन मुख्य जातियों के हैं, जाट, सैनी और हरिजन। हरिजनों की संख्या बहुत अधिक है। बड़े-बूढ़े तो अधिकतर निरक्षर ही हैं, परन्तु नई पीढ़ी के कुछ नवयुवक पढ़े लिखे हैं और उनमें से कुछ दिल्ली में नौकरी करते हैं।

सन् 1958 में इस गाँव में एक समाज शिक्षा केन्द्र खोला गया। उस समय गाँव में पंचायत नहीं थी। कार्यकर्ता ने देखा कि गाँव के लोगों में विकास के लिए न तो समझ है न लगन। इस गाँव की सब से महत्त्वपूर्ण आवश्यकता आवागमन की स्विधा की उपलब्धि थी। क्योंकि काफी युवक प्रति दिन काम के लिए दिल्ली आते थे और शाम को लौटते थे।

कार्यकर्ता की सब से बड़ी कठिनाई तो यह थी कि गाँव के लोगों के तीनों गुट आपस में बात भी नहीं करते थे, सहयोग

का तो प्रश्न ही क्या ? जब कभी कोई (जनहित की) विकास योजना बनती, तो सभी का मत भिन्न होता और कुछ भी करवाना असम्भव जान पड़ता।

कार्यकर्ता ने अलग-अलग बहुत लोगों से परामर्श किया और सबने उससे आवागमन की सुविधा की प्राप्ति पर ही जोर दिया। बात उसकी समझ में विशेषकर इसलिए भी आई कि यदि यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो वह नवयुवकों का सहयोग सम्भवतया प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि उनकी रोजआना की एक कठिनाई हल हो जाएगी।

कार्यकर्ता ने रेलवे अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और गाँव के समीप एक रेलवे स्टेशन स्वीकृत करने की माँग की। बातें संतोषजनक जान पड़ीं और युवकों से जब कार्यकर्ता ने इसकी चर्चा की, तो वे बड़े प्रसन्न हुए और पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।

कार्यकर्ता का साहस बंधा और उसने रेल अधिकारियों से जल्दी जल्दी कई बार भेंट की और अन्त में अपने लक्ष्य में सफल हुआ। रेल अधिकारियों ने स्टेशन बनाना स्वीकार कर लिया यदि गाँव वाले उसके लिए भूमि निशुल्क दें और पाँच सौ रुपये उसका भवन बनाने के हेतु अपना योगदान।

इतने बड़े गाँव के लिए रेलवे अधिकारियों की ये मांगें तो कुछ बड़ी नहीं थीं, परन्तु निरन्तर छोटी-छोटी बातों पर लड़ने वाले गुटों को देखते हुए तो ये असम्भव प्रायः जान पड़ती थीं। कार्यकर्ता ने नवयुवकों को साथ लेकर साहस बटोर एक सभा बुलाई। जैसी आशा थी, उपस्थिति बहुत थोड़ी रही और विचार विनिमय सब निराशापूर्ण। बिना किसी निर्णय के सभा समाप्त हो गई।

कार्यकर्ता ने साहस नहीं छोड़ा और एक नई युक्ति चलाई। उसने केवल हरिजनों की एक सभा बुलाई और नवयुवकों को भी बुलाया। उपस्थिति बहुत संतोषजनक रही और हरिजन बड़ी संख्या में आये। सभा जैसे ही चल रही थी, एक दूसरे गुट ने सोचा, कि यदि हरिजन लोगों ने कार्यकर्ता की बात मान ली, तो क्या होगा? कहीं उनकी हेठी न हो जाए? इसी भय से वे सब भी तुरन्त सभा में आ गए और कार्यकर्ता का जादू सफल हुआ। दोनों गुटों के एकत्रित होते ही भूमि भी मिल गई और पाँच सौ रुपये भी।

अविलम्भ रेलवे अधिकारियों से सम्पर्क कर उनकी शर्तें पूरी कर दीं और उन्होंने तुरन्त ही कम से कम कुछ रेलों को सुबह शाम लोगों की सुविधा के लिए रोकना स्वीकार कर लिया। परन्तु एक कठिनाई अभी और रह गई। उन्होंने टिकट बाबू की नियुक्ति उस समय करने को कहा, जब उस स्टेशन की आय कम से कम एक हजार रुपये प्रति वर्ष हो। उस समय तक यह काम गाँव वालों को बिना वेतन करना होगा।

इस समस्या पर फिर विचार किया गया और कार्यकर्ता ने नवयुवकों को बारी-बारी से यह काम निभाने की सलाह दी। अड़चनें तो अनेकों थी, परन्तु एक स्टेशन बन जाने का लाभ तो इन कठिनाईयों से कहीं अधिक था। युवक दल ने तुरन्त ही इस स्टेशन की सारी व्यवस्था एक हजार रुपये सालाना की आय होने तक करते रहने का बचन दिया।

समस्या गहन थी, परन्तु सुलझ गई। इसी दौरान में गांव में पंचायत बन गई। पंचायत को युवक दल का सहयोग प्राप्त हुआ। उसमें तो सभी जातियौ के लोग थे। काफी दिनों तक पंचायत का काम बड़ी सफलता से चला। दुर्भाग्यवश

पंचायत के प्रधान का देहान्त हो गया। अब नए प्रधान का चुनाव होना था। बस अब जातिवाद और व्यक्तिवाद भड़क उठे। स्थिति गम्भीर हो गई। कार्यकर्ता को सन्देह हो गया कि एक बार फिर गाँव की एकता बिगड़ जाएगी। कार्यकर्ता अनुभवी भी था और बड़ी आयु का भी। एक बार फिर साहस बटोरा और महाभारत की कथा की व्यवस्था की। उसका लक्ष्य सभी को यह याद दिलाना था, कि घर की लड़ाई किस प्रकार विनाशकारी है। कथा का कार्यक्रम सभी को बहुत मन मोहक जान पड़ा और कार्यकर्ता का मनोरथ भी सिद्ध हो गया। गाँव वालों ने उसके अन्तःकरण को समझा और सब झगड़े भूल सर्व सम्मिति से नए प्रधान का चुनाव सम्पन्न किया।

आइये ! अब ऐसी ही एक और समस्या को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। यह कहानी एक और गांव की है जिसमें लड़कों का एक माध्यमिक विद्यालय था और लड़कियों के लिए प्राथमिक। गाँव लगभग 600 आदमियों की बस्ती है, जिनमें से लगभग 80 हरिजन हैं, शेष सब एक ही वर्ग के हैं। गांव के बड़े-बुढ़े नेता नव युवकों के बड़े विरुद्ध थे और कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। उनके ऐसे व्यवहार का कारण था उनकी पंचायत में हार। इस अपमान के बदले उन्होंने पंचायत को सहयोग देना अस्विकार कर दिया। आपस में ही दल बना लिये।

इस गांव में समाज शिक्षा कार्यकर्ता जब गया, तो उसके सामने यह बड़ी भारी उलझन आई। नई और पुरानी पीढ़ी के बीच मेल कैसे कराए ? यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। इसको हल किए बिना किसी भी विकास योजना का सफल होना असम्भव था। इस प्रयत्न में उसने व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाना आरम्भ किया ताकि किसी तरह लोगों के मनमुटाव को

बातों-बातों में दूर किया जा सके और आपसी भाई चारा स्थापित हो। परन्तु उसका परिश्रम सफल न हुआ।

प्रयत्न करते-करते उसे अपने साथी की कथा युक्ति याद आई। यह कार्यकर्ता अच्छा संगीतिज्ञ है और ग्रामीणों की भाषा में स्वयं ही भजन आदि बना लेता है। कविता और संगीत का सहारा उसे उपयुक्त जान पड़ा। उसने पृथ्वोराज और जयचन्द के बीच की इतिहासिक घटनाओं को भजनों का रूप दिया और एक भजन भण्डली युवकों की सहायता से बना ली। उसके मधुर संगीत ने लोगों को आकर्षित किया और वे भारी संख्या में संगीत सुनने आते।

ऐसे अवसर को कार्यकर्ता ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत उपयुक्त समझा, जैसे ही संगीत का समां-वन्धता, कार्यकर्ता जयचन्द वाली कहानी के भजन बोलकर, बलपूर्वक राजपूत राज्त के पतन की बात आपसी फूट के आधार पर सुनाता। साज़मय मधुर संगीत और फिर सुनने वालों पर ही घटित अपनी ही कहानी। कार्यकर्ता की महनत रंग लाई और लोगों ने इस तथ्य को समझा और बड़ें चाव से कई दिन तक सुनते रहे। आपत्ति टल गई।

साथ ही कार्यकर्ता ने कुछ निशुल्क दूध बाँटने की योजना भी चला दी। कार्यकर्ता की निस्वार्थ अटूट जन सेवा और जनहित में आपसी फूट को दूर करने के प्रयास को लोगों ने पहचाना और कार्यकर्ता को श्रद्धापूर्वक सम्मान दिया।

अभी उसे यह जाँचना था कि आपसी मेल उत्पन्न हुआ या नहीं, इसीलिए उसने ग्राम हित की दो विकास योजनाएँ प्रस्तुत कीं। एक तो गाँव के जोहड़ की सफाई और दूसरे मुख्य सड़क से गाँव को सड़क द्वारा मिलाना। सारे गाँव ने योजनाओं

का स्वागत किया और सबने सहयोग देकर यह सिद्ध कर दिया कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का भेद मिट चुका है।

आइये अब कुछ ऐसे उदाहरण देखें जिनमें ग्राम पंचायतों के महत्त्वपूर्ण सहयोग की प्रत्यक्ष झलक दिखाई देती है। इन उदाहरणों से जान पड़ेगा कि यदि ग्राम पंचायतें सहयोग न देती तो प्रौढ़ शिक्षण अथवा समाज शिक्षण व विकास का कार्य असम्भव हो जाता।

तीन हजार की जनसंख्या वाले प्रगतिशील गाँव में एक महिला कार्यकर्त्ता को महिलाओं के लिए साक्षरता एवं गृह विज्ञान का शिक्षण कार्य करने के लिए भेजा गया। ऐसा प्रबन्ध गाँव के ही एक उत्साही नवयुवक के कहने पर किया गया था। उस युवक ने केन्द्र चलाने के लिए स्थान का प्रबन्ध भी अपने घर में ही कर दिया था। ऐसे शिक्षण केन्द्र की आवश्यकता प्रत्यक्ष थी। वास्तविक थी। महिलाओं ने केन्द्र की स्थापना का स्वागत किया। केन्द्र में भली प्रकार सभी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कर दी गई थी, परन्तु उपस्थिति एकदम निराशाजनक।

महिला पढ़ना-लिखना-सीखना चाहती थी। गांव बड़ा प्रगतिशील था। शिक्षण की सभी सुविधाएँ प्राप्त थीं। केन्द्र का स्थान बड़ा उपयुक्त था। परन्तु कार्यक्रम में जनसहयोग का अभाव। इस समस्या का कारण खोज करने की बात थी। क्या कारण था आखिर इस उदासीनता का ? क्या छुआ-छूत ? नहीं ! तो क्या गरीबी ? नहीं ! फिर क्या केन्द्र की अनुपयुक्त स्थिति ? नहीं, यह भी नहीं ! क्या अदृश्य स्वार्थ ? नहीं ! तो क्या इसकी आवश्यकता नहीं थी ? अवश्य थी ? तो फिर क्या अज्ञान का अंधेरा ? यह भी नहीं ! क्या जाति भेद अथवा गुट-

बन्दी ? नहीं ! क्या कारण था कि जनसाधारण अर्थात् गाँव के निवासी कार्यक्रम के प्रति उदासीन थे और उपयोगी से उपयोगी कार्यक्रम में भी सम्मलित नहीं होते थे ।

कार्यकर्त्ता बड़ी उलझन में थी । व्यक्तिगत विचार विनिमय के बाद उसे यही जान पड़ा कि इस उदासीनता का कारण है केन्द्र के प्रति अपनत्व का अभाव । ग्रामीण महिलाओं को यह नहीं समझाया जा सका अर्थात् वो यह नहीं समझ सकीं कि केन्द्र उनका अपना केन्द्र है। सारे गाँव की महिलाओं के हित का केन्द्र है । उनकी समझ में तो वह एक चौधरी का घर ही था और बस । चौधरी की बैठक का कमरा और उसके बारे में अनेक भिन्न-भिन्न कहानियाँ, यही इस प्रयोजन का परिणाम हुआ । महिलाओं को चाहिए था एक ऐसा स्थान, जिसको वे सब अपना कह सकें और गाँव का कह सकें ।

गाँव में ऐसा अन्य स्थान खोजने का प्रयत्न किया गया जिसको सारे गाँव की महिलाएँ अपना कह सकें, समझ सकें, अपना सकें । यह खोज निष्फल हुई । ऐसा कोई स्थान न मिला । धन के अभाव के कारण नया भवन भी न बनाया जा सका और केन्द्र बन्द कर दिया गया ।

केन्द्र तो बन्द हो गया परन्तु कुछ उत्साही लोगों को अपनी इस बेबसी पर बड़ा दुःख हुआ । एक वर्ष बाद गाँव में पंचायत बनी, पंचायत तो सभी की थी । सारे गाँव की थी । अब फिर अवसर था गाँव हित कार्य करने का । ग्राम प्रधान को वह घटना याद थी । उसे चोट लगी थी । मन में काँटा चुभ रहा था । उसने ऐसा एक भवन बनवाने का निश्चय कर लिया जिसे गाँव के सभी लोग अपना कह सकें । उसने पत्थर और चूने की खानों पर कुछ कर लगाया और उस आय से शीघ्र ही एक भवन बनवा दिया । केन्द्र फिर पूरे वेग के साथ आरम्भ हो

गया और अब की बार वो सारे ग्रामवासियों का केन्द्र था और सभी दूसरे गाँवों के लिए एक ज्वलन्त उदाहरण ।

पंचायतों की स्थापना के बाद प्रौढ़ शिक्षण व समाजोत्थान कार्य में पंचायत के सहयोग का कोई यह अकेला उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार अनेक और ग्राम पंचायतों ने भी जनसाधारण में चेतना तथा जागृति के प्रसार के लिए शिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया है। कुछ पंचायतों ने तो ऐसे जन चेतना व जनहित के कार्यक्रमों के लिए विशेष आर्थिक राशि उपलब्ध की है और कई पंचायतों ने समाज शिक्षा कार्य के लिए भवनों का निर्माण किया है ।

उपरोक्त उदाहरण जनसेवा कार्य में पंचायतों के उपयोगी योगदान का नमूना है। ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं। परन्तु पूरी तस्वीर ऐसी ही सुन्दर नहीं है। कहीं-कहीं अधिकार के दुरुपयोग के नमूने भी मिलते हैं। हो सकता है ऐसी स्थिति नगरों के निरन्तर फैलाव के कारण हो रही हो अथवा कुछ चतुर लोगों द्वारा शेष नासमझ नागरिकों के शोषण से। कुछ भी हो, ऐसे स्थानों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ता चुप नहीं रह सकता और पूरी चतुराई और समझ के साथ उसे अनुचित कार्य को रोकना ही होगा। परन्तु यह आवश्यक है कि वो बेलाग होकर वास्तविक स्थिति को सम्भालने में लोगों का पथप्रदर्शन करें ।

अधिकार के दुरुपयोग का भी एक नमूना देख लें तो अच्छा होगा। यह घटना दिल्ली नगर के निकटवर्ती एक गाँव की है। सन् 1947 के बाद दिल्ली बड़ी फैलती जा रही है और आस-पास के ग्राम नगर में समा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो भूमि गाँव के खेतों की थी, उस पर बढ़े वैभवशाली भवन बन गए हैं और बराबर बनते जा रहे हैं। नगर औद्योगीकरण के

कारण भी और दूसरे और कारणों से भी बढ़ता जा रहा है। सारी परिस्थिति इतनी बदल गई है कि पुराना नक्शा तो अब केवल कहानी रह गई है।

इस अदल-बदल ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया हैं। वैधानिक तौर पर इकाई गाँव होते हुए भी, वास्तविक गांव अब समाप्त हो चुका है। गाँव की एकता, आपसदारी, और सच्चा सरल व्यवहार अब कहाँ। अब तो कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोग गुट बनाकर शेष सभी लोगों को किसी-न-किसी प्रकार साथ लेकर अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं।

जिस गांव की यह घटना है उसके आस पास नए नगर बन रहे थे। उनके फैलाव के लिए भूमि चाहिए थी। इस गाँव की ग्राम सभा की भूमि में बहुत बड़ा टुकड़ा जंगल पड़ा हुआ था। ग्राम पंचायत में कुछ स्वार्थी लोग भी थे। उनका मन इस अवसर को देख ललचा गया और धीरे-धीरे जंगल की भूमि बिकती चली गई। बहाना यह लगा दिया कि जो रुपया मिलेगा वों ग्राम विकास कार्य में लगेगा।

समय बीतता गया। भूमि तो चली गई परन्तु जनहित का कोई नया काम तो गाँव में न हुआ और न ही पंचायत की पूँजी बढ़ी। सभी गाँव वाले सन्देह तो कर रहे थे परन्तु आगे बढ़ने का साहस किसी में नहीं था। सबकी आँखे समाजशिक्षा कार्यकर्त्ता पर ही टिकी थीं, परन्तु उसके लिए तो स्थिति बड़ी नाजुक थी। उसके लिए पक्षरहित कार्य करना जरूरी था परन्तु निर्दोष लोगों का शोषण भी वो नहीं सह सकता था। वो क्या करे? यही समस्या थी! सोचते-सोचते उसे एक युक्ति सूझ गई। परन्तु पहले उसे अपना पक्ष दृढ़ करना होगा। उसने शीघ्र ही गाँव में गाम नेता शिविर का आयोजन किया। आस-

पास के भी सभी गाँवों के नेताओं को निमन्त्रित किया। ग्राम विकास विभाग के अधिकारी गणों को भी बुलाया।

सभा का कार्यक्रम चल रहा था। अधिकारी अपनी बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने पंचायत के उस कार्य की चर्चा करने का यह उपयुक्त अवसर देखा और अपनी बात कह डाली। गुटबन्दी का भेद स्पष्ट हो गया और राज्य द्वारा जाँच पड़ताल जारी हो गई। सारी अव्यवस्था सामने आ गई और स्थिति ठीक हो गई।

ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं का हल करने के लिए बड़ी चतुराई की आवश्यकता है। यह काम सरल नहीं परन्तु हर शुभ काम के आरम्भ में कठिनाईयाँ होती हैं। इसी प्रकार पंचायती राज्य में भी ऐसे स्वर्थी तत्व होते हैं जिनको बड़ी देख-रेख के बाद ही सही रास्ते पर चलाया जा सकता है। समाज शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्त्ता यदि सच्ची लगन और सतर्कता से काम लें तो सचमुच समाज की सेवा हो सकती है।

लगभग इसी प्रवार की युक्ति एक और गाँव में भी सफल हुई। यहाँ समस्या कुछ भिन्न थी। गाँव में गन्दगी बहुत थी। चारों और गन्दगी के ढेर लगे सड़ रहे थे। गाँव में बहुत गरीबी थी। इसको उठाने के लिए गाँव वाले धन नहीं जुटा सकते थे। श्रमदान के आधार पर इतना बड़ा काम हो नहीं सकता था, परन्तु ग्रामीण जनता को सुख तो मिलना ही चाहिए। गाँव के नवयुवक अधिकारियों को लिखते रहे और सप्ताह में एक बार श्रमदान भी करते रहे। परन्तु सफाई की प्रगति बहुत धीमी थी और अधिकारियों को लिखे गए पत्र सम्भवतया रद्दी टोकरी में पड़ते रहे।

निराश होकर नवयुवकों ने यह मामला समाचारपत्रों में दे दिया और गाँव का हाल समाचार पत्रों में छपा। गाँव के वड़े वूढ़ों को इस पर बड़ा रोष आया। उन्होंने इस घटना को अपमानजनक बताया। सोचा कि इससे अधिकारी गाँव के और भी विरुद्ध हो जाएँगे। उन्होंने नवयुवकों को डाँटा फटकारा। न सहारा दिया न साहस बढ़ाया।

गन्दगी बढ़ती ही जा रही थी। नवयुवकों ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष में एक समारोह करने का विचार समाज-शिक्षा कार्यकर्त्ता के समक्ष रक्खा और वह तो उनके साथ था ही, तुरन्त स्वीकृति दे दी और सफाई विभाग के उच्चतम अधिकारी को उस समारोह की अध्यक्षता के लिए आमन्त्रित किया। निमन्त्रण के स्वीकार होने के समाचार मिलते ही सफाई विभाग गाँव की ओर दौड़ पड़ा और देखते ही देखते गणतन्त्र दिवस समारोह से पहले-पहले गाँव की गन्दगी समाप्त हो गई। अब तो नक्शा ही बदल गया और गणतन्त्र समारोह वास्तविक उल्लास के साथ मनाया गया। बड़े-बूढ़े सभी नव-युवकों की चतुराई की सराहना करने लगे और सहयोग पहले से इतना अधिक बढ़ा कि ग्राम हित के सभी कार्य प्रसन्नता-पूर्वक सामूहिक रूप से होने लगे।

समाज शिक्षा कार्य कर्ताओं की ग्राम सेवा के प्रति तत्परता का केवल एक नमूना और देखिये फिर दूसरी प्रकार की बात करेंगे। इस उदाहरण से जान पड़ेगा कि जन तन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के इस युग में पढ़ना लिखना सीखना कितना महत्वपूर्ण है। यह भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार अन्ध-विश्वास का लाभ उठाकर स्वार्थ सिद्धि के लिये अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है।

देहाती रेडियो प्रोग्राम जन शिक्षण का उत्तम साधन है। शिक्षाप्रद होने के साथ-साथ ये प्रोग्राम सूचना प्रसार का माध्यम भी हैं और मनोरंजन का भी । वास्तव में गाँव का रेडियो गाँव के शुष्क जीवन में रस भर देता है। इसी लिये देहाती रेडियो के प्रोग्रामों को सब प्रसन्नता से बिना भेद भाव के मिल-जुलकर सुनते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा योजना तथा सामुदायिक विकास योजना के आरम्भ से पहले ही सूचना प्रसार विभाग द्वारा दिल्ली के गाँवों में रेडियो दिये गये। गाँव का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो रेडियो की देख रेख करने और सुनवाने का उत्तरदायित्व लेता, उसी के घर पर रेडियो लगा दिया जाता और वही उसका संरक्षक समझा जाता।

सन् 1949 में प्रौढ़ शिक्षा योजना चली और 1952 में सामुदायिक विकास योजना । उसके बाद रेडियो के संरक्षक बनाने की पद्धति बदल दी गई । जिन गाँवों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता थे वहाँ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर रेडियो लगा और वही कार्पकर्ता उसका संरक्षक बनाया गया। जहाँ समाज शिक्षा केन्द्र अथवा कार्यकर्ता नहीं था, वहाँ ग्राम सेवक, अन्यथा स्कूल शिक्षक, अथवा और किसी भी राजकीय विभाग का अधिकारी यदि गाँव में होता तो उसकी संरक्षता में रेडियो लगाया जाने लगा। जहाँ ऐसा कोई साधन नहीं था, वहाँ पुरानी प्रथा चलती रही।

ग्राम पंचायतों की स्थापना के बाद पंचायत घरों में ये रेडियो लगने लगे और संरक्षकों का प्रबन्ध ऐसा ही रहा जैसा ऊपर बताया गया। कहीं-कहीं ग्राम प्रधान ही संरक्षक बन गया। पद्धति की इस अदल-बदल की दशा में कुछ गांवों में बड़ी

कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं। कोई-कोई ग्राम प्रधान ऐसा सोचते हैं, कि सरकारी रेडियो प्रतिष्ठा की चीज है और वो प्रधान के घर में ही लगनी चाहिये। परन्तु पहले बने हुए संरक्षक उसे हटाये जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे बहुत दिनों से जबकि शिक्षा प्रसार अथवा सामुदायिक विकास विभागों में से कोई भी विभाग गाँव में काम नहीं कर रहा था, उसकी देख-रेख करते चले आये हैं। इसे वे अपनी अमानत समझते हैं और प्रधान उसके हटवा देने को अपना अधिकार। राजकीय नियम इन मिथ्या भ्रमों को न सोचकर जनहित के पक्ष में जो ठीक हो वही प्रतिपादन करते हैं, परन्तु समस्या विकट बन जाती है। ऐसी परस्थिति में केवल सतर्क कार्यकर्ता ही एक उपयोगी कार्यक्रम को इस प्रकार चलते रख सकता है कि नियम भी लागू हो जाए और मिथ्या वाद भी न बढ़ने पावे। अन्यथा या तो जन सम्पत्ति ही समाप्त हो जायगी, या कोई उपयोगी प्रोग्राम समाप्त हो जायगा।

यहाँ जिस घटना का उल्लेख है, उस गाँव में रेडियो पहले से ही लगा हुआ था और गाँव का ही एक उत्साही नवयुवक बिना किसी शिकायत के उसकी देख-रेख बड़ी तत्पर्ता से कर रहा था। गाँवों में पंचायत बन जाने के बाद रेडियो विभाग के अधिकारी को एक प्रस्ताव पंचायत से पारित इस आश्य का मिला कि उस रेडियो को हटाकर प्रधान के घर पर लगाया जाये। अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, परन्तु पंचायत से पारित प्रस्ताव के आधार पर उसे रेडियो को हटा देने का आदेश देना पड़ा।

जब रेडियो हटाया जा रहा था तो अनेक प्रश्न लोगों ने पूछे। उत्तर में उन्हें यही बताया गया कि पंचायत के सभी

सदस्यों के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव के आधार पर पंचायत की इच्छानुसार रेडियो हटाया जा रहा है और उसमें वह पहला संरक्षक भी शामिल है। इस उत्तर से ग्राम वासियों को बड़ा अचम्भा हुआ। उन्होंने ऐसे किसी प्रस्ताव के पारित होने को मना किया। पूछ-ताछ की गई और खोज करने पर पता चला कि ग्राम प्रधान ने किसी कोरे कागज पर ग्राम विकास के किसी अन्य काम के लिये प्रार्थना पत्र भेजने के लिए हस्ताक्षर कराए थे और वही काग़ज़ इस काम में लिया गया।

घटना बड़ी रोचक है। कोई भी समाज शिक्षा कार्यकर्ता भला ऐसे अज्ञान और धोखे को कैसे सहन कर सकता है। यह तो जनतंत्र की ही जड़ खोद देगा और सुख समृद्धि के स्थान पर अशान्ति और विनाश ही लाएगा।

उपरोक्त कुछ उदाहरणों का अध्ययन हमने समाज शिक्षा कार्यों की कुछ स्वाभाविक समस्याओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनके समाधान की भिन्न-भिन्न युक्तियों को दर्शाने और समझने के लिए किया। अब आईये कुछ ऐसे उदाहरणों का अध्ययन करें जिनसे यह जान सकें कि साक्षरता ज्ञान प्राप्ति से कुछ प्रौढ़ निरक्षरों के जीवन में क्या परिवर्तन हुए और साक्षरता कैसे उपयोगी सिद्ध हुई।

प्रस्तुत प्रगति विवरण लखनऊ जिले के एक 35 वर्षीय ग्रामीण निरक्षर का है। साक्षरता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर जहाँ कुछ साथियों ने अपने ज्ञान का उपयोग गीत संग्रह, पुस्तक पाठ, और हिसाब किताब आदि में किया, इस अध्ययन के मुख्य पात्र ने साक्षरता के बाद अपने ज्ञान का उपयोग भिन्न-भिन्न प्रकार के मकानों के नक्शे और खर्चे के अनुमान बनाने में किया।

इस अध्ययन में यह बताया है कि (1) यह व्यक्ति साक्षर बनने की प्रेरणा कैसे पाया। (2) उसने अपनी साक्षरता का उपयोग कैसे किया और (3) जबकि अधिकतर साथी केवल पढ़ाई लिखाई में अधिक रुचि लेते थे, यह व्यक्ति व्यवसायोपयोग साक्षरता के गणित पक्ष में क्यों अधिक रुचि रखता था ?

व्यवसायोपयोगी साक्षरता के पाठ्यक्रम को साधारणतया तीन स्तरों में बाँटा जाता है। पहले स्तर में अर्थात् पढ़ाई लिखाई के स्तर में शिक्षार्थी पढ़ना लिखना सीखता है। हिन्दी भाषा के सारे स्वर और व्तंजनों का पढ़ना-लिखना सीख लेता है और प्रायमर में प्रयोग हुए सारे शब्द और वाक्य। एक सौ तक की गिनती और साधरण जोड़ बाकी जान जाता है। दूसरे स्तर में वो पढ़ने-लिखने और समझने लगता है। 40 से लेकर 50 शब्द प्रति मिनट तक पढ़ लेता है और साधारण सरल पुस्तकों को समझने लगता है। लिखने की प्रगति 7 से 10 शब्द प्रति मिनट हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ पत्र, प्रार्थना पत्र आदि लिख लेता है। कुछ फार्म भरना सीख जाता है। तोसरे स्तर में वो अपने ज्ञान का पढ़ने लिखने में उपयोग कर पक्का करते हैं। स्थाई बना लेते हैं। पढ़ने को रुचि बढ़ जाती है और पढ़-पढ़कर कर अपने आस-पास की, अपने राज्य की और विश्व की कुछ साधारण तथा मूल बातें जान जाते हैं।

जिस व्यक्ति का उल्लेख किया जा रहा है वह लखनऊ जिले के सरोजनो नगर ब्लाक के बाघीभाऊ गाँव का रायदास जाती का सरजू नाम का व्यक्ति है।

रायदास जाति के लोग अक्सर चमड़े का काम करते हैं और जाति के आधार पर कुछ नीचे समझे जाते हैं। अब तो बहुत रानदासी लोगों ने अपना परम्परागत धन्धा छोड़ दिया है

और वे खेतों में मजदूरी करने लग गये हैं। निरक्षर तो मजदूरी करते हैं और पढ़े-लिखे कुछ राज-मिस्त्री, मेट (जमादरा मुंशी) व चपरासी आदि का काम करते हैं।

सरजू ने भी अपना जीवन मज़दूरी से ही आरम्भ किया। ना तो उसका बाप कभी पढा और न वो। अपनी जाति वालों को तरह बचपन में ही वे कमाने लगे। सरजू खेती हर मज़दूर था। हालांकि वह अपने बाप के चार बीधे खेत पर काम कर सकता था, परन्तु उसने गाँव के बाहर मकान चिनाई का काम करने वाले एक राज मिस्त्री के साथ मज़दूर का काम करना पसन्द किया।

एक दिन लखनऊ शहर के डौलीगंज मोहल्ले में वो राज मिस्त्री और सरजू एक मकान बना रहे थे। मकान की दीवारें बन रही थीं और उनमें खूँटियाँ लगानी थीं। सरजू ने आदेशा-नुसार खूटियाँ लगा दीं। वह उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कर्तव्य तो आज्ञा पालन था, चाहे वह गलत भी हो। एक के सिवाय सब खूँटियाँ लग चुकी थीं। आखिरी खूँटी लगते समय सरजू चुप न रह सका। उसने राज से कहा, "मैंने सब खूँटियाँ आपके आदेशानुसार लगा दी हैं, परन्तु मेरी राय में ये ठीक स्थान पर नहीं हैं। वो नक्शे से नहीं मिलती।" सरजू का अनुमान राज मिस्त्री को हास्यास्पद जचा और उसने कहा, "जैसा मैं कहूँ वैसा करते चलो," परन्तु सरजू न माना और कहा "मैं फिर कहता हूँ कि ये खूटियाँ ठीक स्थान पर नहीं लगी हैं।"

राज मिस्त्री नीचे उतर आया और चारों तरफ से खूटियाँ पर निगाह डाली। नक्शा देखा और फीते से नापा। सरजू ने ठीक कहा था। सरजू की लगाई हुई एक आखिरी खूँटी के

सिवाय सभी खूँटियाँ ग़लत स्थानों पर लगी हुई थीं। राज मिस्त्री ने सरजू से कहा, "सरजू, तुम बड़े समझदार हो। मैं तुम्हारी अनुमान-शक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। परन्तु दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, तुम्हें इसका ध्यान है। यदि तुम निरक्षर रहे, तो आज से बीस साल बाद भी ऐसे ही मज़दूर रहोगे। तुम्हें पढ़ना-लिखना सीखना चाहिये। मैं तुम्हें बहुत अच्छा राज मिस्त्री बना दूँगा, यदि तुम पढ़ना-लिखना सीख जाओगे।" सरजू ने उसी समय पढ़ना-लिखना सीखने का निश्चय कर लिया।

सरजू उसी मिस्त्री के साथ काम करता रहा और एक प्रायमर लाकर पढ़ना सीखने लगा। परन्तु वह अधिक समय न दे सका और थका हारा होने के कारण थोड़ा हो काम कर पाता था। वह हिन्दी की गिनती लिखना ही सीख पाया।

इसी बीच में गाँव में प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएँ जारी हुईं। शिक्षक महोदय घर-घर जाकर लोगों को कक्षा में आने के लिए प्रेरित करते थे। सरजू कक्षा में आने का निश्चय न कर सका क्योंकि उसके बारे में भिन्न-भिन्न लोगों के विचार भिन्न-भिन्न थे। कुछ लोगों ने कहा अब तुम इतनें बड़े होकर पढ़ नहीं सकोगे परन्तु कुछ ने कहा 'तुम्हारे जैसे समझदार व्यक्ति को ज़रूर पढ़ना चाहिये।" अन्त में उसने कक्षा में आने का निश्चय कर ही लिया।

सरजू ने परिश्रम करके तीन महीने में प्रायमर समाप्त कर लिया। इस प्रकार उसे पढ़ने-लिखने और थोड़ा बहुत हिसाब करने की योग्यता प्राप्त हो गई। इस ज्ञान को वह रोज के काम में प्रयोग करने लगा। पहले जिन बातों को वह ज़बानी याद रखता था, अब लिख लेता। थोड़े दिन के बाद वह राज

मिस्त्री बन गया और फिर जमादार मुंशी। इन दोनों कामों के लिए ही थोड़ी बहुत पढ़ने-लिखने की योग्यता की जरूरत होती है। उसका अधिकतर काम चिनाई के सामान का लेखा रखना, उसके निरीक्षण में काम करने वाले मज़दूरों की हाज़री और मज़दूरी का हिसाब रखना था। उससे मकानों के नक्शे देखकर उन्हें समझने की ज़रूरत थी। ये सब काम सरजू कर सकता था। इस प्रकार सरजू निरक्षर मज़दूर से पढ़ा-लिखा मुंशी बन गया।

काम से निवृत होने के बाद सरजू थोड़ी देर रोज़ पढ़ने में लगाता था। वह चलते-फिरते पुस्तकालय का सदस्य बन गया और इस प्रकार उसे पढ़ने के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध होने लगीं। उसे भजन कीर्तन का शोक नहीं था। थोड़े ही दिनों में उसने कहानियों की बहुत सारी पुस्तकें, ड्रामे, आल्हा और रामायण आदि पुस्तकें पढ़ लीं। लोग सरजू की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि उसके जैसे रामायण पाठी बहुत कम मिलेंगे।

अब एक और दूसरा उदाहरण लीजिये। यह जिस गाँव की बात है, उसकी आबादी 668 थी। 350 पुरुष और 318 महिलाएँ, निरक्षर लोगों की संख्या 555 थी जिनमें 317 पन्द्रह साल से नीचे के थे और 238 पन्द्रह साल से ऊपर।

इस गाँव वालों का मुख्य धन्धा खेती है। अधिकतर लोग खेतों में काम करते हैं। कुछ लोग कृषि सम्बन्धी ही कोई दूसरे काम करते हैं। अधिकतर किसानों के पास साधारणतया बहुत अधिक भूमि नहीं हैं। वो पुराने तरीकों से ही खेती करते हैं। परन्तु एक ब्राह्मण परिवार ऐसा है, जो नए तरीकों से खेती करता है।

गाँव में अनेक जातियों के लोग बसते हैं। इनमें यादव, पासी और रईदासी दूसरों से अधिक हैं। यादव लोग गिनती में भी अधिक हैं और सम्पन्न भी हैं। उनके बाद ब्राह्मणों का नम्बर है। इनके पास भी काफी भूमि है। हरिजन लोग जो भूमिहीन होते हैं और खेतों पर मज़दूरी करते हैं, वह अपनी आजीविका के लिए इन्हीं लोगों पर निर्भर हैं। पिछले कुछ वर्षो में निरक्षर छोटे कहलाये जाने वामे लोगों की दशा काफ़ी सुधर गई है। उनमें से कुछ चिनाई का काम करते हैं, मिस्त्री हैं, मुख्य मिस्त्री हैं, तथा और कई प्रकार की मज़दूरी गाँव के बाहर करते हैं।

गाँव में ब्राह्मण हमेशा से साक्षर रहे। जब गाँव में स्कूल नहीं था, तो वे अपने बच्चों को बाहर के गाँव के स्कूल में भेजकर पढ़ाते थे। इनके बाद बढ़ईयों का नम्बर है, फिर यादवों का और फिर हरिजनों का, गाँव के कुल पढ़े-लिखे लोगों की संख्या स्कूल जाने वाले बच्चों को मिलाकर 113 है। इन में वो सभी लोग शामिल हैं जो कभी-भी थोड़ी देर के लिए स्कूल गए हैं। वैसे वास्तविक तौर पर केवल 59 लोगों को ही शिक्षित कहा जा सकता है। जिनमें से 48 पुरुष और 11 स्त्रियाँ हैं। 11 स्त्रियों में से 8 की शादी हो गई और अब वे सुसराल में चली गई हैं। शेष 3 जो गाँव में हैं, बराबर पढ़ती-लिखती रहती हैं। 48 पुरुषों में से 22 वापिस लगभग निरक्षर हो गए हैं, केवल नाम आदि लिख सकते हैं। शेष कुछ पढ़ते-लिखते रहते हैं। और जो पढ़ा सो उन्हें याद है। वे पुस्तकें पढ़ते रहते हैं और कुछ ने तो पढ़ने में अच्छी उन्नति कर ली है। गाँव के ये सभी शिक्षित लोग अपने अवकाश के समय को भिन्न-भिन्न कामों में बिताते हैं। कुछ तो चल पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं। कुछ दूसरे पुस्तकालयों से भी पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं।

आल्हा ऊदल, तोता मैना, और ऐसे ही और कहानी किस्सों से लेकर विज्ञान के चमत्कार सम्बन्धी पुस्तकें, ये लोग एक स्थान पर बैठकर यथा समय पढ़ते हैं। कोई नियमित रूप से नहीं, केवल पढ़ने वालों की रुचि और सुविधा के अनुसार ही यह कार्यक्रम चलता है। कुछ लोग भजन गाने में, सतसंग में और ऐसे ही दूसरे कामों में समय लगाते हैं। कुछ लोग इन गानों को लिख भी लेते हैं। परन्तु इस पढ़ाई-लिखाई के ज्ञान को व्यवसायोन्नति में कोई उपयोग नहीं करता।

चौहाण लाल इसी गाँव के एक हरिजन परिवार में पैदा हुआ। उसका बाप दूसरे हरिजनों की तरह भूमिहीन लोगों के जैसे ही मज़दूरी करता था। उसे बालकों को पढ़ाने की बात कभी नहीं सूझी। गाँव में तो कोई स्कूल था नहीं, आस-पास के गाँवों के स्कूल में सम्पन्न लोगों के बच्चे ही जा सकते थे।

दूसरे सभी गरीब परिवारों के लोगों की तरह चौहाण लाल भी छोटी आयु में ही मज़दूरी करने लगा। वह गाँव में भी और गाँव के बाहर भी मज़दूरी करता था। उसका बाप नगरपालिका के भवन निर्माण विभाग में नक्शा नवीस था। इससे पहले निरक्षर ही था और चौहाण लाल और दूसरों की तरह ही मज़दूरी करता था। परन्तु उसने थोड़ा पढ़ना-लिखना और गिनती हिसाब सीख लिया। उन दिनों इतना ही ज्ञान उसके लिए नक्शा नवीस बनने के लिए काफी था। वह सड़कों के नक्शे, मकानों के नक्शे और उनका हिसाब-किताब समझ लेता था और बना लेता था। इसी लिए उसे यह पद मिल गया। दूसरे लोग उसकी नकल करना चाहते थे।

अपने बाप के उदाहरण से चौहाण लाल को भी पढ़ना-लिखना सीखने की प्रेरणा मिली। उसने समझ लिया कि पढ़ना-

लिखना सीख जाने से और कुछ नहीं तो वह हैड मिस्त्री अवश्य बन जाएगा। उसने इस मनोकांक्षा को पूरी करने के लिए गाँव के पढ़े-लिखे लोगों से सहायता माँगी। स्कूलाध्यापक ने उसे मदद देना स्वीकार न किया। परन्तु एक ब्राह्मण के लड़के ने जो स्कूल में पढ़ता था, उसे संध्या काल में सहायता देने का वचन दिया।

चौहाण लाल थोड़ा पढ़ना-लिखना सीख गया था। इसी दौरान में गाँव में दो प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र खुल गए। उसके भाग्य से छीका टूटा और घर बैठे गंगा आ गई। उसने तुरन्त एक केन्द्र में नाम लिखवा दिया। उसके मन में इतना उत्साह था कि वह सब से पहले कक्षा में आता और सफाई करता, दरी बिछाता, लैम्प ठीक करता और पढ़ने बैठ जाता। सबसे पहले आता और सबसे पीछे जाता, यही उसका प्रतिदिन का नियम हो गया। दस महीने के परिश्रम से वह भली प्रकार पढ़ना-लिखना सीख गया।

पढ़ना-लिखना सीख लेने के बाद वह एक ठेकेदार के यहाँ हैड मिस्त्री हो गया। परन्तु अभी उसे संतोष नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई बराबर जारी रक्खी और अभ्यास बढ़ाता रहा। एक मित्र के परामर्श से उसने काम दिलाऊ दफ्तर में नाम दर्ज करा दिया। अन्त में वह एक बड़े फार्म में सहायक के पद के लिये चुन लिया गया।

यह फार्म उसके गाँव से लगभग एक किलोमीटर दूर है। उसमें पशुरक्षा, दुग्धशाला और मुर्गी खाना है। चौहाण लाल को मुर्गीखाना के रीसर्च सेन्टर में काम मिला। इस काम पर चौहाण लाल का दायित्व भिन्न-भिन्न नसलों के पक्षियों को देखना और उनकी आदतों का ब्यौरा रखना था। उसे बार-बार

मुर्गीखाना जा-जा कर ये सब बातें देखनी होती थीं। जैसे ही कोई मुर्गी अंडा देने लगती, वह एक ऐसे बक्स में घुस जाती थी जिसके दरवाजे उसके घुसते ही अपने आप बन्द हो जाते थे। चौहाण लाल को उसी समय उसका नम्बर नोट करना होता था, जो उस पक्षी के पैर के छल्ले पर लिखा होता था। उसे केबिन का नम्बर, अंडा देने का समय और तारीख आदि लिखने होते थे। यह काम चौहाण लाल के लिए कठिन नहीं था। वह ये सब काम आसानी से कर सकता था।

परन्तु चौहाण लाल को इस काम से संतोष न मिला। वह प्रयोगशाला सहायक होना चाहता था। इसके लिए उसको अंग्रेजी पढ़ना जरूरी था। इसलिए वह हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी पढ़ने लगा और परिश्रम का फल पा ही गया। अब वह प्रयोगशाला सहायक है। गाँव का ही एक बढ़ई उसे अब भी अंग्रेज़ी सिखा रहा है। उसने फार्म पर काम करने के लायक अंग्रेज़ी सीख ली है।

इस दृष्टान्त से हमने देखा कि चौहाण लाल आरम्भ में एक निरक्षर मज़दूर ही था। परन्तु अपने साक्षर बाप को देख-कर उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली और उसे निश्चय हो गया कि यदि वह पढ़ना-लिखना सीख जाएगा तो अच्छी जगह पा सकेगा, अधिक रुपया कमा सकेगा और जीवन को सुखी बना सकेगा। इसी आशा ने उसे गाँव के शिक्षित लोगों से सम्पर्क बढ़ाने की प्रेरणा दी और अन्त में वह हैड मिस्त्री बन गया। उसे फिर भी शान्ति न मिली और पढ़ाई जारी रक्खी। ज्ञान की इस उन्नति के आधार पर उसे लक्ष्य की प्राप्ति हुई और वह प्रयोगशाला सहायक बन गया।

अपना अध्ययन समाप्त करने से पहले हम एक और उदाहरण लेंगे। एक निरक्षर किसान ने एक प्रशिक्षण कोर्स में भाग लिया। दस महीने बाद, खेती के नये तरीके, सामाजिक ज्ञान और ग्रामीण स्वास्थ्य समस्या का ज्ञान पा लेने के अतिरिक्त वह व्यवसायोपयोगी साक्षरता भी पाकर लौटा। उसके साथ कोर्स में कई निरक्षर किसान और भी थे, परन्तु उन्होंने पूरा परिश्रम नहीं किया और साक्षर तो बने परन्तु अधूरे। इस उदाहरण में हम उन्हों बातों को समझेंगे, जिनके कारण एक ही प्रशिक्षण कोर्स के सब साथी बराबर योग्यता प्राप्त न कर सके।

जिस निरक्षर किसान की बात हम कर रहे हैं, इसको सब लोग डायरी बाबू कहने लगे थे। यह लखनऊ जिले के एक देहात का रहने वाला है। इस गाँव में कुछ किसान लोग रहते हैं और शेष दस्तकार। गाँव में पढ़े-लिखे लोग बहुत कम हैं। गाँव में खेती के पुराने तरीके ही काम में लाये जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नये तरीकों को नहीं समझते।

देहात में साधारणतया शिक्षा का सम्बन्ध जाति से बहुत होता है। डायरी बाबू नीची जाति का व्यक्ति है। उसका बाप मिट्टी के बर्तन बनाने का अपना पुश्तैनी धन्धा छोड़ अपने आठ बीघे खेत पर काम करता है। परम्परा के अनुसार उसने अपने सभी लड़कों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा और केवल बड़े लड़के को दो तीन कक्षा तक पढ़ाया। उसका ख्याल था कि उसके जैसे परिवार के लोगों के लिए इतनी ही शिक्षा पा लेना काफी है। डायरी बाबू उसका दूसरा लड़का होने के कारण पढ़ाई का अवसर न पा सका। वह अपने फार्म पर ही कार्य करता था। परन्तु पढ़ने की उसकी इच्छा बड़ी तीव्र थी।

आरम्भ से ही वह अपने बड़े भाई को पढ़ते देखकर उसके पास बैठकर ही उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया।

गाँव के दूसरे और लोगों की तरह डायरी बाबू का विवाह भी 11 वर्ष की आयु में हो गया था। एक साल तक उसने परचून की दूकान चलाई, परन्तु हिसाब रखने के लिए वह अपने भाई के आधीन रहता था। डायरी बाबू का बड़ा भाई परिवार से अलग हो गया और फिर यह उत्तरदायित्व डायरी बाबू खुद पर ही आ गया। अठारह वर्ष की आयु तक बेचारा इसी उधेड़बुन में रहा और सुपने मे भी पढ़ने की बात न सोच सका।

जिस दिन उसके बाप ने उसे युवक किसान प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी, उसी दिन उसके भाग्य का द्वार खुल गया। इस शिविर में किसान खेती के नए तरीकों के साथ-साथ पढ़ना-लिखना भी सीखते थे और जीवनोपयोगी अनेक और बातें भी। इस अवधि में उसने नियमित रूप से पढ़ना-लिखना सीख लिया और उसको काफी ज्ञान हो गया।

प्रशिक्षण काल में डायरी बाबू का व्यवहार दूसरे प्रशिक्षणार्थियों से बहुत भिन्न था। उसमें बहुत सी बातों के बारे में पढ़ने की गहरी चाह थी। वह फार्म को देख लेने और भाषण सुन लेने से ही संतुष्ट नहीं होता था। साथ-साथ हर बात को अपनी डायरी में लिखता भी था। आज भी वह अपनी डायरी साथ ही रखता है क्योंकि हर कठिन समय में वह उसी का अध्ययन कर कठिनाई को हल करने का रास्ता ढूँढ़ता है। हर सुनी और देखी बात को डायरी में लिख लेने की आदत के कारण ही उसका नाम डायरी बाबू पड़ गया।

डायरी बाबू ने बचपन में घर पर बहुत दुख उठाया था। वह अपने फार्म को नई व्यवस्था देना चाहता था, परन्तु उसका बाप न माना। बड़ी कठिनाई के बाद बाप को मना लेने पर उसने लोहे के हल से खेत जोता। पहले किसी ने भी गाँव में यह हल प्रयोग नहीं किया था। उसने ही सबसे पहले कतारों में बीज बोया। जब फसल में कीड़ा लगा तो उसने एनड्रीन छिड़का, जिसको गाँव में लोग जानते भी न थे। उसने धान, गेहूँ, ज्वार, मक्की और आलू के नए बीज बोए। जब भी वह कोई खेती का काम करता, अपनी डायरी को हमेशा देखता।

पढ़ाई-लिखाई के नए ज्ञान को नव साक्षरों को पढ़ते रहने में प्रयोग करते रहना चाहिए, तभी उनकी साक्षरता उपयोगी बनेगी। यही काम डायरी बाबू ने जारी रक्खा। वह अपने साथी प्रशिक्षणार्थियों से बराबर पत्र व्यवहार करता रहता है और नई-नई बातों पर विचारों का आदान-प्रदान करता रहता है। गाँव वाले निरक्षर लोगों के पत्र लिखता रहता है। उसने "रामायण", 'आल्हा ऊदल' और "विश्व का प्रथम कलाकार" पुस्तकें पढ़ ली हैं। गाँव की कीर्तन मण्डली का वह सदस्य है और उसके लिए वह कुण्डली आदि लिखता है।

चित्र कला का भी डायरी बाबू को बड़ा शौक था। उसके घर की दीवारों पर अनेक सुन्दर चित्र बने हुए हैं। अनेक और दूसरे गुणों के साथ-साथ डायरी बाबू की विचार-शक्ति बहुत तेज़ है। जब उसके खेत में सब्जियों में कीड़ा लगा, तो वह तुरन्त ग्राम सेवक से दवाई छिड़कने की मशीन लेने आया और जब वहाँ नहीं मिली, तो उसने खुद अपना सप्रेयर बना लिया और कीड़े मार डाले।

अभी उस गाँव में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खुला, तो पढ़ाने

वाले दो आदमियों में से एक यही डायरी बाबू हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट विदित है कि अपनी ही मेहनत से निरक्षर डायरी बाबू गाँव का एक बहुत ही समझदार और दायित्वपूर्ण सुशिक्षित नेता बन गया। ऐसी लगन वाले युवक देश को आगे ले जाने में बड़े सहायक हो सकते हैं।

ग्राम विकास और साक्षरता प्रसार के क्षेत्र के यह कुछ उदाहरण हमने देखे। ये सारे ही सफल प्रयत्न हमारा पथ-प्रदर्शन करते हैं। हमने कुछ समस्याओं को समझा और कार्य-कर्त्ताओं ने उन्हें कैसे सुलझाया, यह देखा। साथ ही कुछ नि क्षर लोगों ने अपनी साक्षरता का उपयोग कर कैसे उन्नति व यह भी देखा। आशा है, ये उदाहरण आप को मार्ग दर्शन देंगे और अपने लक्ष्य की पूर्ति में आपको प्रेरणा मिलेगी, ताकि हम अन्धकार को, ज्ञान की मशाल जलाकर दूर कर सकें।

*अध्याय* 11

# उत्तर साक्षरता कार्यक्रम

हमने पहले इस बात की चर्चा की है कि प्रौढ़ों को व्यवसायोपयोगी साक्षरता का कार्यक्रम जब ही सफल हो सकता है जब साक्षरता की पहली सीढ़ी समाप्त हो जाने पर भी उत्तर साक्षरता कार्यक्रम जारी रहे। वास्तव में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम प्रौढ़ साक्षरता का अभिन्न अंग है। बिना अनुगामी कार्यक्रम के नवशिक्षित व्यक्ति पढ़ाई-लिखाई को काम में न ला सकेंगे और ना ही आगे पढ़ते रहने की प्रेरणा पा सकेंगे। इस प्रकार साक्षरता स्थाई नहीं बन पायेगी। नवशिक्षित लोग वापिस निरक्षर होने लग जाएँगे। इसलिए जरूरी है कि उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ने-लिखने और हिसाब करने की कला सीखी है, उत्तर साक्षरता के कार्यक्रम साक्षरता के इस नये ज्ञान को काम में लाने के लिए उपलब्ध हों।

उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के अनेक अंग हो सकते हैं। परन्तु मुख्य लक्ष्य सबका यही होता है कि इन कार्यक्रमों द्वारा नवसाक्षरों को अपने ज्ञान को प्रयोग में लाकर बढ़ाते रहने का अवसर दिया जा सके, ताकि उनमें निम्नलिखित योग्यताएँ आ जाएँ :—

1. पढ़ाई-लिखाई में स्फूर्ति और गति।

2. जो कुछ वे पढ़ें अथवा लिखें उसको समझने और याद रखने की शक्ति ।

3. जो कुछ पढ़ें, उस पर विचार कर सकें और उसमें से जो उनके काम का हो और दैनिक जीवन में उपयोगी हो उसे छाँट कर ग्रहण करने की शक्ति ।

4. अपनी शिक्षा को जीवन पर्यन्त निरन्तर जारी रखने के लिए पढ़ते रहने की रुचि ।

5. विचार शक्ति बढ़ा सकें और व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान कर सकें ।

इन योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए उत्तर साक्षरता के अनेक कार्यक्रम हैं । शिक्षार्थी इनमें व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से भाग ले सकते हैं । आईये ! अब इन कार्यक्रमों पर कुछ विचार कर लिया जाये ।

1. दैनिक भीत पत्र, चार्ट और कार्य क्षेत्र के नक्शे आदि दीवारों पर लगाने के लिए बनाना । दीवारों पर शिक्षाप्रद आदर्श वचन लिखना ।

2. वाचनालय तथा पुस्तकालय सेवा व्यवस्था ।

3. पाठक परिषद, अध्ययन गोष्ठी और विचार-विनिमय गोष्टियों का आयोजन, संचालन और लेखा वर्णन ।

4. रेडियो गोष्ठियों, चर्चा मण्डलों का आयोजन और व्यवस्था ।

5. टैली क्लब की व्यवस्था और संचालन ।

6. चित्रपट दर्शन व चर्चा गोष्ठी का आयोजन व संचालन ।

7. भावनात्मक नाटक अथवा शिक्षाप्रद पूरे नाटकों के लिए मण्डली का गठन व संचालन ।
8. कवि व संगीत गोष्ठी ।
9. प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा भाषण, कथा, पर्वचन आदि (सजीव अथवा रेकार्ड भरा हुआ) का आयोजन ।
10. शिक्षण प्रदर्शिनी, शिक्षण यात्रा, उत्सव और मेलों का आयोजन ।
11. स्वयं सेवक युवक दलों का संगठन व संचालन ।
12. अर्धशिक्षित कार्यव्यस्त प्रौढ़ों के लिए शिक्षा जारी रखने की सुविधा उपलब्ध करने के लिए व्यवस्थित शिक्षण कार्यक्रम ।
13. भिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगों को व्यवसायानुसार शिक्षण व्यवस्था ।

ये सभी कार्यक्रम नवसाक्षरों की शिक्षा योग्यता को स्थाई करने, उनमें पढ़ते रहने की इच्छा को जागृत करने और उनके ज्ञान का विस्तार करने के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम हैं । ऐसे ही और भी कार्यक्रम यथा आवश्यकता, यथा समय और यथा सुविधा, काल, पात्र और स्थान को देखते हुए उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए किए जा सकते हैं ।

आईये ! अब हम इनमें से एक-एक पर यह विचार करें कि किस प्रकार उस कार्यक्रम से लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है अर्थात् शिक्षार्थियों में ज्ञान की वृद्धि तथा आगे पढ़ते रहकर ज्ञान बढ़ाते रहने की सामर्थ्य पैदा हो सकती है ।

**1. दैनिक भीत पत्र, चार्ट, नक्शे तथा आदर्श वाक्य लिखना**

हर मनुष्य दैनिक समाचार जानने के लिए बड़ा उत्सुक होता है । दैनिन भीत पत्र बनाने के लिए कार्य कर्त्ता को समा-

चार पढ़ने पत्र होंगे। उनमें से वे समाचार छाँटने होंगे जो स्थानीय लोगों को प्रभावित, उत्साहित करेंगे। ये समाचार वह समाचार पत्र पढ़कर इकट्ठे करेगा अथवा रेडियो सुनकर। समाचार पत्र में से रुचिपूर्ण समाचारों को काटेगा। उनके उपयुक्त सिरनामा अथवा विषय सूचक शीर्षक लिखेगा और समाचार को एक व्यवस्था देकर कागज पर चिपका कर एक सुन्दर भीत पत्र तैयार करेगा। इस काम के करने में पढ़ना, लिखना, काटना, चिपकाना, सोचना, शीर्षक देना और उस सबको एक सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करना, ये सब शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण क्रियात्मक योगदान के काम हैं और इसमें पढ़ने-लिखने की जो भी नई कला उसने सीखी है सबका बराबर प्रयोग हुआ है। फलस्वरूप भीत पत्र को बस्ती के लोग पढ़ेंगे। शिक्षा केन्द्र जनप्रिय हो जाएगा और सभी नये शिक्षार्थियों को केन्द्र के शिक्षा प्रसार के प्रयास को सफलता देने में प्रसन्नता और गर्व होगा। इस प्रकार शिक्षार्थी और भी आगे पढ़ने की प्रेरणा पाएँगे और बस्ती के लोग केन्द्र की सफलता से प्रेरित हो आगे पढ़ना चाहेंगे।

बस्ती के नक्शे और वहाँ के हालात के चार्ट दीवारों पर लिखने का काम पहले तो उन्हें बस्ती का सर्वे करके वहाँ के समाचार मालूम करने की प्रेरणा देगा। इस सूचना को वो एकत्रित करेंगे। शोर्षक वार बनाएँगे, फिर नक्शा बनाएँगे और दीवारों पर लगाएँगे अथवा कागजों पर बनाएँगे। इस सबमें उन्हें नये ज्ञान को प्रयोग में लाने का अवसर मिलेगा। वो ज्ञान पक जाएगा, बढ़ जाएगा और उपयोगी बन जाएगा।

इसी प्रकार आदर्श वाक्य दीवारों पर लिखने के लिए उन्हें पहले सुन्दर पुस्तकों में से वे वाक्य पढ़ने होंगे। समझने होंगे। छाँटने होंगे। और फिर मोटे-मोटे अक्षरों में अनेक स्थानों पर लिखने होंगे। ऐसे वाक्य दूसरों को प्रेरणा देगे और नव-

शिक्षार्थियों को ज्ञान बढ़ाने में और अपने ज्ञान का उपयोग करने में सहायक होंगे। आप सबको नए शिक्षार्थियों को ऐसे सक्रीय तथा उपयोगी सहयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए और आदर्श वाक्य चुनने के लिए उपयुक्त पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए परामर्श देना चाहिए।

आपकी सहूलियत के लिए उदाहरणार्थ कुछ आदर्श वाक्य जो दीवारों पर जगह-जगह लिखे जा सकते हैं, दिए जा रहे हैं।

**प्रौढ़ शिक्षा, प्रचारार्थ दीवारों पर लेख के लिए कुछ नमूने**

(1) बिन विद्या नर पशु समान।

(2) शिक्षा पाओ, जीवन सफल बनाओ।

(3) मान होत हैं गुणन ते, गुण बिन मान न होय।
शुक सारी राखें सभी, काग न राखे कोय॥

(4) करत करत अभ्यास के, जड़ मति होत सुजान।
रसरी आवत जात सों, सिल पर पड़त निशान॥

(5) मानुस जन्म अमोल है, होत न बारंबार।
ज्यों फल पक धरती गिरे, बहुरि न लागे डार॥

(6) कागा काको धन हरे, कोयल काको देय।
मीठे वचन सुनाये के, जग अपना कर लेय॥

(7) एके माटी एक कुम्हारा,
एक सबन का सिरजन हारा।
एक चाक बहु चित्र बनाया,
नाद बिन्दु के बीच समाया॥

(8) जो तो कू काटा बुवे, ताहि बुइ तू फूल।
तो कू फूल के फूल हैं, बा को हैं त्रिशूल॥

(9) साई फूट न लाईये. मनको बहुत दुखाय ।
जैसे भारी पेड़ को, कुलरी देत गिराय ।।

(10) दौलत पाय न कीजिए, सपनेहुँ में अभिमान ।
चंचल जल दिन चारि का, ठाँऊँ न रहत निदान ।।

(11) बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय ।
काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाय ।।

(12) राजा अपने राज्य में, पाते लाखन मान ।
किन्तु गुणी सर्वत्र ही, पाते हैं सम्मान ।।

(13) तुलसी जब जग में भये, जग हँसा तुम रोये ।
ऐसी करनी कर चलो, तुम हँस मुख जग रोये ।।

(14) बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय ।
जो मन खोजा आपना, मो सा बुरा न कोय ।।

(15) तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर ।
वसी करण यह मंत्र है, परि हरो बचन कठोर ।।

(16) चार वेद छः शास्त्र में, बात मिली हैं दोय ।
दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय ।।

(17) तन मन दे कीजिए, निशि दिन पर उपकार ।
यही सार नर देह का, वाद विवाद विसार ।।

(18) जहाँ सुमति, तहाँ सम्पत्ति नाना ।
जहाँ कुमति, तहाँ विपत्ति निदाना ।।

(19) काल करे जो आज कर, आज करे सो अब ।
पल में परलय होयगी, बहुरी करोगे कब ।।

(20) दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।
तुलसी दया न छोड़िए, जब लगि घट में प्राण ।।

(21) यह बस्ती घर आपका, रखो इसे नित साफ ।
रोग रहेंगे दूर सदा, सुख पाओगे आप ।।

ये आदर्श वाक्य केवल नमूने के हैं। इसी प्रकार के और बाक्य पढ़-पढ़ कर छाँटने और दीवारों पर लिखने की प्रेरणा आप देंगे। स्थानीय रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार ऐसे ही वाक्य स्वयं भी बना सकते हैं। महत्व केवल इसका है कि नव साक्षर लोग कहाँ तक इस कार्य में दिलचस्पी लेते हैं। उनके बीच में से ही आप को कुछ उत्साही नव साक्षरों को छाँटना होगा और उन्हें यह काम सोंपना होगा। उन्हीं में से एक को इस टोली का नायक बना दें। आप से परामर्श ले-लेकर वह उन्हें समझा सकेगा। आदर्श वाक्य पढ़ने, छाँटने और नई-नई जगहों पर लिखते रहने, भीत पत्र बनाने, चार्ट व नक्शे आदि बनाने के काम की व्यवस्था नियमित रूप से हो जाने पर नव साक्षरों को पढ़ने-लिखने और उस ज्ञान का उपयोग करने की तथा उसे निरन्तर बढ़ाते रहने की प्रेरणा मिलेगी।

2. **वाचन व पुस्तकालय सेवा :**

प्रत्येक प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र में एक या दो दैनिक समाचार पत्र अवश्य आने चाहिएं। एक दो साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक भी शिक्षार्थियों को सूचनाओं व समस्याओं से भली प्रकार परिचित रखने के लिये अवश्य आने चाहिएं। समाचार पत्र अथवा पत्रिकाएँ पढ़ने की रुचि सब लोगों की होती है। यदि केन्द्र में ही ये पत्र-पत्रिकाएँ आते होंगे, तो पढ़ाई के ज्ञान को उपयोग में लाने का सुअवसर शिक्षार्थियों को मिलेगा और वे पढ़ने की चाह को जागृत व जीवित रख सकेंगे। जो कुछ पढ़ा है, उसको समझने की योग्यता भी उनको आ जावेगी।

केन्द्र के पुस्तकालय में भिन्न-भिन्न रुचियों, आवश्यकताओं तथा व्यवसायों के अनुसार सरल भाषा में लिखी गई सुन्दर व

उपयोगी पुस्तकें प्रर्याप्त संख्या में होनी चाहिएं। उनकी छपाई मोटी होनी चाहिए, ताकि आसानी से पढ़ी जा सकें और भाषा सरल तथा विषय उपयोगी होने चाहिएं। ऐसी दशा में ही केन्द्र में आने वाले सभी लोग तथा नवशिक्षार्थी उनको पढ़ने में रुचि लेंगे और लाभ उठायेंगे। पुस्तकालय में सब पुस्तकों का विषय अनुसार वर्गीकरण होना आवश्यक है और सब पुस्तकें जैसे ही आवें, पुस्तकालय रजिस्टर में दर्ज कर ली जानी चाहिएँ और वही नम्बर पुस्तक पर भी लगा देना चाहिए, इस प्रकार का लेखा रखना पुस्तकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

हमारे केन्द्र के शिक्षार्थी तो सब इस पुस्तकालय के सदस्य होंगे ही। परन्तु यह भी सम्भव है कि उनके अतिरिक्त और भी कुछ लोग पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने के कारण हमारे सदस्य बन जायें। इनमें से कुछ लोग तो केन्द्र में लेकर ही पुस्तक पढ़ेंगे, परन्तु कुछ ऐसे भी होंगे जो पुस्तकें घर ले जाना चाहेंगे और वहाँ ही अवकाश के समय में पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी पुस्तकालय में एक रजिस्टर होना चाहिये जो पुस्तक ले जाने वाले का पूरा व्यौरा दें। इस रजिस्टर को आप समय-समय पर देखते रहें, तो आप को पढ़ने में विशेष रुचि रखने वाले लोगों का पता चल जाएगा। इस प्रकार जो लोग पढ़ने में रुचि न रखते हुए जान पड़ें, उनको पढ़ने का प्रोत्साहन देना होगा। इसके कई ढंग हो सकते हैं।

### 3. (अ) पाठक गोष्ठी :

पढ़ने में रुचि बढ़ाने के लिए आप पाठक गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं। कभी-कभी कुछ उत्तरदायी पाठकों की सभा बुलाई जाए और उनको बारी-बारी से बहुत मनोरंजक, शिक्षाप्रद और उपयोगी पुस्तकें पढ़कर सभी उपस्थित जनों को

सुनाने के लिए कहा जाये। इस प्रकार पुस्तकों में जो उपयोगी ज्ञान भरा पड़ा है, वह सभी तक पहुँचाया जा सकेगा। पढ़ने वालों को तो लाभ होगा ही, सुनने वालों को भी ज्ञान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनमें से कुछ में पढ़ने की चाह भी जागृत हो जायगी। इसके लिए आपको स्वयं को पुस्तकें पढ़कर उत्तम उपयोगी पुस्तकों का समय-समय पर वर्णन करना होगा। ऐसा बार-बार होने से यह कार्यक्रम नियमित रूप से होने लगेगा और उस समय शिक्षार्थियों में से ही एक को इस का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है।

**(ब) अध्ययन गोष्ठी :**

पाठकों के इसी समूह में से अध्ययन गोष्टी भी बनाई जा सकती है, अन्तर केवल यह होगा कि पहले तो पाठक बारी-बारी से पुस्तक पाठ करते थे। यहाँ कोई उपयोगी पुस्तक या किसी ग्रन्थ का उपयोगी विषय छाँट लेते हैं और एक या एक से अधिक साथियों को उसका अध्ययन करने का आदेश होता है। फिर सभी साथी गोष्ठी के दिन एकत्रित होते हैं और वो साथी जिन्होंने अध्ययन किया है, चुने हुए विषय अथवा पुस्तक पर सबके ज्ञानार्थ प्रकाश डालते हैं।

सभी सुनने वालों को पुस्तक का अध्ययन किए बिना ही पुस्तक में भरा सारा ज्ञान मिल गया और स्पष्टीकरण भी हो गया। अध्ययन गोष्ठी का यह विशेष लाभ होता है। पढ़ने वाले और विषय प्रस्तुत अथवा प्रतिपादन करने वाले साथियों को बदलते रहना चाहिए, ताकि बारी-बारी से समय आने तक सभी साथी इसमें सहयोग देने का लाभ उठा लें।

**(स) विचार विनिमय गोष्ठी :**

इसी प्रकार केन्द्र के सदस्यों के भीतर से ही विचार गोष्ठी

बनाई जा सकती है, कोई उपयोगी विषय जिस पर सभी का मत समान न हो, छाँट लिया जाय और अनेक उपयुक्त पुस्तकें उस विषय पर कई साथियों को बता दी जाएँ। सभी साथी पुस्तक का अध्यन कर प्रस्तुत विषय पर जानकारी प्राप्त करें और फिर बैठक में सबके सामने अपने-अपने विचार रक्खें। ऐसा करने से किसी भी उपयोगी विषय के प्रत्येक पक्ष पर जानकारी प्राप्त हो सकती है और सदस्यों को सक्रीय सहयोग देने का सुअवसर मिल सकता है। जो भी पक्ष ऐसे हों, जिन पर सबके विचार एक जैसे न हों, इस प्रकार के वार्तालाप से भली प्रकार स्पष्ट हो जाते हैं और सारे भाग लेने वालों को विचारों के आदान प्रदान का लाभ होता है।

प्रौढ़ शिक्षार्थियों तथा दूसरे साथियों को इस प्रकार के समूहों की व्यवस्था से बड़े लाभ होते हैं। ऐसा करने से सब के अन्दर पढ़ने की चाह पैदा होती है। उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। उन्हें अपने ऊपर भरोसा हो जाने से वे समझदारी के साथ अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं। ऐसा होते-होते उनमें अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाते रहने की चाह पैदा होती रहेगी।

**4. रेडियो चर्चा मण्डल एवं टैली क्लब व्यवस्था :**

रेडियो, शिक्षा, मनोरंजन एवं सूचना प्रसार का बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। आप लोग प्रौढ़ शिक्षक होने के नाते तथा साक्षरता प्रसार के कार्यकर्त्ता होने के नाते रेडियो के सूचना प्रसार और शिक्षा प्रचार के प्रोग्रामों से अधिक सम्बन्धित रहते हैं। मनोरंजन तथा संगीत का कार्यक्रम तो आपके लिये शिक्षार्थियों को एकत्रित करने के लिए साधन मात्र हैं। इन कार्यक्रमों को सुनने के लिए जो भी लोग आवें, उनको भी यथा समय

आपको शिक्षा प्रचार एवम् समाचार व सूचना प्रसार कार्य में रुचि दिलानी होगी। इसके लिए यह जरूरी है कि जो प्रोग्राम आने वाला हो, वह पहले से मालूम कर लिया जाये और प्रोग्राम सुनवाने से पहले उसपर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। सुनने वालों को विषय के वे पहलू विशेष रूप से बता दिए जायें, जिन्हें उनको बड़े ध्यान से सुनना है। रेडियो प्रसारण समाप्त होने के बाद सुनने वालों के साथ फिर एक बार प्रोग्राम के विषय की मुख्य बातों पर चर्चा होनी चाहिए और शंकाओं का समाधान कर विषय का स्पष्ट ज्ञान सुनने वालों को मिल जाना चाहिए। यदि विषय बहुत ही उपयोगी हो, तो जो सुना और समझा उसे लिखवाया भी जा सकता है। यदि और जानकारी की अधिक आवश्यकता हो, तो पुस्तकालय में उपलब्ध कुछ उपयुक्त पुस्तकों की जानकारी देनी चाहिए जिनमें से शिक्षार्थी प्रसारित विषय की अधिक जानकारी पा सकें।

प्रसारण से पहले की भूमिका तथा बाद का विचार विमर्श शिक्षार्थियों को स्वयं भाग लेने का अवसर देगा और वे संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार की गोष्ठियों की व्यवस्था भी धीरे-धीरे इतनी साधारण हो जानी चाहिए कि शिक्षार्थियों में से ही एक टोली नायक यह उत्तरदायत्व संभाल कर सारा संचालन स्वयं कर सके। समाज शिक्षा कार्यकर्त्ता ऐसी दशा में केवल मार्ग-दर्शन देगा। सभा का संचालन, सभापतित्व का उत्तरदायत्व संभालना, कार्रवाई लिखना, महत्वपूर्ण विचार विमर्श के नोट लिखना, रीर्पोट बनाना और वाद-विवाद का सफलतापूर्वक संचालन करना, शिक्षार्थियों को अपने साक्षरता के ज्ञान को उपयोग में लाने और बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे। ऐसा करते-करते भी उन्हें आगे पढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी और हमारे लक्ष्य की पूर्ति होती रहेगी।

### 5. चित्रपट एवम् टैलीविज़न के प्रोगामों के लिए गोष्ठी

टेलीविज़न आज के युग का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण यंत्र है । इस साधन में रेडियो और फिल्म दोनों के गुण सम्मलित हैं । टैलीविज़न के प्रोग्राम दिखाने के लिए भी ऐसे ही समूहों की व्यवस्था करनी चाहिए जैसा कि रेडियो के लिए । यह कार्यक्रम साक्षरता केन्द्र में जान फूँक देगा । इसकी सफल व्यवस्था के लिए बड़ी समझदारी और जागरूकता की आवश्यकता है । जो भी साथी इस कार्यक्रम और ऐसे ही दूसरे कार्यक्रमों में भाग लेंगे, वे आपके कार्य में बड़े सहायक सिद्ध होंगे । टेलीविजन के प्रोग्राम में आरम्भ में भूमिका और अन्त में विचार विमर्श अवश्य होना चाहिए । इससे देखने वालों की समझ की जाँच भी हो जावेगी और आयन्दा के प्रोग्रामों के लिए उनकी रुचियों का भी आभास हो जावेगा । ऐसे प्रोग्रामों में बताई गई बातों को जीवन में उतारने के लिए कभी-कभी कुछ रचनात्मक कार्य भी सुझाए जाते हैं । आप को चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों को सदस्यों द्वारा टोलियों में पूरा करावें ताकि सुनी हुई बातों की प्रत्यक्ष जाँच भी हो जाए ।

जहां तक चित्रपट का सम्बन्ध है, चित्रपट की छाँट करने में आपको बहुत सतर्क रहना होगा । जैसी चर्चा हम पहले कर चुके हैं , बहुत लम्बी फिल्म और अनेक विषयों के ज्ञान से भरी हुई फिल्म प्रौढ़ शिक्षण में सहायक अथवा उपयोगी न हो सकेगी । ऐसी फिल्म तो मनोरंजन के लिए ठीक हो सकती हैं। शिक्षा प्रसार के लिए तो छोटी डाक्यूमेन्ट्रीज विशेष विषयों के लिए, जिनमें प्रौढ़ों की रुचि हो, ठीक रहती है । इन प्रोग्रामों के सफल संचालन में बड़ी व्यवस्था एवम् अनुशासन पूर्ण वातावरण की आवश्यकता है । इस व्यवस्था को बहुत सूझ-बूझ के साथ पहले से ही पूरी कर लेना चाहिए । अनेक साथी

स्वयं सेवकों का उत्तरदायत्व संभालकर अनुशासन को बनाए रखने में ही लगाने होंगे । और ये सभी साथी शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक नेतृत्व का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर जायेंगे ।

### 6. नाटक समारोह एवम् कवि व संगीत गोष्ठियाँ :

आपके शिक्षार्थियों में ही ऐसे कई साथी निकल आयेंगे, जो जन समूह के सामने अभिनय करने तथा कविता पाठ करने के लिए प्रस्तुत हो जाएँ । यह काम बड़े साहस का है, परन्तु यदि सफलतापूर्वक एक बार हो जाए, तो बड़ा उत्साह मिलता है । आप कोई भी उपर्युक्त विषय अथवा कहानी छाँट सकते हैं जो सामयिक ज्ञान से भरी हो और शिक्षा प्रद भी हो । ऐसी कहानी को प्रस्तुत करके सबको समझा कर उनको अलग-अलग पात्रों का रोल दे देना चाहिए और वे उसे समझ लें । पूरी तरह वही शब्द याद करना ज़रूरी नहीं, केवल विषय वस्तु समझ लें, याद कर लें और स्पष्टता के साथ सबके सामने अपना-अपना रोल अदा करें । अभिनय जितनी सुन्दरता से और सूझ-बूझ से कर पायेंगे, उतना ही प्रभावशाली होगा । पात्रों का, विषय का, और स्थान का चुनाव करते समय सुनने देखने वालों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना जरूरी है । साथ ही अपने लक्ष्य का भी ध्यान रहे अर्थात् शिक्षा, मनोरंजन, प्रचार एवं प्रेरणा अथवा किसी सामाजिक या मानसिक आवश्यकता अथवा सेवा की बात या नैतिक मूल्यों का संगठन । ऐसे समारोहों से पात्रों में साहस, समझदारी और बातचीत करने की योग्यता बढ़ेगी । ऐसे सभी लोग केन्द्र के कार्यक्रमों में बड़े सहायक होंगे । ऐसे सभी कार्यक्रमों का जन शिक्षण में बड़ा उपयोग होगा और वे सभी समाज शिक्षा केन्द्र के प्रति अपना पन

मानेंगे । समाज शिक्षण के क्षेत्र में यह बड़ी भारी सफलता है । नाटक मण्डली की तरह ही संगीत गोष्ठियों तथा कवि गोष्ठियों का आयोजन हो सकता है । जिनकी रुचि संगीत अथवा कविता में हो, उनको यह कार्यक्रम करने को कहा जा सकता है । कुछ लोग तो शायद स्वयं ही कुछ कविता आदि बना सकें । भजन भी अपनी पसन्द के बना सकते हैं । वे सभी स्थानीय रुचियों, आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों पर आधारित होंगे, इसलिए बहुत पसन्द आवेंगे और सुनाने व सुनने वालों दोनों के लिए उपयोगी भी होंगे ।

7. **भाषण, कथा व प्रवचन आदि की व्यवस्था ।**

समाज शिक्षा केन्द्र यदि स्थानीय लोगों की रुचियों और आवश्यकताओं का अध्ययन करके विषय के विद्वानों के भाषण सामयिक विषयों पर कराते रहें, तो बहुत लाभकारी होगा । धर्म ग्रंथों की कथाएँ, और सामाजिक कुरीतियों पर प्रवचन आदि यदि प्रसिद्ध वक्ताओं से समय-समय पर कराते रहें तो बड़े लाभकारी होते हैं । जनसाधारण में चेतना व नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत उत्तम रहेंगे । प्रसिद्ध व्यक्ति यदि न मिल पावें तो उनके द्वारा दिए गए भाषण प्रवचन जो ग्रामोफोन रेकार्डों में हों वे भी उपयोगी होंगे । केन्द्र के कार्यकर्त्ता इस कार्यक्रम की व्यवस्था करने का उत्तरदायत्व लेंगे । जिन लोगों को ये कार्यक्रम अधिक रुचि कर होंगे, वे उन्हें लिख लेंगे ताकि याद भी रह जावें । प्राचीन विद्वानों के विचार, विशेषकर संत महात्माओं के, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा जनसाधारण तक पहुँच जाएँगे और वे बड़े प्रभावित होंगे । विद्वानों द्वारा दिए गये ऐसे भाषणों और प्रवचनों के रेकार्ड कार्यकर्त्ताओं को पुस्तकालय में रखने चाहिएँ । ताकि यथा समय उनका उपयोग किया जा सके ।

**8. प्रदर्शिनि, शिक्षण यात्राएँ एवम् त्योहार व पर्व सम्मेलन :**

इन कार्यक्रमों की व्यवस्था से एक दूसरे को लाभकारी अनुभव प्राप्त होते हैं, भाई चारा बढ़ेगा, परस्पर प्रेम बढ़ेगा, आपसदारी, सहयोग तथा राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी । इस प्रकार ज्ञान प्रसार भी होगा और सामाजिक विकास भी ।

**9. युवक दलों की सेवा कार्य के लिए व्यवस्था ।**

शिक्षा का अभिप्राय केवल पढ़ने, लिखने, समझने और समझाने की योग्यताओं से ही नहीं है । वास्तव में शिक्षा तो जीने की कला है और जीना भी समृद्धि और सुख पूर्ण । यदि कोई जन शिक्षा केन्द्र अपने शिक्षार्थियों के द्वारा जन-कल्याण के कुछ रचनात्मक कार्यक्रम जैसे गलियों को पक्का करना, उनकी सफ़ाई, मकानों में रोशनदान, पानी की नालियों की सफ़ाई, खाद के गड्ठे, कूड़े दान, गन्दे पानी के सोक पिट व संडास आदि का निर्माण करावे, तो सचमुच बस्ती के रहने वालों का जीवन बहतर और अधिक सुखी होगा और कार्यकर्त्ता स्वयं तथा बस्ती के लोग सभ्य व्यवहार सीखेंगे । केन्द्र जन-प्रिय हो जायेगा और सब लोगों के रहन-सहन में परिवर्तन हो जायगा । यही तो शिक्षा का ध्येय है, जो दूर से ही स्पष्ट पूरा होता दिखाई देगा । इसलिये केन्द्र पर आने वाले जो नवयुवक सदस्य इस प्रकार के जन-हित के कार्यों में रुचि दिखावें, उनको एक जन-सेवा टोली में गठित कर देना चाहिये । समय-समय पर ऐसे कार्यों की व्यवस्था इस टोली के सदस्यों को पढ़ाई-लिखाई के अतिरिक्त सुख मय जीवन व्यतीत करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उसका उपयोगी पाठ रचनात्मक तरीके से पढ़ाएगी । स्थानीय सफ़ाई सुधर जायगी, स्वास्थ्य सुधर जाएगा और स्वस्थ और साफ वातावरण में आनन्दमय जीवन बिताने की शिक्षा मिलेगी । साथ ही केन्द्र के सदस्यों

में क्रियात्मक सहयोग का आभास होगा और समाज सेवा के लिए आत्म-त्याग का सन्देश मिलेगा। सन्देश ही नहीं, यह उनका स्वभाव बन जायगा और इस प्रकार एक सभ्य और अनुशासित समाज का निर्माण होगा।

**10. उच्च शिक्षा व्यवस्था : (विद्यालयी अथवा पत्राचार शिक्षा)**

जन शिक्षा के लिए चलने वाले प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र जब उपरोक्त कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे, तो उनमें योगदान देने वाले बहुत से शिक्षार्थियों को जो अधिक समझदार, योग्य और उत्साही होंगे ज्ञान विकास की प्रेरणा मिलेगी और वे आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर करेंगे। ताकि वे अपने भविष्य को उन्नत बनाने के लिए अथवा पद उन्नति के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था पा सकें। शिक्षार्थियों में यदि यह चाह पैदा हो जाये और ऐसी माँग वे उपस्थित करें, तो शिक्षा के कार्यक्रम को सफल समझा जाना चाहिए।

ऐसी दशा में आपको इन सभी शिक्षार्थियों के लिए उचित प्रबन्ध करना होगा ताकि वे अपना मनोरथ पूरा कर सकें। ऐसा करने के लिए अनेक कार्यक्रम हो सकते हैं जिनके द्वारा पढ़ाई को आगे जारी रक्खा जा सके। ये प्रोग्राम स्वयं आगे पढ़कर, पत्राचार शिक्षा द्वारा, रात्रि विद्यालयों द्वारा, प्रसार शिक्षण तथा ऐसे ही और तरीकों से शिक्षार्थियों की पढ़ाई को जारी रखने का प्रबन्ध कर देने से पूरे किए जा सकते हैं, अथवा उन्हें ऐसा परामर्श देना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के समूह भी बनाए जा सकते हैं। ये समूह आवश्यकताओं और प्रोग्रामों की समानता के आधार पर बनाए जाने चाहिएँ ताकि वे सब मिल-जुल कर स्वयं ही सम्मलित रूप से आगे पढ़ाई जारी रख सकें, कठिन संदर्भों पर बिचारों का आदान-प्रदान कर

समझ सकें और यह सभी कार्यक्रम एक प्रकार से स्वयं शिक्षा का कार्यक्रम बन जाये।

ऐसी व्यवस्था के लिए केन्द्र के कार्यकर्त्ता को बहुत सतर्क रहना होगा और पूरी रहनुमाई करनी होगी। तब ही इन उत्साही युवकों अथवा प्रौढ़ों को अपने ही भरोसे पर जीवन में उन्नति करने की सफलता की प्रसन्नता मिल सकती है।

**11· भिन्न-भिन्न व्यवसायी दलों के लिए छोटी अवधि के प्रशिक्षण प्रोग्राम :—**

आपके शिक्षा केन्द्र में कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो किसी-न-किसी व्यवसाय में लगे होंगे। पढ़ना लिखना सीखने के बाद हो सकता है उनमें अपने व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ नए ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। उदाहरणार्थ कोई किसान खेती के नए यन्त्रों, नए तरीकों, बीजों व रासायनिक खादों के बारे में जानना चाहेगा। कोई गृहणी गृहकला अथवा शिशुपालन अथवा रोगी सेवा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगी, कोई दुकान सहायक अपने काम को कैसे बहतर बना सकता है, यह जानना चाहे आदि-आदि। ऐसी दशा में आप उनको उपयुक्त पुस्तकें पढ़ने के लिए सुझा सकते हैं जिससे उनको आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए। आपके केन्द्र में ऐसी माँगों का खड़ा होना आपकी सफलता की पहचान है और आपके शिक्षार्थियों के उत्साह और जागरुकता का द्योतक।

ऐसी आवश्यकता पड़ने पर आपको समझ लेना चाहिए कि स्वयं तो सर्व ज्ञान सम्पन्न हो नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले आपको पुस्तक की सहायता प्राप्त करनी होगी। आपके शिक्षार्थी तो अनेक रुचियों और भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं वाले हैं। इसलिए उनकी माँगें भी भिन्न-भिन्न होंगी। इन सबको पूरा करने के लिए आपके पास पुस्तकालय है जिसमें हर

प्रकार के ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें हैं। सबसे पहले आपको पुस्तकों का ही सहारा लेना होगा। उपयुक्त पुस्तकों के अध्ययन से और विचारों के आदान-प्रदान से शायद आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। परन्तु यह तो पहला कदम है। आपको यहाँ ठहर नही जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समूहों में बाँट लेना चाहिए और हर समूह के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों द्वारा छोटी अवधि के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों का मनोरथ हल हो सके। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वयं भी की जा सकती है अथवा किसी और संस्था के सहयोग से जो कि विषय विशेष से सम्बन्धित हो, की जा सकती है। यह भी हो सकता है कि प्रशिक्षण व्यवस्था आप करें और दूसरी संस्थाओं के सदस्य भी इससे लाभ उठा लें। इस पर आपका कार्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को जानना, उनको परामर्श देना और उचित प्रबन्ध करना अथवा सुझाना है। इस सबका लक्ष्य है निरक्षरों को साक्षरता का ज्ञान इस स्तर का देना कि उनमें निरन्तर पढ़ते रहने की और ज्ञान को आगे बढ़ाते रहने की इच्छा जागृत हो जाए। अपने ज्ञान को उपयोग में लाने की सामर्थ्य आ जाए और व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने की राह सूझ जाए। पढ़ना-लिखना निरन्तर जारी रहे और निरक्षर, साक्षर तथा अर्धशिक्षित सभी इस कार्यक्रम में सम्मलित होकर जीवन को समृद्धिशाली और सुखी बना सकें। यही हमारा लक्ष्य है।

उपरोक्त उत्तरसाक्षरता प्रोग्रामों के कुछ उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार साक्षरता कार्यक्रम केवल हस्ताक्षर करना सीखने का प्रोग्राम नहीं है बल्कि सम्पूर्ण जीवन को उपयोगी और सफल बनाने के लिए जिस व्यवसायोपयोगी तथा साधारण शिक्षा की आवश्यकता है, उसी कार्यक्रम का

आरम्भ है। साक्षरता का लक्ष्य तो आखिर प्रौढ़ शिक्षण का समन्वयित सम्पूर्ण प्रोग्राम है। आपने यह भी देखा कि किस प्रकार आप इस कार्यक्रम में जान डाल सकते हैं और अपने सदस्यों की सहायता और सक्रीय सहयोग से जनशिक्षा केन्द्र को सारी समाज की प्रक्रियाओं का केन्द्र बना सकते हैं।

आपको यह भी विदित हो गया होगा कि प्रोग्राम केवल साक्षरता ज्ञान नहीं है, इससे बहुत अधिक और अनेक कार्यक्रमों का समावेश लिए हुए पूर्ण जनशिक्षा का प्रोग्राम है। ये देश की उस सक्रीय निरक्षर प्रौढ़ जनता के शिक्षण का प्रोग्राम है जो किसी-न-किसी व्यवसाय में कार्य करते हुए अपने-अपने तरीके से देश को आगे ले जाने में लगी हुई है और जिनको सब प्रकार देश सेवा और देशोन्नति के योग्य बनाना हमारा कर्त्तव्य है। आपकी अपने कार्य में रुचि, उसके संचालन में आपकी विचारशक्ति तथा उत्सुकता, आपके लक्ष्य की ईमानदारी तथा आपकी कार्यदक्षता का आपके शिक्षार्थियों पर प्रभाव ही आपकी सफलता का मापदंड होंगे।

सम्पूर्ण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्या रूपरेखा हो सकती है और इसका कितना फैलाव हो सकता हैं। वह आपकी जानकारी के लिए एक चार्ट के रूप में दिया जा रहा है। आशा है आप लोग अपने-अपने कार्यक्रमों को यथा सुविधा, यथा अवसर और यथा आवश्यकता विस्तार दे सकेंगे। ऐसा विस्तार पा जाने पर ही प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम जीवन प्रयन्त निरन्तर चलने वाला शिक्षण कार्यक्रम बन सकेगा। शिक्षा का यही स्वरूप नए बढ़ते हुए ज्ञान के युग में किसी भी प्रगतिशील समाज के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। व्यापक निरक्षरतापूर्ण समाज के लिए इस विकास का आरम्भ है प्रौढ़ साक्षरता।

## प्रौढ़ साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा का विस्तरित कार्यक्रम

### साक्षरता ज्ञान

1. निरक्षरों के लिए व्यवसायोपयोगी साक्षरता ।
2. साक्षर तथा अर्धशिक्षितों के लिए निरन्तर चलने वाली उच्च शिक्षा
   - (*a*) सुव्यवस्थित रात्रि विद्यालय
   - (*b*) पत्राचार शिक्षण
3. विशेष ज्ञान के लिए निरन्तर उपयोगी शिक्षा
   - (*a*) छोटी अवधि के प्रशिक्षण
   - (*b*) एक्सटेन्शन भाषण माला
   - (*a*) क्रियात्मक प्रशिक्षण
   - (*d*) अध्ययन गोष्ठी
   - (*e*) विचार गोष्ठी
   - (*f*) वाचनालय तथा पुस्तकालय, आदि आदि

### कला शिक्षा

- (i) गृह कला, गृह व्यवस्था, सिलाई, बुनाई, कसीदा, घर की सजावट, रसोई विज्ञान, अचार मुरब्बे आदि तथा धुलाई, रंगाई ।
- (*ii*) शिशु जनन व पालन ।
- (*iii*) रोगी सेवा ।
- (*iv*) घरेलू दस्तकारी व उद्योग—खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, बागवानी, मधु मक्खी पालन, जिल्द साजी, दुग्धशाला विज्ञान, कागज का काम, रस्सी बनाना आदि ।
- (*v*) पालतू पशुओं की सेवा
- (*vi*) संगीत व नृत्य
- (*vii*) चित्रकारी व पेन्टिग

### स्वास्थ्य व मनोरंजन

- (*i*) स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम व्यायाम योग आदि ।
- (*ii*) भोजन व पोषण
- (*iii*) खेल-कूद व दौड़ भाग
- (*iv*) प्राथमिक चिकित्सा
- (*v*) सफाई व शुद्धता
- (*vi*) टीके लगाना
- (*vii*) परिवार नियोजन तथा जन्म नियन्त्रण
- (*viii*) शिशु प्रदर्शिनी

### श्रव्य दृश्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

- (*i*) कवि गोष्ठी
- (*ii*) भजन मण्डली
- (*iii*) नाटक समारोह
- (*iv*) चित्रपट दर्शक मण्डल
- (*v*) रेडियो चर्चा मण्डल
- (*vi*) टैलीक्लब
- (*vii*) प्रदर्शिनी
- (*viii*) पर्व समारोह
- (*ix*) शिक्षण भ्रमण
- (*x*) प्रीति भोज
- (*xi*) लोक संगीत व लोक नृत्य

### समाज व्यवस्था

- (*i*) युवक मण्डल व महिला मण्डल
- (*ii*) उत्पादक व उपभोक्ता सहयोगी संस्थाएँ
- (*iii*) पंचायत व्यवस्था
- (*iv*) संघटन व्यवस्था
- (*v*) स्वय सेवक दल भिन्न-भिन्न सेवाओं के लिए ।

*अध्याय* 12

# शिक्षार्थियों की प्रगति जाँच

आपका शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। आप साथ कार्य में लगे हैं। आप के शिक्षार्थी नियत समय पर और नियमित रूप से आने लगे हैं। वे पढ़ने और लिखने में मन लगा रहे हैं। वे आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इससे जान पड़ता है कि वे जो कुछ पढ़ते हैं, उसे समझ लेते हैं। वे अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को समझ गये हैं और ध्यान से सोच समझ कर पढ़ते हैं। ऐसी आपकी धारणा है।

परन्तु धारणा तो काफी नहीं है। आपको तो शिक्षार्थियों को प्रगति की निश्चित जाँच करनी पड़ेगी। हरेक शिक्षार्थी एक जैसी प्रगति नहीं कर सकता। उनमें से कुछ तो शायद अक्षर ही पहचान पाएं। कुछ को शायद अक्षर पहचानने के लिए चित्र की सहायता लेनो पड़े। कुछ अधिक चतुर शिक्षार्थी अक्षर, शब्द और वाक्य सभी पहचान लेगें और उनकी बनावट को समझ कर उन्हें पढ़ सकेंगे। शिक्षार्थियों में से हरेक ने कितनी प्रगति की है, यह आपको समझना होगा ताकि आप उनको प्रगति के अनुसार वर्गों में बांट सकें और प्रत्येक वर्ग का यथा आवश्यकता पथप्रदर्शन कर सकें।

आप जानते हैं कि पढ़ने की कला के पाँच अंग हैं। ये हैं पहचान, समझ, शुद्धउच्चारण, गति और अर्थ ज्ञान। यदि कोई

व्यक्ति बिना पहचाने और समझे पढ़ सकता है, तो वह केवल सन्दर्भ ज्ञान, अनुमान और रटाई द्वारा केवल स्मृण शक्ति से हो सकता है। उदाहरणार्थ यदि कोई कहानी का पाठ है और पढ़ते-पढ़ते शिक्षार्थियों को वह कहानी उसी क्रम से याद हो गई, तो वे थोड़ा सा परिचय मिलते ही या थोड़े से अंश की पहचान होते ही सारे पाठ को उसी क्रम से पढ़ते चले जायेंगे। ऐसा केवल स्मरण शक्ति के आधार पर ही सम्भव हो सकता है। कहानी के अतिरिक्त कुछ चित्रित सन्दर्भ भी ऐसे ही पढ़े जा सकते हैं। इस प्रकार की क्रिया में ना तो अक्षरों का पहचानना जरूरी है और न ही अर्थ ज्ञान। यह क्रिया अथवा यह योग्यता कुछ लोगों में केवल स्मरण शक्ति और अभ्यास अथवा रटाई से उपस्थित हो जाती है। ऐसी योग्यता हमारा अभिप्राय पूरा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी केवल गिनी चुनी चीजों को पढ़ सकेंगे और अक्षरों व शब्दों को पहचानने की योग्यता न होने से चाहे जिस पाठ अथवा पुस्तक को नहीं पढ़ सकते। यह योग्यता केवल धोखा होगी।

आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षार्थी अक्षरों को पहचानें। अक्षरों से शब्दों और वाक्यों की बनावट को समझें, समझ कर उसका शुद्ध उच्चारण कर सकें और अर्थ को भली प्रकार समझ लें। पढ़ाई की गति तो अभ्यास से बढ़ जायेगी। यदि सभी प्रक्रिया के सफल प्रभाव से शिक्षार्थी पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर गए, तो लिखना बहुत जल्दी आ जायेगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि समय-समय पर अपने शिक्षार्थियों की प्रगति को जानते रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आप यह जान सकेंगे कि शिक्षार्थी कहाँ तक शुद्ध पहचान, उच्चारण, अर्थज्ञान और गति प्राप्त कर गए हैं।

यह जानकारी अथवा जाँच केवल आप को ही नहीं आप

के शिक्षार्थियों के लिये भी उपयोगी होगी। ध्यान केवल यह रखना है कि यह सब जाँच अनजाने में ही चाहे जब हो जानी चाहिए और जो भी शिक्षार्थी जाँच के आधार पर कुछ पीछे पाये जायें, उनको इसका आभास न हो। पिछड़े हुए शिक्षार्थियों के प्रति कभी भी न तो कोई अप्रसन्नता दिखानी चाहिए और न ही उनको इस जाँच के आधार पर दूसरे साथियों से अलग करना चाहिए। करना केवल यही होगा कि उन शिक्षार्थियों पर अधिक ध्यान देना होगा और इस बात का प्रयत्न करना होगा कि वे अभ्यास बढ़ावें और जल्दी ही अक्षरों की पहचान और शब्दों व वाक्यों की बनावट को समझ कर पढ़ाई की गति बढ़ा सकें। यह हम समझ गए हैं कि पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अक्षरों की पहचान, शब्दों और वाक्यों की बनावट का यथार्थ ज्ञान, शुद्ध उच्चारण और गतिमान पठन आवश्यक हैं। तो बस पढ़ने की योग्यता की जाँच करते समय इन्हीं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कितने अंशों तक इन योग्यताओं को प्राप्त कर रहा है ?

लिखने की कला के लिए पहचान, समझदारी और बनावट की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों को सरल तथा वक्र रेखाओं को अलग-अलग तथा सम्मिलित रूप से बनाना आना चाहिये। अच्छी लिखाई का अर्थ है स्पष्टता, और समानता, मोटाई की भी तथा लिखाई की सीध की भी। इन सब गुणों की प्राप्ति में समय लगता है और सतत अभ्यास की आवश्यकता है। परन्तु लिखाई की कला का लक्ष्य तो इन सभी गुणों से युक्त लिखाई करना और सुन्दर लिखाई की आदत डालना है। लिखाई का अभ्यास पढ़ाई के साथ-साथ ही आरम्भ हो जाना चाहिये। ऐसा करने से भाषा का ज्ञान जल्दी होता है। अक्षर, शब्द और वाक्य लिखते समय शिक्षार्थी के मन में बड़ी एकाग्रता रहती है और

वह लिखते-लिखते जल्दी ही भाषा का पढ़ना भी सीख जाता है।

जहाँ तक साक्षरता के तीसरे अंग गणित का सम्बन्ध है, उसके लिये संख्याओं का ज्ञान, अभ्यास के द्वारा ही देना चाहिये और दैनिक जीवन में काम आने वाले गणित के अंशों का प्रतिदिन मौखिक एवं यथा सम्भव लिखित रूप में थोड़ा-थोड़ा अभ्यास कराना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन कार्य में कुछ न कुछ हिसाब किताब करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जीवन के उन्हीं पहलुओं को लेकर मौखिक प्रश्नों द्वारा प्रतिदिन अभ्यास कराना चाहिये। लिखित गणित का कार्यक्रम यथा समय कुछ पढ़ने लिखने का अभ्यास हो जाने के बाद आरम्भ हो जायेगा।

आपको यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि इस अध्याय 'में हम साक्षरता कक्षा के विद्यार्थी की प्रगति की जाँच की बात कर रहे हैं। इसमें ना तो हम शिक्षक की सफलता अथवा योग्यता की जाँच की बात कर रहे हैं और न ही साक्षरता योजना के प्रभाव की जाँच की बात। इन दोनों प्रकार की जाँचों के लिए और दूसरे तरीके हैं। यहाँ तो हम शिक्षार्थियों के पढ़ाई, लिखाई और गणित ज्ञान की प्रगति की जांच की बात कर रहे हैं। जैसी पहले चर्चा कर चुके हैं, इस प्रगति का ज्ञान होते रहना शिक्षार्थी व शिक्षक दोनों के लिए ही जरूरी और लाभकारी है। ऐसी जाँच कई प्रकार से दैनिक कार्यक्रम के एक साधारण अंश के रूप में ही चाहे जब की जा सकती है। उदाहरणार्थ कुछ नमूने बताना जरूरी हैं। जैसे—

1. अक्षर बोध अथवा पहचान की जाँच करने के लिए कुछ अक्षर अथवा शब्द अथवा वाक्य बारी-बारी से ब्लेक बोर्ड पर लिखकर शिक्षार्थियों से बारी-बारी

पढ़वाये जा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि कोई प्रौढ़ शिक्षार्थी पढ़ने में झिझकता हुआ जान पड़ें, तो तुरन्त ही उसकी सहायता करनी चाहिये। शिक्षार्थी समझेंगे आप उन्हें पढ़ना सिखा रहे हैं परन्तु आप यह जाँच कर रहे हैं कि कौन कितना समझने लगा है। पहचानने उच्चारण करने और पढ़ने तीनों क्रियाओं की योग्यता की जाँच साथ-साथ होती जायेगी।

2. इसी प्रकार आप शिक्षार्थियों को बारी-बारी से बुलाकर बोर्ड पर कुछ लिखने को कह सकते हैं। उन्हें कुछ अड़चत जान पड़े तो तुरन्त सहायता करें। इस लिखे हुए को दूसरों से पढ़वावें। इस प्रकार विद्यार्थी इस कार्यक्रम को भी पढ़ाई लिखाई का पाठ ही समझेंगे परन्तु आप अनजाने में ही उनकी पहचान, याद और लिखाई के ज्ञान की प्रगति की जांच कर सकेंगे।

3. दो चार पाठ पढ़ा देने के बाद आप कुछ जाने पहचाने वाक्यों को अधूरा लिखकर पूरा करवाने का प्रयत्न कर सकते हैं। सुगमता के लिए कुछ जाने पहचाने अक्षर भी जो खाली स्थानों पर आवेंगे, वो भी बोर्ड पर लिख सकते हैं। शिक्षार्थी उनमें से छाँटकर खाली स्थान पर भर सकते हैं। यह अभ्यास पढ़ाई लिखाई और समझदारी को जांचने का अच्छा तरीका रहेगा। इस अभ्यास में भी शिक्षार्थी यही समझेंगे कि उन्हें पढ़ने लिखने का अभ्यास कराया जा रहा है। ऐसा सोचना भी कुछ हद तक सही है, आप को तो उनकी योग्यता तथा प्रगति का अनुमान मिल ही जायेगा। इस प्रकार के अभ्यास दैनिक पाठ्यक्रम का स्वभाविक अंग बन सकते हैं। इनके द्वारा शिक्षार्थियों का पठन कार्य में

सक्रीय योंगदान मिल जाता है और कार्य रुचिकर बन जाता है ।

जब शिक्षा पाठ्यक्रम उपयुक्त स्तर पर पहुँच जाये और सफलतापूर्वक बढ़ता चले तो पाठकों को पुस्तक से उनकी शुद्धता और गति की जाँच करने के लिए पढ़वाया जा सकता है । पढ़ने के लिए ऐसा अंश छांटना चाहिये जिसको भाषा की सरलता और परिचित शब्दावली की प्रयोगात्मकता के आधार पर वे आसानी से पढ़ सकें । इस सन्दर्भ के शब्दों को गिनकर यह अनुमान लगा लेना चाहिये कि साधारण योग्यता का शिक्षार्थी कितना समय उसके पढ़ने में लगायेगा । तत्पश्चात आप बारी-बारी से शिक्षार्थियों से उस सन्दर्भ को पढ़वाइये और समय देखते रहिये । यह भी देख लीजिये कि पढ़ाई शुद्धता के साथ हो रही है अथवा नहीं । इस प्रयोग से आपको पाठकों की पढ़ाई की योग्यता का ज्ञान हो जायेगा और आप भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित कर सकेंगे ।

इसी प्रकार लिखाई की शुद्धता और अभ्यास की जाँच करने के लिए आप पाठकों को लिखने के लिए किसी उपयुक्त सन्दर्भ का श्रुतिलेख बोल सकते हैं । उसकी समय और शुद्धता की जांच से पाठकों की लिखने की योग्यता का ज्ञान हो सकता है । समय-समय पर ऐसे अभ्यास कराने से पाठकों को स्वयं ही अपनी प्रगति का ज्ञान हो जायेगा । परन्तु इस सब कार्यक्रम में ध्यान रहे कि जिन पाठकों की प्रगति धीमी पाई जाये, उनको प्रोत्साहन देना है, निराश करना नहीं ।

बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि साक्षरता कक्षाओं में कार्य करने वाले कार्यकर्ता अपनी कुशलता दिखाने के लिए साक्षर लोगों को भर्ती कर लेते हैं । संयोग से यदि आपके

पाठक चतुर हों और शीघ्रता से प्रगति दिखावें तो यह सन्देह स्वभाविक ही है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह उचित है कि साक्षरता कार्य आरम्भ करने से पहले साक्षरता कक्षा में भर्ती होने वाले प्रौढ़ों की जांच कर ली जाये और उन जांच पत्रों को अपने पास सुरक्षित रखा जाये। इससे आपको अपने पाठकों की योग्यता की जानकारी हो जायेगी और उनकी प्रगति का अनुमान भी अधिक शुद्ध होगा।

पढ़ाई के दौरान में तो आप समय-समय पर जाँच करते ही रहेंगे और पाठकों की प्रगति का ब्योरा रखेंगे। लगभग तीन महीने पढ़ाई करने के बाद साधारण सरल जांच पत्र बना कर प्रश्न पूछने चाहिए। इस जांच से पाठक भी अपनी प्रगति जान सकेंगे और आप भी पाठ्यक्रम की सफल समाप्ति के भविष्य का कार्यक्रम बना सकेंगे। ध्यान रहे कि आप को और पाठकगण को दोनों को एक निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम समाप्त करना है। इसके लिए आपको यथाशक्ति प्रयत्नशील रहना चाहिये।

अब आइये कुछ नमूने के जाँच पत्रों को अध्ययन कर लें। ये केवल नमूने हैं और मार्गदर्शनार्थ दिए जा रहे हैं।

## पूर्व साक्षरता का जाँच पत्र

इनको पढ़िये

1. न त ल ज म भ अ ट प क।

2. मन, नल, तना, लाल, जटा, कमल, जलन, जाला, लजाना, भालू।

3. आज के युग में पढ़ना लिखना जरूरी है।

हर धन्धे में पढ़ाई लिखाई की जरूरत है ।
समाज में भी पढ़े लिखे आदमी का आदर होता है ।
पढ़े लिखे आदमी का जीवन सुखी होता है ।

4. 4, 10, 15, 25, 12, 18, 16, 41, 35, 55.
(अथवा हिन्दी गिनती में)

लिखिये—

अपना नाम.........................

पिता/पति का नाम..................

गांव का नाम.......................

---

## पूर्व साक्षरता का ब्योरा

प्रौढ़ शिक्षार्थी का नाम.........................

पितापति का नाम..............................

पता.................................................

साक्षरता ज्ञान

पढ़ाई.........................................

लिखाई.........................................

गिनती ज्ञान..................................

तिथि.................. हस्ताक्षर शिक्षक...............

---

## जांच पत्र संख्या 1

1. अपना परिचय लिखिये :—

नाम..............................

पिता/पति का नाम...............

डाक का पता.....................

..................................

कितने दिन से पढ़ रहे हैं.....................

2. खाली जगह ठीक शब्द छाँट कर भरो :—

शब्द :—(जल, ताला, बहन, गाना, कलम)

1. कमला...........गा रही है ।
2. जग में...........भरा है ।
3. कमला राम लाल की...........है ।
4. मकान में...........लगा है ।
5. ........... से लिख ।

नकल कर दुबारा लिखो :—

राम और रमा खुश हैं । आज उनके बेटे का जन्म दिन है । जगन आठ साल का हो गया है । वह पाठशाला पढ़ने जाता है ।

4. नीचे कुछ फल, फूल व सागों के नाम हैं । छाँट कर अलग-अलग लिखो :—

गुलाब, गोभी, केला, अनार, मटर, गाजर, पालक, चमेली, आलू, सेब, टमाटर, मौलसरी ।

फल.........................

साग.........................

फूल.........................

5. खाली जगह भरो :—

(1) मेरे पास एक रुपया था। 30 पैसे का बस का टिकट लिया। 10 पैसे का एक केला खा लिया। 30 पैसे का बस का टिकट फिर लिया। घर आया तो मेरे पास ...........पैसे थे।

(2) 2 रुपये 50 पैसे रोज के हिसाब से 4 दिन काम किया तो...........रुपये मिले।

6. खाली जगह भरो :—

बीमारी से बचने के लिये सुबह...........करो। साफ ...........पिओ। ताजा..............खाओ। दिन में ...........करो और रात में...........करो।

इस प्रकार के जाँच पत्र से पढ़ने, लिखने, समझने और हिसाब करने की योग्यता का अनुमान हो जायेगा। शिक्षार्थियों को प्रश्न यदि उदाहरण देकर भी समझाने पड़ें, तो ऐसे ही दूसरे उदाहरण देकर समझा देना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। इस काम के लिए बोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। हर प्रश्न के 5 नम्बर लगा कर प्रत्येक शिक्षार्थी के प्राप्त अंकों का पता लग जायेगा और उसकी प्रगति का अनुमान हो जायेगा। गिनती दोनों प्रकार की सिखा देनी चाहिये।

अब एक और जाँच पत्र का नमूना देखिए। यह प्रथम पत्र से कुछ कठिन है।

## जाँच पत्र संख्या 2

अपना परिचय लिखिये :—

1. नाम.................................
   पिता या पति का नाम...............
   डाक का पूरा पता.................
   ..................................

कितने दिन से पढ़ रहे हैं..............

2. समझ-समझ कर पढ़िये। नीचे दिए गए सवालों के सही उत्तर छाँट कर लिखिये। एक सवाल के कई उत्तर लिखे हैं।

बालकों को ठीक भोजन नहीं मिलने से उनको सूखा रोग लग जाता है। दाँत निकालते समय बालकों की देख भाल की बड़ी जरूरत है। यह समय दुखदाई होता है। कभी-कभी उनको बुखार हो जाता है। कभी पेट खराब हो जाता है। बालक सूखने लगता है। चिड़चिड़ा हो जाता है। सारा शरीर ढीला ढाला हो जाता है। ऐसे समय बालक की पूरी देख-रेख होनी चाहिये। दूध और नरम खाना देना चाहिए। डाक्टर की सहायता तुरन्त लेनी चाहिए।

| | |
|---|---|
| (1) सूखा रोग में बालक | 1. मोटा हो जाता है।<br>2. चिड़चिड़ा हो जाता है।<br>3. खाना बहुत खाता है। |
| (2) दाँत निकालने का समय | 1. बालकों के लिए बहुत लाभ कारी है।<br>2. बालकों के लिए बड़ा दुख-दाई है।<br>3. बालकों को रोगी बनाता है। |

| | |
|---|---|
| (3) बालकों को स्वस्थ रखने के लिए | 1. उन्हें खूब खाना खिलाओ।<br>2. उनकी पूरी देख भाल करो।<br>3. उनको डाक्टर से दवाई दिलाओ। |

3. नीचे कुछ पशु, पक्षियों के नाम लिखे हैं। इन्हें छांट कर अलग अलग लिखिये :—पशु पालतू भी हैं, जंगली भी। दोनों अलग-अलग लिखिये।

तोता, शेर, मोर, गाय, गीदड़, गधा, बुगला, लोमड़ी, घोड़ा, तीतर, भैंस, कबूतर, चीता, कुत्ता, हरिण।

पक्षी..............................

पालतू पशु.........................

जंगली पशु.........................

4. खाली जगह भरो :—

(1) एक किलो ग्राम में............ग्राम होते हैं।

(2) किलोग्राम.........का नाप है और.........लम्बाई का।

(3) एक साल में.........महीने होते हैं, और.....सप्ताह।

(4) एक दिन में.........घंटे होते हैं, और एक घंटे में......... मिनट।

(5) समुद्र पर यात्रा.........से करते हैं और आकाश में .........से परन्तु जमीन पर तो अनेक साधन हैं जैसे

1.........2.........3.........4.........5.........

5. खाली जगह भरो :—

हमारे देश का नाम·········है। ·········इसकी राजधानी है।·········हमारा राज्य है। हमारे राज्य की राजधानी········· है। हमारे राज्य जैसे हमारे देश में·········राज्य है। राज्यों में राज्य चलाने का भार·········सभा पर है। और केन्द्र में राज्य का भार·········सभा पर तथा·········सभा पर है। विधान सभाओं के सदस्य राज्य के सभी प्रौढ़ अपने·········द्वारा चुनते हैं। लोक सभा के सदस्य हर राज्य के लिए उस राज्य के········· अपने मत द्वारा चुनते हैं।

6. पढ़कर, समझ कर खाली जगह भरो :—

मेरी मासिक आमदनी 250/- रुपये है। इसको मैं इस प्रकार खर्च करता हूँ।

(1) घर का किराया···············

(2) भोजन का खर्च··············

(3) दों बालकों की पढ़ाई का खर्च············

(4) कपड़े, जूते, साबुन आदि का खर्च············

बहुत सी चीजें जो जीवन में आराम देती हैं, वो मैं नहीं पा सकता। बड़ी कठिनाई से गुजारा चलाता हुँ। कुल········· रुपये महीना बचाता हूँ। कुछ न कुछ तो बचाना ही चाहिए। जो कुछ पैसे पास होते हैं वो कभी-कभी·········में सब खर्च हो जाते हैं। मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी होगी।·········तो और कैसे कम करू ं।·········बढ़ाने के लिए·········करनी होगी। बिना पढ़ें लिखे तो 250/-रुपये भी कमाना कठिन है।

ये जाँच पत्र केवल नमूने के हैं। इसी प्रकार के अनेक दूसरे जाँच पत्र कक्षा की योग्यता, स्थानीय वातावरण तथा

शिक्षार्थियों की रुचि के आधार पर उनकी प्रगति, समझ शक्ति और कार्य में रुचि की जाँच के लिए बनाए जा सकते हैं ।

विशेष रुचि अथवा व्यवसाय वाले शिक्षार्थियों के लिये विशेष प्रकार के प्रश्न उनके दैनिक जीवन से सम्बन्धित होने चाहियें । जिस से उन्हें उत्तरदायित्व को पूरा करने की जानकारी भो हो जाये । उदाहरणार्थ यदि शिक्षार्थी महिलाएँ है तो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वे उत्तम गृहणी बन जायें और साथ-साथ पढ़ना लिखना भी सीख जायें । यही हमारा लक्ष्य होता है । ऐसे वर्ग के लिए गृह विज्ञान से, दस्तकारी, रोगी सेवा, शिशु पालन तथा परिवार नियोजन से सम्बन्धित कुछ प्रश्न अवश्य होने चाहिएं । ऐसे वर्ग के लिए नमूने का एक जाँच पत्र नीचे दे रहे हैं ।

**जांच पत्र संख्या 3 (महिला वर्ग)**

1. अपना परिचय लिखिए ।

(1) नाम..........................................

(2) पिता का या पति का नाम...............

(3) डाक का पता..................................

.................................................

(4) कितने दिन से पढ़ रहे हैं..................

2. नीचे लिके प्रसंग को पढ़िये और समझ सोच कर उत्तर लिखिए :—

बालकों की देख-रेख का भार अधिकतर माता पर होता है । हर माता को बालक के विकास का पूरा ज्ञान होना चाहिए । बालक की देख-रेख गर्भ से ही करनी जरूरी है ।

होने वाली माँ के लिए जरूरी है कि वह ताजा और पौष्टिक भोजन करे। बहुत अधिक न खाए। भोजन हल्का होगा तो वो शीघ्र पच जायेगा। दूध आदि का सेवन अधिक करे। कड़ी मेहनत का काम कम करे परन्तु आलस्य में भी न पड़ी रहे। गर्भ काल में होने वाली माँ को गर्भ के बालक का भी ध्यान रखना चाहिए। मामूली बातों पर चिन्तित न हो। प्रसन्न रहे।

प्रश्न—बालक जब गर्भ में हो तो माता को क्या करना चाहिये ?

(1) भोजन के बारे में..............................

(2) काम के बारे में..............................

(3) स्वभाव के बारे में..............................

3. आजकल महंगाई का युग है। साधारण आमदनी के लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। जीवन का सुख समाप्त हो जाता है। बालकों का विकास भी पूरा नहीं हो पाता। इस अशान्ति के कई कारण हैं।

नीचे लिखे कारणों को पढ़िये और उनके महत्व के हिसाब से 1–2–3–4 नम्बर लगाइये।

निरक्षरता
अधिक सन्तान
गरीबी
माता-पिता को समय का अभाव

4. स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातें नीचे लिखी हैं। इन्हें पढ़कर दिए हुए शब्दों में से छाँटकर ठीक शब्द खाली स्थान में भरें :—

शब्द :—(ताजा, अधिक, खट्टा, भूख, टहला ।)

(1) भोजन.........लगने पर हो करें ।

(2) भोजन बहुत.........न करें ।

(3) थोड़ा दही भोजन के साथ खाएँ, परन्तु दही बहुत.........न हो ।

(4) भोजन के बाद थोड़ा.........करें ।

(5) बासी भोजन न खाएँ।.........भोजन जल्दी पच जाता है ।

(6) दाल भाजीं में मिर्च मसाला.........न डालें ।

5. (1) एक बालक की पढ़ाई के लिए पाँच रुपये पचास पैसे की पुस्तकें चाहिएँ, तो चार बालकों के लिए पुस्तकों का खर्च क्या होगा ?.........

(2) एक स्वैटर की बुनाई 2 रुपये 40 पैसे देनी पड़ती है तो पाँच स्वेटर की बुनाई कितनी होगी ?.........

(3) घर में 2 लिटर दूध रोज आता है। महीने में चार दिन नहीं आया। महीना तीस दिन का था। कुल कितने लिटर आया ?......

(4) एक बेबी सूट बनाने में पाँच रुपये मीटर का 2 मीटर कपड़ा लगा । सिलाई और देनी पड़ी । सूट कुल 14 रुपये 50 पैसे में पड़ा, तो सिलाई कितनी दी ?......

6. घर में बिजली का खर्च बढ़ गया। इसके कुछ कारण लिखो :—

| गर्मी के दिनों में | सर्दी के दिनों में |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |

7. (1) भारत की चार प्रसिद्ध महिलाओं के नाम लिखो।

............ ......... ......... .........

(2) भाई बहन के सम्बन्ध को मजबूत बनाने के लिए कौन से त्यौहार मनाते हैं।

............ ......... ......... .........

8. परिवार नियोजन क्यों जरूरी है ? नीचे कुछ बातें लिखी हैं, इनके महत्व के हिसाब से 1-2-3-4 नम्बर लगाइये :—

गरीबो रोकने के लिए।
स्वास्थ सुधारने के लिए।
बालकों को विकास की पूरी सुविधाएँ देने के लिए।
सन्तान में प्रेम बढ़ाने के लिए।
सुखी परिवार बनाने के लिए।

9. परिवार को सुखी बनाने में नारी कैसे सहयोग दे सकती है ? लिखिए।

10. माँ ने बालक को जन्म दिया, दूध पिलाया, बड़ा किया। वो जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली माता है। परन्तु धरती माता, गऊ माता ऐसा हम जरूर कहते हैं। क्यों ?

11. एक लड़के को शिक्षित करना एक ही आदमी को शिक्षित करना है परन्तु एक लड़की को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है। ऐसा क्यों है ?

12. जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर।
नहीं तो तू बाँझ रह, क्यों गंवावे नूर॥

इस कविता से महिलाओं को क्या शिक्षा मिलती है। अच्छी तरह समझाइये।

यह नमूने केवल उदाहरणार्थ हैं। शिक्षक ऐसे ही और अनेक जाँच पत्र स्थानीय आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुसार बना लेंगे और समय समय पर उपयोग में लाएँगे। इस प्रकार के जाँच पत्र केवल ज्ञान की प्रगति का अनुमान ही नहीं बताते, बल्कि साथ-साथ पाठकों के पढ़ने, समझने और लिखने की योग्यता का भी मापदंड हैं। जब तक पाठक प्रश्नों को ठीक पढ़ समझ न सकेंगे, वे यह न जान सकेंगे कि उन्हें करना क्या है और न उत्तर दे सकेंगे। उत्तर आते भी हों तो लिखने की योग्यता होने पर ही वे लिख पायेंगे। इस प्रकार ये केवल जाँच पत्र ही नहीं, ज्ञान पत्र भी हैं। पाठकों को उत्तर लिखने से पहले काफी सोचना समझना होगा और अपनी स्मरण शक्ति को काम में लाना होगा।

इसी प्रकार के जाँच पत्र दूसरे व्यवसायिक वर्गों के लिए बनाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ कृषक वर्ग, अथवा श्रमिक वर्ग तथा इसी प्रकार के और वर्ग। ध्यान रखना चाहिए कि जाँच पत्र नियमित रूप से स्तर व्यवस्था पर आधारित हों।

आईये अब दो और जाँच पत्रों के नमूने देखें। एक कृषक वर्ग के लिए और दूसरा श्रमिक वर्ग के लिए। जाँच पत्रों में नमूने के प्रश्न हैं। जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न एक ही जाँच पत्र में पूछें जायें। पाठकों की योग्यता और सुभीते के अनुसार ही एक जाँच पत्र को बनाना चाहिए। जाँच पत्र भारी लगने लगे अथवा निराशाजनक सिद्ध हो, ऐसा नहीं करना चाहिए।

याद रखिये ये जाँच पत्र कोई डिप्लोमा या डिग्री के लिए नहीं हैं। वहाँ तो हर बात विद्यार्थी की समझ पर छोड़ दी जाती है और शिक्षक केवल निरीक्षण करता है अथवा चौकीदारी। यहाँ तो हम प्रौढ़ शिक्षण की बात कर रहे हैं।

जाँच पत्र केवल, प्रगति जानने के लिए है। आप पूछे गए प्रश्न का उत्तर बेशक न बतायें, परन्तु पाठकों को प्रश्न के समझने में और क्या करना है, यह जानने में सहायता अवश्य करें। आवश्यकता हो तो उसी प्रकार का नमूना बता कर सहायता करें। इस से प्रौढ़ों को कोई कठिनाई नहीं होगी और वे जांच-के विरुद्ध भी नहीं होंगे।

**नमूने का जाँच पत्र संख्या 4** (कृषक वर्ग के लिए)

1. अपना परिचय लिखिये :—

(1) नाम......................

(2) पिता का नाम......................

(3) डाक का पता......................

(4) अपनी आयु......................

(5) कितने दिन से पढ़ रहे हैं.................

2. पढ़िये और समझ कर नीचे दिए वाक्यों में छोड़ी गई जगह भरिये :—

राम लाल किसान है। खेती के नए तरीके जान गया है। समय पर खेत जोतता है, खाद डालता है, और नए बीज काम में लाता है। राम लाल ने खेती के काम की मशीनें खरीदी हैं। सिंचाई के लिए कुएँ पर मोटर लगाई है। समय पर फसल की सिंचाई करता है। अनाज के साथ-साथ कुछ फल के पेड़ भी लगाए है। पपीता, अमरूद और अंगूर लगाए हैं। इनमें फल जल्दी आता है। एक खेत में फूल भी लगाये हैं। और साग भाजी भी बोता है। खेत तक सड़क बनी है। घर के सब लोग काम में लगे रहते हैं। पैदावार खूब होती है। ठेले भर-भर कर साग भाजी व फल फूल बाजार ले जाता है।

राम लाल के खेतों की पैदावार बढ़ गई है क्योंकि वह :—

(1) खेती के नए तरीके.........................

(2) जुताई.........................पर करता है।

(3) सिंचाई के लिए.........................

(4) अनाज के साथ-साथ...................

(5) खेत तक.........................बनी है।

3. सवालों को ध्यान से पढ़ कर उत्तर लिखिए :—

(1) आप कितनी जमीन बोते हैं ?...................

(2) गर्मी की फसलों में क्या-क्या बोते हैं ?.........

(3) सर्दी की फसलों में क्या-क्या बोते हैं ?.........

(4) आप खुद खेती करते हैं या मजदूरों से खेती कराते हैं ?...................

(5) पैदावार बढ़ाने के लिए आपने क्या-क्या किया है या करना चाहते हैं ?..............

4. नीचे कुछ खेती सम्बन्धी कहावतें लिखी हैं। इन्हें पढ़ कर समझ कर नीचे दिए सवालों के उत्तर लिखिए।

(1) पहले खेती दूजे बाण,
निखद चाकरी, भीख निदान।

(2) जोते खेत घास नहीं टूटे,
ताके भाग्य साँझही फूटे।

(3) जो हल जोते खेती वाकी,
और नहीं तो जाकी ताकी।

(4) पूंछ झपा और छोटे कान,
ऐसे बरद मेहनती जान।

(5) खेती वह जो खड़ी रखावे,
सूनी हो तो हिरना खावे ।

(अ) सबसे उत्तम धन्धा कौन सा है ?…………

(ब) जुताई कब ठीक समझी जानी चाहिए ?………

(स) खेती से पूरा लाभ किस को होता है ?………

(द) मेहनती बैल की पहचान क्या हैं ?……………

(ध) खड़ी फसल की रखवाली क्यों करते हैं ?………

5. खाली स्थान भरिये :—

(1) तपेदिक…………की बीमारी है ।

(2) मच्छरों से…………फैलता है ।

(3) सहकारी समिति…………के विकास में सहायता करती है ।

(4) ना समझ किसान…………में बहुत रुपया बर्वाद करते हैं ।

(5) अनपढ़ रहना…………है ।

6. नीचे लिखे सवालों के उत्तर निकालिये :—

(1) सहाकारी भंडार से 20 सदस्यों ने 140 किलो चीनी ली । यदि सब ने बराबर-बराबर ली हो, तो हर एक ने कितनी ली ?……………………

(2) एक हल से 40 बीघे (आठ एकड़) की खेती हो सकती है तो आठ बैलों से कितने बीघे या एकड़ खेती हो सकती है ?………………

(3) एक भैंस दस किलो ग्राम दूध रोज देती है । दूध का भाव एक रुपया 60 पैसे फी किलो ग्राम है तो भैंस का दूध कितने का बिकेगा ?…………

(4) और यदि दूध देने वाली भैंस पर चारे और दाने का खर्च आठ रुपये पचास पैसे रोज का है और तीन रुपये पचास पैसे और खर्च उसके रखने पर आता है। तो रखने वाले को रोजाना क्या बचा ?..............

(5) एक बीघे में दो किलो ग्राम बीज डालें तो एक क्विटल बीज कितने बीघे में पड़ेगा ?...........

7. यह विज्ञान का युग है, खेती में नये औजार और नए तरीके अपनाने होंगे। उपज बढ़ानी है तो नए ज्ञान को काम में लाना होगा। आपस का सहयोग बढ़ाना होगा। बालकों को शिक्षा दिलानी होगी। ज्ञान फैलाना, पैदावार बढ़ाना, दवा-खाना खुलवाना, गाँव की सफाई का प्रबन्ध करना और गाँव में मेलमिलाप और शान्ति रखना, ये सब पंचायत का काम है। अच्छी पंचायत ये सब काम करती है।

(1) ग्राम पंचायत के पंच कौन बनाता है ?........

(2) पंचायत का क्या काम है ?...............

(3) गाँव का जीवन सुखी कैसे हो ?...........

8. जगन धनवान किसान है। वह कड़ी मेहनत करता है। धरती गहरी जोतता है। रासायनिक खाद डालता है। हेंगा लगाता है। ज्वार, बाजरा और मक्का के संकर बीज बोता है। समय-समय पर नलाई और सिंचाई करता है। साल में तीन फसलें लेता है। धान की अगेती फसल लेता है। खरीफ और रबी दोनों फसलें उसके अलावा लेता है। नए बीज से फसल अच्छी होती है और जल्दी होती है। इसलिए एक साल में कई-कई फसलें हो सकती हैं।

(1) गेहूँ के नए बीज कौन-कौन से हैं ?...........

(2) ज्वार, बाजरा और मक्का का उत्तम बीज कौनसा है ?..............

(3) धान का कौन सा बीज अधिक पैदा देता है ?...............

(4) नए बीजों से कौन-कौन से लाभ हैं ?...........

(5) खाद कितनी प्रकार की होती है ?...............

9. खेती के शत्रु अनेक हैं। किसान की महनत से फसल खूब उगती है। खेत लहलहाते हैं। लेकिन कभी-कभी लहलहाते खेत भी कुछ पैदा नहीं देते। ऐसे शत्रु कितनी तरह के कौन-कौन से हैं, लिखिए ?.........

10. आप पढ़े लिखे किसान हैं। अपने घर का हिसाब-किताब रखना सीख लिया है। नीचे लिखे हुए हिसाब को पूरा कर दीजिए।

मास दिसम्बर 1970

| **आमदनी जमा** | **खर्च** |
|---|---|
| 1. रामू से उधार वापिस आया .................. | 1. बालकों की फीस व पुस्तकों पर खर्च............ |
| 2. चारे की बिक्री से जमा .................. | 2. घर के लोगों के लिए कपड़े पर खर्च............ |
| 3. साग-भाजी की बिक्री से जमा............ | 3. लड़के के जन्म दिन पर खर्च............ |
| 4. मकान का किराया आया ............ | 4. खेत पर काम करने वालों की मजदूरी............ |
| | 5. दवाईयों का बिल चुकाया ............ |
| कुल जमा............ | कुल खर्च............ |

**नमूने का जांच पत्र संख्या 5**—(श्रमिक वर्ग के लिए)

1. अपना परिचय लिखिए :—

   (1) नाम........................

   (2) पिता या पति का नाम..................

   (3) डाक का पता.................

   (4) क्या काम करते हैं.................

   (5) कितने दिन से पढ़ रहे हैं...........

2. पढ़कर समझकर सवालों का उत्तर लिखिये :—

हर इन्सान को काम करने के बाद आराम की जरूरत होती है। आराम और मनोरंजन से उसमें काम करने की शक्ति फिर से आ जाती है। थकावट दूर हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर कई बड़े कारखानों के मालिक श्रमिक के आराम और मनोरंजन के लिये कल्याण केन्द्र की व्यवस्था करते हैं। श्रमिक या कामगार केवल काम करने वाला मजदूर ही नहीं है, वह एक नागरिक भी है। एक परिवार का मालिक भी है। उसके परिवार की देख-रेख भी उसका कर्तव्य है। इसलिए उसके जीवन को सुखी बनाना उतना ही जरूरी है, जितना दूसरे नागरिकों के जीवन को।

   (1) कारखानों में काम करने वालों को क्या कहते हैं ?..................

   (2) काम के बाद आराम की जरूरत क्यों है ?...........

   (3) कामगारों के आराम के लिए बड़े कारखाने क्या करते हैं ?...........

   (4) आपको कौन सा मनोरंजन पसन्द है ?..............

   (5) आप अपने परिवार की देख-रेख क्यों करते हैं ?.................

3. खाली स्थान भरिये :—

कल कारखाने लग जाने से नगरों में..........बढ़ गया है। गाँव में आबादी बढ़ जाने से..........बढ़ गई हैं। खेती करने वाले..........खाली रहने लगे। कुछ लोग जो भूमिहीन थे वे भी..........हो गये। नगरों में काम वालों की.......... थी। गाँव के लोग कमाई..........के लिए नगरों में आ गये। नगरों के जीवन में..........की खुली हवा नसीब नहीं है। यहाँ काम भी..........करना पड़ता है। गाँव में खुद..........थे, यहाँ..........मालिक हो गया।

4. कामगारों की कुछ कठिनाईयाँ जिनके लिए उन्हें लड़ना पड़ता है, नीचे लिखी हैं। ऐसी ही कुछ और कठिनाईयाँ आप लिखिए।

(i) काम का लम्बा समय, (ii) थोड़ा वेतन, (iii) रहने के लिए मकानों की कमी..............

5. नीचे एक सवाल के कई उत्तर लिखे है, सबसे ठीक उत्तर को दुबारा लिख दो :—

(1) कामगार उन्नति कर सकता है यदि

1. मालिक की खुशामद करे।
2. अपने काम में माहिर हो।
3. कामगार संघ का सदस्य हो जाये।

(2) नासमझ कामगार बहुत सा धन बर्बाद करते हैं

1. आने जानेमें।
2. दावतों में।
3. नशे बाजी में।

(3) कामगारों को कभी-कभी बड़े कष्ट उठाने पड़ते है क्योंकि उनमें

1. शिक्षा का अभाव है ।
2. मेल-जोल नहीं है ।
3. मालिक से लड़ने की आदत है ।

(4) कामगारों को शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो

1. काम अधिक और अच्छा करें, अपनी आमदनी बढ़ा सकें ।
2. मालिक से लड़ना छोड़ दें ।
3. अपनी संतान को पढ़ा सकें ।

(5) बहुत से कामगार जमकर काम नहीं कर पाते । हर समय बेचैन से रहते हैं क्योंकि

1. नगर का जीवन उन्हें पसन्द नहीं आता ।
2. वो परिवार से दूर नहीं रह सकते ।
3. उन्हें काम करना नहीं आता ।

6. ध्यान से पढ़कर सवालों के उत्तर लिखिये :—

पढ़ा लिखा न होने के कारण हमारे देश का कामगार उन्नति नहीं कर सकता । वह सारी उम्र मामूली वेतन में ही गुजार देता है । उन्नति करने का समय उसे बहुत कम मिलता है । अनपढ़ होने के कारण ही उसे कई बातों में दबना पड़ता है । पूरा ज्ञान न होने के कारण वह कामगार संघ भी खुद नहीं चला सकता । संघ के अधिकारी बाहर वाले बन जाते हैं । वे कामगार को उन्नति पर उतना ध्यान नहीं देते जितना अपनी नेतागिरी पर देते हैं । इसलिए कामगार अपने हितों की रक्षा के लिए भी दूसरों के आधीन हो जाता है । कामगार उन्नति की खोज में बार-बार अपना उद्योग भी बदलते रहते हैं, इसलिए उनमें एकता भी नहीं हो पाती ।

(1) हमारे देश का कामगार साधारण वेतन पर ही सारी उम्र क्यों गुजार देता है ?…………

(2) कामगारों में एकता क्यों नहीं होती ?...........
(3) कामगारों के हितों की रक्षा कौन करता है ?
(4) कामगार अपना संघ खुद क्यों नहीं चला पाते ?
(5) मालिक कामगारों को क्यों दबा लेते हैं ?

7. भोला कारीगर को तीन सौ साठ (360) रुपये मासिक वेतन मिलता है। उसमें से 30 रुपये मासिक बचाकर अपना खर्च चलाता है। जिन कामों में वह खर्च करता है, नीचे लिखे हैं। सोचकर लिखिए उसे हरेक पर कितना खर्च करना चाहिए।

(1) परिवार के भोजन सम्बन्धी—रुपये...........
(2) दो बालकों की पढ़ाई पर —रुपये...........
(3) कपड़े, जूते आदि पर —रुपये...........
(4) मनोरंजन पर —रुपये...........
(5) अन्य फुटकर कामों में —रुपये...........

कुल खर्च रुपये..........

8. एक बुनकर को एक मीटर लम्बी बुनाई पर साठ पैसे मिलते हैं। यदि वह एक दिन में बीस मीटर बुनाई करता हो, तो उसे रोजाना क्या कमाई होगी ?

9. नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। इनका जो मतलब है वो सरल बनाकर लिखें :-

(1) सूचना
(2) स्वीकार करना
(3) भविष्य
(4) स्वास्थ्य
(5) सुरक्षा
(6) समस्या
(7) शिथिलता
(8) सम्मेलन
(9) सीमा
(10) लाभ।

10. संसार के किसी भी देश की गरीबी सारे संसार को खतरा है। ऐसा क्यों हैं ? कुछ अपने विचार इस बारे में लिखिये :—

—×—

अब आप ने कुछ नमूने के जाँच पत्रों का अध्ययन कर लिया है। यह केवल इस बात का उदाहरण थे कि किस प्रकार उपयोगी जाँच पत्र बनाए जा सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न एक ही जाँच पत्र में दे दिए जाएँ। आरम्भ में तो जाँच केवल मौखिक ही होनी चाहिए। बाद में जैसे-जैसे प्रगति होती जाये, प्रश्न पाठकों की योग्यतानुसार छोटे बड़े या सरल कठिन किये जा सकते हैं। अन्त में जो परीक्षण किया जाये वो निम्नलिखित अंशों का होना चाहिए।

1. पढ़ाई की शुद्धता, उच्चारण और गति देखने के लिए एक संदर्भ का पाठ।
2. पढ़े हुए संदर्भ पर साधारण प्रश्न ताकि यह जाना जा सके कि परीक्षार्थियों ने जो पढ़ा, उसे समझे भी या नहीं।
3. एक छोटे से संदर्भ का श्रुति लेख, लिखाई की गति और शुद्धता जानने के लिए।
4. एक छोटा सा लेख, कहानी, पत्र, निबन्ध अथवा प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र।
5. कुछ साधारण ज्ञान, नागरिकता एवं व्यवसाय सम्बन्धी, जिससे साधारण ज्ञान का परिचय मिल सके।
6. गणित के कुछ साधारण प्रश्न, जिनमें बहुत कठिन हिसाब किताब न हो।

*अध्याय—13*

# प्रौढ़ साक्षरता कार्य में लेख प्रमाण

किसी भी शिक्षण कार्यक्रम में अनेक प्रकार के लेख प्रमाणों का बनाना और सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है। प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम कई स्तरों में बँटा हुआ है और अनेक प्रकार के कार्य कलाप इसमें सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम की उपयोगी व्यवस्था के लिए योजना के आरम्भ में ही कई प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी होती है और उसी जानकारी के आधार पर योजना को क्रियात्मक रूप देना होता है। जब कार्य चल पड़ता है, तो उसकी प्रगति का ध्यान रखने के लिए भी आँकड़ों के लेख प्रमाण की सहायता लेनी होती है ताकि परिस्थितिनुकूल यदि कोई फेरबदल करना हो, तो किया जा सके। फिर लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक और किस गति से हो रही है और उसमें कुछ तीव्रता लानी होगी क्या, यह सब भी लेख प्रमाणों से ही जाना जा सकता है। शिक्षार्थियों की जानकारी, साक्षरता ज्ञान की प्रगति और उनकी कार्य में रुचि का आभास भी प्रगति के आँकड़ों से ही हो सकता है। इसलिए योजना के आरम्भ से लेकर ही अनेक प्रकार के आँकड़ों का हर समय उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है और उन आँकड़ों को सुरक्षित रखने के लिये लेख प्रमाणों को बनाने और सुरक्षित तथा पूर्ण रखना बहुत जरूरी है।

इन प्रमाणों की उपयोगिता के कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं।

1. लेख प्रमाणों में दिये गये आँकड़ों से कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित करने में और योजना का स्वरूप शिक्षार्थियों की रुचि व आवश्यकता के अनुसार बनाने में मदद मिलती है।
2. आँकड़े ही कार्यक्रम के संचालन में व्यवस्था ला सकते हैं और उन्हीं के आधार पर संचालन में फेर बदल सोचा जा सकता है।
3. आँकड़ों से ही शिक्षार्थियों की प्रगति का ज्ञान हो सकता है। समय-समय पर यह जानना जरूरी है कि प्रगति संतोषजनक हो रही है अथवा नहीं।
4. लेख प्रमाणों में दिये गये आँकड़ों के आधार पर ही शिक्षक को यथा आवश्यकता अपनी कार्यविधि में फेर बदल करने की जरूरत का ज्ञान होता है।
5. लेख प्रमाणों में दिए गए आँकड़ों के आधार पर ही किसी योजना की उपयोगिता व सफलता का ज्ञान होता है।
6. लेख प्रमाणों के आँकड़े योजना के हर स्तर पर आरम्भ में, मध्य में तथा पूर्ण होने पर, वास्तविक जानकारी जो योजना को रूप देने में, संचालन में, मूल्यांकन में, तथा अनवेषण में आवश्यक है, उपलब्ध करते हैं।
7. लेख प्रमाणों का बनाना और हर समय पूर्ण रखना तथा सुरक्षित रखना शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों में ही एक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करता है और कार्य क्रम में एक नियन्त्रण पैदा कर देता है।
8. उपयुक्त लेख प्रमाणों की उपलब्धि से नए कार्यकर्ताओं को पिछली कार्यविधि तथा उसका प्रभाव व सफलता का आभास तुरन्त हो जाता है।

9. लेख प्रमाणों के आँकड़ों से ही कार्य की सफलता को सिद्ध किया जा सकता है। प्रमाणित आँकड़े कार्पकर्ता को कार्य संचालन की शक्ति देते हैं क्योंकि उसे यह संतोष हर समय रहता है कि कोई भी निरीक्षण अधिकारी अथवा जन नेता अथवा आलोचक उसकी कार्यकुशलता से संतुष्ट होगा क्योंकि प्रमाणित आँकड़े जो उसके पास हैं, उनसे कार्य की संतोषजनक प्रगति स्पष्ट है।

10. लेख प्रमाणों के आँकड़ों से ही कार्य की समस्यायें और अड़चनें जानी जाती हैं और उनके हल सोचे जाते हैं।

यह तो लेख प्रमाणों की उपयोगिता की बात थी। अब हमें सोचना चाहिये कि प्रौढ़ साक्षरता कक्षा में कौन-कौन से लेख प्रमाण बनाये जाने और रखने चाहिएं।

पहले एक अध्याय में हमने साक्षरता क्षेत्र के सर्वे की बात की थी। सर्वे के आँकड़ों से बस्ती में रहने वाले निरक्षर प्रौढ़ों की संख्या, उनकी आयु, उनके व्यवसाय, उनके अवकाश, उनकी रुचियों तथा आवश्यकताओं को जाना जाता है। इस सब जानकारी का होना कार्य की व्यवस्था एवं सफल संचालन के लिए आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले तो सर्वे का ही एक लेख प्रमाण बनाना व रखना होगा।

सर्वे के पश्चात् जब कक्षा चल पड़ी, तो शिक्षार्थियों को कक्षा में भर्ती करना होता है। शिक्षार्थियों का पूरा लेखा करने के लिए शिक्षक को एक भर्ती रजिस्टर की आवश्यकता होगी।

शिक्षार्थी में पढ़ने की आदत डालने और उसमें रुचि पैदा करने के लिये तथा सहायक पाठ्यसामग्री उपलब्ध करने के लिये एक पुस्तकालय का होना जरूरी है। पुस्तकालय में अनेक

पुस्तकें भिन्न-भिन्न विषयों पर रखनी होती हैं । इन पुस्तकों को शिक्षार्थी बारी-बारी से लेते रहते हैं, पढ़ते हैं और लौटा देते हैं । फिर दूसरी पुस्तक ले लेते हैं और यह क्रम जारी रहता है । शिक्षार्थी अथवा बस्ती के दूसरे रहने वाले सभी पुस्तकालय से लाभ उठाते हैं । इसके लिए यह जानना जरूरी है कि पुस्तकालय में कौन-कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं और प्रत्येक का पूरा विवरण, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, मूल्य आदि होना जरूरी है । यह पुस्तकालय का भंडार रजिस्टर हुआ । अब वितरण का लेख प्रमाण चाहिए, ताकि यह जाना जा सके कि कौन पुस्तक किसने कब ली और कब वापिस आई अथवा नहीं आई । इन दोनों लेख प्रमाणों से यह भी मालूम होगा कि कौन पुस्तक खोई गई तथा यह भी मालूम हो जायेगा कि किस प्रकार की तथा कौन-कौन सी पुस्तकें अधिक पढ़ी गई और कौन कौन से शिक्षार्थी पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं ।

यह तो शिक्षार्थियों के भर्ती व उपस्थिति लेख की तथा लायब्रेरी पुस्तक भंडार तथा वितरण की बात हुई । अब केन्द्र के सफल संचालन के लिये और अनेकों वस्तुएँ चाहियें । कागज, स्लेट, पेन्सिल, स्याही, चाक आदि-आदि स्टेशनरी तथा कुर्सी, मेज, दरी आदि फर्नीचर व नक्शे, चार्ट आदि शिक्षण सामग्री । इनमें से कुछ चीजें स्थाई होंगी और कुछ टूटने-फूटने अथवा काम में लेने पर समाप्त हो जाने वाली । इन सभी वस्तुओं का लेखा जमा खर्च का हर समय केन्द्र में रहना आवश्यक है । स्थाई चीजें सम्पत्ति रजिस्टर में और अस्थाई, जमा रजिस्टर में रहनी चाहिये ।

शिक्षार्थियों की प्रगति जानने के लिए समय-समय पर जो जाँच की जाती है, उसका ब्यौरा भी रखना जरूरी है । जाँच मौखिक हो अथवा लिखित, उसके आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी

की प्रगति का जो अनुमान लगाया जाय, उसका ब्यौरा सुरक्षित लेख प्रमाण के रूप में रहना ही चाहिए । इसी आधार पर प्रगति जानी जाती है तथा यह जाना जाता है कि अमुक शिक्षार्थी को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है ।

इन प्रमाणों के अतिरिक्त शिक्षक को एक निजी डायरो भी रखनी चाहिये जिसमें वह अपने दैनिक प्रयत्नों का लेखा रखे । समस्याएँ जो आई या सूझीं, हल जो सोचे या किये, विधि, जो अपनाई, सफल हुई अथवा नहीं । कभी रही तो कहाँ । निरीक्षक द्वारा कोई हिदायत मिली, ऐसी-ऐसी सभी बातों का ब्यौरा शिक्षक की डायरीं में मिलना चाहिए । इस से उसके प्रत्यनों का अनुमान हो सकता है ।

फिर केन्द्र में अथवा कक्षा में निरीक्षक अथवा दूसरे माननीय दर्शक आते ही रहेंगे । उनके विचारों का लेखा रखने के लिए, तथा केन्द्र अथवा कार्यक्रम की प्रगति के बारे में उनकी राय अथवा सुझावों के रखने के लिए भी एक रजिस्टर होना जरूरी है । ऐसे माननीय दर्शकों व विशेषज्ञों के सुझाव बड़े महत्वपूर्ण होंगे और केन्द्र को प्रगतिशील बनाने में सहायक होंगे । उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हितकर होगा ।

अन्त में वैसे तो साक्षरता कार्यकर्ताओं को रुपये पैसे के जमा खर्च से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, परन्तु फ़िर भी केन्द्र के संचालन में कभी-कभी कोई विशेष समारोह व उत्सव आदि के समय कुछ आता है, कुछ खर्च होता है, उसका व्यवस्थित रूप से लेखा रहना ही चाहिए । कभी-कभी जनता के सहयोग से बड़ं-बड़े समारोह मनाए जाते हैं, इसमें बस्ती के लोग पैसा देते हैं । इस सब का जमा खर्च का उत्तरदायित्व केन्द्र संचालक अथवा शिक्षक के ऊपर ही है । इसलिए आए हुए पैसे की रसीद, रसीद बुक से देनी चाहिये और हर खर्चे की रसीद लेनी

चाहिए। खर्चे की रसीदों को संभाल कर फाइल में रखना चाहिए और इस प्रकार हुई आमदनी और किये गये खर्च का ब्यौरा एक केश बुक में होना जासिए। इस हिसाब से पूरे जमा खर्च का, चाहे सरकारी हो अथवा निजी अथवा जनता द्वारा दिया हुआ, हिसाब व्यवस्थित रूप से रहेगा।

इस प्रकार हमने देखा कि हर साक्षरता कक्षा में कुछ फाइल और कुछ रजिस्टरों का रखना जरूरी है जिनके नाम नीचे लिखे हैं।

| काईल | रजिस्टर |
| --- | --- |
| 1. सर्वे फार्म फाइल | 1. सर्वे रजिस्टर जिस में स्थानीय सर्वे का संकलन हो। |
| 2. पत्र व्यवहार फाइल जिसमें भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियों तथा आए हुए सब पत्रों को रखते हैं। यदि पत्र व्यवहार बहुत अधिक हो तो विषयानुसार पत्र व्यवहार फाइल बनाई जा सकती हैं, परन्तु शिक्षक को इतनी आवश्यकता सम्भवतया न होगी। | 2. भर्ती रजिस्टर जिसमें शिक्षार्थियों का पूरा विवरण हो। भर्ती से लेकर छोड़ने तक। |
| 3. रसीदों (खर्च की) की फाइल | 3. दैनिक उपस्थिति रजिस्टर। |
| 4. रसीद बुक (आय की रसीद) | 4-5. पुस्तकालय भंडार व वितरण रजिस्टर। समाचार पत्रों का लेखा। |

5. भर्ती फार्मों का फाइल

6. स्टेशनरी आदि वस्तुओं व स्थाई सम्पत्ति की वस्तु का लेखा स्टाक व सम्पत्ति रजिस्टर।
7. केन्द्र के शिक्षार्थियों की प्रगति का रजिस्टर।
8. शिक्षक की डायरी
9. माननीय अतिथियों की सम्मतियों के लिये रजिस्टर।
10. हिसाब की जमा खर्च बही।
11. केन्द्र के सहायकों, अथवा शिक्षार्थियों की टोलियों अथवा इसी प्रकार की और दूसरी सभाओं की कार्यवाही का लेखा रजिस्टर।

यह जरूरी नहीं है कि इन लेख प्रमाणों का रूप हर केन्द्र पर एक ही प्रकार का हो। आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार यह भिन्न हो सकता है और शिक्षक अपनी सुविधानुसार इसमें फेर बदल कर सकते हैं। परन्तु फिर भी कुछ नमूने दे देना उचित होगा। इसलिए केवल मार्ग दर्शनार्थ कुछ नमूने नीचे दिये जा रहे हैं।

## बस्ती का सर्वे फार्म

क्षेत्र का नाम.........................

| मकान न० | नाम | परिवार के मुखिया से सम्बन्ध | आयु | साक्षरता स्तर | व्यवसाय | अवकाश तथा इसका उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## सर्वे संकलन फार्म

क्षेत्र का नाम व विस्तार.........................

| 12-45 आयु वर्ग के व्यक्ति | | साक्षर | | निरक्षर | | पढ़ने में तत्पर | | व्यवसाय | अभिरुचि | क्षेत्र में सहायक संस्थाओं एवं व्यक्तियों का ब्यौरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | | | |
| | | | | | | | | | | |

## भर्ती रजिस्टर

| न० | शिक्षार्थी का नाम | पिता या पति का नाम | आयु | पता | शिक्षा स्तर | विशेष रुचि | भर्ती की तिथि | प्रगति का ब्योरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## दैनिक उपस्थिति रजिस्टर :

बालविद्यालयों की कक्षाओं में साधारणतया काम आने वाले रजिस्टर ही यहाँ भी काम दे सकते हैं। कोई विशेष प्रकार के रजिस्टर की आवश्यकता नहीं है। शिक्षार्थी का नाम और प्रति दिन की उपस्थिति का ब्यौरा ही चाहिए।

यह जरूरी है कि एक कोर्स की समाप्ति पर निम्नलिखित जानकारी रजिस्टर के अन्त में दर्ज की जाय।

1. कक्षा के आरम्भ की तिथि.................
2. प्रथम दिन की संख्या.......................
3. कोर्स की समाप्ति की तिथि..................
4. अन्तिम दिन की संख्या .....................
5. कुल दिन जिनमें कक्षा चली ..............
6. औसत छात्र संख्या..........................
9. औसत दैनिक उपस्थिति.....................
8. अधूरी शिक्षा छोड़ने वालों की संख्या......
9. परीक्षा देने वालों की संख्या..............
10. परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या...
11. पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का ब्योरा ...........................................

## शिक्षक की डायरी

शिक्षक की दैनिक डायरी में दिन भर के काम का ब्योरा होना चाहिए। कक्षा में कितने शिक्षार्थी उपस्थित हुए, पुस्तकें जो वितरण की गईं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ। कार्य-क्रम में कितनी उपस्थिति थी। कोई विशेष सम्माननीय अतिथि

आए, कोई विशेष समस्या आई आदि-आदि । मास के अन्त में पूरे मास की संक्षिप्त रिपोर्ट बनाकर लिख देनी चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षक को भेज देनी चाहिए ।

## पुस्तकालय रजिस्टर

पुस्तकालय का लेखा रखने के लिए बहुत विस्तृत लेखे की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टरमें प्रत्येक पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े, पूरी जानकारी प्राप्त हो सके । साक्षरता केन्द्रों के पुस्तकालयों में जुदा-जुदा विषयवार रजिस्टर रखने की आवश्यकता नहीं है । एक ही रजिस्टर पर्याप्त हो सकता है । परन्तु नीचे लिखी जानकारी अवश्य होनी चाहिये ।

| नम्बर | पुस्तक का नाम | लेखक का नाम | प्रकाशक का नाम | मूल्य | प्राप्ति की तिथि | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

जहाँ तक पुस्तकों के वितरण के लेखे का सम्बन्ध है । वितरण रजिस्टर कोई-सी प्रकार का बनाया जा सकता हैं, पुस्तक वार अथवा शिक्षार्थी वार । प्रथम प्रकार का रजिस्टर यह आसानी से दिखा देगा कि कौन-सी पुस्तक अधिक पढ़ी गई और दूसरी प्रकार का यह जानकारी देगा कि कौन

शिक्षार्थी पढ़ने में अधिक रुचि रखता है। रजिस्टर सुविधानुसार किसी प्रकार का भी रखा जा सकता है परन्तु उसमें पुस्तक का नाम व नम्बर, लेने वाले का नाम, लेने की तिथि और लौटाने की तिथि अवश्य होनी चाहिए। लेने की तिथि के बाद शिक्षार्थी के हस्ताक्षर भी हो जावें, तो उत्तम होगा।

पुस्तकालय संचालन के लिये ऊपर बताए गए दो रजिस्टर काफी हैं। वाचनालय में आने वाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक आदि पत्रों का ब्यौरा प्रति माह के हिसाब से रखना चाहिए ताकि पत्रों की प्राप्ति आदि का पूरा पता लग जाये और पत्र न मिलने पर पत्र व्यवहार किया जा सके—

मास.................................... वर्ष......................

| पत्र | नवभारत | धर्मयुग | प्रौढ़ शिक्षा | मंगल प्रभात | ...... | ...... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | √ | | | √ | | |
| 2. | √ | √ | | | | |
| 3. | √ | | √ | | | |
| 4. | √ | | | | | |
| 5. | √ | | | | | |

वाचनालय में यदि बाहर के लोग भी अर्थात् बस्ती के अन्य लोग भी पढ़ने आते हों तो पढ़ने वालों के हस्ताक्षर के लिए रजिस्टर रखा जा सकता है, जिससे ये जाना जा सकेगा कि वाचनालय सेवा कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

स्टॉक व सम्पत्ति रजिस्टर का कोई विशेष नमूना नहीं चाहिए। इन कामों के लिये साधारणतया जो रजिस्टर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वे ही काफी हैं। जरूरी यह है कि रजिस्टर से निम्न जानकारी प्राप्त हो जाए। यह जानकारी वस्तु वार भिन्न-भिन्न पृष्ठ देकर भी हो सकती है।

| वस्तु का नाम | वस्तु का परिमाण अथवा कोई ब्राण्ड आदि | मात्रा जो मिली अथवा संख्या | मूल्य | मिलने की तिथि | प्रयोग का ब्योरा |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

शिक्षार्थी प्रगति रजिस्टर में शिक्षार्थी का नाम स्तर वार, भर्ती होने की तिथि और प्रगति विवरण होना चाहिए। प्रगति विवरण में समय-समय पर हुई परीक्षा में प्राप्त अंक लिखे जा सकते हैं। और अन्त में कोर्स की समाप्ति पर पूरा-पूरा विवरण लिखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जितने भी लेख प्रमाणों की चर्चा की है, उनके लिए कोई विशेष प्रकार के रजिस्टरों की जरूरत नहीं है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक भली प्रकार लेख प्रमाणों के बनाने और पूरा रखने में प्रयत्नशील रहें और उनके उपयोग को समझें। ये लेख प्रमाण उनकी कर्मठता का द्योतक होंगे और इन्हीं के आधार पर वे अपना मार्ग निश्चय कर सकेंगे। अनुभव हो जाने पर दूसरों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त सामग्री दे सकेंगे; जिससे शिक्षा प्रसार आन्दोलन को बल मिलेगा।

*अनुबंध संख्या 1*

# व्यवसायोपयोगी साक्षरता का सांकेतिक पाठ्यक्रम

यूनेस्को द्वारा संयोजित साक्षरता विशेषज्ञों की एक समिति ने व्यवसायोपयोगी साक्षरता की परिभाषा निश्चित की है :—

"कोई व्यक्ति उस समय व्यवसायोपयोगी साक्षर कहा जा सकता है अथवा माना जा सकता है, जब वह उस सारी शिक्षा और कला का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके द्वारा वो अपने वर्ग अथवा समाज में सफलता के साथ वे सब कार्य कर सके, जिसमें पढ़ाई-लिखाई की आवश्यकता है। इस पढ़ाई-लिखाई और गणित के ज्ञान में उसको इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो स्वयं इस ज्ञान और कला को स्वयं और समाज के विकास के लिए आगे बढ़ाता चला चले।"

इस परिभाषा के अनुसार साक्षरता पाठ्यक्रम द्वारा नव-साक्षर में पढ़ने-लिखने और हिसाब करने का इतना ज्ञान हो जाना चाहिएकि उसको वापिस निरक्षर बन जाने का भय न रहे। या यूँ कहिए कि उसमें इस नए प्राप्त ज्ञान को काम में लेते रहने की इतनी रुचि उत्पन्न हो जानी चाहिए कि वो स्वयं बराबर पढ़ता लिखता रहे और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता चले। ताकि वो अपनी व्यवसायिक दक्षता भी पढ़ कर ही बढ़ाता चला जाये। उसमें समस्याओं को समझने, विचार विमर्श करने और उन्हें

सुलझाने की सामर्थ्य आ जानी चाहिए ताकि वो अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्धशाली बना सके।

यहाँ जो सांकेतिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन के लिए दिया जा रहा है, उसका अभिप्राय पाठकों को व्यवसायोपयोगी साक्षरता देने का है। इसका लक्ष्य शिक्षार्थियों को लिखित रूप में जो बात प्रस्तुत की जाय, उसको पढ़ लेने की, पढ़कर उस पर विचार करने की, उस पर अपना निर्णय लेने की और अपने विचार को मौखिक अथवा लिखित रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की योग्यता देने का है। पढ़ाई-लिखाई और गणित के ज्ञान के प्रस्तुत करने की योग्यता पैदा कर, पढ़ाई-लिखाई और गणित के ज्ञान के साथ-साथ उसे अपने चारों ओर के वातावरण का, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपनी समाज का और अपने देश का भी ज्ञान हो जाये ऐसा दृष्टिकोण है। साथ ही उसे संरक्षक, मतदाता, नागरिक, उत्पादक और करदाता की हैसियत से अपने उत्तरदायित्व और अधिकारों का ज्ञान हो जाये, यह भी उद्देश्य है। सामाजिक जीवन में उपयोगी योगदान के लिए और अपने जीवन को सफल और समृद्धिशाली बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को ऊपर बताए गए हर विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए इस ज्ञान की प्राप्ति भी साक्षरता के पाठ्यक्रम का अंग होना आवश्यक है।

व्यवसायोपयोगी साक्षरता के पाठ्यक्रम में शिक्षण की विषय वस्तु को व्यक्ति के जीवन व्यवसाय से सम्बन्धित करने पर विशेष बल देने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति अर्थात् शिक्षार्थी हो और शिक्षा का पाठ्यक्रम उसके व्यवसाय की समस्याओं पर अथवा जानकारी पर केन्द्रित हो। साक्षरता के कार्यक्रम की सारी पाठ्य सामग्री इसीलिए शिक्षार्थी की व्यवसायिक आवश्यकताओं पर आधारित तथा समस्याओं पर केन्द्रित होनी चाहिए।

इस पाठ्यक्रम को समाप्त करने में प्रति सप्ताह 10-12 घंटे के शिक्षण से, नौ से लेकर बारह महीने तक का समय लग जाने का अनुमान है। इसमें से अधिकतर समय तो भाषा का ज्ञान कराने के लिए पढ़ाई-लिखाई में ही लगेगा परन्तु साथ ही साथ कुछ समय गणित ज्ञान में और कुछ अन्य सामयिक, स्थानीय तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर व्यवस्थित कार्य-क्रमों में, जिनकी हमने साक्षरता कक्षाओं की व्यवस्था वाले अध्याय में चर्चा की है। ऐसा करने से शिक्षार्थियों को क्रियात्मक योगदान का आभास होने से उनकी रुचि शिक्षा प्राप्ति के कार्य में लग जायेगी।

सांकेतिक पाठ्यक्रम को निम्न प्रकार बाँटा जा सकता है। यह केवल सुझाव है। वास्तविक व्यवस्था तो स्थानीय परि-स्थितियों पर ही आधारित रहेगी।

**1. भाषा ज्ञान** (पढ़ना और लिखना)

भाषा जैसा कि पहले बताया है आपसी बातचीत और विचार-विमर्श का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए शिक्षार्थियों में पढ़ने, समझने, लिखने और समझाने अथवा लिख-कर विचारों का आदान-प्रदान करने की योग्यता पर्याप्त मात्रा में आ जाने पर ही वह व्यवसायोपयोगी साक्षरता प्राप्त कर सकता है और उसी समय वह संचार के इस अधिकतम महत्व-पूर्ण साधन का लाभ उठा सकता है।

पढ़ाई की योग्यता में अक्षरों और शब्दों को पहचान कर वाक्यों को पढ़ना और जो कुछ पढ़ा जाये उसे समझना शामिल है। ऐसी योग्यता हो जाने के बाद ही शिक्षार्थी सरलता, शुद्धता और फुर्ती के साथ पढ़ सकेगा।

लिखाई का अर्थ है अक्षरों की बनावट को समझना और

शब्दों और वाक्यों के गठन को समझना । लिखाई साफ, समान, और सीधी होनी चाहिए । लिखाई में गति लाने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता है । चूँकि पाठ्य सामग्री का विषय पाठकों के जीवन व्यवसाय और उसकी आवश्यकताओं से सम्बन्धित होगा, स्वास्थ्य, सफाई, समाज, इतिहास, विज्ञान आदि साधारण विषयों का ज्ञान सब भाषा के पाठों द्वारा ही दिया जायेगा । इसके लिए अलग-अलग पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी ।

**पढ़ाई (प्रथम स्तर)**

1. प्राइमर तथा पहली पुस्तक का मौखिक पाठ (बोलकर) जो लगभग 30-40 शब्द प्रति मिनट की गति से शुद्धता और बिना रुकावट होना चाहिए ।
2. समाचार पत्रों के शीर्षकों का पढ़ना और समझ लेना, पोस्टरों के लेख, विज्ञापनों, दवाईयों के लेबलों तथा श्यामपट पर लिखे वाक्यों का सउच्चारण शुद्ध पाठ कर सकना और समझ लेना ।
3. बहुत अधिक काम में आने वाले संयुक्त अक्षरों को समझना और पढ़ लेना ।
4. जो कुछ पढ़ा जा सके, उसके अर्थ समझ लेना ।
5. विशेषकर नव साक्षरों के लिए बनाई गई सहायक पाठ्य सामग्री तथा पत्रों आदि को पढ़ सकना और समझ लेना ।
6. कम-से-कम 500 से 600 तक साधारणतया काम में आने वाले शब्दों को पढ़ लेना और समझ सकना ।

**पढ़ाई (द्वितीय स्तर)**

1. दूसरी और तीसरी पुस्तक का सउच्चारण मौखिक

शुद्ध पाठ कर सकना, उसे समझ लेना ओर कम-से-कम 60-70 शब्द प्रति मिनट की गति से पढ़ना।

2. सरल पाठ्य सामग्री का मूक पाठ।
3. जो कुछ पढ़ा जाय, उसका साधारण तथा विशेष अर्थ समझ लेना।
4. नव साक्षरों के लिए बनाये गये समाचार पत्र, बुलिटिन, पुस्तिका, परिपत्र व आदेश पत्रों को पढ़ना और समझना।
5. सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने की प्रेरणा होना और पढ़ना।
6. जो पढ़ा जाए, उस पर आलोचनात्मक विचार जागृत हों, उनका आदान-प्रदान कर सकना।
7. शब्दावली विकास लगभग 1500 साधारणतया उपयोग में आने वाले शब्दों का पढ़ना, लिखना और समझना। इस 1500 में पहले स्तर का 500 भी शामिल हैं।

**लिखाई (प्रथम स्तर)**

1. साधारणतया काम में आने वाले शब्दों और उनके द्वारा बनाए गए वाक्यों का लिख सकना (बिना संयुक्त अक्षरों के)
2. वाक्यों को बोर्ड पर से अथवा किताब देख कर कापी या स्लेट पर लिख सकना।
3. नामों और पत्र व्यवहार के पतों का लिखना, अपने दैनिक जीवन कार्य में अथवा घर के काम में आने वाली प्रत्येक वस्तुओं के नाम लिख सकना।
4. साधारण शब्दों और सरल वाक्यों का श्रुति लेख।

5. साधारण आदेशों का लिख लेना अथवा ज्ञानप्रद वाक्यों का लिख लेना ।
6. पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग समझना ।

**लिखाई** (द्वितीय स्तर)

1. जो सरल भाषा में पाठ पढ़ा हो, उसको लिखना ।
2. साधारण वाक्यों और शिक्षाप्रद उपदेशों का श्रुति लेख ।
3. संयुक्त अक्षरों द्वारा बने हुए साधारण शब्दों का लिख सकना ।
4. रुचिकर विषयों पर अपने विचार लेखबद्ध करना ।
5. पत्र, प्रार्थना पत्र, निमन्त्रण पत्र आदि लिखना ।
6. भिन्न-भिन्न प्रकार के फार्म भरना, हिसाब रखना, डायरी रख सकना और दैनिक जीवन कार्य की योजना बना सकना ।

**अंकगणित** (स्तर प्रथम)

1. 1000 तक गिनती गिनना, पढ़ना और लिखना ।
2. इकाई, दहाई, और सैंकड़ों के स्थानों को समझना ।
3. साधारण जोड़, बाकी ।
4. दस तक पहाड़े ।
5. 1/2, 1/4 व 3/4 आदि साधारण भिन्नों को समझना ।
6. लम्बाई, क्षेत्रफल, घन फल, तौल, समय और मुद्रा के भिन्न-भिन्न नाप ।

(व्यवहारिक ज्ञान)

1. सिक्कों का ज्ञान ।
2. पहाड़ों की सहायता से दैनिक जीवन के साधारण हिसाब किताब ।
3. साधारण घरेलू हिसाब किताब ।
4. साधारण व्यवसायिक योजना बनाना ।
5. एकिक नियम की सहायता से हिसाब लगाना ।
6. कैलेन्डर का प्रयोग जानना ।
7. रेखागणित के चित्रों को समझना अर्थात् त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, गोला आदि का रूप ज्ञान ।
8. डाकखाने के सम्बन्ध का ज्ञान ।

**अंकगणित** (द्वितीय स्तर)

1. दस लाख तक की गिनती पढ़ना, गिनना, लिखना आदि ।
2. 20 तक पहाड़े ।
3. हजार, दस हजार और लाख का लिखना समझना ।
4. जोड़, बाकी ।
5. साधारण गुणा, भाग ।
6. +, −, ×, ÷ चिन्हों का ज्ञान ।
7. सिक्कों, तोल, लम्बाई और समय आदि के नापों के जोड़, बाकी ।
8. एकिक नियम तथा अनुपात ।
9. गुणा, भाग साधारण व मिश्रित ।

(व्यवहारिक ज्ञान)

1, डाक खाना बचत योजना ।

2. ब्याज और बैंक के द्वारा लेन देन का ज्ञान, प्रतिशत का ज्ञान, उधार लेना, देना तथा बचत की क्रियाओं को समझना ।

3. व्यवहारिक एवं पारिवारिक हिसाब किताब रखना, जमा खर्च और बचत का ज्ञान ।

4. आयत और वर्गों का क्षेत्रफल ।

5. गुणा भाग के साधारण अभ्यासार्थ प्रश्न ।

6. काम और समय ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न ।

7. लाभ, हानि के साधारण प्रश्न ।

8. औसत का ज्ञान ।

**(व्यवसायिक साक्षरता में साधारण ज्ञान के विषयों का पाठ्यक्रम जो भाषा ज्ञान की पाठ्य पुस्तकों द्वारा अथवा मौखिक रूप से तथा अन्य क्रियात्मक कार्यक्रमों द्वारा दिया जाना चाहिए)**

**(क) स्थानीय तथा स्वशासित संस्थाएँ**

1. गाँव सभा, ग्राम पंचायत, ब्लाक पंचायत समिति, न्याय पंचायत, जिला परिषद, इनके कार्य, उत्तरदायित्व, गठन, चुनाव तथा संचालन ।

2. नगर निगम, नगर पालिका, इनके कर्तव्य, इनका गठन, चुनाव, कार्यक्रम का संचालन ।

3. सहयोगी संस्थाएँ, उनके प्रकार और कार्य व महत्व ।

4. एच्छिक संस्थाएँ जैसे कृषक समाज, महिला मण्डल, युवक दल, श्रमिक संघ तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के सेवा कार्य संघटन, इनके काम तथा व्यवस्था ।

## (ख) स्वास्थ्य और सफाई

1. व्यक्तिगत एवं वातावरण की सफाई, गन्दे पानी की समाप्ति, सोकपिट बनवाना, कूड़ा, करकट, मल-मूत्र की सफाई, नई किसम के शौचालय, उनकी उपलब्धि तथा प्रयोग ।
2. नमूने के घर, रोशनी, हवा और पानी की आवश्यकता। रोशनदानों और खिड़कियों की आवश्यकता ।
3. पीने का साफ पानी, पानी से फैलने वाली बीमारियाँ तथा उन से बचने की तरकीबें ।
4. साधारण रोगों की पहचान, उनसे बचाव तथा उनके इलाज का ज्ञान जैसे मलेरिया, चेचक, हैजा, टाइफाइड तथा अन्य गुप्त रोग ।
5. मानव शरीर, उसकी बनावट, तथा कार्य विधि का ज्ञान ।
6. प्राथमिक चिकित्सा एवं रोगी सेवा, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की पहचान, उनसे बचाव तथा इलाज ।

## (ग) भोजन तथा पोषण

1. भोजन और सब्जियों को सुरक्षित करना । शर्बत आदि बनाना । अचार, मुरब्बे, रस आदि बनाना, मौसमी सब्जियों को सुखा कर रखना आदि ।
2. पोषण क्रिया को समझना । भोजन के आवश्यक तत्व, स्थानीय वस्तुओं से संतुलित भोजन की जानकारी । ठीक प्रकार का भोजन भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में बनाना, रोगियों के लिए, बच्चों के लिए, प्रसूता माता के लिए, गर्भवती महिला के लिए आदि-आदि ।

पौष्टिक भोजन के साधारण सिद्धान्त तथा गुणों का ज्ञान।

**(घ) मातृत्वकला तथा शिशु पालन**

1. गर्भ पूर्व और जनन पश्चात् की साधारण सावधानियों का ज्ञान। शिशु को दूध पिलाना, नहलाना आदि का ज्ञान।
2. प्राथमिक चिकित्सा तथा रोगी सेवा ज्ञान।
3. गले, आँख, नाक, कान, तथा दांतों की रक्षा का ज्ञान।

**(च) परिवार सुख साधनों का ज्ञान**

1. जनसंख्या वृद्धि, समस्या तथा उसका स्वास्थ्य व विकास व समृद्धि पर प्रभाव।
2. पारिवारिक सुख तथा समृद्धि के लिए परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के सामाजिक, आर्थिक, भोजन,पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पक्षों का ज्ञान।
3. विवाहित जीवन के उत्तरदायित्वों, जननेन्द्रियों का तथा स्त्री पुरुष के परस्पर व्यवहार का ज्ञान।
4. पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए परिवार नियोजन सम्बन्धी सावधानियों का ज्ञान, हर विधि के सामाजिक, चिकित्स्य, तथा जीवन शास्त्र सम्बन्धी पक्ष का ज्ञान।
5. परिवार नियोजन केन्द्रों का ज्ञान।
6. पारिवारिक जीवन में पति-पत्नी का सम्बन्ध, माता, पिता, तथा सन्तान का सम्बन्ध। एक दूसरे की भावनाओं तथा आवश्यकताओं को समझना।

**(छ) नागरिकता ज्ञान**

1. गाँव, जिला, राज्य तथा देश का ज्ञान।

2. भारतीय जन राज्य, प्रजातन्त्र का हर स्तर पर संचालन कैसे होता है ।
3. पंचायत, विधान सभा, राज्य सभा तथा न्याय शासन व्यवस्था ।
4. मतदान का महत्व, मतदान व्यवस्था ।
5. नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार ।
6. संचार तथा यातायात साधनों का ज्ञान, उत्पादन, आयात-निर्यात का ज्ञान ।
7. पंचवर्षीय विकास योजनाएँ ।
8. देश के महान नेताओं तथा विश्व के महान नेताओं की जीवनियाँ तथा उनके उपदेश ।
9. मानवीय व्यवहार, सहृदयसहस्तित्व तथा सहयोग, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा जीवन को सुखमय बनाना आदि आदि ।
10. भिन्न-भिन्न धर्मों, सम्प्रदायों के महान पुरुषों एवं ग्रन्थों का ज्ञान ।
11. आपसी भ्रातृ-भाव विकास के साधन ।

**विशेष व्यवसायी वर्गों के शिक्षणार्थ पाठ्यक्रम के अन्य विषय**

**(1) कृषि तथा कृषि सम्बन्धित अन्य व्यवसाय**

1. उत्पादन वृद्धि के लिये काम में लाये जाने वाले नए तरीके जैसे बोने के नए तरीके, पौद लगाना, अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्में, रासायनिक खाद तथा फसल की सुरक्षा के लिए कीटाणुनाशक दवाईयों का ज्ञान ।
2. खाद के गड्ढे बनाना । कम्पोस्ट खाद की तैयारी ।
3. घरेलू बगीचा लगाना, साग सब्जी उगाना ।

4. बीजों का चुनाव व सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, चूहों से तथा अन्य कीड़ों से ।
5. पशु पालन, पशु चिकित्सा, साधारण रोग। पशु भोजन तथा दुधारू पशुओं की रक्षा ।
6. दूध निकालने में सफाई तथा दूध, दही, घी आदि बनाने में सावधानियाँ ।
7. नए यंत्रों का ज्ञान, उपलब्धि के स्थान, मूल्य तथा प्रयोग विधि ।
8. भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध उत्पादन वृद्धि की सुविधाएँ तथा उनकी प्राप्ति का ज्ञान ।

**(2) छोटे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक :—**

1. कृषि सम्बन्धी उद्योग :—

मुर्गी पालन, मधु मक्खी पालन, साबुन बनाना, रस्सी बनाना, दुग्ध शाला, कागज के लिफाफे तथा थैले बनाना, कपड़ों की कटाई और सिलाई, चाक बनाना, मसाले पीसना और पैकिट बनाना, अम्बर चर्खा, मुरब्बे, अचार आदि बनाना। साईकिल मरम्मत, ट्रैक्टर मरम्मत, नलकूप मरम्मत आदि-आदि ।

2. इन उद्योगों को चलाने की सुविधाओं की उपलब्धि ।
3. भिन्न-भिन्न उद्योगों में कार्य प्राप्ति के अवसर तथा उनका रूप, जैसे बिजली के सामान का उद्योग, रेडियों के भाग बनाने का उद्योग, बिजली की चीजों की मरम्मत के उद्योग। बिजली की प्रैस, कमरा गरम करने के हीटर, केतली, प्लास्टिक और रबड़ की चीजों के उद्योग । आजकल घरों में काम आने

वाली साधारण चीजें, पंखे, प्रेस, रेडियो, गैस चूल्हे, टोस्टर आदि-आदि, इनकी कार्यविधि का ज्ञान ।

(3) **श्रमिक संघटन, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण ।**

1. श्रमिक संघटन के उद्देश्य व्यवस्था तथा कार्य ।
2. सामूहिक सौदेबाजी, तथा, श्रम संस्थाओं के कल्याण कार्य ।
3. श्रमिकों तथा मालिकों व अधिकारियों के आपसी सम्बन्ध ।
4. श्रमिक बीमा योजना, प्रोवीडैण्ट फण्ड, स्वास्थ्य बीमा, छौटी बचत योजना एवं ऐसी ही ओर कल्याणकारी योजनाएँ ।
5. श्रमिक आवास क्षेत्रों की तथा घरों की व मोहल्ले की सफाई आदि का ज्ञान ।
6. औद्योगिक श्रमिकों के पारिवारिक खर्चों का ज्ञान, जमा खर्चा तथा आय व्यय का ज्ञान ।
7. बदले हुए नागरिक वातावरण का ज्ञान तथा नए वातावरण में सामंज़स्य उपस्थित करने की आवश्यकता एवं रास्ते ।

(4) **गृह व्यवस्था**

1. गृह संचालन का व्यवस्थित रूप । आवश्यकता की सब वस्तुओं की यथा स्थान उपलब्धि । किचन की सफाई तथा भोजन तैयार करने सम्बन्धी सभी चीजों को सुरक्षित, शुद्ध और यथा स्थान रखना ।
2. घर में सुविधाजनक उपकरणों का प्रयोग जैसे नई किस्म के चूल्हे, धुंआ रहित गैस चूल्हे, स्टोव, बाल-

वाली चक्की, प्रेशर कुकर, दही और घी बनाने वाली चीजों का ज्ञान तथा इनकी उपयोग विधियाँ ।

3. रद्दी, फटी पुरानी चीजों का उपयोग में लाना, घर सजावट की चीजें, खिलोनें आदि बनाना, पुराने बड़े कपड़ों में से छोटे बच्चों के कपड़े बना लेना, घर की सजावट के चिमनी पीस, टेबल क्लाथ (मेजपोश) आदि बना लेना ।

4. कपड़ों की धुलाई व मरम्मत व सुरक्षा ।

5. पारिवारिक बजट का बनाना और समझना ।

इस अध्याय में जो सांकेतिक पाठ्यक्रम दिया गया है, उसमें लगभग सभी वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है । सारा पाठ्यक्रम हर वर्ग के लिये आवश्यक नहीं है । जिस वर्ग की जो आवश्यकता हो, उसके अनुसार ही इसमें से छाँट कर अथवा इसी नमूने पर फेर बदल करके पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिये । जो बात पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में की है, वही पुस्तकों तथा पाठ्य सामग्री के सम्बन्ध में भी लागू है । एक ही पुस्तक में सारा पाठ्यक्रम नहीं समाया जा सकता । भिन्न-भिन्न विषयों अथवा वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न पुस्तकें होनी आवश्यक हैं । हर दशा में चुनाव करके उपयुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्री का निर्धारित करना शिक्षकों पर ही निर्भर करेगा । हर स्थान पर एक ही पाठ्यक्रम काम न देगा । अत्यन्त आवश्यक बात यह है कि शिक्षण का केन्द्र शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम उसकी आवश्यकनाओं तथा समस्याओं पर केन्द्रित होना चाहिए । ऐसीदशा में ही मनोवान्छित लाभ हो सकता है और प्रौढ़ शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति ।

*अनुबन्ध संख्या : 2*

# भारत में साक्षरता के आंकड़े

पुस्तक के एक अध्याय में किसी भी कार्यक्रम की प्रगति की जाँच करने के लिए अथवा उसके बारे में साधनों और परिणामों का ब्यौरा एकत्रित कर भावी कार्यक्रम पर विचार करने के लिए आँकड़ों के सुरक्षित रखने और उनकी उपयोगिता के महत्व पर चर्चा की गई है। कार्य की प्रगति के वास्तविक आंकड़ों के बिना उस पर कुछ भी मत प्रगट करना अथवा कोई निर्णय देना व्यर्थ है। आँकड़ों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पाठकों की जानकारी के लिए भारत में प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता सम्बन्धी कुछ आँकड़े हम इस अनुबंध में दे रहे हैं। आशा है, उपयोगी सिद्ध होंगे।

**भारत में साक्षरता की प्रगति**

**सारिणी संख्या** 1.

| जनगणना वर्ष | साक्षरता का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|
| | कुल | पुरुष | महिला |
| 1951 | 16·6 | 24·9 | 7·9 |
| 1961 | 24·0 | 34·4 | 12·8 |
| 1971 | 29·35 | 39·49 | 18·47 |

## सारिणी संख्या 2.

साक्षरता का प्रतिशत—पुरुष व महिलावर्ग —शहरी व देहाती क्षेत्रों में

| जनगणना वर्ष | | कुल | देहाती % | शहरी % |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | कुल | 16·6 | 11·8 | 34·6 |
| | पुरुष | 24·9 | 19·0 | 45·0 |
| | महिला | 7·9 | 4·9 | 22·3 |
| 1961 | कुल | 24·0 | 19·0 | 47·0 |
| | पुरुष | 34·4 | 29·0 | 57·6 |
| | महिला | 12·8 | 8·5 | 34 6 |
| 1971 | कुल | 29·35 | 10 से 30 | 40 से 60 |
| | पुरुष | 34·49 | — | — |
| | महिला | 18·47 | — | — |

## सारिणी संख्या 3

शिक्षा स्तर के आधार पर साक्षर जन-संख्या (दस लाख में) 1951 व 1961 में।

| शिक्षा स्तर | 1951 | | 1961 | |
|---|---|---|---|---|
| | कुल | दिये हुए स्तर में कुल का % | कुल | दिए हुए स्तर में कुल का % |
| 1. माध्यमिक तथा न्यून माध्यमिक स्तरीय साक्षर वर्ग | 55·442 | 93·54 | 97·260 | 92·15 |
| 2. उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तरीय साक्षर वर्ग | 2·623 | 4·4 | 6·806 | 6·5 |
| 3. कला, विज्ञान, कृषि चिकित्सा विज्ञान के ग्रेजूएट तथा तकनीकी वगैर तकनीकी डिप्लोमा स्तरीय साक्षर वर्ग | 1·141 | 2·0 | 1·395 | 1·3 |
| 4. इन्जीनियरिंग डिग्री | 0·036 | 0·06 | 0·049 | 0·05 |
| कुल | 59·242 | 100·00 | 105·510 | 100·00 |

## सारिणी संख्या 4

आयु वर्ग के हिसाब से साक्षरता (1961 जनगणना) आँकड़े दस लाख में है।

| आयु वर्ग | कुल जन सख्या | कुल साक्षर | वर्ग जन सख्या कुल जनसख्या का प्रतिशत | वर्ग साक्षरता कुल साक्षर जन संख्या का प्रतिशत | वर्ग साक्षर संख्या का वर्ग जन-सख्या से प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 66·1 | ...... | 15·00 | ......... | ......... |
| 5-9 | 64·7 | 12·83 | 14·7 | 12·2 | 19·8 |
| 10-14 | 49·4 | 20·84 | 11·2 | 19·8 | 42·2 |
| 15-19 | 35·9 | 13·79 | 8·3 | 13·1 | 38·4 |
| 20-24 | 37·4 | 12·54 | 8·5 | 11·9 | 33·5 |
| 25-29 | 36·7 | 10·73 | 8·5 | 10·1 | 29·2 |
| 30-34 | 30·9 | 8·51 | 7·0 | 8 0 | 27·5 |
| 35-44 | 48·4 | 12·30 | 11·0 | 11·7 | 25·4 |
| 45-59 | 45·0 | 9·83 | 10·2 | 9·3 | 21·8 |
| 60 तथा अधिक | 24·7 | 4·14 | 5·6 | 3·9 | 16·8 |
| कुल योग | 439·2 | 105·51 | 100·00 | 100·00 | 24·0 |

## सारिणी संख्या 5

राज्य/संघीय क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों को साक्षरता की प्रतिशत दर के अनुसार स्थान देने वाली सारिणी साक्षर जनसंख्या के

प्रतिशत आँकड़े

| 1971 में स्थान | राज्य/संघीय क्षेत्र या अन्य क्षेत्र* | साक्षरता % 1971 | | | 1961 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यक्ति | पुरुष | स्त्री | व्यक्ति | पुरुष | स्त्री |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | भारत | 29·35 | 39·49 | 18.47 | 24·03 | 34·45 | 12·95 |
| 1. | चंडीगढ़ (2) | 61·24 | 66·54 | 54·17 | 51·06 | 56·97 | 42·00 |
| 2. | केरल (3) | 60·16 | 66·54 | 53·90 | 46·85 | 54·97 | 38·90 |
| 3. | दिल्ली (1) | 56·65 | 62·87 | 47·64 | 52·75 | 60·75 | 42·55 |
| 4. | गोवा, दमन द्वी (7) | 44·53 | 54·45 | 34·48 | 30·75 | 30·04 | 23·02 |
| 5. | अण्डमान तथा निकोबार द्वीप (5) | 43·48 | 51·54 | 30·96 | 33·63 | 42·43 | 19·37 |
| 6. | लंकादिव, मिनीकोय अमोनदीवी द्वी (15) | 43·44 | 56·26 | 30·36 | 23·27 | 35·80 | 10·98 |
| 7. | पांडिचेरी (4) | 43·36 | 54·56 | 32·04 | 37·43 | 50·39 | 24·64 |
| 8. | तमिलनाडु (6) | 39·39 | 51·68 | 26·83 | 31·41 | 44·54 | 18·17 |
| 9. | महाराष्ट्र (10) | 39·06 | 51·28 | 25·95 | 29·82 | 42·04 | 16·76 |
| 10. | गुजरात (8) | 35·70 | 46.10 | 24·59 | 30·45 | 41·13 | 19·10 |
| 11. | पंजाब (13) | 33·39 | 40·06 | 25·75 | 26·74 | 34·70 | 17·41 |
| 12. | पश्चिम बंगाल (11) | 33·05 | 42·84 | 22·08 | 29·25 | 40·08 | 16·98 |
| 13. | मणीपुर (9) | 32·80 | 46·16 | 19·22 | 30·42 | 45·12 | 15·93 |
| 14. | मैसूर (14) | 31·47 | 41·78 | 20·74 | 25·40 | 36·15 | 14·19 |
| 15· | हिमाचल प्रदेश (17) | 31·32 | 42·30 | 20·04 | 21·26 | 32·31 | 9·49 |
| 16. | त्रिपुरा (19) | 30·87 | 40·56 | 20·55 | 20·24 | 29·61 | 10·19 |
| 17· | असम (12) | 27·47 | 37·75 | 15·67 | 29·19 | 39·71 | 17·11 |
| 18· | मेघालय (21) | 25·71 | 30·71 | 20·45 | 18·47 | 21·44 | 15·36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19· नागालैंड (23) | 27·33 | 34·42 | 19·21 | 17·91 | 24·04 | 11·34 |
| 20· हरियाणा (20) | 26·69 | 37·20 | 14·68 | 19·93 | 29·23 | 9·21 |
| 21. उड़ीसा (16) | 26·12 | 38·35 | 13·75 | 21·66 | 34·68 | 8·65 |
| 22. आंध्र प्रदेश (18) | 24·56 | 33·26 | 15·65 | 21·19 | 30·19 | 12·03 |
| 23. मध्य प्रदेश (25) | 22·03 | 32·58 | 10·82 | 17·13 | 27·03 | 6·73 |
| 24. उत्तर प्रदेश (24) | 21·64 | 31·74 | 10·20 | 17·65 | 27·30 | 7·02 |
| 25. बिहार (22) | 19·97 | 30·65 | 8.79 | 18·40 | 29·83 | 6·90 |
| 26. राजस्थान (26) | 18·79 | 28·42 | 8·26 | 15·21 | 23·71 | 5·84 |
| 27. जम्मू कश्मीर (27) | 18·30 | 26·41 | 9·10 | 11·03 | 16·97 | 4·26 |
| 28· दादर तथा नगरहवेली (28) | 14·86 | 22·00 | 7·77 | 9·48 | 14·71 | 4·05 |
| 29. नेफा (29) | 9·34 | 14·60 | 3·54 | 7·13 | 12·25 | 1·42 |

* (कोष्ठ में इनका 1961 में स्थान)

*अनुबंध संख्या 3*

# शिक्षाप्रद समूह गान

पुस्तक के एक अध्याय में हमने प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम की जानकारी फैलाने के लिए तथा इसके लिए आरम्भिक आन्दोलन करने के लिए समूह गानों की आवश्यकता, उसके उपयोग और विधियों पर बातचीत की है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्य में समूह गान बहुत प्रेरणादायक सिद्ध होते हैं। इनका उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी किया जा सकता है। इनके द्वारा उपस्थित जनसमूह में शिक्षण कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकेगी। साथ ही कार्यक्रम भली प्रकार जम जायेगा और सफल सिद्ध होगा।

इसी उद्देश्य से शिक्षकों और व्यवस्थापकों की सुविधा के लिए कुछ नमूने के समूह गानों का संकलन यहाँ किया जा रहा है।

(1)

हम सब पढ़ लिख कर नाम करें,
ऊँचा भारत का इस जग में।
डट जाएँगे यदि आएँगी,
कैसी भी बाधाएँ मग में।।
हम सब पढ़ लिख कर नाम करें,
ऊँचा भारत का इस जग में।

हम आज प्रतिज्ञा करते हैं,
सब पढ़ने का दम भरते हैं ।
पढ़ लिख कर ही अब दम लेंगे,
है खून खोलता रग रग में ।।

हम सब पढ़ लिख कर नाम करें,
ऊँचा भारत का इस जग में ।।

यह लोक बनेगा पढ़ने से,
परलोक बनेगा पढ़ने से ।
जब ज्ञान नेत्र खुल पाएँगे तब,
रहे सफलता भी पग में ।।

हम सब पढ़ लिख कर नाम करें,
ऊँचा भारत का इस जग में ।

(2)

आओ भारत के नरनारी,
घर घर में आज सुधार करें ।
भूले भटकों को शिक्षा दे,
हम नया मार्ग तैयार करें ।।

जो सभी आज पढ़ जाएँगे,
तो अपना भाग्य बनाएँगे ।
हम ऐसा अलख जगायेंगे,
शिक्षा का चलो प्रचार करें ।

आओ भारत के नरनारी,
घर घर में आज सुधार करें ।।

हर नर नारी को पढ़ना है,
पढ़ करके आगे बढ़ना है,

उन्नति की चोटी चढ़ना है,
ऐसा अटल विचार करें ।
आओ भारत के नरनारी,
घर घर में आज सुधार करें ।

(3)

सुन्दर भारत देश हमारा ।
जय स्वदेश का बोलो नारा ।।
इसका रक्षक उच्च हिमालय,
जन्म भूमि को करता निर्भय,
इससे बहती निर्मल धारा ।
सुन्दर भारत देश हमारा ।।
गंगा यमुना कृष्णा बहती,
कल कल देश की कथायें कहती,
चरणों में सागर है प्यारा ।
सुन्दर भारत देश हमारा ।।
फली अनाज की खेती प्यारी,
महक रही फूलों की क्यारी,
धन का चमके यहाँ सितारा ।
सुन्दर भारत देश हमारा ।।

(4)

हम जन्म-भूमि का मान करें ।
सब मिल-जुलकर उत्थान करें ।।
जिसमें हमने पाया जीवन,
और दे रही सबको जो धन,

उसके गुण का अब गान करें ।
हम जन्म-भूमि का मान करें ॥
जिसकी गोदी में पल करके,
हम बड़े हुए हैं चल करके,
उस पर जन मन बलिदान करें ।
हम जन्म-भूमि का मान करें ॥
हम सेवा में जुट जाते हैं,
पीछे नहीं कदम हटाते हैं,
अब सेवा रस का पान करें ।
हम जन्म-भूमि का मान करें ॥

(5)

जय जन्म-भूमि भारत माता ।
हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई,
बौद्ध पारसी सब हैं भाई,
करें सभी मन भाता ।
जय जन्म-भूमि भारत माता ॥
छोटे बड़े सभी नर नारी,
हमको तू समान है प्यारी,
आनन्द में मिलकर सब गाएँ,
तेरी गौरव गाथा ।
जय जन्म-भूमि भारत माता ॥
अपना कर्म जान हम पाए,
तेरे चरणों में हम आए,
दे माता आशीश हमें तू—
अब तो यही सुहाता ।
जय जन्म-भूमि भारत माता ॥

(6)

आओ भारतवासी सब मिल,
अब तो उन्नत होना है।
शिक्षा के बीजों को घर घर,
नगर-ग्राम में बोना है।
शिक्षा से बलवान बनेंगे,
शिक्षा से विद्वान बनेंगे,
घोर अशिक्षा जो भारत में,
उसको प्रण कर खोना है।
आओ भारतवासी सब मिल,
अब तो उन्नत होना है।
शिक्षा से सब पाप हरेंगे,
शिक्षा से सब ताप हरेंगे,
समाज-शिक्षा ले दुखों को,
आज हमें ही धोना है।
आओ भारतवासी सब मिल,
अब तो उन्नत होना है॥

(7)

हम भारत माँ की सन्तानें,
ऊँचा माता का भाल करें,
सदियों में आहें भरतों को,
आँखें दे आज निहाल करें,
जो अब तक रहे अंधेरे में,
उस अनपढ़ता के झेरे में
लाकर के आज सवेरे में,
उनको शिक्षित खुशहाल करें।

हम भारत माँ की सन्तानें,
ऊँचा माता का भाल करें,
सदियों से आहें भरतों को,
आँखें दे आज निहाल करें,
सब जान सकें दुनियाँ क्या है,
हम कौन ? हमें करना क्या है ?
उस ज्ञान अमर की दौलत से,
अब सब को मालामाल करें।
हम भारत माँ की सन्तानें,
ऊँचा माता का भाल करें,
सदियों से आहें भरतों को,
आँखें दे आज निहाल करें।

(8)

भारत के कोने-कोने से अनपढ़ता मूल मिटाना है,
हर नर नारी को आज पढ़ा, भारत का भाग्य जगाना है।
अब बीत चुकी रातें काली, छाई घर-घर में उजियाली,
हर भारत के नर नारी को, उसका संदेश सुनाना है।
भारत के कोने-कोने से, अनपढ़ता मूल मिटाना है,
हर नर नारी को आज पढ़ा, भारत का भाग्य बनाना है।
गर आजादी से प्यार हमें, प्यारे अपने अधिकार हमें,
पढ़ लिख अच्छे शहरी बनकर, अब उसका मोल चुकाना है।
भारत के कोने-कोने से, अनपढ़ता मूल मिटाना है,
हर नर नारी को आज पढ़ा, भारत का भाग्य बनाना है।

(9)

हमें भारत के घर-घर से अशिक्षा को मिटाना है।
नई इक रोशनी देकर नया लाना जमाना है।

न जब तक सब पढ़ जायेंगे, भला कैसे उठ हम पायेंगे ?
हमें तो देश का झंडा, बहुत ऊँचा उठाना है।
हमें भारत के घर-घर से अशिक्षा को मिटाना है।
नई इक रोशनी देकर नया लाना जमाना है।
सभी को हम पढ़ा देंगे, नई इक जिन्दगी देंगे।
न जब तक चैन पायेंगे, यही अपना तराना है।
हमें भारत के घर-घर से अशिक्षा को मिटाना है।
नई इक रोशनी देकर नया लाना जमाना है।

(10)

जागो जगा दो देश को,
भारत की सन्तानो।
अज्ञान का गढ़ तोड़ दो,
अपने को पहचानो।
हर घर में पहुँचे रोशनी,
शिक्षा के उदय की,
नर-नारियों को लग्न हो
बढ़ने की विजय की।
घर-घर में गंगा ज्ञान,
का बढ़ता प्रचार हो।
सदियों से गिरे देश का,
फिर से सुधार हो।
लम्बा किया आराम,
अब कुछ काम की ठानो।
जागो जगा दो देश को,
भारत की सन्तानो।
अज्ञान का गढ़ तोड़ दो,

अपने को पहचानो।
तुम देख ही चुके,
अशिक्षा की सजा क्या है ?
अब देख लो पढ़ कर के,
जीने में मजा क्या है ?
पाओगे बदल जिन्दगी में,
आप में, जग में।
फिर से नई कहानियाँ,
फिर से नए नगमे—
गूजेंगे, जरा जाग कर,
संसार को जानो।
जागो जगा दो देश को,
भारत की सन्तानो।
अज्ञान का गढ़ तोड़ दो,
अपने को पहचानो।

(11)

बन्दे कर ले तू शुभ काम।
बिना कहे पंछी उड़ जाता,
दूर देश से करता नाता,
पँछी के रहते कुछ कर ले—
तभी रहेगा नाम।
बन्दे कर ले तू शुभ काम।
दुनिया की है चाल दुरंगी,
नहीं बनेगा कोई संगी,
सेवा-पथ पर ही तू चल दे—
निश दिन आठों याम।
बन्दे कर ले तू शुभ काम।

देख जगत की चंचल माया,
कभी धूप कभी फिर छाया,
सुख में भूल न, दुख में घबरा
पार लगाये राम ।
बन्दे कर ले तू शुभ काम ।।

(12)

हम आजाद देश के वासी,
नहीं कभी घबराएँगे ।

स्वतन्त्रता की रक्षा करने
तन तन भेंट चढ़ाएँगे ।।

आएँ दुखद घटाएँ तो भी—
कर्म क्षेत्र में रहें अड़े,
साहस-सूरज के प्रकाश से,
उनको दूर भगाएँगे ।।
हम आजाद देश के वासी ।

आजादी का गुण अपनाना
पहला धर्म हमारा है,
नीति नियम का पालन करके
जग में आनन्द पाएँगे ।।
हम आजाद देश के वासी ।

दूर करें अज्ञान मूढ़ता—
जिसने है बरबाद किया,
ज्ञान दीप की ज्योति जगाकर—
जीवन सफल बनाएँगे ।।
हम आजाद देश के वासी ।

(13)

श्रमदान करें श्रमदान करें।
अपने कष्टों को आप हरें।
हम खोदें गहरा नाला,
इसने था दुख सब पर ढाला,
अब इसकी मिट्टी दूर करें।
श्रमदान करें श्रमदान करें।
सब मिल कर सड़क बनाएँगे,
सुख से फिर आएँ जायेंगे,
घर गाँव सड़क सब ही सुधरें।
श्रमदान करें श्रमदान करें।
हम अच्छा विद्यालय बनवाएँ,
बालक उसमें पढ़ने जाएँ,
इस तरह बलाएँ सभी टलें।
श्रमदान करें श्रमदान करें॥

(14)

बढ़े चलो भारत के वीरो,
स्वतंत्रता अपनाएँगे।
आजादी का ऊँचा नारा
हम जग में गुंजाएँगे।
सेवा करने देश की भूमि की
वीरों ने बलिदान किये,
बापू बोस जवाहर ने भो-
विष के कड़ुए घूँट पिये,
कटा गए हैं शीश अनेकों-
हम उनके गुण गाएँगे।

बढ़े चलो भारत के वीरों,
स्वतन्त्रता अपनाएँगे ।

हैं स्वतन्त्र हम आज विश्व में
भारत माँ भी बल रखती,
कैसी भी कोई भी सत्ता-
हमको नहीं डिगा सकती,
ऐसी करो भावना सब मिल
तभी इसे ठहराएँगे ।

बढ़े चलो भारत के वीरो,
स्वतन्त्रता अपनाएँगे ।

(15)

आपस में सब मिल कर बैठो
खुश हो कर दिन रात

हम झगड़ें में समय गवाएँ
और लाभ की सोच न पाएँ,
चलो एकता से मिल करके,
दूर करो सब घात ।
आपस में सब मिल कर बैठो
खुश हो कर दिन रात ।

बुरा मुकदमा सुन लो भाई,
इसमें होती खतम कमाई,
रहता है दम नाक में सब दिन
कुछ भी नहीं सुहात
आपस में सब मिलकर बैठो,
खुश हो कर दिन रात,

छोड़ो बैठ बुराई करना,
कान किसी के पीछे भरना।
आपस में फिर कलह बढ़ेगी,
तिल तिल सूखे गात।
आपस में सब मिल कर बैठो
खुश हो कर दिन रात।

(16)

जागो नया जमाना आया—
अब क्यों सोते पैर पसार।

कुरीतियों को छोड़ो भाई,
धन दौलत बेकार गंवाई,

अन्ध विश्वास छोड़कर अपना
करलो अब उद्धार॥

ढोंग और पाखण्ड भगाओ,
सच्चाई को सब अपनाओ,

मन में अपने मत घबराओ,
कुछ तो करो सुधार॥

आपस में सहयोग बढ़ाओ,
दीन दुखी के काम बनाओ,

और सभी से प्रेम जताओ,
पाओगे स्तकार॥

गांव गाँव फिर करें तरक्की,
इन बातों को मानो पक्की,

करो हाथ मजबूत भाईयो,
अपनी है सरकार॥

(17)

हम सबको भारत प्यारा है ।
हम सब का एक सहारा है ।

हम पले यहाँ की मिट्टी में,
हम बने यहाँ की मिट्टी में,
हम बढ़े यहाँ की मिट्टी में,
हम रहे यहाँ की मिट्टी में,

इसलिये आंख का तारा है ।
हम सब को भारत प्यारा है ।

श्री राम ने इसको अपनाया,
श्री कृष्ण ने सुख था बरसाया,
श्री बुद्ध ने ज्ञान यहां पाया,
जन जीवन यहां सुधारा है ।
हम सबको भारत प्यारा है ॥

श्री तिलक लाजपत सेवा कर,
कर गए देश का नाम अमर,
फिर आये बापू और जवाहर
यह ज्योति जगाई जीवन भर,

यह सुन्दर देश हमारा है ।
हम सबको भारत प्यारा है ॥

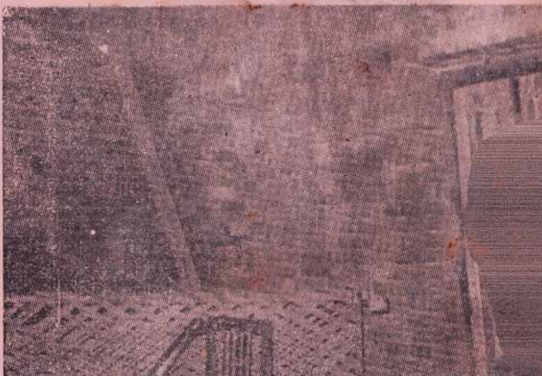

एक प्रौढ़-शिक्षा कार्यकर्त्ता म

लाओं को साक्षरता का पाठ देते हुए